वार्षिक प्रतिवेदन व लेखा
2021-2022

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की एक अनुषंगी)

भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं का सुदृढ़ीकरण

गुंजन ईको पार्क, ईसीएल

वार्षिक प्रतिवेदन व लेखा
2021-22

ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड
(कोल इंडिया लिमिटेड की एक अनुषंगी)

www.easterncoal.nic.in
सीआईएन-U10101WB1975GOI030295

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

लक्ष्य

कोल इण्डिया लिमिटेड का लक्ष्य सुरक्षा, संरक्षण एवं गुणवत्ता को सम्यक प्रतिष्ठा प्रदान करते हुए दक्षतापूर्वक और मितव्ययिता के साथ पर्यावरण के अनुकूल योजनाबद्ध परिमाण में कोयला एवं कोयला उत्पाद का उत्पादन एवं विपणन करना है।

संकल्पना

खदान से बाजार तक सर्वोत्तम प्रथाओं के माध्यम से पर्यावरण और सामाजिक रूप से टिकाऊ विकास को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता के साथ प्राथमिक ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक कंपनी के रूप में उभरना।

अंतर्वस्तु

क्रम सं.	अंतर्वस्तु	पृष्ठ सं.
1.	प्रबंधन	4
2.	बैंकर / लेखापरीक्षक	5
3.	वार्षिक आम बैठक की सूचना	7
4.	अध्यक्षीय कथन	11
5.	परिचालनात्मक सांख्यिकी / वित्तीय स्थिति	13
6.	निदेशक मण्डल की पृष्ठभूमि	22
7.	निदेशक मण्डल का प्रतिवेदन 2021-22	27
8.	लेखापरीक्षक प्रतिवेदन एवं प्रबंधन प्रत्युत्तर	117
9.	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टीका-टिप्पणियाँ	134
10.	31 मार्च, 2022 को यथा तुलन-पत्र	140
11.	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि विवरणी	142
12.	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए साम्य में परिवर्तनों की विवरणी	144
13.	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष नकदी-प्रवाह विवरणी	146
14.	निगमित संसूचना एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	148
15.	तुलन-पत्र का भाग होने वाली टिप्पणियाँ	168
16.	लाभ-हानि विवरणी का भाग होने वाली टिप्पणियाँ	198
17.	खाता पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ	208

निगमित संसूचना

पंजीकृत कार्यालय
ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का कार्यालय,
सांकतोड़िया, पोस्ट – डिसेरगढ़, जिला- पश्चिम बर्द्धवान,
पिन- 713333, पश्चिम बंगाल

सचिवालयिक लेखापरीक्षक
मेसर्स जे. के. दास एवं एसोसिएटस

निदेशकगण एवं प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी

पूर्णकालिक निदेशकगण
श्री ए. पी. पंडा, सीएमडी एवं सीईओ (01.02.2022 से)
श्री प्रेम सागर मिश्रा (28.01.2022 तक)
श्री जयप्रकाश गुप्ता, निदेशक (तकनीकी), योजना व परियोजना (18.06.2018 से)
श्री विनय रंजन, निदेशक (कार्मिक) (27.07.2021 तक)
श्री बी. वीरा रेड्डी, निदेशक (तकनीकी) संचालन (31.01.2022 तक)
श्री गौतम चंद्र दे, निदेशक (वित्त) (31.01.2022 तक)

सरकार नामिति निदेशकगण:
श्री हर कुमार हाजोंग, आर्थिक सलाहकार, कोयला मंत्रालय (05.07.2022 से प्रभावी)
श्री अनिमेष भारती, आर्थिक सलाहकार, कोयला मंत्रालय (04.07.2022 तक)
श्री संजीव सोनी, निदेशक (वित्त), सीआईएल (30.06.2021 तक)
श्री एस. एन. तिवारी, निदेशक (विपणन), सीआईएल (30.04.2022 तक)

स्वतंत्र निदेशकगण:
श्री प्रवीण कांत (12.12.2021तक)
श्री अनिल कुमार गणेरिवाला (09.07.2022 से)
श्रीमती धर्मशीला गुप्ता (01.11.2021 से)
श्री शिव नारायण पाण्डेय (01.11.2021 से)
श्री शिव तपस्या पासवान (01.11.2021 से)

स्थायी आमंत्रित
श्री उत्पल कांति बल, प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक, पूर्वी रेलवे (28.02.2019 से)

कंपनी सचिव
श्री रामबाबू पाठक (01.07.2018 से)

सांविधिक लेखापरीक्षक
मेसर्स जी.पी. अग्रवाल एवं कंपनी

शाखा लेखापरीक्षक :
मेसर्स एस. के. अग्रवाल एवं कंपनी
मेसर्स केसरी एवं एसोसिएट्स
मेसर्स रॉय घोष एवं एसोसिएट्स
मेसर्स के. के. चनानी एवं एसोसिट्स
मेसर्स एस. के. बसु एवं कंपनी

लागत लेखापरीक्षक
मेसर्स आर.जे. गोयल एवं कंपनी
मेसर्स कृष्णा एवं कंपनी
मेसर्स बी. मण्डल एवं एसोसिएट्स
मेसर्स प्रसाद भूषण एवं एसोसिएट्स

आंतरिक लेखापरीक्षक :
मेसर्स कपूर भूषण एवं कंपनी
मेसर्स अमित राय एवं कंपनी,
मेसर्स अग्रवाल एवं धनधारिया,
मेसर्स एस.आर.आई. एसोसिएट,
मेसर्स अंकुर कुमार गुप्ता एवं कंपनी,
मेसर्स आर.एन. सिंह एवं कंपनी,
मेसर्स मित्रा कुंडु एवं बसु
मेसर्स पी.पी. बंसल एवं कंपनी,
मेसर्स बी. मुखर्जी एवं कंपनी,
मेसर्स सुजीत चक्रवर्ती एवं एसोसिएट
मेसर्स डी दास एवं कमालुद्दीन,
मेसर्स ए रॉय एवं एसोसिएट,
मेसर्स एन.सी. मित्तल,
मेसर्स सलारपुरिया एवं पार्टनर्स,
मेसर्स नीना महेश्वरी एवं कंपनी,

खानों का अवस्थान

राज्य :	**पश्चिम बंगाल**
जिला :	पश्चिम बर्द्धमान बांकुड़ा पुरूलिया
राज्य :	**झारखण्ड**
जिला :	धनबाद गोड्डा दुमका पाकुड़ देवघर

बैंकर्स :
भारतीय स्टेट बैंक
इंडियन बैंक
बैंक ऑफ इंडिया
एचडीएफसी बैंक लि.
यूको बैंक
बैंक ऑफ बड़ौदा
आईसीआईसीआई बैंक लि.
केनरा बैंक
एक्सिस बैंक लि.
पंजाब नेशनल बैंक
कोरपोरेशन बैंक
ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया

निक्षेपागार
मेसर्स नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड

रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण अभिकर्ता
मेसर्स एनडीएमएल
आईएसआईएन: INE06V901011

निदेशक मण्डल

निदेशक मण्डल (2021-22 के दौरान)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक / सीईओ

श्री ए. पी. पंडा, (01.02.2022 से)
श्री प्रेम सागर मिश्रा (28.01.2022 तक)

पूर्णकालिक निदेशकगण:

श्री जयप्रकाश गुप्ता, निदेशक (तकनीकी) योजना व परियोजना
(18.06.2018 से)
श्री विनय रंजन, निदेशक (कार्मिक)
(27.07.2021 तक)
श्री बी. वीरा रेड्डी, निदेशक (तकनीकी) संचालन
(31.01.2022 तक)
श्री गौतम चंद्र दे, निदेशक (वित्त)
(31.01.2022 तक)

सरकार नामिति निदेशकगण:

श्री अनिमेष भारती, आर्थिक सलाहकार, कोयला मंत्रालय
(17.03.2020 से)
श्री संजीव सोनी, निदेशक (वित्त), सीआईएल
(30.06.2021 तक)
श्री एस. एन. तिवारी, निदेशक (विपणन), सीआईएल
(05.07.2021 से)

स्वतंत्र निदेशकगण:

श्री प्रवीण कांत (12.12.2021 तक)
श्री अनिल कुमार गणेरिवाला (10.07.2019 से)
श्रीमती धर्मशीला गुप्ता (01.11.2021 से)
श्री शिव नारायण पाण्डेय (01.11.2021 से)
श्री शिव तपस्या पासवान (01.11.2021 से)

स्थायी आमंत्रित

श्री उत्पल कांति बल, प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक, पूर्वी रेलवे
(28.02.2019 से)

कंपनी सचिव

श्री रामबाबू पाठक (01.07.2018 से)

निदेशक मण्डल (29.07.2022 को यथा)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक / सीईओ

श्री ए. पी. पंडा

पूर्णकालिक निदेशकगण:

श्री जयप्रकाश गुप्ता, निदेशक (तकनीकी) यो. व परि.

सरकार नामिति निदेशकगण:

श्री हर कुमार हाजोंग आर्थिक सलाहकार, कोयला मंत्रालय
श्री बी. वीरा रेड्डी, निदेशक (वित्त), सीआईएल

स्वतंत्र निदेशकगण:

श्रीमती धर्मशीला गुप्ता (01.11.2021 से)
श्री शिव नारायण पाण्डेय (01.11.2021 से)
श्री शिव तपस्या पासवान (01.11.2021 से)

स्थायी आमंत्रित

श्री उत्पल कांति बल, प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक, पूर्वी रेलवे

कंपनी सचिव

श्री रामबाबू पाठक

निदेशक मण्डल

श्री अंबिका प्रसाद पंडा
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

श्री जयप्रकाश गुप्ता
निदेशक (तकनीकी)
परियोजना एवं योजना

श्री हर कुमार हाजोंग
अंशकालिक आधिकारिक निदेशक, ईसीएल
और आर्थिक सलाहकार, कोयला मंत्रालय

श्री बी वीरा रेड्डी
निदेशक (तकनीकी), सीआईएल

श्रीमती धर्मशीला गुप्ता
स्वतंत्र निदेशक

श्री शिव नारायण पाण्डेय
स्वतंत्र निदेशक

श्री शिव तपस्या पासवान
स्वतंत्र निदेशक

श्री उत्पल कांति बली
स्थायी आमंत्रित

श्री रामबाबू पाठक
कंपनी सचिव

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का कार्यालय
सांकतोड़िया, पत्रालय- डिसेरगढ़,
जिला- बर्द्धमान, पश्चिम बंगाल-713333
कंपनी सचिवालय
सी.आइ.एन-U10101WB1975GOI030295
वेबसाइट – www.easterncoal.gov.in

EASTERN COALFIELDS LIMITED
Office of the Chairman-cum-Managing Director
Sanctoria, P.O.: Dishergarh,
Dist.: Bardhaman, West Bengal-713333
Company Secretariat
CIN-U10101WB1975GOI030295
Website – www.easterncoal.gov.in

संदर्भ सं. ईसीएल:सीएस :15(2022)/8988

28 जुलाई, 2022

47 वीं वार्षिक आम बैठक

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा निर्गत विनिमयकारी प्रावधानों एवं परिपत्रों के अनुरूप विडियो कॉन्फ्रेसिंग (वीसी)/अन्य श्रव्य-दृश्य उपाय (ओएवीएम) के जरिए निम्नलिखित कारबारों के संव्यवहार के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के शेयरधारकों की सैंतालीसवीं (47 वीं) वार्षिक आम बैठक दिनांक 29 जुलाई, 2022 को शुक्रवार पूर्वाह्न 09:45 बजे से कंपनी के पंजीकृत कार्यालय, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का कार्यालय, सांकतोड़िया, पोस्ट – डिसेरगढ़, पश्चिम बर्द्धमान, पिन – 713333, पश्चिम बंगाल में आयोजित की जाएगी।

सामान्य कारबार :

1. यथा 31 मार्च, 2022 को लेखापरीक्षित तुलन-पत्र, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लाभ और हानि विवरणी, समस्त टिप्पणियों के साथ नगदी प्रवाह विवरणी, वर्ष 2021-22 के लिए वित्तीय विवरणियों एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीति पर अतिरिक्त टिप्पणियों, सांविधिक लेखापरीक्षक एवं भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए निदेशक मण्डल के प्रतिवेदन को ग्रहण, प्रतिफलित और अंगीकृत करने संबंधित

2. श्री जयप्रकाश गुप्ता (डीआईएन-08174002) के स्थान पर निदेशक नियुक्त करने संबंधित, निदेशक जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 (6) के निबंधनों के अनुसार चक्रानुक्रम से निवृत्त होते हैं और पुनःनियुक्ति के लिए पात्र होने पर स्वयं को प्रस्तावित करते हैं।

विशेष कारबार :

3. वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लागत लेखापरीक्षकों के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन करने एवं प्रतिफलित करने और यदि उचित समझा जाए तो उपांतर सहित या रहित जारी करने संबंधित, निम्नलिखित संकल्प यथा **सामान्य संकल्प :**

   "संकल्पित किया जाता है कि कंपनी के लागत परीक्षक कार्य करने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए निदेशक मण्डल द्वारा नियुक्त लागत लेखापरीक्षकों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(3) के अनुसरण में निम्नलिखित पारश्रमिक प्रदत्त किए जाते हैं :

क्रम सं.	लागत परीक्षक का नाम	वर्ष 2021-22 के लिए आईसीसीएस पुनर्विलोकन शुल्क के साथ-साथ लागत लेखापरीक्षण के लिए पारिश्रमिक (₹ में)
1	मेसर्स आर. जे. गोयल एण्ड कंपनी	6,00,000.00
2	मेसर्स कृष्णा एण्ड कंपनी	5,72,000.00
3	मेसर्स बी. मण्डल एण्ड एसोसिएटस	4,91,000.00
4	मेसर्स प्रसाद भूषण एण्ड एसोसिएटस	2,46,000.00
	कुल : (उन्नीस लाख नौ हजार रूपए मात्र)	**19,09,000.00**

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के लागत परीक्षकों के रूप में उपर्युक्त फर्म की नियुक्ति अभिव्यक्ति की अभिरूचि (ईओआई) में यथा उल्लिखित निबंधनों एवं दशाओं द्वारा मार्गदर्शित होगी।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के लिए
निदेशक मण्डल के आदेश से

(रामबाबू पाठक)/ (Rambabu Pathak)
प्रबंधक (वित्त)/कंपनी सचिव
Manager (Finance)/Company Secretary

दिनांक : 28 जुलाई, 2022
<u>पंजीकृत कार्यालय :</u>
सीआईएन - U10101WB1975GOI030295
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
सांकतोड़िया, पोस्ट – डिसेरगढ़,
जिला – पश्चिम बर्द्धमान,
पिन – 713333, पश्चिम बंगाल

टिप्पणियाँ :

1. देश में प्रबल कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण वर्तमान असाधारण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 18 के अनुपालन में और भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा निर्गत उनके सामान्य परिपत्र सं. 2/2022 दिनांक 05.05.2022, सामान्य परिपत्र सं. 02/2021 दिनांक 13.01.2021, सामान्य परिपत्र सं. 19/2021 दिनांक 08.12.2021, सामान्य परिपत्र सं. 21/2021 दिनांक 13.01.2021, सामान्य परिपत्र सं. 19/2021 दिनांक 08.12.2021, सामान्य परिपत्र सं. 21/2021 दिनांक 14.12.2021, सामान्य परिपत्र सं. 02/2022 दिनांक 05.05.2022, अन्य परिपत्रों (किसी भी सांविधिक उपांतरों या तत्समय लागू होने वाले पुनःअधिनियमिति सहित) तथा अन्य प्रयोज्य विधि व विनिमयों के तहत companysecretary.ecl@coalindia.in पर ई-मेल भेजकर बैठक में विचार की गई मदों पर केवल ऐसे स्तर पर अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करने के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के सचिवालयिक लेखापरीक्षक सहित शेयरधारकों, निदेशकगण एवं लेखापरीक्षकगण बैठक में सम्मिलित होने और / या मतदान करने के हकदार है, विडियो कॉन्फ्रेसिंग (वीसी) या अन्य श्रव्य-दृश्य उपायों (ओएवीएम) के जरिए भी बैठक में सम्मिलित हो सकते हैं और / या मतदान कर सकते हैं। सदस्यों द्वारा परोक्षी की नियुक्ति करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। यद्यपि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 112 एवं 113 के अनुसरण में सदस्यों के प्रतिनिधि को वीस या ओएवीएम के जरिए सहभागिता एवं मतदान करने के लिए नियुक्त किया जा सकता है। वीसी या ओएवीएम के जरिए बैठक में सम्मिलित होने के लिए, लिंक कंपनी के प्राधिकृत मेल आईडी के माध्यम से अग्रिम रूप में उपलब्ध करा दिया जाएगा और बैठक में शामिल होने की सुविधा बैठक शुरू होने के लिए निर्धारित समय से कम से कम 15 मिनट पहले खुली रखी जाएगी और ऐसे निर्धारित समय के 15 मिनट बाद बंद नहीं की जाएगी।

2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अनुसरण में, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सी&एजी) द्वारा एक सरकारी कंपनी के लेखापरीक्षकों को नियुक्त या पुनःनियुक्त किया जाना है और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142(1) के निबंधनों में, कंपनी द्वारा वार्षिक आम बैठक में उनका पारिश्रमिक नियत किया जाना है या इस तरह से यथा कंपनी सामान्य बैठक में निर्धारित कर सकती है।

3. विशेष कारबार से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरणी इसके साथ उपाबद्ध है।

4. शेयरधारकों से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101(1) के प्रावधानों के अनुसरण में अल्पतर समय की सूचना पर वार्षिक आम बैठक आहुत करने के लिए उनके सहमति देने का अनुरोध किया जाता है।

प्रतिलिपि :

1. मेसर्स जी. पी. अग्रवाल एण्ड कंपनी, सनदी लेखाकार, सांविधिक लेखापरीक्षक, द्वितीय तल, 7-ए, किरण शंकर राय मार्ग, कोलकाता – 700001.
2. मेसर्स जे. के. दास एण्ड एसोसिएट, कंपनी सचिव, सचिवालयी लेखापरीक्षक, दास विला, प्लाट सं. 883, बिजन कानन, पोस्ट- बरमपुर, बांसध्रोनी, कोलकाता – 700096.
3. मेसर्स आर. जे. गोयल एण्ड कंपनी, 31, सामुदायिक केन्द्र, अशोक विहार फेज 1, दिल्ली – 110052.
4. ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड के समस्त निदेशकगण।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(i) के अनुसरण में विवरणी

29 जुलाई, 2022, बुधवार को आयोजित सैंतालीसवीं (47वीं) वार्षिक आम बैठक आहूत करने की सूचना के साथ उपाबद्ध।

विशेष कारबार : मद सं. 4

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(3) के साथ पठित कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के अनुसार, लेखापरीक्षक समिति द्वारा यथा सिफारिश और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित लागत लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक की बाद में शेयरधारकों द्वारा अनुसमर्थन की जानी है।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के लेखापरीक्षक समिति 23 सितंबर, 2021 को आयोजित अपने 113 वीं बैठक में सिफारिश की और ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक मंडल 23 सितंबर, 2021 को आयोजित अपने 342वीं बैठक में सिफारिश की कि निम्नलिखित पारिश्रमिक के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए निम्नलिखित लागत लेखाकार फर्मों को यथा लागत लेखापरीक्षक नियुक्ति अनुमोदित किया जाए जिसे आगामी एजीएम में अनुसमर्थन किया जाना है :

क्रम सं.	लागत परीक्षक का नाम	वर्ष 2021-22 के लिए आईसीसीएस पुनर्विलोकन शुल्क के साथ-साथ लागत लेखापरीक्षण के लिए पारिश्रमिक (₹ में)
1	मेसर्स आर. जे. गोयल एण्ड कंपनी	6,00,000.00
2	मेसर्स कृष्णा एण्ड कंपनी	5,72,000.00
3	मेसर्स बी. मण्डल एण्ड एसोसिएटस	4,91,000.00
4	मेसर्स प्रसाद भूषण एण्ड एसोसिएटस	2,46,000.00
	कुल : (उन्नीस लाख नौ हजार रूपए मात्र)	**19,09,000.00**

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के लागत लेखापरीक्षकों के रूप में उपर्युक्त फर्मों की नियुक्ति अभिव्यक्ति की अभिरूचि (ईओआई) में यथा उल्लिखित निबंधनों एवं शर्तों द्वारा मार्गदर्शित होगी। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के साथ पठित कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के निबंधनों के अनुसार, लागत लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक को कंपनी के सदस्यों द्वारा अनुसमर्थन किया जाना आवश्यक है। कंपनी के किसी भी निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदारों की इस संकल्प में कोई अभिरूचि नहीं है। निदेशक मंडल आपके अनुमोदन के लिए इस संकल्प की सिफारिश करता है।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के लिए
निदेशक मण्डल के आदेश से

(रामबाबू पाठक)/ (Rambabu Pathak)
प्रबंधक (वित्त)/कंपनी सचिव
Manager (Finance)/Company Secretary

दिनांक : 28 जुलाई, 2022

वार्षिक आम बैठक में रोटेशन और पुनर्नियुक्ति की मांग करने वाले निदेशकों का विवरण-

सामान्य बैठक ("एसएस-2") पर सचिवीय मानक के अनुपालन में, पुनर्नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों के अपेक्षित विवरण वार्षिक आम बैठक में निम्नानुसार सारणीबद्ध है-

निदेशक का नाम और पदनाम	श्री जयप्रकाश गुप्ता, निदेशक (तकनीकी) परियोजना एवं योजना, ईसीएल
डीन	08174002
जन्म की तारीख	01.12.1962
राष्ट्रीयता	भारतीय
बोर्ड में नियुक्ति की तिथि	8/06/2018
नियुक्ति/पुन: नियुक्ति के नियम और शर्तें तथा पारिश्रमिक और पारिश्रमिक का विवरण की मांग तथा अंतिम बार निकाली गयी राशि	कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी नियुक्ति पत्र के अनुसार
योग्यता और अनुभव	बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू/आईआईटी) से खनन इंजीनियरिंग में बी.टेक, 1983
कंपनी में शेयरधारिता	शून्य
अन्य निदेशकों, प्रबंधक और अन्य केएमपी के साथ संबंध	शून्य
वर्ष 2021-22 के दौरान बोर्ड की बैठक की उपस्थिती संख्या	10
अन्य कंपनियों में आयोजित निदेशक पद की सूची	शून्य
ईसीएल के अन्य समिति में अध्यक्ष/सदस्यता	लेखा परीक्षा समिति, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, जोखिम परियोजनाओं का प्रबंधन और मूल्यांकन, मूल्यांकन और अनुमोदन के सदस्य।

अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक का वक्तव्य

प्रिय शेयरधारकों,

बीतते साल ने आपकी कंपनी को व्यावसायिक परिवेश में निषिद्ध क्षेत्र की ओर धकेल दिया है। परीक्षण और आपत्ति संचालन और वित्तीय में प्रकट हो रहे थे। 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए आपकी कंपनी के निदेशक मंडलीय प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणी पहले ही सभी शेयरधारकों को प्रदान किए जा चुके हैं। आपकी अनुमति से, मैं उन्हें यथा पठित स्वीकार करता हूँ।

वैश्विक महामारी की लहर एवं अतिस्कंदी अर्थव्यवस्था

वैश्विक महामारी की लहरों ने अप्रत्याशित चुनौतियों को जन्म दिया और हमें कई सबक सिखाए। दुनिया भर में स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं और अभूतपूर्व निवारक उपायों के कारण व्यावसायिक परिवेश में आर्थिक गतिविधियों में तेज गिरावट देखी गई। भारत जैसी दहशत से त्रस्त आबादी वाली अर्थव्यवस्था बड़े पैमाने पर टीकाकरण कार्यक्रम सहित विश्वास निर्माण उपायों के माध्यम से प्रतिस्कंदन दिखा सकती है और एक आबादी वाले देश की भारी आधार माँग से भी समर्थित है। यद्यपि, वैश्विक महामारी, भू-राजनीतिक तनाव और आपूर्ति शृंखला व्यवधान आदि के पश्चात नव सामान्य जीवन आर्थिक वातावरण के लिए असामान्य चुनौतियाँ लेकर आया। कई देश नानाविध परिमाण के आर्थिक संकट की ओर देख रहे हैं। जो राष्ट्र ऊर्जा आपूर्ति के लिए बाह्य स्रोतों पर अधिक निर्भर हैं या स्वदेशी स्रोतों पर कम निर्भर हैं, उनकी अर्थव्यवस्थाओं की रक्षा करते समय बड़े जोखिमों का सामना करने की संभावना है। वैश्विक महामारी के बाद ऊर्जा की माँग में अचानक वृद्धि, कच्चे और अन्य जीवाश्म ईंधन पर अधिक निर्भरता, पूर्व-कोविड स्तरों से परे आर्थिक गतिविधियों के विस्तार आदि ने भारत को एक तंग आर्थिक स्थिति में डाल दिया है। 2022 में लगभग 7 प्रतिशत पर विस्तार का अनुमानित स्तर, मुद्रास्फीति संबंधी मुद्दों, पड़ोस में डूबती अर्थव्यवस्थाओं, अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति-बाधाओं और रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण लंबे समय तक राजनीतिक तनाव से प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की संभावना है।

घरेलू कोयले की माँग और आपूर्ति

यह अनुमान लगाया गया है कि वित्तीय वर्ष 2030 तक के मध्यावधि में कुल कोयले की माँग 1448 मि.टन होगी जिसमें 90 प्रतिशत अकोककारी कोयले शामिल हैं। लगभग 80 प्रतिशत अकोककारी कोयले की खपत विद्युत क्षेत्र द्वारा किए जाने की संभावना है। गैर-विद्युत क्षेत्र में, विशेष रूप से इस्पात क्षेत्र में, जिसमें प्राइम कोककर कोयले की आवश्यकता होती है, कोकिंग कोल की माँग में वृद्धि की संभावना है और भविष्य में आयातित कोककारी कोयले पर निर्भरता और बढ़ेगी। दूसरी ओर, घरेलू कोयले की आपूर्ति की कुल मात्रा घरेलू कोयले की माँग की मात्रा से अधिक हो सकती है और इस तरह अधिशेष जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन घरेलू बाजार में कोककारी कोयले की संवर्धित माँग और कोककारी कोयले की उपलब्धता के बीच अंतर उपभोक्ताओं को कोककारी कोयला आयात करने के लिए बाध्य करेगी। इसके अतिरिक्त, कम राख युक्त कोयला भारित बॉयलर डिजाइन वाले आयातित कोयला आधारित विशिष्ट तटीय बिजली संयंत्र भी घरेलू कोयले से बचना जारी रख सकते हैं। यह एक कोयला अधिशेष राष्ट्र का एक चुनौतीपूर्ण परिदृश्य बना सकता है। जहाँ कोल इंडिया से कोयला उत्पादन में 80 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है, वहीं सिंगरेनी कोयले में 50 प्रतिशत और आबद्ध उत्पादकों में उत्पादन के अपने विद्यमान स्तर से 3 गुना तक की वृद्धि होगी।

प्रदर्शन

वित्तीय वर्ष के दौरान आपकी कंपनी के भौतिक कार्य-निष्पादन और वित्तीय प्रदर्शन में गिरावट आई है। विगत वर्ष की तुलना में 27.944% की नकारात्मक वृद्धि के साथ, भूमिगत खानों से 8.996 मि.टन और खुली खदानों से 23.432 मि.टन कोयले का उत्पादन को मिलाकर 32.428 मि.टन था। विगत वर्ष की तुलना में उपरि संस्तर हटाव और कोयले का उठाव क्रमशः 14.755% और 14.13% कम था। यद्यपि प्रदर्शन काफी हद तक राजमहल क्षेत्र में उत्पादन में गिरावट पर निर्भर था, लेकिन जाहिर तौर पर उदासीन विपणन रणनीति ने राजस्व सृजन को भी प्रभावित किया। सकल विक्रय आवर्त विगत वर्ष की तुलना में 2.48% कम था और ₹1502.79 करोड़ ऋणात्मक पूर्व कर कुल व्यापक आय था जो आगे विगत ₹1141.74 करोड़ ऋणात्मक पूर्व-कर कुल व्यापक आय के दबावग्रस्त वित्तीय में जुड़ गया।

संभाव्यता

राजमहल क्षेत्र में उत्पादन में तेज गिरावट ने कंपनी के संचालन और वित्तीय पर गंभीर प्रभाव डाला है। राजमहल क्षेत्र के तलझारी में गतिरोध जारी है और कंपनी की संभावनाएँ इसके समाधान पर टिकी हैं। तालझारी समस्या के समाधान के अभाव में लक्ष्य की तुलना में हर साल उत्पादन लगभग 10 मीट्रिक टन कम होने की संभावना है। यह बिजली क्षेत्र के लिए कम मात्रा और आपूर्ति प्रतिबद्धता के कारण वित्तीय, विशेष रूप से एनटीपीसी के पिट हेड बिजली संयंत्रों को आपूर्ति करता है पर गंभीर प्रभाव डालता है। चूँकि राजमहल क्षेत्र से उत्पादन और आपूर्ति कम है, इसलिए कंपनी के पास रानीगंज कोलफील्ड्स से बिजली क्षेत्र को उच्च ग्रेड के कोयले की आपूर्ति के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जो अन्यथा कंपनी के दबावग्रस्त वित्तीय स्थिति को कम किया जा सके खुले बाजार में बेहतर कीमत प्राप्त कर सकता है।

कंपनी के नकारात्मक प्रदर्शन की जाँच करने के लिए संचालन को आनुपातिक रूप से बढ़ाना एक महत्वपूर्ण कदम है। इस संबंध में, खानों और यंत्रीकृत साधनों में तकनीकी हस्तक्षेप के माध्यम से उत्पादन में तेजी लाने के अलावा बाह्य संसाधनों को खींचने के लिए तत्पर रहना महत्वपूर्ण है। अब कंपनी राजस्व अंश बंटवारे मॉडल के माध्यम से बंद / परित्यक्त खानों के संचालन को प्रस्तावित करती है और संचालन के लिए एमडीओ मार्ग के माध्यम से अधिक खानों को प्रस्तावित करती है।

निगमित सुशासन

यह हमेशा निगमित प्रशासन के स्तर को ऊपर उठाकर निगमित विकास सुनिश्चित करने का प्रयास रहा है। आपकी कंपनी को सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा निगमित सुशासन के लिए सीपीएसई में 'उत्कृष्ट' श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी सीपीएसई के लिए निगमित सुशासन पर वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धांतों का समय-समय पर कठोरता से पालन किया जा रहा है। निगमित सुशासन पर एक पृथक प्रतिवेदन निदेशक मंडल के प्रतिवेदन के अंश रूपक है।

अभिस्वीकृति

मैं कोयला मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, वित्त मंत्रालय - सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) और निवेश व सार्वजनिक आस्ति प्रबंधन विभाग (दीपम), संबद्ध सांविधिक प्राधिकरणों के अलावा पश्चिम बंगाल राज्य सरकार, झारखंड राज्य सरकार और कोल इंडिया लिमिटेड से प्राप्त समर्थन के लिए निदेशक मंडल की ओर से अपना हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

मैं कोयला योद्धाओं के ठोस प्रयासों के लिए अपनी ईमानदारी से सराहना करता हूँ और श्रमिक संगठनों, विनिमयकारी निकायों और अन्य हितधारकों को धन्यवाद देता हूँ। इसके अतिरिक्त, मैं प्रबंधन पर विश्वास व्यक्त करने और ऊर्जा मूल्य शृंखला को सुदृढ़ करने के लिए शेयरधारकों के प्रश्रय को अभिस्वीकृत करना चाहता हूँ।

शुभकामना सहित,

(अंबिका प्रसाद पंडा)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन : 06664375

दिनांक : 29 जुलाई, 2022
स्थान : सांकतोड़िया

परिचालनात्मक सांख्यिकी

31 मार्च को समाप्त वर्ष	2022	2021	2020	2019	2018
1. कोयला उत्पादन (मि.टन)					
भूमिगत	8.996	9.309	9.206	9.06	8.60
खुली खदान	23.432	35.695	41.195	41.10	34.97
कुल	32.428	45.004	50.401	50.16	43.57
2. उपरिभार हटाव (मि. घनमीटर)	118.989	139.585	140.455	126.06	118.90
3. कुल व्यापार (कच्चा कोयला) : (मि.टन)					
विद्युत शक्ति	29.970	36.170	45.334	46.79	40.04
सिमेंट	0.120	0.093	0.076	0.04	0.06
कोलियरी खपत	0.180	0.177	0.181	0.19	0.20
अन्य	5.830	5.60	3.725	3.39	3.33
कुल	36.100	42.040	49.316	50.41	43.63
4. जनशक्ति	52935	54866	57153	59698	61796
5. उत्पादकता (ओ.एम.एस.) (मि.टन)					
भूमिगत	0.863	0.852	0.824	0.78	0.72
खुली खदान	10.310	15.374	17.358	17.02	14.32
समग्र	2.555	3.397	3.722	3.58	3.01
6. पूँजीगत व्यय (₹ करोड़ में)	1227.99	1025.87	894.68	829.96	959.99
7. सकल बिक्री आवर्तन (₹ करोड़ में)	14453.63	14821.26	18192.36	18385.03	15250.11
8. प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	3916.05	5459.18	6026.93	5126.04	4397.19
9. निवल मालियत (₹ करोड़ में)	1813.71	888.82	1882.88	1048.51	342.13

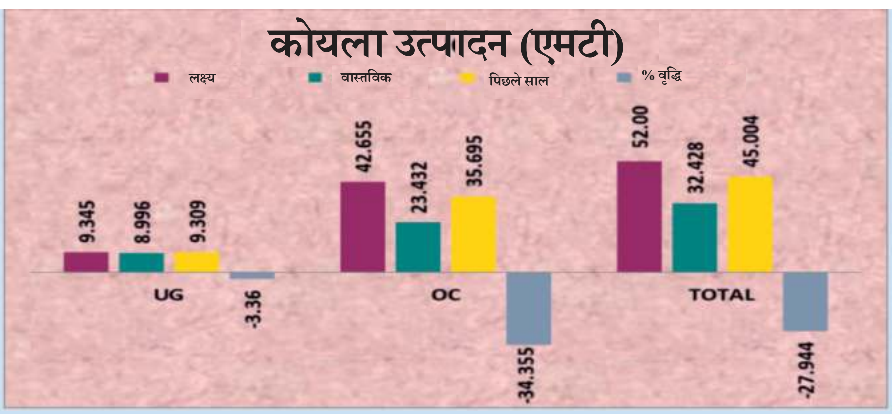

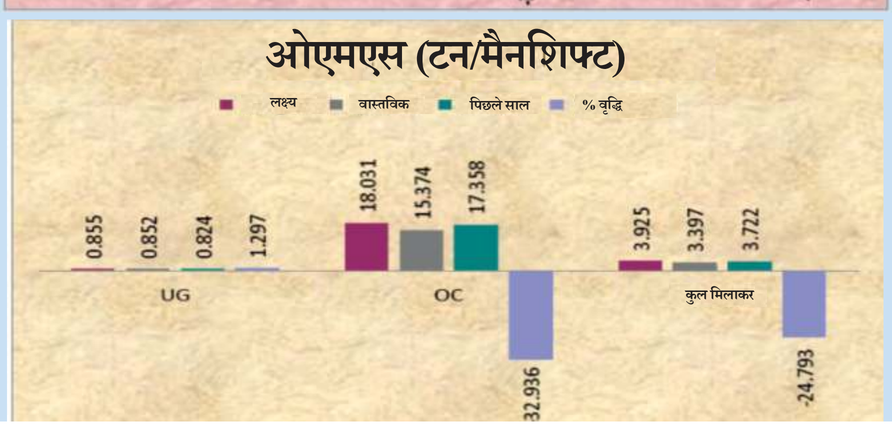

आय और व्यय विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए				
		2022	2021	2020	2019	2018
क.	**से अर्जित**					
1	**सकल बिक्री (कोयला)**	**14,453.65**	**14,821.26**	**18,192.36**	**18,385.03**	**15,250.11**
	न्यून : उत्पाद शुल्क एवं अन्य उगाही	4,152.20	4,564.87	5,368.62	5,470.68	4,770.24
2	**निवल बिक्री**	**10,301.45**	**10,256.39**	**12,823.74**	**12,914.35**	**10,479.87**
3. i	कोयला आयात के लिए सुकरीकरण प्रभार	-	-	-	-	-
3. ii	रेत भूगर्त भरण एवं संरक्षी कार्यों के लिए सहायकी	-	0.12	-	-	23.93
3. iii	परिवहन व लदाई लागत की वसूली (उगाही का निवल)	264.11	306.10	337.10	352.05	233.88
3. iv	विस्थापन सुकर प्रभार (उगाही का निवल)	185.19	155.54	177.59	182.91	57.43
3. v	सेवाओं से राजस्व (उगाही का निवल)	-	-	-	-	-
3	**अन्य परिचालनात्मक राजस्व (उगाही का निवल)**	**449.30**	**461.76**	**514.69**	**534.96**	**315.24**
4. i	ब्याज आय	120.75	99.85	377.27	400.14	279.91
4. ii	पारस्परिक निधि पर लाभांश	-	-	-	-	-
4.iii	अन्य अपरिचालनात्मक आय	97.38	286.03	252.64	58.04	246.50
4	अन्य आय	**218.13**	**385.88**	**629.91**	**458.18**	**526.41**
	कुल (क)	**10,968.88**	**11,104.03**	**13,968.34**	**13,907.49**	**11,321.52**
ख	को संदाय / के लिए प्रदत्त					
1. i	वेतन, मजदूरी, भत्ता, बोनस इत्यादि	6,234.37	5,924.72	5,832.43	5,651.13	5,731.97
1. ii	भविष्य निधि एवं पेंशन निधि को अंशदान	949.43	923.65	904.55	910.99	533.74
1.iii	उपदान	225.54	188.89	285.26	353.63	1,739.37
1.iv	अवकाश नकदीकरण	159.81	284.90	213.78	189.29	73.70
1. v	अन्य	414.50	466.14	439.30	343.43	337.11
1	**कर्मी प्रसुविधा व्यय**	**7,983.65**	**7,788.30**	**7,675.32**	**7,448.47**	**8,415.89**
2	उपभुक्त सामग्रियों की लागत	781.38	720.07	681.90	721.71	656.99
3	तैयार माल/चालू कार्य और विक्रेय माल की बट्टों का अकुंडलन वस्तुसूचियों में परिवर्तन	291.34	(300.71)	(86.86)	109.50	33.53
4	विद्युत शक्ति व्यय	434.92	431.19	445.78	476.39	506.06
5	निगमित सामाजिक दायित्व व्यय	13.86	11.56	11.48	16.46	12.69
6	मरम्मति	192.87	242.37	134.43	141.12	153.41
7	संविदात्मक व्यय	1,729.76	1,941.23	1,974.85	1,930.38	1,587.39
8	**वित्त लागत**					
	बट्टों का अकुंडलन	163.04	190.92	178.04	163.10	154.38
	अन्य वित्त लागत	0.62	2.88	0.17	-	-
9	मूल्यहास/परिशोधन/क्षति	529.70	494.18	434.35	494.98	443.99
10	विपट्टन गतिविधि समायोजन	(153.57)	1.27	286.92	456.24	274.04
11	प्रावधान और बट्टे खाता डालना	12.11	27.56	95.53	8.28	(1.24)
12	अन्य व्यय	426.57	460.47	635.08	642.47	551.12
	कुल (ख)	**12,406.25**	**12,011.29**	**12,466.99**	**12,609.10**	**12,788.25**
13	**अपवादात्मक मदों एवं कर पूर्व लाभ/(हानि) (क – ख)**	**(1,437.37)**	**(907.26)**	**1,501.35**	**1,298.39**	**(1,466.73)**
14	अपवादात्मक मदें	-	-	-	-	-
15	**कर पूर्व लाभ/(हानि)**	**(1,437.37)**	**(907.26)**	**1,501.35**	**1,298.39**	**(1,466.73)**
16	न्यून : कर व्यय	(376.71)	(147.68)	503.70	549.62	(535.56)
17	**सतत परिचालन से वर्ष के लिए लाभ/(हानि)**	**(1,060.66)**	**(759.58)**	**997.65**	**748.77**	**(931.17)**

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विशिष्टियाँ	31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए				
		2022	2021	2020	2019	2018
18	अनिरंतरित परिचलानों से लाभ/(हानि) (करोपरांत)	-	-	-	-	-
19	संयुक्त उद्यम/संस्थान के लाभ/(हानि) में शेयर	-	-	-	-	-
20	**वर्ष के लिए लाभ/(हानि)**	**(1,060.66)**	**(759.58)**	**997.65**	**748.77**	**(931.17)**
21	**अन्य व्यापक आय**					
क. (i)	मदें जिन्हें लाभ या हानि में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	(65.42)	(234.48)	(218.20)	(61.39)	163.63
(ii)	उन मदों से संबंधित आय कर जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा	-	-	54.92	19.00	(56.63)
ख. (i)	मदें जिन्हें लाभ या हानि में वर्गीकृत किया जाएगा।	-	-	-	-	-
(ii)	उन मदों से संबंधित आय कर जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा	-	-	-	-	-
22	कुल अन्य व्यापक आय	**(65.42)**	**(234.48)**	**(163.28)**	**(42.39)**	**107.00**
	वर्ष के लिए कुल व्यापक आय [वर्ष के लिए लाभ/(हानि) और अन्य व्यापक आय को समाविष्ट]	**(1,126.08)**	**(994.06)**	**834.37**	**706.38**	**(824.17)**
23	को रोप्य लाभ					
	कंपनी के मालिक	(1,060.66)	(759.58)	997.65	748.77	(931.17)
	अनियंत्रित ब्याज	-	-	-	-	-
24	को रोप्य अन्य व्यापक आय					
	कंपनी के मालिक	(65.42)	(234.48)	(163.28)	(42.39)	107.00
	अनियंत्रित ब्याज	-	-	-	-	-
25	को रोप्य कुल व्यापक आय					
	कंपनी के मालिक	(1,126.08)	(994.06)	834.37	706.38	(824.17)
	अनियंत्रित ब्याज	-	-	-	-	-

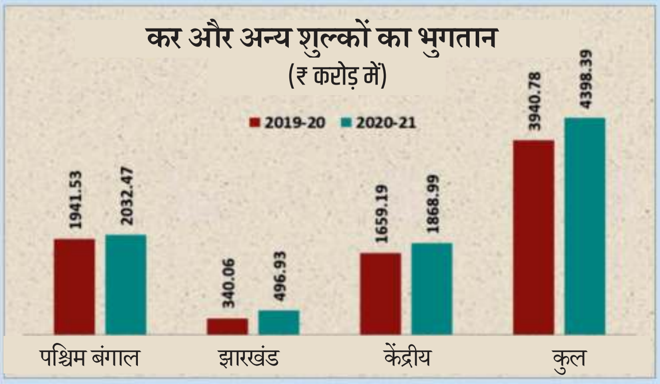

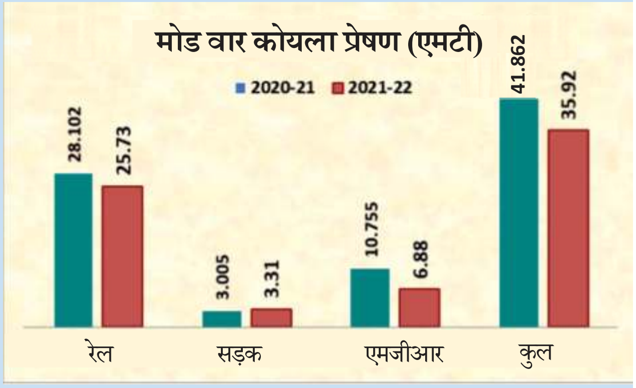

वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विशिष्टियाँ	यथा 31 मार्च को				
		2022	2021	2020	2019	2018
	आस्तियाँ					
क	**अप्रचलित आस्तियाँ**					
	अ. संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर	4,411.30	3,572.54	3,168.82	2,992.37	2,704.62
	आ. पूँजीगत चालू कार्य	400.51	587.28	473.31	303.54	352.67
	इ. अन्वेषित और मूल्यांकित आस्तियाँ	684.40	655.46	615.75	600.00	528.08
	ई. अमूर्त आस्तियाँ	2.08	2.78	-	-	-
	ऋ. विकास के तहत अमूर्त संपत्ति	9.16	-	-	-	-
	ए. वित्तीय आस्तियाँ					
	i. निवेश	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
	ii. ऋण	0.10	0.02	0.05	0.09	0.13
	iii. अन्य वित्तीय आस्तियाँ	765.33	700.15	633.09	499.94	504.30
	ए. आस्थगित कर आस्तियाँ (निवल)	904.97	513.58	359.13	448.48	696.83
	ऐ. अन्य अप्रचलित आस्तियाँ	878.34	759.41	665.13	187.35	159.19
	कुल अप्रचलित आस्तियाँ (क)	**8,056.27**	**6,791.30**	**5,915.36**	**5,031.85**	**4,945.90**
ख	**चालू आस्तियाँ**					
	अ. वस्तुसूचियाँ	554.17	810.36	502.76	420.56	544.53
	आ. वित्तीय आस्तियाँ					
	i. निवेश	-	-	-	-	-
	ii. व्यवसाय प्राप्य	2,504.20	4,423.53	3,316.46	1,621.92	1,109.89
	iii. नकदी एवं नकदी समतुल्य	882.47	945.16	93.28	478.68	783.39
	iv. अन्य बैंक अतिशेष	997.56	566.50	3,873.27	4,186.82	3,870.36
	v. ऋण	-	-	-	-	-
	vi. अन्य वित्तीय आस्तियाँ	55.02	36.63	267.07	305.65	730.07
	इ. चालू कर आस्तियाँ (निवल)	274.39	1,071.22	1,197.05	392.96	285.57
	ई. अन्य चालू आस्तियाँ	1,409.17	855.95	803.33	845.06	510.11
	कुल चालू आस्तियाँ (ख)	**6,676.98**	**8,709.35**	**10,053.22**	**8,251.65**	**7,833.92**
	कुल आस्तियाँ (क + ख)	**14,733.25**	**15,500.65**	**15,968.58**	**13,283.50**	**12,779.82**
	साम्या और देयताएँ					
क	**साम्या**					
1	निर्गत, अत्यभिदत्त और प्रदत्त साम्या शेयर पूँजी	4,269.42	2,218.45	2,218.45	2,218.45	2,218.45
2	**पूँजी मोचन आरक्षित निधि**					
	लेखा आरंभ में शेष	-	-	-	-	-
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-	-	-	-
	साम्या शेयर का वापसी खरीद	-	-	-	-	-
	बोनस शेयर का निर्गमन	-	-	-	-	-
	लेखाबंधी पर शेष	-	**-**	**-**	**-**	**-**
3	अधिमान शेयर पूँजी का साम्या भाग					
	लेखा आरंभ में शेष	855.61	855.61	855.61	855.61	855.61
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-	-	-	-
	वर्ष के दौरान समायोजन	(855.61)	-	-	-	-
	साम्या शेयर की वापसी खरीद	-	-	-	-	-
	बोनस शेयर का निर्गमन	-	-	-	-	-
	लेखाबंदी पर शेष		**855.61**	**855.61**	**855.61**	**855.61**

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विशिष्टियाँ	यथा 31 मार्च को				
		2022	2021	2020	2019	2018
4	**सामान्य आरक्षित निधि**					
	लेखा आरंभ पर पुन:अभिकथित शेष	832.71	832.71	832.71	832.71	832.71
	सामान्य आरक्षित निधि को/से अंतरण	-	-	-	-	-
	साम्या शेयर का वापसी-खरीद	-	-	-	-	-
	वापसी-खरीद पर कर	-	-	-	-	-
	बोनस शेयर का निर्गमन	-	-	-	-	-
	लेखाबंदी पर शेष	**832.71**	**832.71**	**832.71**	**832.71**	**832.71**
5	**प्रतिधारित उपार्जन**					
	लेखा आरंभ में शेष	(2,764.50)	(2,004.92)	(3,002.57)	(3,751.34)	(2,820.17)
	समायोजन	855.61	-	-	-	-
	वर्ष के दौरान कुल व्यापक आय	(1,060.66)	(759.58)	997.65	748.77	(931.17)
	विनियोजन					
	सामान्य आरक्षित निधि को/से अंतरण	-	-	-	-	-
	अन्य आरक्षित निधि से अंतरण	-	-	-	-	-
	अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	-
	निगमित लाभांश कर	-	-	-	-	-
	साम्या शेयर का वापसी-खरीद	-	-	-	-	-
	वापसी-खरीद पर कर	-	-	-	-	-
	बोनस शेयर का निर्गमन	-	-	-	-	-
	लेखाबंदी पर शेष	**(2,969.55)**	**(2,764.50)**	**(2,004.92)**	**(3,002.57)**	**(3,751.34)**
6	**अन्य व्यापक आय**					
	अथ शेष	(253.45)	(18.97)	144.31	186.70	79.70
	परिभाषित प्रसुविधा योजना का पुनर्मापन (कर का निवल)	(65.42)	(234.48)	(163.28)	(42.39)	107.00
	लेखाबंदी पर शेष	**(318.87)**	**(253.45)**	**(18.97)**	**144.31**	**186.70**
7	**अन्य साम्या**	**(2,455.71)**	**(1,329.63)**	**(335.57)**	**(1,169.94)**	**(1,876.32)**
8	**कंपनी के साम्याधारकों को रोप्य साम्या**	**1,813.71**	**888.82**	**1,882.88**	**1,048.51**	**342.13**
9	**अनियंत्रित ब्याज**			**-**	**-**	**-**
10	**कुल साम्या (क)**	**1,813.71**	**888.82**	**1,882.88**	**1,048.51**	**342.13**
	देयता					
ख	अप्रचलित देयताएँ					
	अ. वित्तीय देयताएँ					
	i. उधार	151.04	2,091.68	1,959.81	1,820.96	1,692.17
	ii. व्यवसाय देय	-	-	-	-	-
	iii. अन्य वित्तीय देयताएँ	90.35	98.86	95.84	74.78	18.11
	आ. प्रावधान	4,369.68	4,311.62	3,700.76	3,317.73	3,705.31
	इ. आस्थगित कर देयताएँ (निवल)	-	-	-	-	-
	ई. अन्य अप्रचलित देयताएँ	40.09	41.44	2.78	-	-
	कुल अप्रचलित देयाताएँ (ख)	**4,651.16**	**6,543.60**	**5,759.19**	**5,213.47**	**5,415.59**
ग	**चालू देयताएँ**					
	अ. वित्तीय देयताएँ					
	i. उधार	7.36	7.07	368.16	-	-
	ii. व्यवासय देय	1,096.03	962.64	1,181.90	1,728.81	473.49
	iii. अन्य वित्तीय देयताएँ	1,727.38	1,706.27	1,657.03	351.82	290.42

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विशिष्टियाँ	यथा 31 मार्च को				
		2022	2021	2020	2019	2018
	आ. अन्य चालू देयताएँ	4,154.67	4,232.07	3,901.17	3,691.91	4,068.77
	इ. प्रावधान	1,282.94	1,160.18	1,218.25	1,248.98	2,189.42
	ई. चालू कर देयताएँ (निवल)	-	-	-	-	-
	कुल चालू देयताएँ (ग)	**8,268.38**	**8,068.23**	**8,326.51**	**7,021.52**	**7,022.10**
	कुल साम्या और देयताएँ (क+ख+ग)	**14,733.25**	**15,500.65**	**15,968.58**	**13,283.50**	**12,779.82**

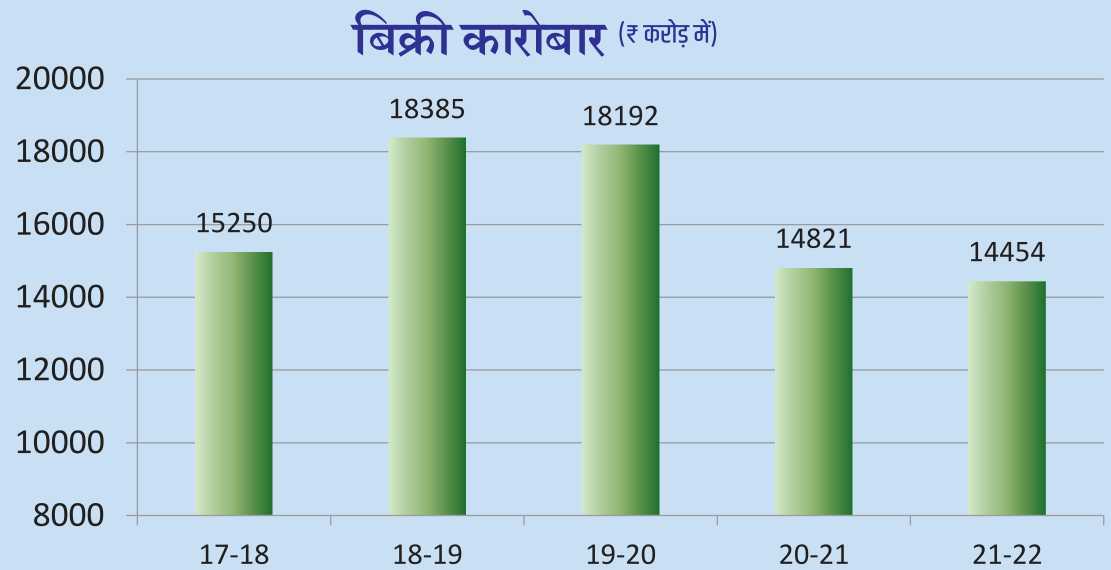

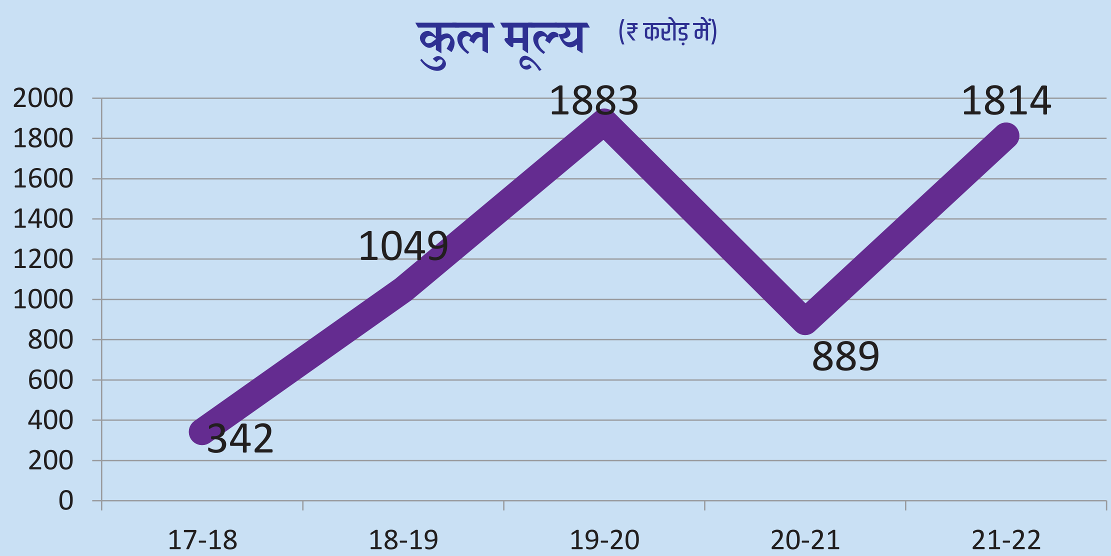

महत्वपूर्ण वित्तीय संसूचना

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विशिष्टियाँ	यथा 31 मार्च को				
		2022	2021	2020	2019	2018
क	**आस्तियाँ एवं देयताएँ संबंधी**					
1.i	₹ 1000/- के इक्विटी शेयरों की संख्या	4,26,94,200	2,21,84,500	2,21,84,500	2,21,84,500	2,21,84,500
1.ii	**शेयरधारकों की निधियाँ**					
1.ii.a	साम्या शेयर पूँजी	4,269.42	2,218.45	2,218.45	2,218.45	2,218.45
1.ii.b	आरक्षित निधि (सामान्य व सांविधिक) (अधिमान शेयर का साम्या घटक सहित)	832.71	1,688.32	1,688.32	1,688.32	1,688.32
1.ii.c	संचित लाभ/(हानि) (ओसीआई सहित)	(3,288.42)	(3,017.95)	(2,023.89)	(2,858.26)	(3,564.64)
	निवल मालियत	**1,813.71**	**888.82**	**1,882.88**	**1,048.51**	**342.13**
1.ii.d	पूँजीगत आरक्षित निधि (बोनस शेयरों के निर्गमन रहित)	-	-	-	-	-
	शेयरधारकों की निधियाँ	**1,813.71**	**888.82**	**1,882.88**	**1,048.51**	**342.13**
2.i	चालू परिपक्वता सहित दीर्घावधि उधार	158.22	2,098.63	1,966.97	1,827.58	1,698.36
2.ii	चालू परिपक्वता रहित दीर्घावधि उधार	151.04	2,091.68	1,959.81	1,820.96	1,692.17
3.i	सकल संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर	7,182.87	5,814.13	4,924.75	4,346.20	3,605.69
3.ii	संचित मूल्यह्रास/क्षति	2,771.57	2,241.59	1,755.93	1,353.83	901.07
3.iii	निवल संपत्ति, संयंत्र व उपस्कर	4,411.30	3,572.54	3,168.82	2,992.37	2,704.62
4.i	चालू आस्तियाँ	6,676.98	8,709.35	10,053.22	8,251.65	7,833.92
4.ii	चालू देयताएँ	8,268.38	8,068.23	8,326.51	7,021.52	7,022.10
4.iii	**निवल चालू आस्तियाँ/ कार्यशील पूँजी**	**(1,591.40)**	**641.12**	**1,726.71**	**1,230.13**	**811.82**
5.i	**प्रयुक्त पूँजी (3.iii + 4.iii)**	**2,819.90**	**4,213.66**	**4,895.53**	**4,222.50**	**3,516.44**
5.ii	निवल पूँजीगत चालू कार्य, अन्वेषित एवं मूल्यांकित आस्तियाँ एवं अन्य अमूर्त आस्तियाँ	1,096.15	1,245.52	1,089.06	903.54	880.75
5.iii	**पूँजीगत चालू कार्य सहित प्रयुक्त पूँजी (5.i + 5.ii)**	**3,916.05**	**5,459.18**	**5,984.59**	**5,126.04**	**4,397.19**
6.i	व्यवसाय प्राप्य	2,504.20	4,423.53	3,316.46	1,621.92	1,109.89
6.ii	नकदी एवं नकदी समतुल्य	882.47	945.16	93.28	478.68	783.39
6.iii	अन्य बैंक अतिशेष	997.56	566.50	3,873.27	4,186.82	3,870.36
7.i	कोयले का अंतिम स्टॉक (निवल)	339.63	622.73	321.92	238.42	333.88
7.ii	भण्डारों एवं उपकरणों का अंतिम स्टॉक (निवल)	208.41	173.07	166.37	170.24	184.24
7.iii	अन्य अंतिम स्टॉक (निवल)	6.13	14.56	14.47	11.90	26.41
B	**लाभ/(हानि) संबंधी**					
1.i	**सकल मार्जिन (पीबीडीआईटी)**	(864.76)	(319.13)	1736.64	1556.33	(1148.27)
1.ii	सकल लाभ (पीबीआईटी)	(1394.46)	(813.31)	1302.29	1061.35	(1592.26)
1.iii	कर पूर्व लाभ	(1,437.37)	(907.26)	1,501.35	1,298.39	(1,466.73)
1.iv	वर्ष के दौरान करोपरांत लाभ	(1,060.66)	(759.58)	997.65	748.77	(931.17)
1.v	निवल लाभ (कर एवं लाभांश के पश्चात)	(1,060.66)	(759.58)	997.65	748.77	(931.17)
1.vi	कुल व्यापक आय	(1,126.08)	(994.06)	834.37	706.38	(824.17)
2.i	कोयले का सकल बिक्री	14,453.65	14,821.26	18,192.36	18,385.03	15,250.11
2.ii	निवल बिक्री	10,301.45	10,256.39	12,823.74	12,914.35	10,479.87
2.iii	उत्पादन का विक्रय मूल्य	10,010.11	10,557.10	12,910.60	12,804.85	10,446.34
2.iv	परिचालन से राजस्व (निवल)	10,750.75	10,718.15	13,338.43	13,449.31	10,795.11

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विशिष्टियाँ	यथा 31 मार्च को				
		2022	2021	2020	2019	2018
3	विक्रीत मालों की लागत (निवल बिक्री – पीबीटी)	11,738.82	11,163.65	11,322.39	11,615.96	11,946.60
4	कुल व्यय	12,406.25	12,011.29	12,466.99	12,609.10	12,788.25
4.i	कर्मी प्रसुविधा व्यय	7,983.65	7,788.30	7,675.32	7,448.47	8,415.89
4.ii	उपभुक्त सामग्री लागत	781.38	720.07	681.90	721.71	656.99
4.iii	विद्युत शक्ति एवं ईंधन	434.92	431.19	445.78	476.39	506.06
4.iv	वित्त लागत	163.66	193.80	178.21	163.10	154.38
4.v	मूल्यह्रास/क्षति/परिशोधन	529.70	494.18	434.35	494.98	443.99
5	औसत प्रति माह सामग्री खफत	65.12	60.01	56.83	60.14	54.75
6.i	वर्ष के दौरान औसत नियोजित जनशक्ति	53,901	56,010	58,426	60,747	62,913
6.ii	सीएसआर व्यय	13.86	11.56	11.48	16.46	12.69
6.iii	प्रति कर्मी सीएसआर व्यय (₹)	2,571.38	2,063.92	1,964.88	2,709.60	2,017.07

पिछले 15 वर्षों में यूजी कोयला उत्पादन की प्रवृत्ति

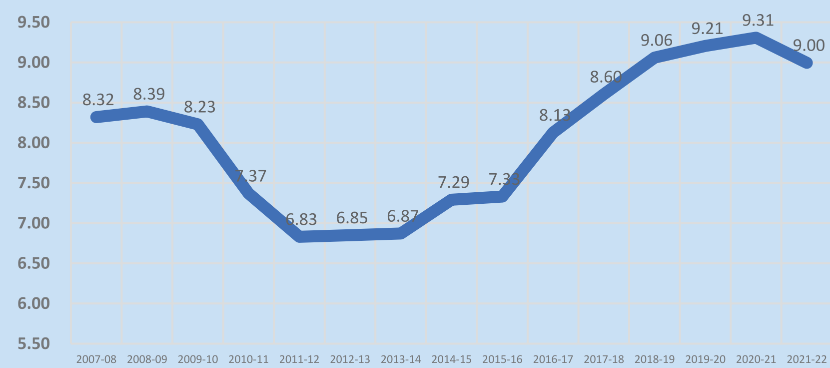

राज्यवार उत्पादन प्रवृत्ति (एमटी)

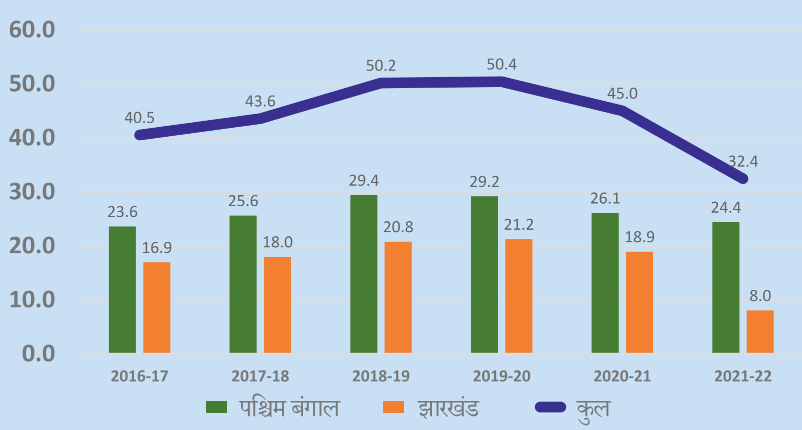

महत्वपूर्ण वित्तीय संसूचना

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विशिष्टियाँ	यथा 31 मार्च को				
		2022	2021	2020	2019	2018
क	**लाभप्रदता अनुपात**					
1	**यथा निवल बिक्री का प्रतिशत**					
1.i	सकल मार्जिन (पीबीडीआईटी)	(8.39)	(3.11)	13.54	12.05	(10.96)
1.ii	सकल लाभ (पीबीआईटी)	(13.54)	(7.93)	10.16	8.22	(15.19)
1.iii	कर पूर्व लाभ	(13.95)	(8.85)	11.71	10.05	(14.00)
2	**यथा कुल व्यय का प्रतिशत**					
2.i	कर्मी प्रसुविधा व्यय	64.35	64.84	61.57	59.07	65.81
2.ii	उपभुक्त सामग्री लागत	6.30	5.99	5.47	5.72	5.14
2.iii	विद्युत शक्ति एवं ईंधन	3.51	3.59	3.58	3.78	3.96
3	**यथा प्रयुक्त पूँजी की प्रतिशत (पूँजीगत चालू कार्य)**					
3.i	सकत मार्जिन (पीबीडीआईटी)	(22.08)	(5.85)	29.02	30.36	(26.11)
3.ii	सकल लाभ (पीबीआईटी)	(35.61)	(14.90)	21.76	20.71	(36.21)
3.iii	कर पूर्व लाभ	(36.70)	(16.62)	25.09	25.33	(33.36)
4	**परिचालनात्मक अनुपात**	**1.14**	**1.09**	**0.88**	**0.90**	**1.14**
ख	**चलनिधि अनुपात**					
1	चालू अनुपात (चालू आस्तियाँ / चालू देयताएँ)	0.81	1.08	1.21	1.18	1.12
2	त्वरित अनुपात (शीघ्र विक्रेय आस्तियाँ/चालू देयता)	0.74	0.98	1.15	1.12	1.04
ग	**आवर्त अनुपात**					
1	पूँजीगत आवर्त अनुपात (पूँजीगत चालू कार्य सहित निवल बिक्री/ प्रयुक्त पूँजी)	2.63	1.88	2.14	2.52	2.38
2	व्यवसाय प्राप्य (निवल) यथा माहों की संख्या					
2.i	सकल बिक्री	2.08	3.58	2.19	1.06	0.87
2.ii	निवल बिक्री	2.92	5.18	3.10	1.51	1.27
3	यथा निवल बिक्री का अनुपात					
3.i	व्यवसाय प्राप्य	0.24	0.43	0.26	0.13	0.11
3.ii	कोयला स्टॉक	0.03	0.06	0.03	0.02	0.03
4	कोयले का स्टॉक					
4.i	यथा उत्पादन का विक्रय मूल्य के माहों की संख्या	0.41	0.71	0.30	0.22	0.38
4.ii	यथा विक्रीत मालों की लागत के माहों की संख्या	0.35	0.67	0.34	0.25	0.34
4.iii	यथा निवल बिक्री के माहों की संख्या	0.40	0.73	0.30	0.22	0.38
घ	**संरचनात्मक अनुपात**					
1	दीर्घावधि कर्ज : साम्या शेयर पूँजी	0.04	0.94	0.88	0.82	0.76
2	दीर्घावधि कर्ज : निवल मालियत	0.08	2.35	1.04	1.74	4.95
3	निवल मालियत : साम्या	0.42	0.40	0.85	0.47	0.15
4	निवल अचल आस्तियाँ : निवल मालियत	2.43	4.02	1.68	2.85	7.91
ड़	**शेयरधारों का ब्याज**					
1	शेयरों का बही मूल्य (₹) (निवल मालियत / साम्या शेयरों की संख्या)	424.81	400.65	848.74	472.63	154.22
2	शेयर प्रति लाभांश (₹)	-	-	-	-	-

निदेशक मण्डल की पृष्ठभूमि

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

श्री अंबिका प्रसाद पंडा (54 वर्ष) (डीआईएन- 06664375) ने धातु और खनन क्षेत्र में तीन दशकों से अधिक के अनुभव के साथ 1 फरवरी, 2022 से ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड (ईसीएल) के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया। इस समनुदेशनपूर्व / कर्तव्यभारपूर्व, उन्होंने नानाविध पदों यथा साउथ ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड (एसईसीएल) के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं निदेशक (वित्त) पर क्रमशः 28 दिसम्बर, 2018 तथा 01 अगस्त, 2013 से सेवा दी। उन्हें जुलाई, 2018 से साउथ ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड (एसईसीएल) के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया था। उपर्युक्त समनुदेशन के अतिरिक्त, अगस्त, 2013 से वे एसईसीएल के दो अनुषंगी कंपनियों नामशः छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईआरएल) एवं छत्तीसगढ़ ईस्ट-वेस्ट रेलवे लिमिटेड (सीईडब्लयूआरएल) के अध्यक्ष भी थे। एसईसीएल में पद ग्रहण करने के पूर्व, उन्होंने दो दशकों से अधिक में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, एक नवरत्न सीपीएसई विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में कार्य किया था। वे भारतीय लागत लेखापाल संस्थान के अध्येता सदस्य हैं तथा वित्त में व्यवसाय प्रशासन निष्णात हैं।

कार्यकारी निदेशकगण

श्री जयप्रकाश गुप्ता (वर्ष 59) (डीआईएन- 08174002) ने दिनांक 18.06.2018 को ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक (तकनीकी) परियोजना एवं योजना का कार्यभार ग्रहण किया। श्री गुप्ता, एक 1983 स्नातक, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू/आईआईटी) से खनन इंजीनियरिंग में प्रौद्योगिकी स्नातक एक जूनियर कार्यकारी प्रशिक्षु के रूप में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने एसईसीएल में विभिन्न पदों पर लगभग 23 वर्षों तक अपनी सेवा दीं और फिर वर्ष 2006 में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) में मुख्य प्रबंधक (खनन) के रूप में स्थानांतरित हुए। उन्होंने बीसीसीएल के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में परियोजना अधिकारी और महाप्रबंधक के रूप में 12 वर्षों तक अपनी सेवा दीं। वर्ष 1998 में उन्हें मोटे संस्तर खदान में केबिल बोल्ट आलंब पद्धति को विकसित करने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस विकास के लिए उन्हें एसईसीएल में भी सम्मानित किया गया था। परियोजना अधिकारी के रूप में उन्होंने एसईसीएल के चिरीमिरी क्षेत्र के एनसीपीएच कोलियरी के आर-वी अक्षत संस्तर वाले भूमिगत खदान से 01 मि.टन से अधिक तक खान उत्पादन क्षमता में संवृद्धि करते हुए अनुसूचित समय में सभी मुख्य विकासशील गतिविधियों को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के निहितार्थ सतत खनित्र का असरदार तरीके से इस्तेमाल किया था। बीसीसीएल के सिजुआ क्षेत्र के परियोजना के तेतुलमारी में पारिस्थिकी पुनरूद्धार के निमित्त वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून के तकनीकी दिशानिर्देशों के अधीन लिए गए प्रथम प्रवर्तक परियोजना का नेतृत्व श्री गुप्ता द्वारा किया गया था। वर्ष 2014 में इस परियोजना ने कोल इण्डिया स्थापना दिवस के अवसर पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था। श्री गुप्ता को निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधियों में उत्कट अभिरूचि रही है। उनके नेतृत्व और झारखंड सरकार के तकनीकी सहयोग से गरड़िया, माहुलीडीह ग्राम की 50 से अधिक महिलाओं ने हथकरघा बुनाई और कपड़ा विनिर्माण का प्रशिक्षण प्राप्त किया जिसे झारखंड सरकार की एक फर्म झारक्राप्ट द्वारा विशिष्ट पारिश्रमिक प्रदान कर परिगृहीत किया गया है। वर्ष 2011 में उन्होंने अग्रगति प्रबंधन कार्यक्रम में सहभागिता के लिए चीन का दौरा किए थे। उन्हें भूमिगत मशीनीकरण और खुली खदान खनन दोनों में व्यापक अनुभव है।

सरकार नामिति निदेशकगण

श्री हर कुमार हाजोंग (59 वर्ष) 1995 बैच के भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस) अधिकारी हैं। वर्तमान में वे भारत सरकार के कोयला मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार हैं। इन्होंने 1983 में तुरा गवर्नमेंट कॉलेज, तुरा से अर्थशास्त्र में स्नातक की पढ़ाई पूरी की। वर्ष 1985 में उत्तर पूर्वी पहाड़ी विश्वविद्यालय, शिलांग, मेघालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर हुए। इनके पास विभिन्न सरकारी संगठनों में काम करने का व्यापक अनुभव है, जिनमें शामिल हैं: योजना आयोग और औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी)। यह ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के अंशकालिक आधिकारिक निदेशक के रूप में 05.07.2022 से बोर्ड में शामिल हो गए हैं।

श्री बी वीरा रेड्डी (57) (डीआईएन- 08679590) 12 मई, 2022 से ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक मण्डल के सीआईएल नामित निदेशक हैं। उन्होंने 01 फरवरी, 2022 से कोल इंडिया लि. के निदेशक (तकनीकी) का पदभार ग्रहण किया। इसके पूर्व वे 01.01.2020 से 31.01.2022 तक ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक (तकनीकी) संचालन रहें। उन्होंने कोठागुडम स्कूल ऑफ माइन्स (एएसएम), उस्मानिया विश्वविद्यलय से वर्ष 1986 में खनन में प्रौद्योगिकी स्नातक किया और उन्होंने वर्ष 1990 में खान सुरक्षा महानिदेशालय से प्रथम श्रेणी प्रबंधक सक्षमता प्रमाणपत्र प्राप्त किया। उन्होंने वर्ष 2000 में कोठागुडम स्कूल ऑफ माइन्स, उस्मानिया विश्वविद्यालय से खनन योजना में प्रौद्योगिकी निष्णात भी पूर्ण किया। श्री रेड्डी ने वर्ष 1987 में एससीसीएल में पदग्रहण किया और उन्हें कोयला खनन, योजना, अधिप्राप्ति एवं संचालन में 32 वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने एससीसीएल के यांत्रिक भूमिगत खानों एवं खुली खदानों में तथा निगमित परियोजना योजना विभाग में नानाविध क्षमता में कार्य किया। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में यथा निदेशक (तकनीकी) संचालन पदग्रहण करने के पूर्व उन्होंने सिंगरैनी कोलियरी कंपनी लि. के अद्रियला लॉङ्गवाल परियोजना क्षेत्र में यथा महाप्रबंधक कार्य किया।

स्वतंत्र निदेशक

श्रीमती धर्मशीला गुप्ता (53) (डीआईएन- 09415976) का जन्म वर्ष 1969 में बिहार के दरभंगा जिले में हुआ था। अपने विज्ञान स्नातक उपाधि की प्राप्ति के उपरांत, उन्होंने दरभंगा के नगेन्द्र झा महिला महाविद्यालय से वनस्पति विज्ञान में निष्णात किया। उन्होंने दरभंगा जिले के बिहार महिला कॉलेज में प्राध्यापक के रूप में पद ग्रहण किया और वर्तमान में समाज के उत्थान के लिए विविध सामाजिक सेवाओं में संलग्न हैं। लक्ष्मी बुक पब्लिकेशन में "सब्जी के फसलों में अनुकल्पतः रोगों एवं इसके प्रबंधकीय नियंत्रण पर अध्ययन" विषय पर उनका "अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त अनुसंधान जर्नल" प्रकाशित किया गया था। वर्तमान में, 1 नवम्बर, 2021 से वे ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक के रूप में अपनी सेवाएँ दे रही हैं।

श्री शिव नारायण पाण्डेय (61) (डीआईएल-09413672) का जन्म वर्ष 1962 में छत्तीसगढ़ राज्य के जगदलपुर में हुआ था। विज्ञान में स्नातक की अपनी उपाधि की प्राप्ति के उपरांत, उन्होंने एलएलबी किया और एक व्यावसायिक अधिवक्ता भी हैं। उन्होंने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएँ दीं तथा सरकारी कॉलेज (विधि संकाय) में अवैतनिक प्राध्यापक भी हैं। उन्हें भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा अनुशासन समिति में नामित किया गया था। वे विधि, वित्त, प्रबंधन, विक्रय, विपणन, प्रशासन, अनुसंधान, निगमित सुशासन, तकनीकी संचालन एवं अन्य संबद्ध क्षेत्रों में व्यापक अनुभव पर अधिकार रखते हैं। वर्तमान में, वे 1 नवम्बर, 2021 से ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक के रूप में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं।

श्री शिव तपस्या पासवान (54) (डीआईएन- 09414240) का जन्म वर्ष 1969 में उत्तर प्रदेश राज्य के चंदौली में हुआ था। विद्यापीठ से राजनीतिक विज्ञान में अपने कला स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के उपरांत उन्होंने समाज के दुर्बल एवं अधिकारहीन वर्गों के उत्थान के लिए नानाविध सामाजिक सेवाओं में स्वयं को संलिप्त कर लिया। वर्तमान में वे 1 नवम्बर, 2021 से ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

स्थायी आमंत्रित

श्री उत्पल कांति बल (59) 1988 बैच के भारतीय रेल यातायात सेवा (आईआरटीएस) अधिकारी हैं। वे आईआईटी, खड़गपुर से इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार अभियांत्रिकी में प्रौद्योगिकी स्नातक हैं। रेलवे में पद ग्रहण करने के पूर्व, उन्होंने तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में कार्य किया है। रेलवे में, उन्होंने भिन्न-भिन्न महत्त्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है और रेलवे संचालन में व्यापक ज्ञान प्राप्त किया है। उन्होंने मुख्य माल परिवहन प्रबंधक/एन.एफ. रेलवे/मालीगांव, मुख्य परिवहन योजना प्रबंधक/ईआर, अपर मंडल रेल प्रबंधक/सियालदह/ईआर, वरिष्ठ उप महाप्रबंधक/पूर्वी रेलवे के रूप में कार्य किया है। प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक/पूर्व रेलवे के रूप में पद ग्रहण करने के पूर्व वे प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक/एस.ई.सी रेलवे/विलासपुर के रूप में पदस्थापित थे जो भारतीय रेलवे का सबसे अधिक माल लदान क्षेत्र है। उन्होंने प्रबंधन पर सिंगापुर और मलेशिया में प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

पूर्व निदेशक मण्डल सदस्यगण

श्री सत्येंद्र नाथ तिवारी (60) (डीआईएन-07911040) ने 1 दिसंबर, 2019 से कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक (विपणन) के रूप में कार्यभार संभाला। इससे पूर्व श्री तिवारी सीआईएल के निगमित कार्यालय में यथा महाप्रबंधक (विपणन व विक्रय) पदास्थापित थे। वे 05 जुलाई, 2021 से ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के यथा अंशकालिक निदेशक नियुक्त हुए थे। उन्होंने बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, मेसरा से विशिष्टताओं के साथ विज्ञान स्नातक (इंजीनियरिंग) में उपाधि प्राप्त किया है और श्री तिवारी ने अपने समूह में तृतीय स्थान अर्जित किया था। उन्होंने इसी संस्थान से व्यवसाय प्रशासन निष्णात की उपाधि भी धारण की है। श्री तिवारी ने हिंदुस्तान मोटर्स में परीक्षण अभियंता के रूप में एक छोटे से कार्यकाल के उपरांत वर्ष 1986 में कोल इंडिया में अपने वृत्तिक सेवाकाल आरंभ किया। कोल इंडिया में 33 साल से अधिक पूर्ण सेवाकाल के साथ उन्होंने ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में विपणन व विक्रय प्रभाग के नानाविध क्षमताओं में कार्य कर विपणन एवं विक्रय संचालन के संपूर्ण विस्तार में व्यापक प्रदर्शन हासिल किया है। कोयला विपणन और विक्रय की जटिलताओं में तीन दशकों से अधिक के वृत्तिक अनुभव के आधार पर, श्री तिवारी ने समुन्नत गुणवत्ता के साथ कोयले के वर्धित परिमाण की आपूर्ति को अपने प्राथमिकता के उद्देश्यों के रूप में निर्धारित किया है। उन्होंने 30.04.2022 को सेवाओं से अधिवर्षिता प्राप्त किया।

श्री विनय रंजन ने 28 जुलाई 2021 से कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक (कार्मिक और औद्योगिक संबंध) के रूप में कार्यभार संभाला। श्री रंजन मानव संसाधन के पूरे क्षेत्र में व्यापक वर्षों के अनुभव के साथ एक प्रदर्शन-केंद्रित लोक-उन्मुख पेशेवर हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर लेटरल/कैंपस हायरिंग, टैलेंट मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एम्प्लॉयर ब्रांडिंग, मुआवजा प्रबंधन और बेंच-मार्किंग, चेंज मैनेजमेंट शामिल हैं। सांस्कृतिक भवन, कर्मचारी जुड़ाव, कर्मचारी संबंध, एचआरआईएस, कर्मचारी उत्पादकता और सीखना और विकास। उन्होंने विदेशी व्यापारिक संस्थाओं को सफलतापूर्वक मानव संसाधन सहायता प्रदान की है। वह दो पूर्ण जीवन चक्र SAP HR कार्यान्वयन का भी हिस्सा थे। उन्होंने टाटा कम्युनिकेशन (पूर्ववर्ती वीएसएनएल) में पूर्ण जीवन चक्र एसएपी एचआर कार्यान्वयन के लिए टीम का नेतृत्व किया, जहां उन्होंने पूरे एसएपी एचसीएम मॉड्यूल के कार्यान्वयन के लिए वीएसएनएल एचआर और टीसीएस से मिलकर 8 सदस्यीय टीम का नेतृत्व किया। वह वीएसएनएल से प्रतिनियुक्ति पर टाटा टेलीसर्विसेज (टीटीएसएल) एसएपी एचआर कार्यान्वयन टीम का भी हिस्सा थे। वह कुशल और अत्यधिक उत्पादक कार्यबल को विकसित करने और नेतृत्व करने की क्षमता वाले प्रभावशाली नेता हैं। उनके पास उत्कृष्ट हितधारक प्रबंधन कौशल हैं और पिछले 5 वर्षों से प्रमोटरों के साथ सीधे काम कर रहे हैं। उन्हें उच्च स्तर की सेवा वितरण और निष्पादन के साथ ईमानदारी और प्रतिबद्धता के लिए पहचाना जाता है। उनके पास मजबूत पारस्परिक, संचार और बातचीत कौशल भी हैं। वह 29 जुलाई 2016 को फ़ॉनटेनब्लियू परिसर, फ्रांस में आयोजित शानदार स्नातक समारोह में पाठ्यक्रम के सफल समापन के बाद इनसीड के पूर्व छात्र बने। श्री विनय रंजन डीबी पावर लिमिटेड (एक दैनिक भास्कर समूह की कंपनी) के कॉर्पोरेट प्रमुख-एचआर थे, जब दैनिक भास्कर समूह ने विविधीकरण किया और 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश से दो बड़े ताप विद्युत संयंत्र बनाने का निर्णय लिया।

श्री प्रवीण कांत (67) (डीआईएन-00282716), ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक मेसर्स पी. के. महेश्वरी एवं कंपनी के यथा भागीदार वर्ष 1976 से सनदी लेखापाल का अभ्यास कर रहे हैं। उनके पास निजी कंपनियों के साथ-साथ पीएसयू और पीएसबी जैसे एनटीपीसी, सेल, नेशनल हाउजिंग बैंक, बैंकों एवं बीमा कंपनियों में 45 वर्षों से अधिक का अनुभव हैं। उन्हें न्यायिक लेखापरीक्षा के निपटान का भी अच्छा अनुभव हैं। वे कई परियोजनाओं में आरंभ से अंत तक यथा वित्तीय सलाहकार जुड़े हुए रहें। वे वर्तमान में नानाविध निजी कंपनियों के निदेशक हैं। उन्हें 13.12.2018 से ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक मंडल में यथा स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है। दिनांक 12.12.2021 को उन्होंने ईसीएल निदेशक मंडल का अपना कार्यकाल पूर्ण किया।

श्री गौतम चंद्र दे (60) (डीआईएन-08725907) ने 03 मार्च, 2020 को ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक (वित्त) का कार्यभार ग्रहण किया है इससे पूर्व उन्होंने 02.03.2019 से भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के महाप्रबंधक (वित्त) के रूप में कार्य किया। वह कलकत्ता विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक हैं और भारत के सनदी लेखापाल संस्थान के सदस्य भी हैं। श्री गौतम चंद्र डे को 32 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है और उन्होंने नानाविध क्षमताओं में कोयला उद्योग में सेवा दी है। श्री डे जनवरी, 1989 में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में पदभार ग्रहण किया। अपने पेशेवर करियर के दौरान, श्री डे ने प्रणाली विभाग के साथ मिलकर काम किया और प्रणाली के जरिए नानाविध वित्तीय निर्गत को उत्पन्न करने में समय और लागत बचत के लिए रेल व सड़क बिक्री, संविदात्मक परिवहन, कर्मियों के आयकर संगणना आदि में झंझट रहित नियंत्रण अद्युपाय प्रवर्तित किया। नवंबर, 2010 में आईपीओ/लिसंटिंग के समय कोल इंडिया लिमिटेड के रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में वित्तीय विवरण में सम्मिलित करने के लिए बीसीसीएल के पाँच साल के खातों के पुनर्कथन में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। श्री डे ने झारखण्ड एवं बिहार में चार नए कोयला ब्लॉक वाले विक्रमशिला क्षेत्र के वित्त प्रभारी के रूप में भी कार्य किया है। वह सीएमपीडीआईएल के साथ निकट समन्वय में कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी खदान संवरण दिशानिर्देशों के अनुपालन में खदान संवरण योजना की वित्तीय जाँच में भी सम्मिलित रहे हैं और बीसीसएल में एमसीपी के कार्यान्वियन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं। वे दिनांक 31.01.2022 को सेवा से अधिवर्षिता प्राप्त किया।

श्री अनिमेष भारती (56) (डीआईएन-07260983), कोयला मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक मंडल में दिनांक 17.03.2020 से भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक हैं। वे दिनांक 15.07.2015 से 17.03.2020 तक वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के निदेशक मंडल में भारत सरकार के नामित निदेशक भी थे। वर्ष 1993 में श्री भारती भारतीय ने आर्थिक सेवा में पद ग्रहण किया। उन्होंने केन्द्रीय सरकार के भिन्न-भिन्न मंत्रालयों और विभागों जैसे औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, लघु और मध्यम उद्योग, आवासन और गरीबी उपशमन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय भवन संगठन में वरिष्ठ प्रबंधकीय पदों पर कार्य किया।

श्री अनिल कुमार गणेरिवाला (65) (डीआईएन-06372875) का जन्म वर्ष 1957 में हरियाणा के सिरसा में हुआ था। विज्ञान स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के उपरांत, उन्होंने वनस्पति विज्ञान और वानिकी में निष्णात किया और उसके बाद उन्होंने लोक प्रशासन में दर्शन निष्णात भी किया। वह वर्ष 1986 में भारतीय वन सेवा (आईएफएस) में पद ग्रहण किया और 31 वर्षों की सुभेद सेवा के उपरांत वर्ष 2017 में सिक्किम सरकार के संस्कृति विभाग के प्रधान सचिव के रूप में अधिवर्षिता प्राप्त किया। उन्होंने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों जैसे ग्रामीण विकास, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन और आयुष के अधीन उप सलाहकार, उप सचिव, निदेशक और संयुक्त सचिव के रूप में भी कार्य किया। उन्हें प्रशासन और सतर्कता मामलों का व्यापक अनुभव है। उन्होंने 2006 से 2008 तक नई दिल्ली में सिक्किम सरकार के स्थानिक आयुक्त के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने 2008 से 2012 तक सिक्किम सरकार के ग्रामीण विकास विभाग में सचिव के रूप में भी कार्य किया। इस अवधि के दौरान उन्होंने सड़कों, आवासन, जल आपूर्ति, स्वच्छता और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों और योजनाओं जैसे नानाविध वृहद स्तरीय अवसंरचनात्मक परियोजनाओं का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण किया। उन्हें वर्ष 2012 में आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था और 2017 तक मंत्रालय में अपनी सेवाएँ दीं। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने भारत और विदेशों में भारतीय चिकित्सा की पारंपरिक पद्धतियों के संवर्धन और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस समय के दौरान, उन्होंने इंडियन मेडिसिन फार्मास्युटिकल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईएमपीसीएल) के बोर्ड में भी अपनी सेवाएँ प्रदान कीं।

मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्री मुकेश कुमार मिश्रा, आईआरएसएसई (2000 परीक्षा वर्ष) ने 16 अगस्त, 2019 को ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में मुख्य सतर्कता अधिकारी पदभार ग्रहण किया है। वे इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार अभियांत्रिकी में स्नातक हैं। उन्हें भारत सरकार द्वारा जिआवतॉङ्ग यूनिवर्सिटी, चेंगदु, चीन में द्रुत प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण करने लिए प्रायोजित किया गया था। सिगनल इंजीनियर के भारतीय रेलवे सेवा का पदभार ग्रहण के पश्चात, श्री मिश्रा रेलवे आस्तियों के अनुरक्षण एवं वृहद परियोजनाओं के निर्माण में नानाविध क्षमताओं पर सेवा प्रदान किया। रेलवे में पदभार ग्रहण के पूर्व, श्री मिश्रा दो वर्ष से अधिक भेल में कार्य किया। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में पदभार ग्रहण करने के पूर्व, वे उप मुख्य सिगनल एवं टेलिकॉम अभियंता / मुख्यालय की क्षमता में कार्य कर रहे थे।

कंपनी सचिव

श्री रामबाबू पाठक (एसीएस-55637), 02.07.20218 से ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के कंपनी सचिव है। उन्होंने वर्ष 2008 में संत जेवियर कॉलेज, कोलकाता विश्वविद्यालय से अपना वाणिज्य स्नातक (प्रवीण) पूरा किया। वे भारतीय लागत लेखापाल संस्थान (आईसीएआई) के सह-सदस्य एवं भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) के भी सह-सदस्य हैं। श्री पाठक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्लोलॉजी (आईएमटी), गाजियाबाद से मानव संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीएचआरएम) प्राप्त किया है। उन्होंने भारतीय प्रबंध संस्थान, लखनऊ से जेनेरल मैनेजमेंट प्रोग्राम (जीएमपी) भी पूर्ण किया है। श्री पाठक अप्रैल, 2016 में इंस्टीट्यूट ऑफ डॉयरेक्टर्स द्वारा आयोजित दुबई ग्लोबल कॉन्वेंशन 2016 – कारबार उत्कृष्टता एवं नवाचार के लिए नेतृत्व में सीआईएल के प्रतिनिधि मंडल में थे। उन्होंने वर्ष 2010 में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में यथा प्रबंधन प्रशिक्षु (वित्त) पदभार ग्रहण किया। तबसे उन्होंने कंपनी सचिवालय में पदास्थापित है और वर्तमान में यथा प्रबंधक (वित्त)/कंपनी सचिव कार्य कर रहे हैं। श्री पाठक आईसीएआई एवं आईसीएसआई जैसे पेशेवर निकायों से निकटता से जुड़े हुए हैं। वर्तमान में वे भारतीय लागत लेखापाल संस्थान, आसनसोल चैप्टर के मानद सचिव हैं। वे ईसीएल के एचआरडी, आईसीएआई एवं आईसीएसआई के नियमित संकाय-सदस्य भी हैं।

निदेशक मण्डल का प्रतिवेदन

प्रति
सदस्यगण,
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
देवियो और सज्जनों,

निदेशक मण्डल की ओर से, यह मुझे लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षकों के टीका-टिप्पणियों के साथ-साथ, 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणियों के साथ-साथ कंपनी के कारबार परिचालनों पर 47 वीं वार्षिक प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने में हर्ष प्रदान करता है।

1.0 मुख्य-मुख्य बातें

क) झांझरा परियोजना द्वारा 3.63 मि.टन का उच्चतम कोयला उत्पादन।
ख) भूगर्त भरण प्रयोजनार्थ रूपांतरित रेत की उपयोगिता सिदधि के लिए उपरिभार प्रक्रमण-काजोड़ा क्षेत्र के लिए कार्यादेश को अंतिम रूप प्रदान किया गया है।
ग) दिनांक 19.10.2021 को सोनपुर बजारी परियोजना में 12 मि.टन प्रतिवर्ष क्षमता वाली कोयला निपटान संयंत्र को आरंभ किया गया है।
घ) भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा प्रकाशित वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए निगमति सुशासन में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को "उत्कृष्ट" श्रेणी प्राप्त हुआ है।

2.0 संगठन

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल), कोल इंडिया लिमिटेड की एक अनुषंगी कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड (सीएमएएल) की पूर्वी प्रभाग के साथ निहित 414 खानों के अधिग्रहण द्वारा दिनांक 01 नवंबर, 1975 को निगमित किया गया था और इस तिथि से कंपनी अपनी वाणिज्यिकीय परिचालन आरंभ किया था। यह पश्चिम बंगाल एवं झारखण्ड राज्य में परिचालित होती है। यहाँ 80 खननशील खदानें जिसमें 48 भूमिगत खदानें, 23 खुली खदानें और 9 मिश्रित खदानों के साथ 14 परिचालन क्षेत्र हैं। 01.04.2021 को यथा, ईसीएल के कमान क्षेत्र में 54.365 बि.टन (पश्चिम बंगाल राज्य में 33.077 बि.टन एवं झारखण्ड राज्य में 21.288 बि.टन) कोयला निचय है।

3.0 पूँजीगत संरचना

(₹ करोड़ में)

विशिष्टियाँ	2021-22	2020-21
क. शेयर पूँजी :		
i)प्राधिकृत शेयर पूँजी (प्रत्येक ₹1000 का 2,50,00,000 साम्या शेयर एवं प्रत्येक ₹1000 का 2,10,00,000 अधिमान शेयर)		4600.00
ii)चुकता साम्या शेयर पूँजी (प्रत्येक ₹1000 का 2,21,84,500 शेयर)		2218.45
iii)अन्य साम्य [6% अपरिवर्तनीय, संचयी, अप्रतिदेय अधिमान शेयरों का साम्य अंश, पूर्ण चुकता (प्रत्येक ₹1000 का 2,05,09,700 शेयर)]		855.61
iv)प्राधिकृत शेयर पूँजी (प्रत्येक ₹1000 का 4,60,00,000 साम्य शेयर)	4600.00	
v)चुकता साम्या शेयर पूँजी (प्रत्येक ₹1000 का 4,26,94,200 शेयर)	4269.42	
ख. ऋण निधियाँ :		
i. एक्पोर्ट डेवेलपमेंट कॉरपोरेशन, कनाडा	158.22	160.04
ii. चक्रवृद्धि वित्तीय लिखत का देयता घटक (6% अधिमान शेयर)	0.00	1938.59

4.0 उत्पादन निष्पादन :

लक्ष्य के प्रतिकूल तथा विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2021-22 में कंपनी का उत्पादन निष्पादन यथा निम्नवत है :

विशिष्टियाँ	ईकाई	2021-22			2020-21	विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि	
		लक्ष्य	वास्तविक	कार्य सिद्धि (%)	वास्तविक	आत्यंतिक	%
1.उत्पादन :							
i) कच्चा कोयला							
- भूमिगत	मि.टन	9.345	8.996	96.26	9.309	-0.313	-3.360
- खुली खदान		42.655	23.432	54.934	35.695	-12.263	-34.355
कुला		52.000	32.428	62.361	45.004	-12.576	-27.944
ii) कोककर कोयला	मि.टन	0.000	0.000	0.00	0.000	0.000	0.00
- मिश्रण		0.014	0.014	100.00	0.015	-0.001	-7.786
- अन्य		51.986	32.414	62.351	44.989	-12.575	-27.951
iii) अकोककर							
2. उपरि संस्तर हटाव	मि. घनमीटर	170.00	118.989	69.993	139.585	-20.596	-14.755
3. उत्पादकता (ओ.एम.एस.)							
- भूमिगत	टन	0.859	0.863	100.527	0.852	0.011	1.297
- खुली खदान		18.012	10.310	57.241	15.374	-5.064	-32.936
- समग्र		3.925	2.555	65.097	3.397	-0.842	-24.793

4.1 प्रणाली सामर्थ्य उपयोगिता सिद्धि :

(प्रतिशत में आँकड़े)

विशिष्टियाँ	2021-22			2020-21
	लक्ष्य	वास्तविक	कार्य सिद्धि (%)	वास्तविक
अ. भूमिगत	97.263	93.630	96.265	94.486
आ. खुली खदान (विभागीय) उत्खनन	82.288	77.344	93.992	80.486
इ. खुली खदान (अवक्रय) उत्खनन	105.295	65.198	61.919	84.034
ई. खुली खदान (विभागीय + अवक्रय) उत्खनन	100.285	68.434	68.240	84.036
उ. कुल [भूमिगत + खुली खदान (विभागीय)]	84.167	79.387	94.321	82.354
ऊ. समग्र (भूमिगत + खुली खदान) (अवक्रय + विभागीय)	100.193	69.198	69.065	84.364

4.2 कोयला भण्डार

31.03.2021 को यथा 6.302 मि.टन लेखाबंदी स्टॉक की तुलना में 31.03.2022 को यथा 2.634 मि.टन कच्चा कोयला स्टॉक था।

कोयले की लदान और परिवहन

5.0 वित्तीय निष्पादन

5.1 वित्तीय परिणाम

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए सकल बिक्री आवर्त पूर्व वर्ष के समय 2.48% की गिरावट के परिणामतः पूर्व वर्ष में ₹14821.26 करोड़ की तुलना में ₹ 14453.65 करोड़ था। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, कंपनी ने विगत वर्ष के (-) ₹1141.74 करोड़ का पूर्व-कर कुल व्यापक आय और (-) ₹994.06 करोड़ का पश्च-कर कुल व्यापक आय की तुलना में (-) ₹1502.79 करोड़ का पूर्व-कर कुल व्यापक आय और (-) ₹1126.08 करोड़ का पश्च-कर कुल व्यापक आय किया।

(₹ करोड़ में)

विशिष्टियाँ	2021-22	2020-21
सभी व्ययों की प्रभारित करने के पश्चात लेकिन पीआरपी/अधिशासी अधिवर्षिता प्रसुविधा, ब्याज, मूल्यह्रास, क्षति, ओबीआर, पूर्व अवधि समायोजन के पहले लाभ(+)/हानि(-)	-675.14	43.05
न्यून : पीआरपी / अधिशासी अधिवर्षिता प्रसुविधा का प्रभाव	108.01	80.61
न्यून : बीमांकिक प्रावधान	179.85	414.93
न्यून : वित्त लागत	163.66	193.80
न्यून : मूल्यह्रास/क्षति	529.70	494.18
न्यून : उपरिभार हटाव समायोजन	-153.57	1.27
ब्याज एवं मूल्यह्रास, क्षति एवं उपरिभार हटाव समायोजन प्रभारित के पश्चात वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-1502.79	-1141.74
नकदी लाभ	-498.75	-49.77
करोपरांत कुल व्यापक आय	-1126.08	-994.06

5.2 लाभ (हानि) में वृद्धि/कमी में योगदान करने वाले कारक

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ/(हानि)		(907.26)
अ. आय में कुल वृद्धि		
विक्रय (निवल)	45.06	45.06
आ. व्यय में कुल कमी		
मरम्मति	49.50	
संविदात्मक व्यय	211.47	
वित्त लागत	30.14	
प्रावधान	15.45	
अन्य व्यय	33.90	
विपट्टन गतिविधि समायोजन	154.84	495.30
इ. लाभ में कुल वृद्धि		**540.36**
ई. न्यून : आय में कमी		
अन्य परिचालनात्मक आय (निवल)	12.46	
अन्य आय	167.75	180.21
उ. न्यून : व्यय में वृद्धि		
उपभुक्त सामग्री लागत	61.31	
स्टॉक में अभिवृद्धि/अनभिवृद्धि	592.05	
कर्मी प्रसुविधा व्यय	195.35	
विद्युत शक्ति व्यय	3.73	
निगमित सामाजिक दायित्व व्यय	2.30	
मूल्यह्रास/परिशोधन/क्षति	35.52	890.26
ऊ. लाभ में कुल कमी		1,070.47
		(1,437.37)

ईसीएल के निदेशकगण द्वारा सोनपुर बजारी खान का परिभ्रमण

राजमहल क्षेत्र में श्रमिक संगठन प्रतिनिधियों के साथ बैठक

5.3 पूँजीगत व्यय

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कुल पूँजीगत व्यय वर्ष 2020-21 के ₹1025.87 करोड़ के पूँजीगत व्यय की तुलना में ₹1227.99 था।

5.4 विविध देनदार

31 मार्च, 2021 की तुलना में 31 मार्च, 2022 को यथा विविध देनदारों (सकल), देनदार आवर्त एवं असंदिग्ध कर्ज के लिए प्रावधान की स्थिति यथा निम्नवत है :

विशिष्टियाँ	इकाई	31.03.2022	31.03.2021
विविध देनदार (सकल)	₹ करोड़ में	2867.59	4793.34
देनदार आवर्त	माह की संख्या	2.38	3.88
संदिग्ध कर्ज के लिए प्रावधान	₹ करोड़ में	363.39	369.81
विविध देनदार (निवल)	₹ करोड़ में	2504.20	4423.53

5.5 विदेशी ऋण की चुकौती

(₹ करोड़ में)

विशिष्टियाँ	2021-22	2020-21
सीआईएल के जरिए विदेशी ऋण की चुकौती	7.06	6.99

5.6 सरकारी राजकोष में अंशदान

(₹ करोड़ में)

विशिष्टियाँ	2021-22				2020-21			
	पश्चिम बंगाल	झारखण्ड	केंद्रीय	कुल	पश्चिम बंगाल	झारखण्ड	केंद्रीय	कुल
i) पश्चिम बंगाल से संबंधित जीएसटी								
अ. आईजीएसटी	-	-	137.44	137.44	-	-	115.91	115.91
आ. सीजीएसटी	-	-	13.82	13.82	-	-	20.11	20.11
इ. एसजीएसटी	13.82	-	-	13.82	20.11	-	-	20.11
ई. मुआवजा उपकर	-	-	956.17	956.17	-	-	1,003.94	1,003.94
ii) झारखण्ड राज्य संबंधी								
अ. आईजीएसटी	-	-	0.31	0.31	-	-	0.03	0.03
आ. सीजीएसटी	-	-	48.58	48.58	-	-	58.58	58.58
इ. एसजीएसटी	-	48.58	-	48.58	-	58.58	-	58.58
ई. मुआवजा उपकर	-	-	499.05	499.05	-	-	670.42	670.42
iii) कोयले की रॉयल्टी, एनएमईटी, डीएमएफ	19.83	271.54	-	291.37	20.79	422.20	-	442.99

iv) आ.ई एवं पी.ई उपकर	1,902.37	-	-	1,902.37	1,983.85	-	-	1,983.85
v) एएमबीएच उपकर	2.74	-	-	2.74	2.29	-	-	2.29
vi) पीडब्ल्यू एवं सड़क उपकर	2.77	-	-	2.77	5.43	-	-	5.43
vii) बिक्री कर (वैट/सीएसटी)	-	0.19	-	0.19	-	2.80	-	2.80
viii) भूगर्त भरण उत्पाद शुल्क	-	-	-	-	-	-	-	-
ix) स्वच्छ ऊर्जा उपकर	-	-	3.82	3.82	-	-	-	-
x) कोयले पर उत्पाद शुल्क	-	-	-	-	-	-	-	-
xi) प्रविष्टि कर	-	-	-	-	-	-	-	-
xii) प्रबंधन फीस	-	1.31	-	1.31	-	2.16	-	2.16
xiii) बाजार फीस	-	4.89	-	4.89	-	4.42	-	4.42
xiv) कोविड उपकर	-	13.55	-	13.55	-	6.52	-	6.52
xv) मार्गस्थ अनुमति फीस	-	-	-	-	-	0.25	-	0.25
कुल	**1,941.53**	**340.06**	**1,659.19**	**3,940.78**	**2,032.47**	**496.93**	**1,868.99**	**4,398.39**

आजादी के अमृत महोत्सव के तत्वावधान में कार्यक्रम

6.0 कोयला विपणन :

6.1 कुल उठाव की तुलना में माँग :

वर्ष 2021-22 में कोयले का वास्तविक उठान 56.50 मि.टन की माँग के विरूद्ध 36.10 मि.टन अर्थात् 64 प्रतिशत माँग तुष्टि था। वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 के दौरान सेक्टर-वार माँग एवं उठान यथा अनुसरित है :

(आंकड़े मिलियन टन में)

सेक्टर	वर्ष 2021-22 में उठाव			वर्ष 2020-21 में उठाव		
	माँग	वास्तविक	% तुष्टि	माँग	वास्तविक	% तुष्टि
विद्युत शक्ति	41.020	29.970	73	43.743	36.170	83
सिमेंट	0.110	0.120	114	0.107	0.093	87
सीपीपी (ओआरएस)	0.500	0.190	38	0.500	0.193	39
सीपीपी (इस्पात)	0.490	0.360	74	0.490	0.312	64
इस्पात (मिश्रित)	-	-	-	-	-	-
स्पॉन्ज आयरन	0.460	0.340	74	0.459	0.340	74
निर्यात	-	-	-	-	-	-
लोको	-	0.001		-	-	-
प्रतिरक्षा	-	-	-	-	-	-
कोलियरी सन्निर्माण	0.180	0.180	98	0.180	0.177	98
अन्य	13.740	4.940	36	6.521	4.755	73
कुल	**56.500**	**36.100**	**64**	**52.000**	**42.040**	**81**

6.2 माल-डिब्बों का प्रतिदिन औसतन भारण :

पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 2021-22 के लिए कार्यक्षेत्रवार माल-डिब्बों में औसतन भारण यथा अनुसरित है :

(बाक्स प्रति दिन में आँकड़े)

कार्यक्षेत्र	माल-डिब्बों का भारण			
	2021-22		2020-21	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
रानीगंज	1079	834	1045	810
मुगमा/सलानपुर	335	205	267	242
आद्रा	17	14	12	11
पीरपैंती	-	-	-	-
राजमहल (वार्फ वाल)	256	57	188	129
कुल	**1687**	**1110**	**1512**	**1192**

6.3 रीतिवार प्रेषण :

पूर्व वर्ष की तुलना में 2021-22 में कोयले का रीतिवार प्रेषण यथा अनुसरित है :

(बाक्स प्रति दिन में आँकड़े)

प्रेषण की रीति	2021-22	2020-21
रेल	25.730	28. 102
सड़क	3.310	3.005
मेरी-गो-राउंड (एमजीआर)	6.880	10.755
कुल	**35.920**	**41.862**

6.4 यथा 31 मार्च, 2022 को विक्रेय कोयले के स्टॉक यथा अनुसरित है :

कार्यक्षेत्र	यथा 31.03.2022 को
रानीगंज	8.64
मुगमा/सलानपुर	9.59
संथाल परगना माइन्स	1.42
राजमहल	6.69
कुल	**26.34**

ईसीएल में डब्ल्यूआईपीएस का कार्यक्रम

6.5 कोयले की ई-निलामी :

(बाक्स प्रति दिन में आँकड़े)

रीति	2021-22			2020-21		
	प्रेषण क्षमता (लाख टन में)	अधिसूचित दर में वृद्धि (₹ करोड़ में)	प्रतिशत वृद्धि	प्रेषण क्षमता (लाख टन में)	अधिसूचित दर में वृद्धि (₹ करोड़ में)	प्रतिशत वृद्धि
हाजिर ई-निलामी						
रेल	25.910	494.06	60.50	26.180	213.679	24.98
सड़क	20.560	793.09	122.80	20.361	423.329	66.04
कुल	46.470	1287.15	88.00	46.541	637.008	42.57
वायदा ई-निलामी						
रेल	0.080	0.38	25.00	3.254	14.642	15.00
सड़क	5.970	16.78	18.40	0.004	-	-
कुल	6.050	17.16	18.50	3.258	14.642	14.99
समग्र कुल	**52.520**	**1304.31**	**83.90**	**49.799**	**651.650**	**40.88**

7.0 योजना :

7.1 परिचालनों का कमान क्षेत्र :

यहाँ 80 खननीय खदानों जिसमें 48 भूमिगत खदान, 23 खुली खदान और 9 मिश्रित खदान के साथ 14 परिचालन क्षेत्र हैं।

सलानपुर क्षेत्र में ईसीएल के सीएमडी श्री ए. पी. पंडा का खान परिभ्रमण

ईसीएल के सीएमडी श्री ए. पी. पंडा द्वारा वृक्षारोपण

7.2 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ

कार्यरत अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत प्रास्थिति **उपाबंध-I** में दी गई है।

7.3 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परियोजनाएँ :

कोयला मंत्रालय के विज्ञान व प्रौद्योगिकी अनुदान के अधीन कार्यरत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान परियोजनाओं के क्रियान्वयन का विस्तृत प्रास्थिति **उपाबंध-II** में दी गई है।

7.4 आधुनिकीकरण और विशाखीकरण :

भूमिगत खदानों में आधुनिकीकरण एवं मशीनीकरण के स्तर में संवर्धन के क्रम में, 2021-22 तक ईसीएल के 53 खदानों में तत्काल तकनीकी एलएचडी/एसडीएल प्रवर्तन किया गया था। 31.03.2022 तक, ईसीएल के भिन्न-भिन्न भूमिगत खदानों में 206 एसडीएल, 36 एलएचडी एवं 137 यूडीएम रजिस्टर (आरंभिक सर्वे-ऑफ उपस्कर सहित) में दर्ज थे। वर्ष 2021-22 के दौरान, एसडीएलों से 3.313 मि.टन, एलएचडीयों से 0.856 मि.टन एवं 2 कटाई लदाई मशीन से 0.058 मि.टन उत्पादन प्राप्ति हुई।

शटल कार (8 सेट) के साथ सतत खनित्र अभिनियोजन द्वारा "पुँजोत्पादन प्रौद्योगिकी" अभिनियोजित की गई है और सफलतापूर्वक परिचालित हो रही है। 5 मानक ऊँचाई वाले सतत खनित्र एवं 3 निम्न ऊँचाई वाले सतत खनित्र से वर्ष 2021-22 के दौरान उत्पादन प्राप्ति 3.648 मि.टन था। झांझरा में, अगस्त, 2016 से दीर्घ भित्ति तकनीक सफलतापूर्वक परिचालित हो रही है और वर्ष 2021-22 के दौरान उत्पादन 1.12 मि.टन (कटाई लदाई मशीन रहित) था। वर्ष 2021-22 के दौरान समग्र भूमिगत कोयला उत्पादन 8.996 मि.टन है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त कोयला उद्योग के विशाखीकरण/आधुनिकीकरण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

भूमिगत खनन मशीनरी

अ. **कोयला संस्तरीय मिथेन (सीबीएम) :** सतग्राम, कुनुस्तोड़िया एवं श्रीपुर क्षेत्र के पट्टे वाले क्षेत्र के लिए दिनांक 22.09.2018 को खान विकास व परिचालन (एमडीओ) संकल्पना के अधीन परियोजना साध्यता प्रतिवेदन (पीएफआर) विनिर्मित किया गया है और प्रशासनिक रूप से ईसीएल के निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया है। सीएमपीडीआईएल ने दिनांक 08.05.2020 को कोयला संस्तर मिथेन (सीबीएम) के लिए कार्य यथा परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण (पीआईए) अधिनिर्णित किया गया था। हितधारकों के सुझावों को सम्मिलित करने एवं कोल इंडिया लि. से संशोधित बोली दस्तावेजों के अनुमोदन के उपरांत, दिनांक 09.06.2021 को निविदा प्रकाशित की गई है और दिनांक 13.08.2021 को बोली खोली गई है तथा यह पाया गया कि कोई बोली प्राप्त नहीं हुई थी। दिनांक 07.02.2022 को ओएनजीसी-सीआईएल सहउद्यम के साथ एक बैठक आयोजित की गई जिसमें ओएनजीसी ने संयुक्त रूप से सीबीएम ब्लॉक जो ईसीएल को आबंटित किया गया है के विकास के विचार की अभिव्यक्ति की थी।

आ. **सतही कोयला गैसीकरण (एससीजी) :** ईसीएल निदेशक मण्डल ने दिनांक 21.05.2020 को आयोजित अपने 329 वीं बैठक में "पूर्व-साध्यता अध्ययन एवं सतही कोयला गैसीकरण के लिए बहु-प्रौद्योगिकी विकल्प में परियोजना साध्यता प्रतिवेदन (पीएफआर) निर्मिति" के निहितार्थ मेसर्स पीडीआईएल को यथा परामर्शी रूप में संलग्नता का अनुमोदन प्रदान किया। ईसीएल निदेशक मण्डल ने दिनांक 14.05.2021 को अपने 338 वीं बैठक में ईसीएल में एससीजी परियोजना के लिए सीएमपीडीआईएल को यथा परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण रूपक नियुक्ति के लिए करार ज्ञापन (एमओए) का अनुमोदन किया। तत्पश्चात्, ईसीएल में एससीजी परियोजना के लिए सीएमपीडीआईएल को यथा पीआईए रूपक नियुक्ति के लिए दिनांक 18.05.2021 को ईसीएल एवं सीएमपीडीआईएल के मध्य करार ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किया गया और दिनांक 11.06.2021 को कार्यादेश निर्गत किया गया। कोयला से मेथनॉल परियोजना की स्थापना के निहितार्थ ईसीएल निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 03.08.2021 को ईसीएल एससीजी के लिए परियोजना साध्यता प्रतिवेदन (पीएफआर) का अनुमोदन किया गया है। मेसर्स पीडीआईएल यथा तकनीकी परामर्शी नियुक्त किया गया है तथा दिनांक 14.09.2021 को प्रतिग्रहण पत्र निर्गत किया गया है। दिनांक 31.01.2022 को निविदा की सूचना (एनआईटी) प्लवमान किया गया है तथा दिनांक 02.03.2022 को पूर्व-बोली बैठक आयोजित की गई थी।

इ. **हाइवॉल खनन :** निमचा कोलियरी में उच्च भित्ति (हाइवॉल) खनन के प्रवेशन के लिए कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2022-23 में नारायणकुड़ी में हाइवॉल खनन का प्रवेशन प्रस्तावित है।

ई. **मैन राइडिंग प्रणाली :** वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, कुल आठ खदानेनामशः झांझरा (03, डीजल चालित फ्री स्टीयर वाहन), परासिया (चेयरलिफ्ट प्रणाली का 1 सेट), निमचा (चेयरलिफ्ट प्रणाली का 2 सेट), बांसड़ा (चेयरलिफ्ट प्रणाली का 2 सेट), श्यामसुंदरपुर (चेयरलिफ्ट प्रणाली का 1 सेट), चिनाकुड़ी खान III (चेयरलिफ्ट प्रणाली का 1 सेट), खोट्टाडीह कोलियरी (2 बैटरी चालित फ्री स्टीयर वाहन) एवं चिनाकुड़ी खान – I (2 बैटरी लोकोमोटिव) है जहाँ मैन राइडिंग प्रणाली प्रचालन में है। वर्ष 2022-23 के दौरान, एक खदान नामशः अमृतनगर कोलियरी (1) में मैन राइडिंग पद्धति के आरंभ होने की प्रत्याशा है।

7.5 वर्ष 2021-22 के दौरान परियोजनाओं के निरूपण का विवरण

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षमता	प्राक्कलित अतिरिक्त पूँजी (₹ करोड़ में)			
			विभागीय	आंशिक बाह्यस्रोतीकरण	बाह्यस्रोतीकरण	एमडीओ
1.	भनोड़ा पश्चिम भूमिगत	0.72	586.30	359.99	-	-
2.	पाण्डवेश्वर-डालुरबांध (भूमिगत व खुली खदान)	यूजी:0.87 ओसी:1.00	1099.32	779.41	-	-
3.	बांसरा भूमिगत में उच्च चाल पश्च भरण के साथ सतत खनित्र	0.54	369.22	134.03	-	361.77
4.	श्यामपुर-बी कोलियरी में पेस्ट-भरण तकनीक के साथ सतत खनित्र	0.66	-	136.09	-	-

7.6 वर्ष 2021-22 के दौरान अनुमोदित परियोजनाएँ :

क्रम सं.	परियोजना का नाम	क्षमता	पूँजीगत निवेश का अनुमोदन	अनुमोदन की तिथि	अभ्युक्ति
1.	सोनपुर बजारी विस्तारित खुली खदान परियोजना	12.00	5365.88	28.07.2021	आंशिक बाह्यस्रोतीकरण विकल्प में परियोजना प्रतिवेदन का अनुमोदन
2.	बोनजेमेहारी विस्तारित खुली खदान परियोजना	1.00	570.12	10.08.2021	बाह्यस्रोतीकरण विकल्प में परियोजना प्रतिवेदन का अनुमोदन
3.	चुपरभीटा खुली खदान परियोजना	4.00	2508.29	05.10.2021	खान विकास व परिचालन (एमडीओ) रीति में निविदा प्लवमान के लिए सीआईएल निदेशक मंडल ने परियोजना प्रतिवेदन की संस्तुति किया।
4.	इटापाड़ा खुली खदान परियोजना	3.50	1864.61	05.10.2021	

ईसीएल . में भूतल खान में काम करनेवाला

श्री ए पी पंडा झांजरा क्षेत्र में अपने खान यात्रा के दौरान

7.7 वर्ष 2021-22 के दौरान अनुमोदित खुली खदान पैच :

क्रम सं.	क्षेत्र	खुली खदान खण्ड के नाम	खननीय निचय		औसत विपट्टन अनुपात	व्यस्ततम समय	मेरा जीवन (वर्ष)	पुष्टिकरण तिथि
			कोयला (एल ते.)	ओबी (एल सह)				
1.	केन्दा	सिदुलि (क्यूआर-1 और क्यूआर-2)	7.00	29.80	4.26	3.00	3	14.05.2021
2.	श्रीपुर	भनोड़ा (चरणपुर)	18.30	161.80	8.84	4.50	5	28.05.2021
3.	श्रीपुर	श्रीपुर संस्तर आणत (एसआईसी) (निघा)	4.11	12.20	2.96	2.11	2	28.06.2021
4.	मुगमा	ककाकापुर II	98.80	883.20	8.94	1.50	13	01.12.2021
5.	सलानपुर	डाबर चरण-III का परिशोधन अनुमान अनुमान (आरसीई)	38.10	83.90	2.20	1.40	3	03.03.2022

7.8 वर्ष 2021-22 के दौरान अनुमोदित भूमिगत खानों के लिए योजनाएँ :

क्रम सं.	योजना के नाम	क्षमता	अनुमोदित पूँजी निवेश	अनुमोदन की तिथि	अभ्युक्ति
1.	मुगमा क्षेत्र के श्यामपुर बी कोलियरी में पेस्ट-भरण तकनीक के साथ सतत खनित्र	0.66	136.09	28.01.2022	उपस्कर भाड़ा विकल्प में अनुमोदित योजना

7.9 नई पहल :

भूमिगत खानों से उत्पादन संवर्धन के लिए वर्ष 2021-22 में निम्निलिखित पहल की गई है :

अ. विद्यमान भूमिगत खदानों का तकनीकी उन्नयन एवं आधुनिकीकरण : मेसर्स आईएसएम, मेसर्स एससीसीएल एवं मेसर्स पीडब्ल्यूसी के सहायतासंघ द्वारा उत्पादन में वृद्धि का अध्ययन के लिए 23 की संख्या में भूमिगत खदानें परिचिह्नित की गईं। यह कोयला मंत्रालय / कोल इंडिया लि. के दिशानिर्देशानुसार है। जनवरी, 2018 में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया और कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा समान रूप से स्वीकार किया गया। तदनुसार, वतर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान तीन परियोजना प्रतिवेदन (सिदुली मिक्सड, तिलाबोनी भूमिगत एवं परासिया-बेलबाद भूमिगत) एवं एक योजना (श्यामपुर-बी) का अनुमोदन किया गया हैं।

आ. पुँजोत्पादन प्रौद्योगिकी सतत खनित्र (सीएम) का प्रवेशन : वर्तमान में, 08 की संख्या में सतत खनित्र (झांझरा : 02 की संख्या में एसएचसीएम एवं 02 की संख्या में एलएचसीएम; श्यामसुंदरपुर: 01 एसएचसीएम; कुमारडुबी बी: 01 एलएचसीएम एवं 01 एसएचसीएम तथा खोट्टाडीह: 01 एसएचसीएम) चार खदानों में निपातन के साथ संचालित है। इसके अलावा, 17 अतिरिक्त सतत खनित्र पाँच (05) की संख्या में प्रवर्तन के लिए योजनाबद्ध किया गया है जिसके लिए पहले से ही परियोजना प्रतिवेदन अनुमोदित किया गया है। ये सतत खनित्र निपातन के साथ विस्तंभन के लिए योजनाबद्ध किया गया है।

अनुमोदित परियोजना प्रतिवेदन के लिए 17 की संख्या में सतत खनित्रों के प्रवर्तन की समय-सीमा निम्नानुसार है :

क्रम सं.	परियोजना	प्रकार	संख्या	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
1.	झांझरा	एलएचसीएम	2	2	-	-	-
		एसएचसीएम	2	-	2	-	-
2.	तिलाबोनी	एलएचसीएम	2	-	1	-	1
		एसएचसीएम	2	-	-	1	1
3.	श्याम सुंदरपुर	एलएचसीएम	2	-	1	1	-
4.	परासिया बेलबाद	एलएचसीएम	1	-	-	-	1
		एसएचसीएम	1	-	1	-	-
		ईएचसीएम	2	-	-	1	1

क्रम सं.	परियोजना	प्रकार	संख्या	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26
5.	सिदुली	एलएचसीएम	1	-	-	1	-
		एसएचसीएम	1	-	-	-	1
		ईएचसीएम	1	-	-	-	1
कुल एलएचसीएम			8	2	2	2	2
कुल एसएचसीम			6	-	3	1	2
कुल ईएचसीएम			3	-	-	1	2
कुल			17	2	5	4	6

पेस्ट-भरण तकनीक के साथ सतत खनित्र के प्रवेशन के प्रयोजनार्थ श्यामपुर-बी के लिए योजना दिनांक 29.01.2022 को ईसीएल निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित किया गया है तथा दिनांक 31.01.2022 को निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) प्लवमान किया गया।

इ. वैदेशिक सहयोजन/ प्रौद्योगिकी अंतर्लयन-अनुकूलन तथा नवपरिवर्तन :

i **कुमारडीह-बी भूमिगत खदान में सतत खनित्र का प्रवेशन:** मेसर्स गैनवेल कॉम्मोसेल्स प्रा. लि. द्वारा वर्ष 2021-22 के दौरान निम्न चरम सीमा वाली सतत खनित्र का एक समुच्चय को प्रवर्तित किया गया।

ii **झांझरा में 02 अतिरिक्त एलएचसीएम एवं 02 एसएचसीएम का प्रवेशन :** दिनांक 06.04.2021 को मेसर्स जेएमएस माइनिंग प्रा. लि. को स्वीकृति पत्र निर्गत किया गया और दिनांक 28.07.2021 को करार पर हस्ताक्षर किया गया। 02 एसएचसीएम के लिए, दिनांक 06.12.2021 को निविदा आमंत्रण सूचना प्लवमान किया गया और दिनांक 10.02.2022 को बोली का भाग-1 खोला गया।

iii वर्ष 2021-22 में झांझरा आर-VI संस्तर में विद्युत समर्थ लॉन्गवाल पैनल के सफल संचालन ने 1.120 मि.टन कोयला (आरएच रहित) उत्पादन किया है।

7.10 परियोजना अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन की प्रास्थिति उपाबंध-III में उल्लिखित है।

8.0 प्रबंधकीय विवेचना एवं विश्लेषण प्रतिवेदन :

प्रबंधकीय विवेचना एवं विश्लेषण प्रतिवेदन को निदेशकगणों के प्रतिवेदन **(उपाबंध-IV)** का भागरूप एक पृथक खण्ड में प्रस्तुत किया जाता है।

9.0 उपस्करों की संख्या (एचईएमएम) :

9.1 यथा 31 मार्च, 2021 की तुलना में 31 मार्च, 2022 को उपस्करों की संख्या :

उपस्करों	को यथा उपस्करों की संख्या	
	31.03.2022	31.03.2021
ड्रैगलाइन	1	1
डम्पर	221	183
डोजर	79	81
शॉवेल	56	60
ड्रील	48	50

ईसीएल में खनन मशीनरियाँ

9.2 पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 2021-22 के दौरान सीएमपीडीआईएल प्रादर्शों के अनुसार उपस्करों के प्रत्येक प्रकारों की प्रतिशत उपलब्धता एवं उपयोगिता सिद्धि यथा अनुसरित है :

उपस्कर	प्रतिशत उपलब्धता							
	सीएमपीडी आईएल प्रदर्श	2021-22	2020-21	% में विगत वर्ष से अंतर	सीएमपीडी आईएल प्रदर्श	2021-22	2020-21	% में विगत वर्ष से अंतर
ड्रैगलाइन	85	85.79	87.77	-1.98	73	79.20	79.86	-0.66
डम्पर	67	76.86	76.02	0.84	50	38.48	37.91	0.57
डोजर	70	70.84	73.59	-2.75	45	22.93	21.85	1.08
शॉवेल	80	77.34	78.44	-1. 10	58	46.65	44.94	1.71
ड्रील	78	83.27	84.45	-1. 18	40	15.92	20.32	-4.40

9.3वर्ष 2021-22 के दौरान प्रदत्त नूतन उपस्कर एवं प्रतिस्थापित उपस्कर :

उपस्कर	क्षमता	2021-22 में यथा प्रतिस्थापन योजित	2022-23 में यथा प्रतिस्थापन रुपक प्राप्ति एवं आरंभ किया जा रहा है	2020-21 में आदिष्ट, 2022-23 में यथा प्रतिस्थापन योजित के लिए अभी तक अप्राप्त
शॉवेल	10.2 सीयूएम	1	-	-
	5.0 सीयूएम	4	-	-
डम्पर	190टी	18	-	-
	100टी	3	-	-
	60 टी	37	8	3
डोजर	410एच पी	6	1	-
	320एच पी	1	2	-

10.0ऊर्जा संरक्षण :

10.1विद्युत शक्ति एवं ईंधन खपत :

क्रम सं.	विशिष्टियाँ	ईकाई	2021-22	2020-21
I·	क्रय की गई विदयुत			
	क. क्रय की गई इकाइयाँ	एम.के.डब्ल्यू.एच	852.47	846.02
	ख. आपूर्ति अभिकरणों को प्रदत्त कुल राशि (लगभग)	₹ करोड़ में	608.98	599.27
	ग. दर प्रति ईकाई (औसतन)	₹ /किलोवाट	7.14	7.08
	घ. विद्युत की विशेष खपत (लगभग)	केडब्ल्यूएच / सीयूएम	16.10	14.13
II.	स्व उत्पादन (दिष्ट धारा सेट के जरिए)			
	क. उत्पदित ईकाइयाँ	लाख किलोवाट	6.93	7.04
	ख. डीजल तेल के प्रति लीटर उत्पादित ईकाइयाँ	किलोवाट/लीटर	7.87	7.96
	ग. उत्पादन की लागत	₹ /किलोवाट	10. 16	10.88
III.	विद्युत शक्ति की माँग			
	क. औसतन विद्युत शक्ति की माँग	एमवीए	172.76	170.73
	ख. संविदात्मक माँग	एमवीए	197.50	198.00
	ग. प्रतिशत उपयोगिता सिद्धि	%	87.50	86.23

ईसीएल ने झांझरा क्षेत्र में 60 कि.वाट सौर ऊर्जा संयंत्र का आरंभ किया।

10.2 सौर परियोजनाओं का क्रियान्वयन :

अ. ईसीएल मुख्यालय (सांकतोड़िया अस्पताल एवं प्रशासनिक भवन) में 250 किलोवाट पीक छतारूढ़ सौर परियोजना के आरंभ का कार्य सितम्बर, 2021 में संपन्न किया जा चुका है। वर्ष 2021-22 के दौरान, निवल उत्पादन 1,34,540 किलोवाट पीक था जिससे ₹9.61 लाख की बचत हुई।

आ. इसके अतिरिक्ति, 1415 किलोवाट पीक में से 600 किलोवाट पीक का छतारूढ़ सौर परियोजनाएँ संपन्न और आरंभ की गई है। ऐसे 600 किलोवाट पीक सौर परियोजना से उत्पादन 1,18,713 किलोवाट पीक था जिससे ₹8.48 लाख की बचत हुई।

इ. सतग्राम क्षेत्र के कालीदासपुर परियोजना में 10 मेगावाट भू-आरूढ़ सौर परियोजना के परियोजना अनुरक्षण एवं परामर्श (पीएमसी) गतिविधियों को क्रियान्वित करने के लिए मेसर्स सीआईएल नवीकरणीय ऊर्जा लिमिटेड (सीआईएलएनयूएल) को कार्य अधिनिर्णित किया।

10.3 ऊर्जा संरक्षण :

अ. GeM पोर्टल से ऊर्जा दक्ष साधित्र जैसे कि 807 बीएलडीसी पंखों (सुपर पंखें), 135 ऊर्जा दक्ष वातानुकूलक/ हरित वातानुलकों एवं 2671 एलईडी दीपकों की अधिप्राप्ति द्वारा भवन ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम (बीईईपी) के अधीन पहल। इस उर्जा दक्षता कार्यक्रम के क्रियान्वयन से ₹52.31 लाख प्रतिवर्ष मालियत, 7.19 लाख इकाई की बचत होने की संभावना है।

आ. वित्तीय वर्ष 2021-22 में शक्ति गुणक की अभिवृद्धि से प्राप्त निवल लाभ ₹14.34 करोड़ है जो वित्तीय वर्ष 2020-21 से 4.3% अधिक है।

10.4 कोयला निपटान संयंत्रों के कार्य-निष्पादन :

31 मार्च, 2022 को यथा, सोनपुर बजारी एवं राजमहल में दो प्रमुख कोयला निपटान संयंत्रों ने 8.29 मि.टन कोयला निपटान किया।

ईसीएल के सोनपुर बजारी में कोयला निपटान संयंत्र (सीएचपी)

11.0 कल्याण सुविधाएँ :

क्रम सं.	मद	31.03.2021 को यथा संचयी स्थिति	2021-22 के दौरान प्राप्ति	31.03.2022 को यथा संचयी स्थिति
1.	शैक्षणिक सुविधाएँ			
	अ) डीएवी विद्यालय	06	0	06
	आ) i) आवर्ती सहायता अनुदान प्राप्त विद्यालयों की संख्या	129	0	129
	आ) आवर्ती सहायता अनुदान की राशि (₹ लाख में)	6496.23	302.22	6798.45
	इ) i) अनावर्ती सहायता अनुदान प्राप्त विद्यालयों की संख्या	388	0	388
	इ) ii) आवर्ती सहायता अनुदान की राशि (₹ लाख में)	312.04	0	312.04
	ई) i) तदर्थ अनुदान स्वीकृत विद्यालयों की संख्या	79	0	79
	ई) ii) स्वीकृत तदर्थ अनुदान की राशि (₹ लाख में)	69.60	0	69.60
	उ) विद्यालयों को संलग्न बसों की संख्या	156	0	156
	ऊ) i) सीआईएल छात्रवृत्ति	19821	444	20265
	छात्रवृत्ति एवं अधिनिर्णित नकद की संख्या			
	ऋ) ii) स्वीकृत राशि (₹ लाख में)	291.48	12.63	304.11
	ए) i) चयनित इंजीनियरिंग एवं सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पठन करने वाले वेज बोर्ड कर्मी के आश्रितों के शिक्षण शुल्क एवं होस्टल प्रभार देने के निहितार्थ वित्तीय सहायता के लिए सीआईएल योजना			
	ए) ii) स्वीकृत डब्ल्यूबीई वार्डो की संख्या	857	77	934
	ए) iii) स्वीकृत राशि (₹ लाख में)	298.37	50.90	349.27
2	खेलकूद और क्रीड़ा में संव्यय राशि (₹ लाख में)	635.42	9.00	644.42
3	सामाज एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में संव्यय राशि (₹ लाख में)	93.46	0.72	94.18
4	कैंटीन	82	0	82
5	बैंकिंग सुविधाएँ – बैंकों की क्रियाशील शाखाओं की संख्या	27	0	27
6	सहकारी सोसाइटी			
	अ) सहकारी साख सोसाइटी	62	0	62
	आ) प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार	30	0	30
	इ) केंद्रीय सहकारी	04	0	04
	ई) सहकारी सोसाइटी को ऋण एवं में निवेश (₹ लाख में)	63.80	0	63.80

आजादी का अमृत महोत्सव के अधीन केंद्रीय अस्पताल सांकतोड़िया में अंधता निरोध नेत्र शिविर का संचालन

केंद्रीय अस्पताल सांकतोड़िया में रक्तदान शिविर

12.0 चिकित्सीय प्रसुविधाएँ :

कर्मियों एवं उनके आश्रितों की चिकित्सीय सेवाओं प्रदान करने के लिए कुल 822 शय्या समर्थता (644 श्रमजीवी संख्या) के साथ 02 केन्द्रीय अस्पतालों, 07 क्षेत्रीय अस्पतालों एवं 112 औषधालय है। इन अस्पतालों में 117 की संख्या में रुग्ण वाहिनी सेवा में थे।

ईसीएल के कुनुस्तोड़िया क्षेत्र में वृहद स्वास्थ्य शिविर का आयोजन

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के डॉक्टरों द्वारा कैंसर जागरूकता पर पैनल परिचर्चा

12.1 चिकित्सीय निर्देशपरक और चल औषधालय :

विशिष्टियाँ	2021-22	2020-21
बाह्य निर्देशित रोगियों की संख्या	2,605	2,403
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम		
- शिविरों की संख्या	84	78
- हितलाभुकों की संख्या	3,997	3,171
चल औषधालयों द्वारा आच्छादित ग्राम		
- शिविरों की संख्या	1,233	2,400 (लगभग)
- हितलाभुकों की संख्या	25,3 14	32,000 (लगभग)
कंपनी कर्मकारों का पीएमई	9,484	10,050
संविदात्मक कर्मकारों का पीएमई	726	530
कंपनी कर्मकारों का आईएमई	1,201	630
संविदात्मक कर्मकारों का आईएमई	863	864

विगत वित्तीय वर्ष के दौरान उपगत ₹68.59 करोड़ की तुलना में कंपनी अस्पताल से बाह्य चिकित्सीय निर्देशिति के मद्धे ₹ 62.43 करोड़ की राशि उपगत हुई।

07.04.2021 को आजादी का अमृत महोत्सव के अधीन
विश्व स्वास्थ्य दिवस, 2021 का समारोह

केंद्रीय अस्पताल सांकतोड़िया में विश्व भेषजज्ञ
दिवस का समारोह

13.0 निगमित सामाजिक दायित्व :

कंपनी अधिनियम, 2013 धारा 135 (2) के अनुसरण में निगमित सामाजिक दायित्व का प्रतिवेदन निदेशक मण्डल प्रतिवेदन के भागरूप में बने पृथक अनुभाग में प्रस्तुत किया गया है। **(उपाबंध-V)**

14.0 खान सुरक्षा एवं खान बचाव :

खान सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है, जिसे 'शून्य क्षति' प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ क्रोड उत्पादन प्रक्रिया का एक अवयव माना जाता है।

14.1दुर्घटना सांखियकी :

क्रम सं.	विशिष्टियाँ	2021-22	2020-21
1.	घातक दुर्घटना (संख्या)	06	05
2.	मृत्यु-संख्या	07	06
3.	गंभीर दुर्घटना (संख्या)	08	15
4.	गंभीर चोट (संख्या)	09	17
5.	मृत्यु-संख्या/मिलियन टन उत्पदान	0.2 16	0.133
6.	मृत्यु-संख्या / 3 लाख श्रमिक पारी	0.166	0.137
7.	गंभीर चोट /मिलियन टन उत्पदान	0.278	0.378
8.	गंभीर चोट / 3 लाख श्रमिक पारी	0.2 14	0.388

14.2 सुरक्षा जागरूकता :

क. खान सुरक्षा संस्कृति के बारे में कर्मकारों को संवेदनशील करने के निहितार्थ दुर्घटना व सुरक्षित अभ्यास के लिए 2-3 मिनट की तीन (03) लघु विडियो क्लिप तैयार किए गए हैं तथा कंपनी द्वारा 59 अन्य विडियो के साथ वाट्सएप के माध्यम से कर्मियों को वितरित किए गए हैं।

ख . प्रत्येक खदान में पाली पूर्व खान सुरक्षा चर्चा का आदेश दिया गया है। अन्य विषयों के साथ-साथ इन चर्चाओं में, दुर्घटनाओं / घटनाओं तथा ऐसे किसी भी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति के निवारण के उपायों के साथ-साथ कर्मियों के साथ दुर्घटनाओं एवं आसन्न चूकों पर चर्चा की जाती है।

ईसीएल में छद्म खान सुरक्षा अभ्यास

ग. वर्ष के दौरान यथा निम्नवत ग्यारह खान सुरक्षा अभियानों को आयोजित किया गया है:

क्रम सं.	खान सुरक्षा अभियान का विषय	काल अवधि
1.	समान तल पर व्यक्ति के गिरने के कारण दुर्घटना के निवारण करने हेतु खान सुरक्षा अभियान	26.04.2021 से 30.04.2021
2.	खान सुरक्षा अनुश्रवण योजना (एस.एम.पी.) के पुनर्विलोकन एवं क्रियान्वयन पर खान सुरक्षा अभियान	21.06.2021 से 26.06.2021
3.	भूमिगत खदानों में चाल एवं पार्श्व के गिरने के कारण दुर्घटना के निवारण करने के लिए खान सुरक्षा अभियान	26.07.2021 से 31.07.2021
4.	खान एवं उपरिभार स्थल (डम्प) का प्रवणता सुस्थिति अनुश्रवण पर खान सुरक्षा अभियान	23.08.2021 से 28.08.2021
5.	भूमिगत गैर-परिवहन मशीनरियों (एसडीएल, यूडीएम, एलएचडी, सीएम, शटल कार इत्यादि) के कारण दुर्घटना के निवारण हेतु खान सुरक्षा अभियान	27.09.2021 से 01.10.2021
6.	भूमिगत रज्जु कर्षण प्रणाली एवं कचिया गाड़ी संचलन के सुरक्षित परिचालन पर खान सुरक्षा अभियान	15.11.2021 से 20.11.2021
7.	विस्फोटकों के स्फोटन के कारण दुर्घटना के निवारण करने के लिए खान सुरक्षा अभियान	22.11.2021 से 27.11.2021
8.	ईसीएल के समस्त उच्च मशीनीकृत भूमिगत खदानों के लिए संवातन पर खान सुरक्षा अभियान (झांझरा, बांकोला एवं पाण्डवेश्वर क्षेत्र)	27.12.2021 से 01.01.2022
9.	संस्तर नियंत्रण तथा चाल-आलम्ब व पार्श थम्हाल पर खान सुरक्षा अभियान	07.02.2022 से 13.02.2022
10.	ईसीएल के समस्त भूमिगत खदानों में कुंडलन संस्थापनों के समुचित रख-रखाव के लिए खान सुरक्षा अभियान	07.03.2022 से 13.03.2022

घ. ईसीएल के समस्त क्षेत्रों में द्विपक्षीय खान सुरक्षा निरीक्षण संचालित किए गए हैं।

ङ. अप्रैल, 2021 एवं मई, 2021 में ईसीएल के विविध खदानों में कोल इंडिया लि. के पदधारियों द्वारा खान सुरक्षा अधिकारी, कर्मकार निरीक्षकों एवं परियोजना खान सुरक्षा समिति (पीएससी) सदस्यों के लिए खान सुरक्षा संस्कृति एवं वातावरण, खान सुरक्षा मंडली एवं अन्य खान सुरक्षात्मक पहलुओं के लिए मार्ग प्रशस्त करने संबंधित ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था।

च. 18.11.2021 से 30.11.2021 तक ईसीएल के समस्त क्षेत्रों में त्रिपक्षीय खान सुरक्षा समिति की बैठकें आयोजनों की व्यवस्था किया गया था।

छ. 11.01.2022 को ईसीएल मुख्यालय में 60 वाँ निगमित स्तरीय त्रिपक्षीय खान सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित किया गया था।

ज. दिनांक 11.08.2021 को ईसीएल मुख्यालय में खान सुरक्षा उप महानिदेशालय (पूर्वी क्षेत्र) एवं ईसीएल प्रबंधन के मध्य एक द्विपक्षीय बैठक आयोजित किया गया था।

झ. वर्ष 2021-22 सत्र के लिए खान सुरक्षा सप्ताह क्षेत्र के छः आबद्ध खदानों सहित ईसीएल के समस्त खदानों, पीएमई केंद्रों, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों में खान सुरक्षा महानिदेशालय के तत्त्वावधान में दिनांक 25.04.2022 से 30.04.2022 तक मनाया गया था।

ञ. मुख्यालय स्तर पर अभिकरणों एवं क्षेत्रीय खान सुरक्षा अधिकारियों के साथ समन्वय बैठकें सुनियोजित किए जा रहे हैं।

ट. दिनांक 24.03.2022 को काजोड़ा क्षेत्र में विद्युत संस्थापनों पर एक संगोष्ठी आयोजित किया गया था।

ठ. 28 अप्रैल, 2021 को कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन दिवस मनाया गया।

ड. विभिन्न खदानों में प्रत्याशित परिसंकटों पर छद्म अभ्यास आयोजित किया गया था।

14.3 खान सुरक्षा उन्नयन :

क. वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 के दौरान गंभीर दुर्घटनाओं में 46.67% एवं गंभीर चोट में 47.06% की कमी आई है।

ख. ईसीएल के 78 खदानों में से 52 खदाने घातक/ गंभीर/ प्रतिवेद्य दुर्घटना से मुक्त रहा है।

ग. खान सुरक्षात्मक कार्रवाई कैलेंडर तैयार किया गया।

घ. सभी खदानों का खान सुरक्षा लेखापरीक्षा दिनांक 03.09.2021 तक संपन्न हो चुका था।

ङ. पुराने पारंपरिक प्रकार के टोपी लैम्पों (सीसा अम्लीय बैटरी) को प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) टोपी लैम्पों से बदल दिया गया है। वर्ष के दौरान 40,650 टोपी लैम्प प्राप्त हुए थें।

च. 22942 खान जूतों की जोड़ियाँ, 16000 गमबूटों की जोड़ियाँ प्राप्त हुई थीं।

छ. कार्य सुरक्षा पर विशेष बल के साथ, 13,820 कर्मकारों (विभागीय व संविदात्मक दोनों) को प्रशिक्षण प्रदान किया गया था।

ज. वर्ष के दौरान खदानों की खान सुरक्षा स्थिति पर संप्रेक्षण और परिचर्चा करने के लिए आंतरिक खान सुरक्षा अधिकारीगण ने 782 निरीक्षण किया।

झ. अग्रसक्रिय खान सुरक्षा की प्रधानता के लिए क्षेत्रों द्वारा आसन्न चूक घटनाओं का प्रतिवेदन व विश्लेषण आरंभ किया है।

राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान एवं ईसीएल के मध्य सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर

14.4 खान सुरक्षा में श्रमिक सहभागिता :

क. दिनांक 08.12.2021 को 75वीं कंपनी स्तरीय द्विपक्षीय खान सुरक्षा मंडल की बैठक संचालित की गई।

ख. वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आंतरिक खान सुरक्षा संगठन प्रतिनिधियों के साथ कंपनी स्तरीय खान सुरक्षा मंडल सदस्यगण एवं क्रियाशील श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों ने एकदा सभी खदानों का निरीक्षण किया है।

ग. संविदात्मक कर्मकारों के प्रतिनिधियों को खदानों के खान सुरक्षा समिति में सम्मिलित किए गए हैं।

14.5 मानसून तैयारियाँ :

क. समस्त क्षेत्रों में क्षेत्रीय नियंत्रण कक्ष के साथ निकट समन्वयन रखने के लिए 10 जून, 2021 से 15 अक्तूबर, 2021 तक मुख्यालय में एक नियंत्रण कक्ष खोला गया था।

ख. 'बाढ़ चेतावनी सूचनाओं' की प्राप्ति के लिए 'मानसून नियंत्रण कक्ष के अधिकारी प्रभारी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन (डीवीसी), मैथन के मुख्य अभियंता (पनबिजली) के साथ निकट संपर्क स्थापित रखे हुए थे, जब कभी नदियों के जल स्तर में वृद्धि के कारण पंचेत एवं मैथन डैम जल निकासी करती थी तब खदानों को खतरे में हो के लिए सतर्क किया गया।

ग. भारी वर्षा एवं आंधी तूफान से प्रभावित खनन क्षेत्रों को सतर्क करने के निहितार्थ मौसम पूर्वानुमान रिपोर्टों की प्राप्ति के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, अलीपुर, कोलकाता के निदेशक एवं क्षेत्रीय चक्रवात चेतावनी केन्द्र, अलीपुर, कोलकाता के निदेशक के साथ भी मानसून नियंत्रण कक्ष के अधिकारी प्रभारी ने निकट संपर्क स्थापित रखा था।

ईसीएल में द्विदलीय सुरक्षा बोर्ड का निरीक्षण

14.6 खान बचाव सेवाएँ :

खान बचाव केन्द्र, केन्दा के रेस्क्यू रूम विद रिफ्रेशर ट्रेनिंग (आरआरआरटी) और झांझरा व मुगमा में संचालित रेस्क्यू रूमों के जरिए ईसीएल के समस्त कोलियरियों, बीसीसीएल के चाँच विक्टोरिया क्षेत्र, इस्को के रामनगर कोलियरी के साथ-साथ सिविल प्रशासन एवं लोक प्राधिकरणों (जब कभी अपेक्षित) को जरूरत आधारित खान बचाव सेवाएँ प्रदान किए गए थें।

14.7 आकस्मिक सेवाएँ :

क्रम सं.	कोलियरी	क्षेत्र	तिथि	घटना/कार्य की प्रकृति
1.	नव काजोड़ा	काजोड़ा	14.05.2021 से 15.05.2021	अवतलन
2.	सी एम घुसिक / कालीपहाड़ी (आर)	श्रीपुर	27.06.2021 से 29.06.2021	परित्यक्त खान से मृत शरीर का प्रत्युद्धरण
3.	एमआईसी झांझरा	झांझरा	29.09.2021 से 01.10.2021	विस्तंभन पैनेल में स्वतःतापन
4.	खुदिया (कालीमाटी संस्तर)	मुगमा	03.11.2021	परिबंधन क्षेत्र का पुनरारंभन
5.	परासकोल (पूर्वी)	काजोड़ा	16.11.2021	गवेषण कार्य
6.	न्यू केन्दा	केन्दा	31.12.2021 से 20.01.2022	एक कथित गुम व्यक्ति की खोज
7.	श्रीपुर कोलियरी सं.2 परित्यक्त खान	श्रीपुर	17.01.2022	परित्यक्त खान से जीवित व्यक्ति का बचाव
8.	गोपीनाथपुर खुली खदान परियोजना	मुगमा	01.02.2022	पार्श्व पात एवं उपरि संस्तर के कारण विपाशित पाँच मृत शरीरों का प्रत्युद्धरण
9.	नव काजोड़ा	काजोड़ा	01.03.2022 से 04.03.2022	विस्तंभन पैनेल में स्वतःतापन

14.8 खान बचाव प्रशिक्षण :

खान बचाव केन्द्र में पुनश्चर्या तथा आरंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए गए थें और निम्नलिखित कर्मी को प्रशिक्षित किए गए थे :

विवरण	2021-22	2020-21
खान बचाव प्रशिक्षित कर्मी की सक्रिय संख्या	431	474
नव प्रशिक्षित कर्मी की संख्या	14	13
पुनश्चर्या व्यवहार प्रशिक्षित की संख्या	3353	2876
आपात कर्तव्य निर्वहन की संख्या	09	11

14.9 नए उपकरण / उपस्कर :

78 स्वतःपूर्ण श्वसन उपकरण (एससीबीए) की अधिप्राप्ति प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा, वर्ष के दौरान दो (02) डीजीएमएस अनुमोदित बहु-गैस संसूचक की खरीद की गई है तथा 04 की संख्या में जल शोधन खरीदा गया।

14.10 प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण :

खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) द्वारा सीतारामपुर खान बचाव केन्द्र को प्राथमिक उपचार में प्रशिक्षण करवाने और प्राथमिक उपचार प्रमाणपत्र निर्गत करने के लिए केन्द्र के रूप में मान्यता प्रदान किया गया है। करीबन साठ (60) कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया था और प्रमाणपत्र प्रदान किए गए थे।

श्रीमती पुष्पिता पंडा द्वारा सेंक्टोरिया अस्पताल, ईसीएल में प्रतीक्षालय व वाटर कूलर का उद्घाटन

15.0 सतर्कता गतिविधियाँ :

कंपनी का सतर्कता स्कन्ध प्रबंधन कृत्य की पारदर्शिता, अभेद, जबाबदेही और दक्षता को सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करती है। अनेक हितधारकों के मध्य विश्वास जागृति के लिए नाना प्रकार के साहसिक एवं प्रगत कदमों को परिगृहीत किए गए थे। कई प्रकार के व्यपगतों/अनियमितताएँ परिचिह्नित करने के लिए नानाविध परिवाद आधारित अन्वेषण संचालित किए गए थे और अपचारी पदधारियों के विरूद्ध पैनल अध्युपायों को आरंभ किए गए थे। प्रणालीगत उन्नयन इंगित करने के लिए नानाविध मामलों पर गहन परीक्षाएँ किए गए थे। और भी, सतर्कता विभाग में नियमित पर्यवेक्षण और अनुश्रवण द्वारा ईसीएल के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकीय पहलों एवं ई-सुशासन को क्रियान्वित किया गया है।

15.1 निवारणात्मक सतर्कता :

2021-22 के दौरान कंपनी के कृत्यों के सम्पूर्ण विस्तार को आवृत्त करने के लिए सतर्कता विभाग द्वारा ईसीएल के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों/इकाइयों में एक महत्वपूर्ण संख्या में औचक निरीक्षण संचालित किया गया। इसके अतिरिक्त, हिताधिकारियों की एक महत्वपूर्ण संख्याबल को आवृत करते हुए विभिन्न हितधारकों के मध्य पूरे वर्ष एक बड़ी संख्या में सतर्कता जागरूकता सह अभिप्रेरक कार्यक्रमों को आयोजित किए गए हैं। विवरण यथा निम्नवत हैं :

क्रम सं.	विषय	2021-22	2020-21
i.	सामयिक जांच-पड़ताल के साथ-साथ संचालित औचक जांच/ निरीक्षण की संख्या	69	62
ii.	सतर्कता जागरूकता सह अभिप्रेरक कार्यक्रम :		
	a)आंतरिक संकायों के साथ जागरूकता कार्यक्रम	18	21
	b)ग्राम सभा के माध्यम से जागरूकता	02	01
iii.	गहन परीक्षा	07	11

15.2 सर्वांगी उन्नयन के लिए अंगीकृत अध्युपाय :

वर्ष 2021-22 के दौरान निम्नलिखित सुव्यस्थित उन्नयनात्मक अध्युपायों को लिए गए हैं :

क. मकान किराया भत्ता (एचआरए) के सदोष भुगतान को रोकने संबंधित।
ख . ईसीएल के रोटो निर्मित फलक पम्पों की मरम्मति के लिए पुर्जो की अधिप्राप्ति।
ग . परियोजना प्रतिवेदन/योजना के लिए संयंत्र व मशीनरी (पी&एम) मदों की अधिप्राप्ति के लिए अनुमोदित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)।
घ . कर्मियों के वेतन से मकान किराया भत्ता और बिजली बिल की वसूली।
ङ . विभिन संवर्गों यथा वित्त, कार्मिक, प्रशासन, ई&एम, सिविल, सामग्री प्रबंधन, उत्खनन, खनन, प्रणाली और सर्वेक्षण के अधिशाषियों के कार्य-भार सुपुर्दगी और ग्रहण प्रतिवेदन के लिए मानक आरूप।
च . एमसीएईवडब्ल्यू के अनुपालन में अभिलेख पुस्तिका में अभिलेख के अनुरक्षण।
छ . सिविल संबद्ध भूमिगत कार्यों के लिए समान प्रकृत्ति के कार्यों का मानकीकृत परिनिश्चयन के अंगीकरण से संबंधित।
ज . ईसीएल संचार नीति, 2022 के निर्गमन से संबंधित।
झ . कार्यों और सेवाओं/अधिप्राप्ति/माल व सेवाओं से संसक्त विविध काम-काजों के लिए वित्त विभाग द्वारा प्रस्तावों की संवीक्षा से संबंधित।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में गाँधी जयंती समारोह

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा घर-घर स्वच्छता अभियान

15.3 दांडिक सतर्कता :

संगठनों के कृत्यों का उचित एवं पारदर्शी छवि स्थापित करने के साथ-साथ उसे बनाए रखने के लिए उद्देश्यपूर्ण ढंग से किए गए अनियमितताओं के दृष्टांतों को सतर्कता दृष्टिकोण रखकर बहुत गंभीरतापूर्वक विचार किया गया और सुसंगत आचरण नियम के अधीन लिए गए कठोर एवं अनुकरणीय दांडिक अध्युपायों के साथ बरता गया। वर्ष के दौरान, अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा 36 पदधारियों को चेतावनी सहित (प्रशासनिक और अभिलिखित योग्य) कई बृहद और लघु शास्तियाँ अधिनिर्णित किए गए।

15.4 प्रौद्योगिकी उद्यामन :

संगठन की पारदर्शिता एवं क्षमता में अभिवृद्धि के लिए प्रौद्योगिकी उद्यामन करने की दिशा में प्रबंधन द्वारा लिए गए निम्नलिखित पहलों का सतर्कता विभाग द्वारा अनुश्रवण किया गया :

क्रम सं.	गतिविधि	पुनरीक्षितापेक्षा सहित कुल परिमाण	वर्तमान प्रास्थिति		अतिशेष
			अधिष्ठापित/ नवप्रवर्तित	क्रियीशील/ संचालित	
1.	भूमंडलीय स्थिति निर्धारण प्रणाली (जीपीएस/जीपीआरएस) युक्त वाहन लक्ष्यानुसरण प्रणाली	1080	1017	889	63
2.	सीसीटीवी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक निगरानी	2355	1337	1198	1018
3.	बूम रोधनाका / रीडर	401	184	184	217
	आरएफआईडी टैग	12127	12127	12127	-
4.	मार्ग तोलन वेदी	140	118	110	22
	वैन के साथ मार्ग तोलन वेदी संयोजकता	113	112	112	01
	रेलवे तोलन वेदी	16	14	13	02
	वैन के साथ रेल तोलन वेदी संयोजकता	13	12	12	01
5.	बृहत् क्षेत्र जालक्रम (आसंधियों/ अवस्थितियों की संख्या)	244	241	241	03

15.5 सत्यनिष्ठा संधि कार्यक्रम का क्रियान्वयन :

सत्यनिष्ठा संधि पहले से ही प्रचलन में है।

15.6 सतर्कता जागरूकता सप्ताह का अनुपालन :

केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशानुसार दिनांक 26.10.2021 से 01.11.2021 तक ईसीएल ने सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अनुपालन का ध्येय "स्वतंत्र भारत @75 : सत्यनिष्ठा के साथ आत्मनिर्भरता" रहा। हमारे गतिविधियों के समस्त आयामों में सत्यनिष्ठा एवं पारदर्शिता लाने और जीवन के सभी आयामों में भ्रष्टाचार के उन्मूलन के निहितार्थ उदारतापूर्वक कार्य करने के लिए भी, 26.10.2021 को, सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा का प्रतिज्ञान कराया गया। इस अवसर पर, 2021 के सतर्कता सूचनापत्र, "सचेतना" एवं "संक्षिप्त संग्रह 2021" का विमोचन किया गया। दिनांक 27.10.2021 को, ईसीएल मुख्यालय में सामग्री प्रबंधन द्वारा विक्रेता समागम की गई। 28.10.2021 को, ईसीएल के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता की गई। दिनांक 29.10.2021 को, भ्रष्टाचार के दुष्प्रभावों पर नागरिकों को सुग्राहीकरण करने के निहितार्थ ग्राम पंचायतों में जागरूकता का प्रसार के लिए सोनपुर बजारी क्षेत्र के निमसा ग्राम पंचायत एवं सोदपुर क्षेत्र के चिनाकुड़ी दुर्गा पंडाल में जागरूकता ग्राम सभा आयोजित की गई और परिचर्चा के अनुवर्ती में सतर्कता विभाग के पदधारियों द्वारा अभिभाषण दिया गया। दिनांक 29.10.2021 को, ईसीएल के संविदाकारों के साथ सतर्कता एवं झांझरा क्षेत्र के पदधारियों की सक्रिय सहभागिता के साथ ईसीएल के झांझरा क्षेत्र में सहसंवाद सत्र आयोजित की गई। ईसीएल के भिन्न-भिन् क्षेत्रों में लोकहित प्रकटीकरण व मुखविर संरक्षण (पीआईडीपीआई) जागरूकता एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं के साथ-साथ विविध सतर्कता गतिविधियाँ आयोजित की गई। दिनांक 31.10.2021 को, ईसीएल के सतर्कता विभाग में सरदार वल्लभभाई पटेल की स्मृति में उनके 146 वीं जन्म वर्ष गांठ के अवसर पर सरदार वल्लभभाई पटेल को पुष्प अर्पण और सम्मान प्रकट करते हुए एक समारोह आयोजित की गई। "पीआईडीपीआई के अधीन परिवाद" पर जागरूकता सृजन एवं प्रसार के लिए एक पुस्तिका का विमोचन किया गया और उसे परिचालित किया गया। विस्तृत जागरूकता के लिए उसे ईसीएल के वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। भ्रष्टाचार-निरोधक आदर्श-वाक्य के साथ बैनरों एवं पोस्टरों को ईसीएल मुख्यालय एवं समस्त क्षेत्रों / इकाइयों / अधिस्थापनों के महत्वपूर्ण स्थलों पर प्रदर्शित किया गया। इनके अलावा, सतर्कता जागरूकता सप्ताह (वीएडब्ल्यू) 2021 में अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए, निम्नलिखित कार्रवाइयाँ की गई :

क. दिनांक 25.10.2021 को सभी अधिशाषियों (लगभग 2000) के सीयूजी मोबाइल पर थोक एसएमएस द्वारा ईसीएल के मुख्य सतर्कता अधिकारी का संदेश प्रेषित किया गया।

ख . फोटोग्राफों को ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के अधीन फेसबुक के जरिए सोशल मीडिया पर दैनंदिन अपलोड किया गया।

ग . ईसीएल के समस्त कर्मियों एवं उनके परिजनों द्वारा ई-प्रतिज्ञा ग्रहण करने प्रयोजनार्थ व्यापक प्रचार के लिए ईसीएल के समस्त क्षेत्र / विभाग / इकाई / अधिस्थापन के सभी महाप्रबंधकों / विभागीय प्रधानों को ई-मेल किया गया।

घ . ई-प्रतिज्ञा ग्रहण की सुगमता के लिए सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा के बैनर के साथ (यथा सीवीसी द्वारा प्रदत्त) एक सक्रिय लिंक ईसीएल वेबसाइट (http://easterncoal.gov.in) में रखा गया है।

ङ . मीडिया एवं स्थानीय समाचार-पत्रों द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 के दौरान की भिन्न-भिन्न गतिविधियों को समाविष्ट किया गया।

वेबसाइट जिसका समान संसाधन स्थान निर्धारक (यूआरएल) "eclvaw2021.in" है, का उपयोग जनसूचना को सत्यनिष्ठा के साथ आत्मनिर्भर बनाने के लिए कंपनी से संबंधित नानाविध नियमों एवं विनियमों पर ऑनलाइन प्रतियोगिता के प्रश्न बैंक को प्रसारित करने के लिए किया जा रहा है।

दिनांक 01.11.2021 को, सप्ताह का अनुपालन सतर्कता विभाग, बराचक हाउस के सम्मेलन कक्ष में आयोजित समापन कार्यक्रम में, ईसीएल के मुख्य सतर्कता अधिकारी पीठासीन रहे, संपन्न किया गया।

15.7 2021-22 के दौरान की प्रमुख उपलब्धियाँ :

क. सामान्य प्रबंधकीय कृत्यों के साथ सतर्कता गतिविधियों को एकीकृत कर, कंपनी जागरूकता सह अभिप्रेरण कार्यक्रमों में नियमित अन्योन्यक्रिया द्वारा कर्मियों एवं अन्य हितधारकों के मनोबल में संवर्धन के रूप में लाभांवित हुई है। यह उत्पादन और उत्पादकता में आश्चर्यजनक ढंग से प्रतिबिम्बित हो चुका है।

ख . वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान समस्त हितधारकों से यथाप्राप्त अन्योन्यक्रियाओं, परिवादों और सुझावों के आधार पर प्रबंधन को कई प्रणाली उन्नयन के सुझाव दिए गए थे, उनमें से नौ अनुमोदित और क्रियान्वित किये गए हैं।

ग . पारदर्शिता के साथ-साथ दक्षता की वृद्धि में सारगर्भित ढंग से कई सूचना प्रौद्योगिकीय पहलों के उद्यामन को साधा गया है। इसके अलावे, अधिक प्रतिस्पर्धी बोलियों के माध्यम से लागत कटौती और एक समग्र उचित कार्य संस्कृति में परिणत हुआ है।

घ . अन्वेषण और प्रतिवेदन हेतु मामलातों को निर्दिष्ट करने के लिए मुख्य सतर्कता आयोग एवं कोयला मंत्रालय के अनुपालन अभिप्रायपूर्ण ढंग से किये गए हैं।

ङ . वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान ईसीएल के सतर्कता विभाग द्वारा कृत कई आकस्मिक निरीक्षणों और सीटीई निरीक्षण के परिणामतः ₹31,41,135.50 की राशि का प्रत्युद्धरण किया गया।

26 नवंबर, 2021 को ईसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में संविधान दिवस समारोह की झलक

16.0 कर्मियों की विशिष्टियाँ :

किसी भी कर्मी को कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XIII के अधीन कंपनी (प्रबंधकीय कर्मी की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 के तहत विहित सीमा से अधिक पारिश्रमिक नहीं मिला।

17.0 राजभाषा क्रियान्वयन :

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, हिंदी पत्राचार का प्रतिशत "क" क्षेत्र में 55.62% "ख" क्षेत्र में 31.25% "ग" क्षेत्र में 55.59% अभिलिखित की गई है। राजभाषा विभाग द्वारा बांग्ला भाषा में पत्रिका नामशः "मृदंगार" का प्रकाशन आरंभ किया गया है। राजभाषा (हिंदी) की अर्धवार्षिक पत्रिका "ज्योत्स्ना" का प्रकाशन किया गया। 01 द्विभाषिक (बांग्ला व हिंदी) एवं 02 हिंदी में न्यूज बुलेटिन नामतः ईसीएल मुख्यालय से "ईसीएल दर्पण", काजोड़ा क्षेत्र से "प्रयास" एवं कुनुस्तोड़िया से "समृद्धि" प्रकाशित किया गया। 01 द्विमासिक वॉल पोस्टर "ईसीएल समाचार" नियमित रूप से प्रकाशित किया गया। वित्तीय वर्ष के सितंबर माह को संपूर्ण ईसीएल में संयुक्त रूप से 'राजभाषा माह' के रूप में मनाया गया।

हिंदी में कार्यालयीन कार्यों की सुगमता के लिए फोनेटिक एवं पारंपरिक टंकण दोनों में मुख्यालय सहित समस्त खनन क्षेत्रों के सभी कंप्यूटर यूनिकोड समर्थ हिंदी फॉन्ट में सक्रिय है। प्रत्येक विभाग के अधिकारियों एवं कर्मियों को कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है ताकि हिंदी पत्रचार में संवृद्धि में प्राप्त हो सके। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के पोर्टल पर तिमाही प्रगति रिपोर्ट (क्यूपीआर) की ऑनलाइन प्रस्तुति सुनिश्चित किए गए थे।

कवयित्री सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो नारी शक्ति को समर्पित था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 के सार को आत्मसात करने के निहितार्थ सभी कर्मियों के लिए एक सांस्कृतिक समागम का आयोजन किया गया। वर्ष के दौरान नौ हिंदी कार्यशालाएँ आयोजित किए गए थे।

ईसीएल मुख्यालय में राजभाषा माह समारोह

ईसीएल मुख्यालय, सांकतोड़िया में कवयित्री सम्मेलन

18.0 कंप्यूटरीकरण एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थ सेवाएँ :

18.1 ईसीएल में ई-निविदा प्रकोष्ठ की गतिविधियाँ :

क. वर्ष 2021-22 के दौरान, 3753 निविदाएँ सीआईएल ई-निविदा पोर्टल अर्थात् https://coalindiatenders.nic.in पर प्रकाशित की गई जिसमें से 1062 निविदाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका है, 205 निविदाएँ रद्द कर दी गई तथा शेष अंतिम रूप प्रदान करने के विविध चरणों में हैं।

ख. ई-निविदा में अंतर्ग्रस्त प्रक्रियाओं से संबंधित विविध आधुनिक सॉट्वेयर टूल्स का उपयोग क्षेत्रो/कर्मशालाओं में आंतरिक व दूरस्थ प्रशिक्षण/ सहायता की शिक्षा दी गई है।

ग. दिनांक 30.07.2021 एवं 26.11.2021 को ईसीएल के मानव संसाधन विकास विभाग में 42 नोडल अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ ईसीएल में ई-निविदा के मामले के लिए वेबिनार के जरिए संवादात्मक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

घ. वर्ष के दौरान मुख्यालय सहित भिन्न-भिन्न क्षेत्रों एवं कर्मशालों के 119 अधिकारियों के लिए अंकीय हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) की व्यवस्था किया गया है।

ङ. वर्ष 2021-22 में 134 दिनों का औसतन पर ई-निविदा पोर्सटल के जरिए निविदा की समाप्ति अवधि का औसतन चक्र अनुरक्षित किया गया है।

18.2 ईसीएल में उद्यम संसाधन आयोजना (ईआरपी) क्रियान्वयन की प्रस्थिति :

ईसीएल मुख्यालय के केन्द्रीय परिसेवक में ईआरपी अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर क्रियान्वित किया गया है। ईआरपी सॉफ्टवेयर की नानाविध माड्यूल एवं उसके क्रियान्वयन प्रास्थिति यथा निम्नवत है :

कोलनेट मॉड्यूल	क्रियान्वयन प्रास्थिति
वित्त व नियंत्रण (फिको)	जीवंत कार्य प्रणाली पूर्व में ही आरंभ कर दिया गया है और समस्त संव्यवहार केवल सैप में अभिलेखित किए जा रहे हैं। विद्यमान कोलनेट प्रणाली को दिनांक 01.08.2021 से बंद कर दिया गया है।
सामाग्री प्रबंधन (एमएम)	जीवंत कार्य प्रणाली पूर्व में ही आरंभ कर दिया गया है और समस्त संव्यवहार केवल सैप में अभिलेखित किए जा रहे हैं। विद्यमान कोलनेट प्रणाली को दिनांक 01.08.2021 से बंद कर दिया गया है।
उत्पादन योजना (पीपी)	सभी क्रियाशील खदानें पालीवार उत्पादन एवं संबद्ध प्रतिवेदन को भर रही है तथा सभी क्रियाशील संयंत्रें पी.आई. शिट के जरिए अपने उत्पादन की पुष्टि की गई है
संयंत्र अनुरक्षम (पीएम)	**उत्खनन :** कार्यक्रमावली के साथ आस्तियों के प्रधान आँकड़े का मानचित्रण किया गया है और आस्ति संख्या से युक्त उपकरण पूर्व में ही किए जा चुके हैं। अनुरक्षण आदेश, अधिसूचना, कार्य-घंटे एवं डीजल खपत से सबंधित मापन दस्तावेज की प्रविष्टि नियमित आधार पर किए जा रहे हैं। पीआर/पीओ इत्यादि तैयार किए जा रहे हैं। सभी प्रमुख उपकरणों के लिए कार्य सूची प्रणाली में अपलोड कर दी गई है और कर्मशाला में नवीनीकरण प्रक्रिया प्रणाली के माध्यम से आरंभ कर दी गई है। मुक्त प्रवाह पीआर रणनीति उत्पादन में मानचित्रित की गई है।

कोलनेट मॉड्यूल	क्रियान्वयन प्रास्थिति
	ई & एम : ईसीएल के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में निग्रह को सृजित करने, स्टॉक मदों में अधिसूचनाओं के विरूद्ध अनुरक्षण आदेश के सृजन, संयंत्र अनुरक्षण भंजित अधिसूचना के सृजन, मापक दस्तावेजों का अद्यतन जैसे जीवंत कार्य प्रणाली युक्त किया गया है। अर्धतः तैयार उत्पादों के विनिर्माण के लिए केन्द्रीय कर्मशालाओं से संबंधित पीपी माड्यूल क्रियान्वित है।
परियोजना प्रणाली (पीएस)	गो-लाइव पूर्ण किय गया है तथा परियोजना डब्ल्यूबीएस संजाल, गतिविधि का सृजन किया गया है। लागत योजना, बजट व्यवस्था एवं सभी संबंधित आँकड़े 15 चालू परियोजनाओं के प्रणाली में प्रविष्ट किए गए है।
मानव पूँजी प्रबंधन (एचसीएम)	अक्तूबर, 2021 से नवंबर, 2021 में संदाय जीवंत वेतन पत्रक सैप में आरंभ की गई है।
विक्रय व वितरण (एसडी)	संपूर्ण ईसीएल के लिए विद्युतमय रेल एवं एमजीआर की बिलिंग सैंप में आरंभ क दी गई है तथा रेल एवं एमजीआर प्रेषण प्रणाली के लिए कोलनेट के जरिए बिलिंग बंद कर दी गई है। ईसीएल के समस्त क्षेत्रों से सैप में सड़क विक्रय आरंभ की गई है तथा सड़क विक्रय के लिए कोलनेट के जरिए बिलिंग बंद कर दी गई है।

ईसीएल में ईआरपी प्रशिक्षण सत्र

19.0 इलैक्ट्रॉनिकी एवं दूरसंचार :

वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी द्वारा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के अभिवर्धन के साथ तालमेल बिठाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

¡ एमपीएलएस आभासी निजी संजाल क्लाउड में विस्तृत क्षेत्र जालक्रम (वैन) को 244 अवस्थानों में स्थापित किया गया है।

क्रम सं.	बैंड क्षमता (मेगा बिट प्रति सेकंड)	अवस्थानों का नाम	अवस्थनों की संख्या
1.	400	डीसी और डीआरसी	2
2.	100	ईसीएल मुख्यालय	1
3.	40	क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय अस्पताल, केन्द्रीय भण्डार	17
4.	10	क्षेत्रीय कर्मशालाएँ, मानव संसाधन विकास, कार्मिक एवं सतर्कता कार्यशालाएँ	5
5.	2	तोलन वेदियाँ, खदान कार्यालाएँ, खान बचाव केन्द्र, क्षेत्रीय भण्डारे	219
	कुल अवस्थानें		**244**

ii बूम रोधनाका अभिगम नियंत्रण प्रणाली आधारित आरएफआईडी सहित मार्ग तोलन वेदियों के लिए जनवरी, 2022 से ईसीएल में तोलन वेदी स्वचालन पूर्व में ही कार्यान्वित किया जा चुका है। तोलन वेदी कंप्यूटर से सद्यकाल तोलन आँकड़ा का स्वतः चित्र लेकर ईसीएल मुख्यालय के सैप परिसेवक एवं आरएफआईडी परिसेवक तक ऑनलाइन तुल्यकालन पूर्व में ही क्रियान्वित किया जा चुका है।

iii ईसेल के समस्त क्षेत्रों में आंतरिक कोयला वहन वाहन लक्ष्यानुसरण के लिए भूमंडलीय स्थिति निर्धारण प्रणाली (जीपीएस) आधारित वाहन लक्ष्यानुसरण प्रणाली संक्रियाशील है।

iv उद्यम संसाधन आयोजना (ईआरपी) अनुप्रयोगों के प्रभावी प्रकार्य के प्रयोजनार्थ ईसीएल के सांकतोड़िया अस्पताल एवं केन्द्रीय अस्पताल में एक नूतन स्थानीय क्षेत्र जालक्रम (लैन) अवसंरचना स्थापित की गई है।

v ईसीएल मुख्यालय में (100 मेगा बिट प्रति सेकंड) एवं ईसीएल के सभी 14 खनन क्षेत्रों में (4 मेगा बिट प्रति सेकंड) संक्रियाशील हैं।

vi उपलब्ध संचार सेवाओं में भूमिगत खदानों में स्वतः-सह-हस्तचालित भार ढुलाई संचार प्रणाली, खुली खदान परियोजनाओं में वीएचएफ रेडियो संचार प्रणाली के जरिए खदान संचार और सभी महत्त्वपूर्ण मोबाइल संचार के लिए सीयूजी मोबाइल संसंग/संयोजन सम्मिलित है।

20.0 भूमि अधिग्रहण एवं भूमि सूचना स्थिति :

20.1 भूमि अधिग्रहण की स्थिति :

वर्ष 2021-22 के लिए नानाविध प्रकारों के अधीन भूमि अधिग्रहण / दखल दियानी की स्थिति यथा निम्नवत है :

अधिग्रहण का प्रकार	अधिगृहीत (हेक्टेयर में)	दखल दियानी (हेक्टेयर में)
काश्तकारी भूमि का प्रत्यक्ष क्रय	176.103	176.103
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम / भूमि अधिग्रहण अधिनियम	Nil	322.930
कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन व विकास) अधिनियम	174.440	58.833
सरकारी भूमि का स्थानांतरण	5.460	5.460
वन भूमि का स्थानांतरण	124.280	Nil
कुल	**480.283**	**563.326**

20.2 भूमि पर दखल दियानी के एवज में प्रदत्त नियोजन :

राज्य	नियोजनों की संख्या
पश्चिम बंगाल	196
झारखण्ड	41
कुल	**237**

कंपनी के अधिवर्षिता प्राप्त कर्मियों की सेवानिवृत्ति कार्यक्रम

21.0 सुरक्षा प्रबंधन :

सुरक्षा विभाग का ध्येय कंपनी के लोगों और सामग्री को संरक्षित करना है। कंपनी के पास सुरक्षा गठन के चार प्रकार है :

1.ईसीएल सुरक्षा	- 2342 कर्मी .
2.कें.औ.सु.ब.	- 924 कर्मी .
3.संविदात्मक सुरक्षा	- 1431 कर्मी .
4.होमगार्ड	- 190 कर्मी .

21.1 विभागीय सुरक्षा :

विभागीय सुरक्षा का प्राथमिक कर्तव्य कंपनी की संपत्ति अर्थात स्टोर, कार्यालय, विस्फोटक पत्रिकाएं, कोयला डिपो/साइडिंग, कालोनियों और प्रबंधन द्वारा आवश्यक होने पर वीआईपी के अनुरक्षण की रक्षा करना है। लोडेड रेलवे रेक, टिपिंग ट्रक/डम्पर को कोल डिपो/साइडिंग से रेलवे तौल पुलों तक तौल होने तक एस्कॉर्ट करना। साथ ही स्थानीय पुलिस के साथ सुरक्षा कर्मियों, सीआईएसएफ द्वारा दी गई सूचना और खुफिया इनपुट के अनुसार छापेमारी करें, इसमें शामिल ट्रकों / वाहनों और बदमाशों को पकड़ने के लिए कोयले की जब्ती करें। ऐसे व्यक्तियों को स्थानीय पुलिस को सौंपें और प्राथमिकी दर्ज करें। उन्हें हड़ताल/घेराव/प्रदर्शन/भूख हड़ताल के समय और कमांड क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था की समस्या के दौरान भी तैनात किया जाता है।

21.2 संविदात्मक सुरक्षा :

सुरक्षा व्यवस्थाओं के संवर्धन के लिए विभागीय सुरक्षा के साथ संविदात्मक सुरक्षा कर्मियों को अभिनियोजित किया जाता था।

21.3 केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (के.औ.सु.ब.) :

राजमहल, सोनपुर बजारी, एस.पी. माइंस में स्थायी दायित्व के लिए के.औ.सु.ब. अभिनियोजित किया गया है। इसके अलावे मुगमा, सलानपुर, श्रीपुर, कुनुस्तोड़िया, पांडवेश्वर, कालीदासपुर और सतग्राम क्षेत्र में उनके शिविर हैं। वे अवैध खनन, कोयले की अवैध तस्करी और अवैध कोयला डिपो के विरूद्ध छापेमारी करने के लिए मोबाइल ड्यूटी पर रहते हैं तथा कोलियरी/ क्षेत्र में हड़ताल/ घेराव के दौरान भी अभिनियोजित किए जाते हैं।

21.4 होमगार्ड :

विभागीय सुरक्षा के साथ-साथ होम गार्डों को अभिनियोजित किए जाते थें।

21.5 ईसीएल में सुरक्षा के पुनर्निर्माण हेतु परिगृहीत कदम :

क. सीआईएसएफ की भावी अभिनियोजन के लिए पुनःसर्वेक्षण प्रक्रियाधीन है।

ख. रेलवे पार्श्वस्थल पर सीसीटीवी और अन्य मशीनें जैसे आरएफआईडी और बूम रोधनाका के संस्थापन के लिए अभिकरणों से संपर्क किया गया है।

ग. ईसीएल में बायो-मैट्रिक उपस्थिति प्रणाली संस्थापित किया गया है।

घ. स्थानीय पुलिस थानों से अभिगृहीत कोयले के संग्रहण के लिए एक क्रियाविधि सुनियोजित की गई है। ईसीएल ने विभिन्न पुलिस थानों से अभिगृहीत कोयले प्राप्ति की है।

ङ. के.औ.सु.ब. के सहयोग से 664 नवचयनित सुरक्षा कर्मियों के प्रवेशन के लिए दो चरणों में प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

21.6 अवैध खनन/ कोयले का परिवहन / कोयले की चोरी के जाँच पड़ताल / रोकथाम के लिए परिगृहीत कदम :

क. आसूचना संग्रहण।

ख. ट्रकों जो उनके खदानों से वैध कोयला ले रहा है, के लिए विक्रय विभाग को होलोग्राम निर्गत करना। यह बर्दवान (पूर्व) और बर्दवान (पश्चिम) जिलों की स्थानीय पुलिस को भी प्रज्ञापित किया जाता है और किसी ऐसे ट्रक के मामले में जिसमें ईसीएल का होलोग्राम या ईसीएल का संदिग्ध होलोग्राम ईसीएल सुरक्षा/स्थानीय पुलिस द्वारा जांचा गया है, उनके विरूद्ध आवश्यक विभागीय/विधिक कार्यवाहियाँ आरंभ की जाती है।

ग. कोयला परिवहन का जीपीएस/जीपीआरएस आधारित वाहन लक्ष्यानुसरण प्रणाली प्रयोग में है।

घ. कोयला खान शीर्ष, कोयले की ढेर, कोयला स्थलों के तोलन वेदी, परिवहन के प्रवेश और निकास केंद्र पर सीसीटीवी का संस्थापन।

ङ. वीटीएस से जुड़ने वाले इलेक्ट्रॉनिक तोलन वेदी और चलायमान तोलन वेदी का संस्थापन।

च. कोयला परिवहन मार्ग पर कुछ सशंकित स्थलों की पहचान की गई है जहां ईसीएल सुरक्षा, के.औ.सु.ब. और स्थानीय पुलिस द्वारा नियमित गश्ती की जाती है।

छ. खनन प्रहरी अनुप्रयोग व्यवहृत की जा रही है।

श्री संजय कुमार साहू, महाप्रबंधक (बांकोला), ईसीएल को 1 नवंबर, 2021 को
'ईसीएल का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र जीएम पुरस्कार' सम्मानित किया गया।

श्री रामबाबू पाठक, कंपनी सचिव, ईसीएल को 1 नवंबर, 2021 को
'ईसीएल का सर्वश्रेष्ठ एचओडी पुरस्कार' सम्मानित किया गया।

ज .पुलिस के साथ-साथ के.औ.सु.ब. एवं विभागीय सुरक्षा कर्मी द्वारा औचक जांच/छापा किया गया है और अवैध कोयले का अभिग्रहण / अंतर्ग्रस्त वाहनों के साथ-साथ कोयले की अवैध तस्करी एवं बदमाशों की गिरफ्तारी और तत्पश्चात उन्हें स्थानीय पुलिस स्टेशन को सौंपना।

झ. अवैध खनन व कोयला चोरी नियंत्रण के लिए पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य प्राधिकरणों के साथ बैठक और जिला प्राधिकरणों के साथ जिला स्तरीय बैठक (पश्चिम बंगाल के बर्द्धवान, बांकुड़ा, पुरुलिया और बीरभूम और झारखंड का संयुक्त जिला स्तरीय बैठक) करना।

ञ .कोयला चोरी के मुद्दों में धर-पकड़ करने के लिए एक समर्पित कृतिक बल का गठन किया गया है।

ट . के.औ.सु.ब. अधिकारियों के साथ क्षेत्रीय महाप्रबंधक, क्षेत्रीय सर्वेक्षण अधिकारी, क्षेत्रीय सुरक्षा अधिकारी से बने क्षेत्रीय दल द्वारा प्रभावित स्थलों का बारम्बार निरीक्षण किया जाता है और तदनुसार नियमित रूप से के.औ.सु.ब. के समादेष्टा कार्यालय में बैठकें आयोजित की जाती हैं।

ठ . न्यायालय में लंबित उन मामलातों के तार्किक निष्कर्ष के लिए, ईसीएल ने उन मामलातों के अनुसरण करने के लिए अधिवक्ता को नियुक्त किया है।

ड . आसनसोल की निचली अदालत और सत्र न्यायालय में लंबित मामलातों की त्वरित सुनवाई के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए भी लोक अभियोजक के साथ परिचर्चा की गई है।

ढ . विभागीय सुरक्षा कर्मी ने कोयले की चोरी को रोकने के लिए के.औ.सु.ब. कर्मियों/निजी सुरक्षा कर्मी के साथ औचक जांच पड़ताल/ छापेमारी की। जांच पड़ताल/छापे के दौरान, उन्होंने कोयले का अभिग्रहण किया, बदमाशों को गिरफ्तार किया और स्थानीय पुलिस थानों में प्राथमिकी दर्ज की गई।

21.7 कोयले की चोरी के रोकथाम के लिए प्रौद्योगिकी मध्यक्षेप :

क. शिकायतकर्ता की पहचान को गुप्त रखते हुए अवैध खनन की किसी भी घटना की रिपोर्ट करने के निहितार्थ आमजनों की सुगम्यता के लिए खनन प्रहरी अनुप्रयोग का लोकार्पण किया गया है।

ख .समस्त क्षेत्रों में प्रवर्तित जीपीएस आधारित वाहन अनुश्रवण प्रणाली कोयले की चोरी को रोकने के लिए एक कदम है।

ग . निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए प्रत्येक रेलवे पर्श्वस्थल एवं अन्य संवेदनशील अवस्थानों पर सीसीटीवी कैमरों का स्थापन किए गए हैं।

घ . वाहन का जीवंत लक्ष्यानुसरण के लिए कोयला परिवहन वाहन में वीटीएमएस प्रणाली समर्थ जीपीएस लगाया गया है।

21.8 वर्ष के दौरान विभागीय सुरक्षा कर्मियों, के.औ.सु.ब. एवं स्थानीय पुलिस द्वारा अवैध खनित कोयले के अभिग्रहण का विवरण:

वर्ष	राज्य	छापों की संख्या	अभिगृहीत कोयला (टन)	अभिगृहीत वाहन	गिरफ्तार व्यक्ति	प्राथमिकी दर्ज
अवैध तस्करी से कोयले का अभिग्रहण						
2021-22	पश्चिम बंगाल	2124	9840.32	66	58	667
	झारखण्ड	851	5245.72	19	14	77
	कुल	2975	15086.04	85	72	744
2020-21	कुल	1933	14553.99	59	26	461
	अंतर	1042	532.05	26	46	283
ईसीएल सुरक्षा कर्मी, के.औ.सु.ब. एवं स्थानीय पुलिस द्वारा अवैध खनित कोयले का अभिग्रहण						
2021-22	पश्चिम बंगाल	132	13.19	-	-	36
	झारखण्ड	66	123.42	01	03	31
	कुल	198	136.61	01	03	67
2020-21	कुल	254	789.64	01	03	246
	अंतर	-56	-653.03	-	-	-179

उपरि वर्णित आँकड़े, कोलियरी परिसर के बाहर, पुलिस के साथ-साथ के.औ.सु.ब. एवं ईसीएल सुरक्षा कर्मी द्वारा अभिगृहीत है। ट्रकें या तो अवैध खनन स्थलों से या अवैध तस्करी/अवैध कोयला स्टॉक से उक्त कोयला ले जा रहे थे। अवैध खनन स्थलों को बंद करने/सीलबंद करने/भरने के दौरान के.औ.सु.ब. और स्थानीय पुलिस के साथ ईसीएल सुरक्षा कर्मी को पट्टाधृति क्षेत्र के अंदर और बाहर बंद करने के स्थान पर भी अभिनियोजन किया जाता है। वर्ष के दौरान, अवैध कोयला खनन एवं कोयले के मूषण के खतरों को रोकने के लिए 1310 स्थानों को बंद/सीलबंद किया गया है। राज्य प्रशासन अवैध कोयला खनन एवं कोयले के मूषण के खतरों को रोकने के लिए सक्रिय रूप से अंतर्ग्रस्त है।

ईसीएल में सुरक्षा गार्डों का अभिनंदन

अवैध खनन स्थलों को बंद करने/सीलबंद करने/भरने के दौरान के.औ.सु.ब. एवं स्थानीय पुलिस के साथ-साथ ईसीएल सुरक्षा कर्मियों को पट्टाधृति क्षेत्रों के अंदर एवं बाहर बंद करने वाले स्थान पर भी अभिनियोजित किया जाता है। वर्ष 2021-22 के दौरान, अवैध कोयला खनन को रोकने के लिए ₹0.31 लाख के व्यय पर पश्चिम बंगाल में 878 स्थलों एवं झारखण्ड में 432 स्थलों में 881.34 लाख घनमीटर कोयला बंद/सीलबंद किया गया है और पश्चिम बंगाल व झारखण्ड के स्थानीय पुलिस स्टेशन को क्रमशः 44 स्थलों एवं 38 स्थलों के लिए अवैध कोयला खनन बंद करने/सीलबंद करने/भरने की सूचनाएँ प्रेषित किए गए हैं। राज्य प्रशासन अवैध कोयला खनन एवं कोयले के मूषण के खतरों को रोकने के लिए सक्रिय रूप से अंतर्ग्रस्त है।

21.9 अवैध कोयला तस्करी का अभिग्रहण :

वर्ष	2021-22	2020-21	अंतर
छापों की संख्या	2975	1933	1042
प्राथमिकी दर्ज की संख्या	744	461	283
अभिगृहीत कोयला परिमाण (मैट्रिक टन)	15086.04	14553.99	532.05
अभिगृहीत वाहन की संख्या	85	59	26
गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	72	26	46

21.10 अवैध खनन स्थलों से अभिग्रहण :

वर्ष	2021-22	2020-21	अंतर
छापों की संख्या	198	254	-56
प्राथमिकी दर्ज की संख्या	67	246	-179
अभिगृहीत कोयला परिमाण (मैट्रिक टन)	136.61	789.64	-653.03
अभिगृहीत वाहन की संख्या	01	01	-
गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	03	03	-

21.11 अन्य सामग्रियों की चोरी/प्रत्युद्धरण :

वर्ष	2021-22	2020-21	अंतर
घटनाओं की संख्या	120	123	-03
प्राथमिकी दर्ज / सूचनाओं की संख्या	82	83	-01
चोरी की गई संपत्ति (₹ में)	35,59,123.00	37,25,180.77	-1,66,057.77
प्रत्युद्धरित संपत्ति (₹ में)	2,10,000.00	5,500.00	2,04,500.00
गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	06	05	01

22.0 निगमित सुशासन :

निगमित शासन एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य अंशधारकों की आकांक्षों एवं सामाजिक प्रत्याशाओं को पूर्ण करना है। यह एक प्रतिबद्धता है जो संगठन के संघटकों के मध्य अंशधारकों के मान को अतिशय, कार्य-पद्धति में पारदर्शिता, मान्यताएँ एवं पारस्परिक विश्वसनीयता के मौलिक विश्वास द्वारा समर्थित है। निगमित सुशासन एक संस्कृति है जो अंशधारकों के सर्वोत्तम हित के लिए निदेशक मण्डल, प्रबंधन और कर्मियों का मार्ग-दर्शन करती है। यह तत्वतः रचनात्मक, उत्पादक और सकारात्मक वैचारिक गतिविधियों को अंतर्वलित करती है जो विभिन्न हितधारकों के मान को बढ़ाती है जो निगमित इकाई के अन्त्य ग्राहकों सदृश व्यवहृत की जाती है।

आपकी कंपनी परिचालन के समस्त क्षेत्रों में पारदर्शिता, निष्कपटता, जबाबदेही, और औचित्यता के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने, हितधारकों के मूल्यों में संवृद्धि के प्राथमिक उद्देश्य के साथ अपने समस्त हितधारकों के आकांक्षों को पूर्ण करने, समस्त हितधारकों को सारी तात्विक सूचना का ससमय और संतुलित प्रकटीकरण एवं उनके हितों के रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी ने जोखिमों के शमन करने और नीतिगत क्रियान्वयन में प्रबंधन को अन्वेक्षा और मार्गदर्शन प्रदान करने के उद्देश्य से सही भाषा एवं भाव की दृष्टि से भूमि कानूनों, नियमों एवं विनियमों के अनुपालन करने के लिए एक आंतरिक नियंत्रण की एक सुदृढ़ प्रणाली स्थापित की है।

आपकी कंपनी का निगमित सुशासन पर एक रिपोर्ट **उपाबंध-VI** में संलग्न किया जाता है और इस रिपोर्ट के **उपाबंध-VII** में 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आपकी कंपनी द्वारा निगमित सुशासन के दशाओं के अनुपालन से संबंधित संपरीक्षकों से एक प्रमाणन भी संलग्न किया जाता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 के अनुसरण में वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी का वार्षिक विवरणी हमारे वेबसाइट पर उपलब्ध है। लिंक - **http://www.easterncoal.gov.in/ARECL21-22.pdf**

सोनपुर बाजारी, ईसीएल में ड्रैगलाइन प्रचालन में है

23.0 निदेशकगण का उत्तरदायित्व कथन :

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उपधारा (5) के अनुसरण में कंपनी के निदेशक मण्डल एतदद्वारा अभिव्यक्त और पुष्टि करते हैं कि :

क. 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा के निर्मिति में, तात्विक विचलनों से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ समस्त प्रयोज्य भारतीय लेखांकन मानकों का अनुसरण किया गया है;

ख . निदेशकगणों ने ऐसे लेखांकन नीतियों का चयन और उसे सतत लागू किया था तथा निर्णय एवं प्राक्कलनों किए थे जो युक्तियुक्त एवं प्रज्ञायुक्त है ताकि वित्तीय वर्ष के अंतिम में कंपनी के मामलों की दशाओं एवं उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ/हानि का सत्य एवं पारदर्शी रूप प्रदान किया जा सके;

ग . निदेशकगणों ने कंपनी की आस्तियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा कपट और अन्य अनियमितताओं के निवारण एवं पता लगाने के निमित्त कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों के अनुरक्षण के लिए उचित एवं पर्याप्त देखभाल की थी।

घ . निदेशकगणों ने चालू समुत्थान आधारित वार्षिक लेखा निर्मिति की थी;

ङ . निदेशकगणों ने कंपनी द्वारा अनुसरण किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अभिकथित किए थे और यह कि ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त है तथा प्रभावी ढ़ंग से कार्य कर रहे थे और

च . निदेशकगणों ने सभी प्रयोज्य विधियों के प्रावधानों के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली की योजना बनाई थी और यह कि ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त एवं प्रभावी ढ़ंग से कार्य कर रही थीं।

23.0 निदेशकगण का उत्तरदायित्व कथन :

अधिमूल्यन की भावना के साथ आपके निदेशकगण समय-समय पर भारत सरकार मुख्यतः कोयला मंत्रालय, पर्यवारण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, पश्चिम बंगाल एवं झारखण्ड राज्य सरकार, कोल इंडिया लिमिटेड, विनिमयकारी व कानूनी निकायों से प्राप्त सहयोग की अभिस्वीकृति करते हैं।

आपके निदेशकगण ग्राहकों के समर्थन, विश्वास एवं प्रतिश्रय की प्रशंसा करते हैं। आपके निदेशकगण कंपनी के परियोजनाओं एवं खनन परिचालनों के निष्पादन में परामर्शियों, विक्रेताओं, संविदाकर्ताओं इत्यादि के योगदान की भी प्रशंसा करते हैं।

सांविधिक लेखापरीक्षकों, लागत लेखापरीक्षकों, सचिवालयिक लेखापरीक्षकों, कर लेखापरीक्षकों, बैंकरों, कंपनियों के रजिस्ट्रार (पश्चिम बंगाल) और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षकों से प्राप्त मूल्यवान सुझावों की अभिस्वीकृति करते हैं।

आपके निदेशकगण कंपनी के कार्य-निष्पादन प्रदर्शन में कर्मियों के सम्मिलित प्रयासों एवं श्रमिक संगठनों के उदार समर्थन के लिए आपना आभार व्यक्त करना चाहेंगे।

25.0 अनुशेष

प्रतिवेदन में निम्निलिखित कागजात उपाबंधित किए जाते हैं :

i भारत का नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टीका-टिप्पणी एवं प्रबंधन उत्तर।

ii सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट।

iii कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) का अनुसरण कर व्यवसायतः कंपनी सचिव द्वारा प्रदत्त फॉर्म सं. एमआर-3 में सचिवालीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन **(उपाबंध-VIII)**।

iv विदेशी मुद्रा उपार्जन एवं व्यय **(उपाबंध- IX)**।

v कंपनी के अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के बाबत ब्यौरे **(उपाबंध-X)**।

vi कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 की उपधारा (6) के अधीन कंपनी के अंशकालिक पदीय निदेशकों द्वारा स्वावलंबन की घोषणा यथा **उपाबंध-XI** परिवेष्ठित किया गया है।

vii वर्ष 2021-22 के लिए एमओयू लक्ष्य की उपलब्धि की स्थिति **(उपाबंध-XII)**।

निदेशक मंडल के निमित्त और उसकी ओर से

(अंबिका प्रसाद पंडा)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 06664375

दिनांक : 27 जुलाई, 2022
स्थान : सांकतोड़िया

उपाबंध-1

3.2. 31 मार्च, 2022 तक की ईसीएल के कमान क्षेत्र में कार्यान्वयन किए गए अनुसंधान और विकास परियोजनाओं की प्रास्थिति :

क्रम सं.	कोड के साथ परियोजना का नाम	वित्तीय परिव्यय (₹ लाख में)	प्रारंभ होने की तिथि	पूर्णता की पुनरीक्षित/ अधिसूचित तिथि	प्रगामी संवितरण (₹ लाख में)	प्रास्थिति
1.	भूमिगत विपाशित खनित्र अवस्थान प्रणाली **परियोजना कोड :** सीआईएल/आर&डी/1/35/10 **कार्यान्वयन अभिकरणे :** टीसीएस, सीएमसी एवं सीएमपीडीआईएल (एमई), राँची	507.45 सीएमपीडी आईएल – 36.98 टीसीएस/ सीएमसी – 470.47	15 जनवरी, 2010	31 अगस्त, 2021	447.86 सीएमपीडीआईएल – 28.86 टीसीएस/सीएमसी – 419.00	शीर्षस्थ समिति ने 25.11.2021 को आयोजित अपनी बैठक में स्वीकृति के लिए सीआईएल के अनुसंधान व विकास बोर्ड को परियोजना के पुरोबंध की सिफारिश करने पर सहमति व्यक्त की। समिति ने परियोजना प्रस्तावक को तीन (03) सप्ताह के भीतर व्यापक पुरोबंध प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की सिफारिश दी, जिसमें विहित प्रारूपों में अंतिम लेखापरीक्षित व्यय विवरण के साथ अब तक कृत कार्यों का विवरण सम्मिलित है और शीघ्रतम पर अव्ययित राशि को ब्याज के साथ वापस करना है।
2.	खान आकस्मिक निष्क्रमण एवं पुनःप्रवेश क्रमाचार आधारित जोखिम समावेशित भारतीय कोयले का विस्फोटनता के जोखिम मूल्यांकन एवं निर्धारण द्वारा विस्फोटक जोखिम की रोकथाम एवं अल्पीकरण हेतु दिशानिर्देश का विकास। **परियोजना कोड :** सीआईएल/आर&डी/1/60/2016 **कार्यान्वयन अभिकरणे :** आईआईटी-आईएसएम, धनबाद; सीआईएमएफआर, धनबाद; एस&आर प्रभाग; सीआईएल मुख्यालय, कोलकाता; एसआईएमटीओआरएस, ऑस्ट्रेलिया एवं एनआईईआर, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कैसल, ऑस्ट्रेलिया	2413.21 आईआईटी-आईएसएम, धनबाद – 1617.07 सीआईएमएफआर, धनबाद – 796.14	15 अप्रैल, 2016	14 अप्रैल, 2022	2267.76 आईआईटी-आईएसएम, धनबाद – 1510.00 सीआईएमएफआर, धनबाद – 757.76	भारतीय कोयला खदानों में आपात के दौरान या पश्चात मौजूदा खदान प्रविष्टि और पुन: प्रवेश प्रथाओं में अंतराल की पहचान के लिए जोखिम मूल्यांकन आईआईटी-आईएसएम, धनबाद में प्रगति पर है। कोयला दहन व्यवहार जानने के लिए एकत्रित कोयले के नमूनों के आंतरिक गुणों और शैलवर्गिक निरूपण का प्रयोगशाला विश्लेषण प्रारंभ किया गया है। कोयला चूर्ण विस्फोटन के अनुकरण और 30 मीटर लंबे संचरण ट्यूब में भिन्न-भिन्न निष्क्रिय अभिकरणों के प्रभाव का अध्यनन नही किया जा सका क्योंकि एसआईएमटीएआरएस, ऑस्ट्रेलिया ने क्वींसलैंड सरकार की नीति के स्थानांतरण के कारण संचरण ट्यूब की आपूर्ति करने में असमर्थता व्यक्त की। स्वत:स्फूर्त दहन प्रयोगशाला की स्थापना के लिए तीन उपकरण अर्थात माइक्रो गैस क्रोमैटोग्राफ, आर-70 सूचकांक के लिए स्थापन और कोयले के प्रतिमानों के गैस प्रस्फुटन लक्षण, जिसके लिए आईआईटी-आईएसएम, धनबाद द्वारा पूर्व में अधिप्राप्ति आदेश प्रस्तुत किया गया था को नवंबर, 2019 में आईआईटी-आईएसएम, धनबाद को परिदान किए गए हैं। उपर्युक्त उपस्करों की अधिस्थापना का कार्य पूरा कर लिया गया है। आईआईटी-आईएसएम, धनबाद ने ऑस्ट्रेलिया के न्यू कैसल विश्वविद्यालय से संपर्क किया है और उन्होंने इस परियोजना के साथ जुड़ने की सहमति दी है। यूओएन के साथ शीघ्र ही अंतिम करार पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। करार पर हस्ताक्षर के पश्चात 50 मीटर विस्फोट कत्तल की अधिप्राप्ति का आदेश प्रस्तुत किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया से उपस्करों की आपूर्ति में देरी के कारण उपर्युक्त परियोजना के परियोजना निष्पादन में देरी हुई।

क्रम सं.	कोड के साथ परियोजना का नाम	वित्तीय परिव्यय (₹ लाख में)	प्रारंभ होने की तिथि	पूर्णता की पुनरीक्षित/ अधिसूचित तिथि	प्रगामी संवितरण (₹ लाख में)	प्रास्थिति
3.	पुँजोत्पादन तकनीक के लिए खान में वायु की आवश्यकता **परियोजना कोड :** सीआईएल/आर एवं डी/1/63/2016 **कार्यान्वयन अभिकरणे :** यूएमडी, सीएमपीडीआईएल (मुख्यालय), राँची	491.27	1 नवंबर, 2016	30 सितंबर, 2021	232.38	पूर्ण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।
4.	कोयला खानों में सुरक्षा एवं उत्पादकता के संवर्धन के लिए आभासी यथार्थ खान अनुकारी (वीआरएमएस) का विकास। **परियोजना कोड :** सीआईएल/आर एवं डी/1/67/2017 **कार्यान्वयन अभिकरणे :** आईआईटी-आईएसएम, धनबाद; एस&आर विभाग, सीआईएल; ईसीएल; सीएमपीडीआईएल (एमई), राँची; एनसीएल एवं एसएमआई-जेकेटेक पार्टी लि., यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैण्ड, ऑस्ट्रेलिया	1410.40 आईआईटी-आईएसएम, धनबाद - 1320.40 सीएमपीडी आईएल, राँची – 90.00	1 सितंबर, 2017	31 मई, 2022	1285.28 आईआईटी-आईएसएम, धनबाद -1250.00 सीएमपीडीआईएल, राँची – 35.28	आईआईटी-आईएसएम, धनबाद की तकनीकी विशेषज्ञ समिति (टीईसी) ने एसएमआई-जेके टेक प्रा. लि. के पुनरीक्षित प्रस्ताव की विवीक्षा/विधिक्षा किया है और कुल प्रणाली की अधिप्राप्ति के लिए आईआईटी-आईएसएम, धनबाद द्वारा शीघ्र ही आदेश दिए जाने की प्रत्याशा है।
5.	कोयला खानों में सुरक्षा एवं उत्पादकता के संवर्धन के लिए आभासी यथार्थ खान अनुकारी (वीआरएमएस) का विकास। **परियोजना कोड :** सीआईएल/आर एवं डी/1/67/2017 **कार्यान्वयन अभिकरणे :** आईआईटी-आईएसएम, धनबाद; एस&आर विभाग, सीआईएल; ईसीएल; सीएमपीडीआईएल (एमई), राँची; एनसीएल एवं एसएमआई-जेकेटेक पार्टी लि., यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैण्ड, ऑस्ट्रेलिया	75.30 बीआईटी, मेसरा - 75.30	1 मई, 2018	31 जनवरी, 2022	64.00 बीआईटी, मेसरा – 64.00	पूर्ण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।
6.	चल मशीनरी का लागत दक्ष सुरक्षित संक्रिया के लिए सद्यकाल पुर्वानुमान प्रणाली (आरटीपीएस) के विकास व अंगीकरण : डम्पर काफिला का शोकेस प्रदर्शन। **परियोजना कोड :** सीआईएल/आर एवं डी/1/71/2019	440.30 आईआईटी, खड़गपुर – 180.36; सीआईएमएफ आर, धनबाद – 180.00	16 दिसंबर, 2019	सितंबर, 2022	300.00 आईआईटी, खड़गपुर – 130.00 सीआईएम एफआर, धनबाद – 130.00 एलटीयू, स्वीडन – 40.00	इस परियोजना के अधीन, आरटीपीएस की सामान्य संरचना को चार प्रमुख प्रतिरूप के साथ निरूपित किया गया है और परियोजना दल ने सोनपुर बाजारी खुली खदान परियोजना, ईसीएल का सर्वेक्षण किया है और खान हाविस सड़क मार्ग के आंकड़े एकत्र किया है जो डम्पर काफिला के प्रदर्शन को प्रभावित करता है। दो चयनित डंपरों के ब्रेकडाउन आँकड़े का विश्लेषण किया गया है

क्रम सं.	कोड के साथ परियोजना का नाम	वित्तीय परिव्यय (₹ लाख में)	प्रारंभ होने की तिथि	पूर्णता की पुनरीक्षित/ अधिसूचित तिथि	प्रगामी संवितरण (₹ लाख में)	प्रास्थिति
	कार्यान्वयन अभिकरणे : आईआईटी, खड़गपुर; सीआईएमएफआर, धनबाद; लुलेया टेकनोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, स्वीडन एवं ईसीएल सांकतोड़िया	एलटीयू, स्वीडन – 79.94				और फील्ड परिनियोजन के लिए संवेदनग्राही और आँकड़ा प्रचालेख निरूपित किए जा रहे हैं और शेष उपभोगजन्य काल (आरयूएल) की भविष्यवाणी करने के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है।
7.	भूमिगत कोयला खानों में संवातन पंखा वायु विद्युत पुनःप्राप्ति प्रणाली यथा विद्युत उर्जा के वैकल्पिक स्रोत का अभिकल्प एवं नियोजन। परियोजना कोड : सीआईएल/आर एवं डी/4/12/2021 कार्यान्वयन अभिकरणे : आईआईटी-आईएसएम, धनबाद एवं ईसीएल, सांकतोड़िया	66.07 आरईआईटी-आईएसएम – 66.07	10 फरवरी, 2021	9 फरवरी, 2024	35.00 आईआईटी-आईएसएम, धनबाद – 35.00	जेआरएफ की भर्ती पूरी हो चुकी है। विशेषज्ञों की एक टीम ने मुगमा खान, ईसीएल का दौरा किया और ईसीएल अधिकारियों की मदद से प्रारंभिक सर्वेक्षण, मूल्यांकन, तकनीकी और आयामी मापन का कार्य-निष्पादन किया। संवातन पंखे के निर्गम के भिन्न-भिन्न बिंदुओं पर वायु प्रवाह, वेग को मापन किया गया है। स्थल-विशिष्ट आँकड़ों के आधार पर प्रणाली के सभी घटकों के विनिर्देश विनिर्मित करने से संबंधित प्रारंभिक कार्य पूरा कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त, मुख्य प्रणाली की अधिप्राप्ति प्रक्रियाधीन है (एनआईटी निर्गत, तकनीकी बोली खोली गई)। विद्यमान अनुकरण सॉफ्टवेयर के साथ अभिकलनात्मक द्रव्य गतिक (सीएफडी) विश्लेषण प्रगति पर है। हाल ही में परियोजना आरंभ की गई है और साहित्य समीक्षा प्रगति पर है।
8.	भूमिगत कोयला खानों में प्रयुक्त चानक तल बफर के लिए पाती जाँच प्रसुविधा का अभिकल्प व विकास। परियोजना कोड : सीआईएल/आर एवं डी/1/74/2021 कार्यान्वयन अभिकरणे : सीएमईआरआई, दुर्गापुर एवं ईसीएल, सांकतोड़िया	248.61 सीएमईआर आई, दुर्गापुर – 248.61	10 फरवरी, 2021	9 फरवरी, 2023	130.00 सीएमईआरई, दुर्गापुर – 130.00	साहित्य सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और परियोजना सहायकों की भर्ती का कार्य प्रगति पर है। कार्यशील कुंडलक के अवधारणा विकास के लिए बांसड़ा कोलियरी का दौरा किया गया है और उसके आधार पर एक संप्रत्यय प्रतिरूप विकसित किया गया है। इसके अतिरिक्त, उपस्करों की अधिप्राप्ति का कार्य प्रगति पर है और शेड आर्किटेक्चर अभिकल्प आरंभ किया गया है।
9.	खनि प्रवणता प्रास्थिति अनुश्रवण के लिए सद्यकाल ऊर्जा दक्षता साइबर-भौतिक आसूचना प्रणाली। परियोजना कोड : सीआईएल/आर एवं डी/1/77/2022 कार्यान्वयन अभिकरणे : आईआईटी-आईएसएम, धनबाद; सीएमपीडीआईएल एवं ईसीएल	263.75 आईआईटी-आईएसएम – 238.97 सीएमपीडीआईएल – 24.78	1 फरवरी, 2022	31 जनवरी, 2024	कुछ नहीं	नव आरंभ की गई परियोजना।

क्रम सं.	कोड के साथ परियोजना का नाम	वित्तीय परिव्यय (₹ लाख में)	प्रारंभ होने की तिथि	पूर्णता की पुनरीक्षित/ अधिसूचित तिथि	प्रगामी संवितरण (₹ लाख में)	प्रास्थिति
10.	भूमिगत कोयला खानों में वृहत् जल शीर्ष के प्रतिकूल संरक्षी रोध स्तंभ का अभिकल्प। परियोजना कोड : सीआईएल/आर एवं डी/ 1/75/2021 कार्यान्वयन अभिकरणे : आईआईटी (बीएचयू), वाराणसी एवं ईसीएल, सांकतोड़िया	87.47 आईआईटी- बीएचयू – 87.47	1 मई, 2021	20 अप्रैल, 2023	65.00 आईआईटी- बीएचयू – 65.00	साहित्य सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है। कोविड-19 सर्वव्यापी रोग की द्वितीय लहर के कारण परियोजना गतिविधि समय पर आरंभ नहीं हो सकी। जल्द ही भर्ती, अधिप्राप्ति व अन्य गतिविधियाँ आरंभ होंगी।
11.	उच्च राख कोयला गैसीकरम एवं सहयुक्त ऊर्ध्वप्रवाह एवं अनुप्रवाह (कोयला से रसायन, सीटीसी)। परियोजना कोड : सीआईएल/आर एवं डी/03/03/2017 कार्यान्वयन अभिकरणे : आईआईटी-आईएसएम, धनबाद; आईआईटी रूड़की; सीएमपीडीआईएल, राँची; एमसीएल, संबलपुर; ईसीएल, सांकतोड़िया एवं सीसीएल, राँची	2160.721 आईआईटी- आईएसएम – 1872.007 आईआईटी, रूड़की – 131.804 सीएमपीडी आईएल, राँची – 156.910	20 जुलाई, 2017	19 जुलाई, 2022	1700.65 आईआईटी- आईएसएम – 1580.00 आईआईटी, रूड़की – 105.00 सीएमपीडीआईएल, राँची – 15.65	5 जुलाई, 2021 को मेल द्वारा, आईआईटी-आईएसएम धनबाद ने सूचित किया है कि आईआईटी-आईएसएम और भेल एक उपयुक्त करार के माध्यम से एसोसिएशन के तौर-तरीकों पर चर्चा कर रहे हैं। इस मुद्दे को 03.09.2021 को आयोजित सीआईएल अनुसंधान व विकास बोर्ड की 31 वीं बैठक में प्रस्तुत किया गया था। सीआईएल अनुसंधान व विकास बोर्ड ने आईआईटी -आईएसएम, धनबाद को भेल के साथ एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने और आईआईटी-आईएसएम, धनबाद एवं आईआईटी-रूड़की द्वारा अद्यापि परियोजना के अधीन सभी कार्यान्वयन अभिकरणों की भूमिका और उत्तरदायित्वों, अब तक किए गए अंतिम व्यय, प्रत्येक अभिकरण को निधि की आवश्यकता और अधिप्राप्त प्रत्येक उपस्कर के उपयोग सविस्तारित करते हुए परियोजना प्रस्ताव जिसे पुनःप्रतिफलार्थ शीर्षस्थ समिति के समक्ष रखा जाएगा को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। दिनांक 25.11.2021 को आयोजित शीर्षस्थ समिति की 35वीं बैठक में उपर्युक्त परियोजना को प्रारंभ करने से संबंधित मुद्दे पर पुनः विमर्शित किया गया, समिति ने आईआईटी-आईएसएम, धनबाद को मामले में शीघ्रता लाने और 31 दिसंबर, 2021 तक पुनरीक्षित और ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अभी तक भेल की ओर से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। उपर्युक्त बैठक से 3 महीने से अधिक समय बीत जाने के पश्चात्, आईआईटी-आएसएम, धनबाद ने आज तक भेल के सहयोग से उपर्युक्त परियोजना के पुनरुद्धार पर पूरा प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है। आईआईटी-आईएसएम, धनबाद ने उपर्युक्त लंबे समय से स्तंभिक परियोजना को आगे जारी रखने के लिए भेल के साथ सहमति ज्ञापन को अंतिम रूप नहीं दिया है।

3.3 31 मार्च, 2022 तक की ईसीएल के कमान क्षेत्र में कार्यान्वयन किए गए कोयला मंत्रालय द्वारा निधिक वैज्ञानिक और तकनीकी परियोजनाओं के कोयले की प्रास्थिति :

क्रम सं.	कोड के साथ परियोजना का नाम	वित्तीय परिव्यय (₹ लाख में)	प्रारंभ होने की तिथि	पूर्णता की पुनरीक्षित/ अधिसूचित तिथि	प्रगामी संवितरण (₹ लाख में)	प्रास्थिति
1.	खान सुरक्षा एवं उत्पादकता वर्धन के लिए दीर्घभित्ति परिरक्षक दाबों के अनुश्रवण, विश्लेषण एवं निर्वचन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी समर्थ स्वदेशी विकास। परियोजना कोड : एमटी-172 कार्यान्वयन अभिकरणे : सीएमपीडीआईएल, राँची; आईआईटी, खड़गपुर एवं ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सांकतोड़िया	471.00 आईआईटी खड़गपुर – 367.16 सीएमपीडी आईएल – 103.84 ईसीएल- कुछ नहीं	1 दिसम्बर, 2020	30 नवम्बर, 2023	305.00 आईआईटी खड़गपुर – 285.00 सीएमपीडीआईएल – 20.00 ईसीएल- कुछ नहीं	परियोजना दल ने क्षेत्र परीक्षण के निहितार्थ विद्युत समर्थ अभिनिर्धारण और चयन के लिए झांझरा भूमिगत खान का दौरा किया था और द्रवचालित परिरक्षक में अंकीय दाब संवेदनग्राही स्थापित करने के लिए उपस्कर निर्माता से अनुमति प्राप्त की थी। अपरूपक स्थिति अनुश्रवण एवं विश्लेषण प्रणाली की अधिप्राप्ति अंतिम चरण में है। शेष उपस्कर की अधिप्राप्ति कर लिए गए हैं। आतन प्रगति के रूप में परिरक्षक दाब अंतरों के विन्यास को पुनःव्यवस्थित करने के लिए संगणना विधि विकसित किया गया है। इस परियोजना के अधीन आँकड़ा अर्जन प्रणाली को स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। विकसित प्रणाली के क्षेत्र परीक्षण की अनुमति के लिए 09.02.2022 को डीजीएमएस को आवेदन किया गया। दिनांक 24.02.2022 को डीजीएमएस (विद्युत) के साथ एक बैठक हुई जिसमें परियोजना के प्रस्तावकों को क्षेत्र परीक्षण अनुमति से संबंधित पूरे मामले के बारे में विस्तार से बताया गया है।
2.	भू-भौतिकीय तकनीक प्रयुक्त भूमिगत कोयला खानों में पूराने कार्य-स्थल अनधिगम्य में खनन प्रभावित उप-सतही कोटरों एवं जलभराव क्षेत्रों के कारण जोखिमों का अध्ययन। परियोजना कोड : एमटी-173 कार्यान्वयन अभिकरणे : आईआईटी- आईएसएम, धनबाद एवं ईसीएल, सांकतोड़िया	199.96 आईआईटी-आईएसएम-199.96 ईसीएल – कुछ नहीं	15 मार्च, 2021	14 मार्च, 2023	104.00 आईआईटी-आईएसएम - 104.00 ईसीएल – कुछ नहीं	भूभौतिकीय पद्धति के जरिए ईसीएल में सतह से भूमिगत खान असारता के लिए संगृहीत कुछ आँकड़े। प्रस्तावित कार्य के लिए संचालित अनुकार। उपस्करों की अधिप्राप्ति प्रगति पर है और अप्रैल, 2022 तक पूर्ण होने की प्रत्याशा है।

उपाबंध-III

3.15 चालू परियोजनाओं के परियोजना अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन प्रास्थिति :

क्रम सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत पूँजी (₹ करोड़)	अनुमोदन की मूल तिथि	पूरण की अधिसूचित तिथि	पूरण की प्रत्याशित तिथि	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
1.	सोनपुर बजारी विस्तारित खुली खदान (12.00 मि.टन प्रति वर्ष)	5365.88	जुलाई, 2021	मार्च, 2029	मार्च, 2029	में प्राप्त उत्पादन 20-21: 9.48 मि.टन 21-22: 9.62 मि.टन रेलवे पार्श्व स्थल एवं नूतन सीएचपी का निर्माण संपन्न हो चुका है। भूमि दखल दियानी तथा पुनर्वासन व पुनर्व्यवस्थापन प्रक्रियाधीन हैं।
2.	हुर्रा सी खुली खदान (3.00 मि.टन प्रति वर्ष)	335.35	अक्तूबर, 2015	मार्च, 2022	मार्च, 2023	चरण-II वानिकी सहमति प्राप्त किया गया और भूमि दखल दियानी प्रक्रियाधीन है। यथा परियोजना ने 260.95 करोड़ का पूँजीगत व्यय उपगत किया है, पुनर्विलोकित लागत प्रत्याशा ईसीएल निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
3.	झांझरा विस्तारित भूमिगत (5.00 मि.टन प्रति वर्ष)	1210.12	अप्रैल, 2020	मार्च, 2029	मार्च, 2029	में प्राप्त उत्पादन 20-21: 3.57 मि.टन 21-22: 3.63 मि.टन
4.	न्यू केन्दा खुली खदान परियोजना (1.20 मि.टन प्रति वर्ष)	127.72	नवम्बर, 2014	मार्च, 2019	मार्च, 2023	28.12.2018 को कोयला उत्पादन आरंभ हुआ। में प्राप्त उत्पादन 20-21: 0.300 मि.टन 21-22: 0.241 मि.टन
5.	कुमारडीह-बी सीएम भूमिगत (1.02 मि.टन प्रति वर्ष)	117.91	मई, 2014	मार्च, 2023	मार्च, 2023	एलएचसीएम का प्रवर्तन 11.12.2019 को किया गया है और एसएचसीएम का 08.01.2022 को प्रवर्तन किया गया है। में प्राप्त उत्पादन 20-21: 0.519 मि.टन 21-22: 0.748 मि.टन
6.	चितरा पूर्वी खुली खदान (आरसीई) (2.50 मि.टन प्रति वर्ष)	513.99	अगस्त, 2018	मार्च, 2024	मार्च, 2024	में प्राप्त उत्पादन 18-19: 2.03 मि.टन 19-20: 2.05 मि.टन 20-21: 0.873 मि.टन 21-22: 0.990 मि.टन वानिक सहमति चरण-II प्राप्त किया, भूमि दखल दियानी तथा पुनर्वासन व पुनर्व्यवस्थापन प्रक्रिया में हैं।
7.	मोहनपुर विस्तारित खुली खदान (2.50 मि.टन प्रति वर्ष)	888.99	नवंबर, 2020	मार्च, 2025	मार्च, 2025	में प्राप्त उत्पादन 20-21: 0.820 मि.टन 21-22: 0.769 मि.टन भूमि दखल दियानी तथा पुनर्वासन व पुनर्व्यवस्थापन प्रक्रिया में हैं।

क्रम सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत पूँजी (₹ करोड़)	अनुमोदन की मूल तिथि	पूरण की अधिसूचित तिथि	पूरण की प्रत्याशित तिथि	कार्यान्वयन की प्रास्थिति
8.	खोट्टाडीह सीएम भूमिगत (0.60 मि.टन प्रति वर्ष)	127.17	मई, 2015	मार्च, 2016	मार्च, 2023	मार्च, 2021 में सतत खनित्र का प्रवर्तन किया गया है। 2021-22 के दौरान प्राप्त कोयला उत्पदान सतत खनित्र से 0.194 मि.टन सहित 0.401 मि.टन है।
9.	खोट्टाडीह विस्तारित खुली खदान परियोजना (1.60 मि.टन प्रति वर्ष)	140.25	मई, 2017	मार्च, 2020	मार्च, 2022	में प्राप्त उत्पादन 20-21: 0.689 मि.टन 21-22: 0.622 मि.टन सीआईएल से पूरण प्रतिवेदन के अंतिम अनुमोदन के लिए 03.03.2022 को आयोजित 348 वीं. ईसीएल निदेशक मंडल बैठक में संस्तुति किया गया है।
10.	सिदुली (खुली खदान : 1.20 एवं भूमिगत : 1.63 मि.टन प्रति वर्ष)	535.18	मई, 2018	मार्च, 2026	मार्च, 2026	ईसीएल निदेशक मंडल द्वारा भूमि की अधिसूची अनुमोदित की गई है और खुली खदानन पैच (चरण-1) के लिए 16.08.2021 को एओए निर्गत किया गया था। जनवरी, 2022 में उपरि संस्तर हटाव आरंभ हुआ।
11.	नकराकोंडा कुमारडीह बी खुली खदान (3.00 मि.टन प्रति वर्ष)	502.68	अगस्त, 2018	मार्च, 2029	मार्च, 2029	20.06.2020 को उपरि संस्तर हटाव के लिए उपस्करों के भाड़े क लिए एओए निर्गत किया। 2021-22 के दौरान हटाए गए उपरि संस्तर 3.262 मि. घनमीटर है।
12.	तिलाबोनी भूमिगत (1.86 मि.टन प्रति वर्ष)	916.62	फरवरी, 2019	मार्च, 2027	मार्च, 2027	सीबीए(ए एवं डी) की धारा 8 के अधीन 419 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण के लिए अधिसूचना संपन्न किया जा चुका है।
13.	परासिया-बेलबाद भूमिगत (2.07 मि.टन प्रति वर्ष)	826.42	जुलाई, 2019	मार्च, 2027	मार्च, 2027	भिन्न-भिन्न गतिविधियों के लिए प्रस्ताव प्रवर्तित किया गया है।
14.	श्यामसुंदरपुर भूमिगत (सर्पी इकाई सहित) (1.59 मि.टन प्रति वर्ष)	483.65	अप्रैल, 2020	मार्च, 2025	मार्च, 2025	में प्राप्त उत्पादन 20-21: 0.754 मि.टन 21-22: 0.645 मि.टन
15.	नबाकाजोड़ा-माधबपुर ब्लॉक भूमिगत (0.30 मि.टन प्रति वर्ष)	56.14	दिसंबर, 2006	मार्च, 2014	प्रत्याहरण के अधीन परियोजना प्रतिवेदन	प्रत्याहरण के अधीन परियोजना प्रतिवेदन
16.	खांद्रा एनकेजे भूमिगत (0.285 मि.टन प्रति वर्ष)	18.81	जुलाई, 2003	मार्च, 2009	प्रत्याहरण के अधीन परियोजना प्रतिवेदन	प्रत्याहरण के अधीन परियोजना प्रतिवेदन
17.	बांकोला आर-VI भूमिगत (0.24 मि.टन प्रति वर्ष)	19.14	मार्च, 2003	मार्च, 2009	प्रत्याहरण के अधीन परियोजना प्रतिवेदन	प्रत्याहरण के अधीन परियोजना प्रतिवेदन
18.	नारायणकुड़ी भूमिगत (0.54 मि.टन प्रति वर्ष)	149.06	फरवरी, 2009	मार्च, 2015	प्रत्याहरण के अधीन परियोजना प्रतिवेदन	प्रत्याहरण के अधीन परियोजना प्रतिवेदन

प्रबंधकीय विवेचना व विश्लेषण प्रतिवेदन 2021-22

उपाबंध-IV

एक आघात-सह अर्थव्यवस्था :

चीन ($27 ट्रिलियन) और यूएसए ($23 ट्रिलियन) के बाद $10 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ भारत की अर्थव्यवस्था क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के मामले में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। बाजार विनिमय दर पर, भारत की $3 ट्रिलियन की जीडीपी इसे दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में छठे स्थान पर ले जाती है। कोविड-19 महामारी की लगातार दो लहरों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 8.7% की मामूली वृद्धि हुई है, जबकि पिछले वर्ष इसमें 6.6% की कमी आई थी। इसके और बढ़ने की संभावना है। विश्व बैंक के अनुमानों के अनुसार, 2022 में भारतीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 7.5% की वृद्धि होने की संभावना है, जबकि आईएमएफ ने इसी अवधि के लिए 8.2% की वृद्धि और ओईसीडी ने 6.9% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। यहाँ तक कि फिच रेटिंग्स जैसी अंतरराष्ट्रीय रेटिंग अभिकरणों को भी भारत के 8.5% और एसएंडपी ग्लोबल के 7.3% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। इन अनुमानों में यह भी उल्लेख किया गया है कि भारतीय आर्थिक सुधार में उछाल को बढ़ती मुद्रास्फीति, आपूर्ति शृंखला में व्यवधान, भू-राजनीतिक तनाव आदि से प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, जो अनुमानित विकास दर को नीचे खींच सकता है। हाल ही में, आरबीआई ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मुद्रास्फीति का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया, जो कि सह्यता बैंड की ऊपरी सीमा 6% से काफी ऊपर है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति दर (खाद्य और ईंधन के सिवाय) अर्थात् कोर मुद्रास्फीति और गैर-खाद्य मुद्रास्फीति दर उच्च बनी रही। संपूर्ण मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति की दर भी पूरे वित्तीय वर्ष 2021-22 में दोहरे अंकों में थी और अभी भी अप्रैल और मई, 2022 के दौरान जारी है, इसलिए जीडीपी अनुमानों को उच्च अवस्फीतिकारक द्वारा फैक्टर किया गया है। अतः, अर्थव्यवस्था में निरंतर उच्च मुद्रास्फीति नीति निर्माताओं के लिए चिंता का विषय है। इसके अतिरिक्त, वैश्विक आपूर्ति शृंखलाएँ गतिविधियों के बंद होने के कारण बाधित हो गई और महामारी की शुरुआत के बाद से बहुत नाजुक स्थिति में हैं। कई देशों के लिए रूस-यूक्रेन युद्ध से बिगड़ती स्थिति और बढ़ गई है, विशेष रूप से जो ऊर्जा संसाधनों पर बहुत अधिक निर्भर हैं।

यदि हम ऊर्जा की माँग को यथा आर्थिक विस्तार का एक बैरोमीटर मानते हैं, तो यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 9 जून, 2022 को बिजली की चरम माँग 210 जीडब्ल्यू के उच्च स्तर पर पहुँच गई है, जो कि अर्थव्यवस्था में आधात-सहनीयता प्रदर्शन के लिए पूर्व-कोविड स्तर से बहुत आगे है और बिजली की माँग राष्ट्र की कुल ऊर्जा माँग में एक प्रमुख हिस्सा का गठन करती है। इस पृष्ठभूमि में, यह नोट करना प्रासंगिक है कि जीवाश्म ईंधन के रूप में कोयला भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और राष्ट्र की करीबन 55% ऊर्जा जरूरतों को पूर्ण करता है।

भारतीय कोयला निचय :

1 अप्रैल, 2021 को यथा, प्रमाणित श्रेणी में भारतीय कोयले का कुल 352.125 बि.टन भूवैज्ञानिक संसाधनों में से 177.178 बि.टन था। इसके अतिरिक्त, 156.416 बि.टन के अकोककर कोयले में एक प्रमुख भाग समाविष्ट था और प्रमाणित श्रेणी में 300 मीटर गहराई तक पहुँच शृंखला में 125.560 बि.टन उपलब्ध है।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का विहंगावलोकन :

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल), कोल इंडिया लिमिटेड की एक अनुषंगी कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड (सीएमएएल) की पूर्वी प्रभाग के साथ निहित 414 खानों के अधिग्रहण द्वारा दिनांक 01 नवंबर, 1975 को निगमित किया गया था और इस तिथि से कंपनी अपनी वाणिज्यिकीय परिचालन आरंभ किया था। यह पश्चिम बंगाल एवं झारखण्ड राज्य में परिचालित होती है। यहाँ 80 खननशील खदानें जिसमें 48 भूमिगत खदानें, 23 खुली खदानें और 9 मिश्रित खदानों के साथ 14 परिचालन क्षेत्र हैं। रानीगंज कोलफील्ड्स में पश्चिम बंगाल में 10.320 बि.टन एवं झारखण्ड में 1.111 बि.टन का मापित निचय है तथा रानीगंज कोलफील्ड्स में 300 मीटर गहराई तक अकोककर कोयला का 0.309 बि.टन मापित निचय है। 01.04.2021 को यथा, ईसीएल के पास पश्चिम बंगाल के कमान क्षेत्र में 33.077 बि.टन एवं झारखण्ड में 21.288 बि.टन से समाविष्ट, 54.365 बि.टन का निचय हैं।

शक्तियाँ व अशक्तियाँ :

शक्तियाँ :

अ) प्रमाणित श्रेणी में सुलभ गहराई पर कमान क्षेत्र में उच्च ग्रेड के अकोककर कोयले का निचय।
आ) खुली खदान, भूमिगत परिचालनों के लिए भिन्न-भिन्न खनन प्रौद्योगिकियों को लागू करने की भूवैज्ञानिक संभावना।
इ) तकनीकी हस्तक्षेप के जरिए उत्पादन में गति लाने की व्याप्ति।
ई) कठिन परिस्थितियों में कामगार कार्य करने के लिए समर्थ हैं।
उ) निष्क्रमण के अनुकूल खदान अवस्थानें।
ऊ) प्रभरण स्कंध और/या ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए उच्च ग्रेड वाले अकोककर कोयले।
ए) सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक संबंध।

अशक्तियाँ :

अ) रानीगंज कोयला क्षेत्र में गंभीरतर सुलभ निचय, जहाँ दो शताब्दी पहले खनन शुरू हुआ था।
आ) कठिन भू-खननीय दशाएँ एवं बहु शीर्ण संस्तर परिचालन।
इ) आबादी वाले क्षेत्र खदान के विस्तारिकरण और खुली खदान परिचालनों में बाधा डालना।
ई) पुरानी भूमिगत खदानों में परिचालन संबंधी चुनौतियों में वृद्धि करना।
उ) नियत लागत तत्वों का बड़ा हिस्सा परिचालन सुनम्यता को कम करना।

अवसर एवं संकट :

अवसर :

अ) साझा मूल्यों के जरिए कारबार विस्तार।
आ) बाजार में प्रत्यक्षतः पेशकश करके कोयले के मूल्य की प्राप्ति में सुधार करना।
इ) अकोककर कोयले के बढ़ते उपयोगिता से गहरा और विस्तारी बाजार का निर्माण करना।
ई) कारबार कार्यक्षेत्र के लिए खोज की संभावना।

संकट :

अ) पर्यावरणीय कानूनों को कठोर करना।
आ) खनन क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण करने के लिए अधिक प्रतिरोध।
इ) खनन क्षेत्रों में अवैध खनन और उप-सामान्य कानून और व्यवस्था से जुड़े सामाजिक-आर्थिक मुद्दे।
ई) विरासती खानों और आबादी वाले क्षेत्रों से निकटता से उद्भूत वसीयत मुद्दे।
उ) मितव्ययी खनन परिचालनों में अव्यवहार्यता।

उत्पादन :

विशिष्टियाँ	2021-22	2020-21
खुली खदान परियोजना – कोयला (मि.टन)	23.432	35.695
भूमिगत कोयला (मि.टन)	8.996	9.309
कुल (मि.टन)	32.428	45.004
वृद्धि %	-27.944	-10.708
उपरिभार हटाव – (मि.घनमीटर)	118.989	139.585
वृद्धि %	-14.755	-0.62

संवर्ग वार या उत्पादन वार कार्य-निष्पादन :

(मिलियन टन में)

विशिष्टियाँ	2021-22	%	2020-21	%	वृद्धि (%)
एफएसए/एमओयू के अधीन परदेशिक को प्रेषण	30.664	84.95	36.878	87.72	-16.85
ई-नीलामी (बिजली घरों को वायदा नीलामी सहित)	5.252	14.55	4.980	11.85	5.46
अन्य	0.004	0.01	0.004	0.01	0.00
स्वः खपत	0.176	0.49	0.177	0.42	-0.52
कुल कारबार	**36.096**	**100.00**	**42.039**	**100.00**	**-14.14**

ग्राहक और संभारतंत्र :

कोयला उत्पादन का बड़ा हिस्सा विनियमित क्षेत्र अर्थात् ताप विद्युत संयंत्रों/जेनको को दिया जा रहा है। अन्य सेक्टरों जैसे इस्पात, सीमेंट, ऐलुमिनियम, लघु उद्योगों इत्यादि के उपभोक्ताएँ भी रानीगंज कोलफील्ड्स से उच्च ग्रेड के कोयले की माँग करते हैं।

खान से कोयला निष्कर्षित होने के पश्चात, इसे वाहित्र प्रणाली के जरिए भूमिगत खदान के मामले में सतह में संग्रह बिंदु तक या खुली खदान के मामले में डंप ट्रक द्वारा ले जाया जाता है। तत्पश्चात्, कोयले को प्रत्यक्षतः सीएचपी/रेलवे पार्श्वस्थल जैसे प्रेषण स्थल तक ले जाया जाता है या भविष्य में प्रेषण की सुविधा के लिए निर्दिष्ट स्कंध स्थल पर रखा जाता है। सड़क बिक्री/स्टॉक ट्रांसफर के लिए सभी परेषणों को खदान परिसर के भीतर कंपनी मार्ग तुलनवेदी और रेल बिक्री के लिए रेलवे पार्श्वस्थल पर इन-मोशन तोलनवेदी पर तोलन किया जाता है। चूंकि बिक्री लोडिंग पॉइंट्स पर की जा रही है, अतः इसे एफओआर आधारित अर्थात् "रेल/सड़क से निर्बाध आधार पर पूर्व-पार्श्वस्थल/स्कंध स्थल, यथास्थिति, की पेशकश की जाती है। खदान से अभिहित प्रेषण स्थलों तक कोयले के परिवहन की लागत को ग्राहक द्वारा वहन किया जाता है। हमारे खदानों से कच्चे कोयला के प्रेषण के लिए अनुप्रयुक्त नानाविध परिवहन साधनों से संबंधित सूचना निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है :

(मिलियन टन में)

प्रेषण का साधन	2021-22	2020-21
रेल	25.735	28.102
सड़क	3.305	3.005
हिंडोला (एमजीआर)	6.880	10.755
कुल	35.920	41.862

कोयले का कीमत निर्धारण :

दिनांक 01.01.2012 से अकोककर कोयले का कीमत निर्धारण अभी इसके सकल ऊष्मा मान (जीसीवी) पर आधिरत है। प्रभार्य कीमत में आधार मूल्य, परिवहन प्रभार, साइलो प्रभार, आरएलएस प्रभार आदि एवं अन्य सांविधिक उपकर/कर जैसे कि रॉयल्टी, डीएमएफ, एनएमईटी, सेस, जीएसटी, आदि को समाविष्ट करता है। संबद्ध ग्राहकों के साथ दीर्घावधि ईंधन करारों ("एफएसए") के अधीन कोयला उत्पादन के अधिकांश भाग बिक्री किया जाता है। इसके अतिरिक्त, ई-नीलामी योजना के अधीन कोयले की बिक्री भी की गई है।

विपणन नीति :

वाणिज्यिक अनुशासन में निहित सुनिश्चित, अविरत, पारदर्शी और कुशल तरीके से, दोनों अल्पकालिक और दीर्घकालिक आधार पर, अर्थव्यवस्था के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के उपभोक्ताओं से कोयले की माँग की पूर्ति के उद्देश्य के साथ 18 अक्टूबर, 2007 को एनसीडीपी निर्गत किया गया है।

अ) ईंधन आपूर्ति करार :

राष्ट्रीय कोयला संवितरण नीति (एनसीडीपी) के निबंधनों के अनुसार, कोयला कंपनी ने प्रत्यक्षतः ग्राहकों के साथ या राज्य द्वारा नामित अभिकरणों के साथ विधिक रूप से प्रवर्तनीय ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) में प्रवेश किया है जो कि परिणामस्वरूप अंतिम ग्राहकों के साथ उचित संवितरण व्यवस्था में प्रवेश करती है। हमारे एफएसए विस्तृत रूप से संवर्गीकृत किया जा सकता है :

1. राज्य विद्युत उपयोगिता, निजी विद्युत उपयोगिता ("पीपीयू") एवं स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों ("आईपीपी") सहित विद्युत उपयोगिता क्षेत्र में ग्राहकों के साथ ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए);
2. गैर-विद्युत उद्योगों (कैप्टिव पावर प्लांटों सहित (सीपीपी)) में ग्राहकों के साथ ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए);
3. राज्य द्वारा नामित अभिकरणों के साथ ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) और
4. संबद्ध निलामी मार्ग के जरिए ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए)।

आ) ई-नीलामी योजना :

कोयले की ई-नीलामी योजना उन ग्राहकों के लिए कोयला तक पहुँच स्थापित करने के लिए सूत्रपात किया गया है जो एनसीडीपी के अधीन उपलब्ध संस्थागत तंत्रों के जरिए अपनी कोयले की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सक्षम नहीं हैं। ई-नीलामी के तहत प्रस्तुत किए जाने वाले कोयले की परिमाण का कोयला मंत्रालय द्वारा समय-समय पर पुनर्विलोकन किया जाता है। ई-नीलामी योजना ग्राहकों द्वारा अतिरिक्त कोयला अधिप्राप्ति के लिए एक सुअवसर प्रदान करती है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणालियाँ एवं उनकी पर्याप्तता :

कंपनी के पास अपने आकार के अनुरूप सुस्थापित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और प्रक्रियाएँ हैं। कंपनी के पास प्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के लिए एक अनुमोदित और भली-भाँति उपगत शक्तियों का प्रत्यायोजन (डीओपी), क्रय, संविदा, सिविल संहिताएँ और एनसीडब्ल्यूए करार है। समस्त कार्यालयों/इकाइयों को आवरित करते हुए सनदी लेखाकारों एवं लागत लेखाकारों के बाह्य फर्मों द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा संचालित की जाती है और उनके प्रतिवेदनों को लेखापरीक्षा समितियों द्वारा आवधिक रूप से पुनर्विलोकन किया जाता है। लेखापरीक्षा समिति आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता के अभिगमन के लिए आवधिक रूप से आंतरिक एवं सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ संपर्क बनाए रखती है और कंपनी के आवधिक वित्तीय विवरणी एवं अग्र आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के पुनरीक्षण के जरिए वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का भी पर्यवेक्षण करती है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को विश्वसनीय वित्तीय व परिचालनात्मक संसूचना प्रदान करने, लागू विधियों के अनुपालन करने, आस्तियों के अनधिकृत उपयोग से सुरक्षण करने और निगमित नीतियों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के संबंध में युक्तियुक्त आश्वासन प्रदान करने के लिए परिकल्पित किया गया है। कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली कारबार के आकार एवं परिचालनों का सम्मेय है और कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुरूप है। कंपनी ने अपने प्रत्येक कार्य के परिचालनों का मार्गदर्शन करने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं और नीतियों को निर्धारित किया है।

मुख्यालय सहित कंपनी के पन्द्रह क्षेत्रों/इकाइयों के आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य को पूर्ण करने वाली पंद्रह लेखापरीक्षा फर्में हैं। फर्मों को अभिरूचि की अभिव्यक्ति के साथ खुली बिडिंग प्रणाली के जरिए चयन किया गया है और चयन प्रक्रिया में उच्चतम स्कोर प्राप्त करने वाली फर्म को केंद्रीय आंतरिक लेखापरीक्षक' या ' अग्र लेखापरीक्षक' का कार्य सुपुर्द किया गया था।

आंतरिक लेखापरीक्षकें उनके संबद्ध इकाई/क्षेत्रीय प्रधानों को मासिक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनें और इकाइयों/क्षेत्रों, आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग (मुख्यालय), निदेशक (वित्त) एवं कोल इंडिया लिमिटेड को तिमाही लेखापरीक्षा प्रतिवेदनें प्रस्तुत करती है।

वे कंपनी में इस तरह के नियंत्रणों के परिचालन, अनुप्रयोग और प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (आईएफसी) के नियमित मूल्यांकन वाली एक विस्तृत वार्षिक प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करते हैं।

कंपनी / सीआईएल के लेखापरीक्षा समिति अस्तिव में आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों एवं संबद्ध प्रक्रियागत अनुप्रयोगों पर कड़ी निगरानी रखती है। आंतरिक लेखापरीक्षकों की महत्वपूर्ण संप्रेक्षणों को आवधिक पुनर्विलोकन के लिए लेखापरीक्षा समिति के समक्ष रखा जाता है। ऐसे संप्रेक्षणों पर विचार करने पर लेखापरीक्षा समिति द्वारा निर्गत निदेशों (यदि को हो) को आवश्यक अनुपालन एवं क्रियान्वयन के लिए विधिवत नोट किया जाता है।

प्रबंधन और नियंत्रण के क्षेत्रों में प्रौद्योगिकीय प्रगति से सामना के लिए, ईसीएल द्वारा ईआरपी (सैप) के कार्यान्वयन के संबंध में सीआईएल की पहल को सफलतापूर्वक अंगीकृत किया गया है। सैप के संगत मॉड्यूल यथा एफआईसीओ मॉड्यूल, एमएम मॉड्यूल, एचसीएम मॉड्यूल, पीएम मॉड्यूल, पीएस मॉड्यूल, पीपी मॉड्यूल, एसडी मॉड्यूल या तो सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया जा चुका है या कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है। पूरे कंपनी में सैप के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के पश्चात्, दस्तवेजों, फाइलों एवं अभिलेखों का संचलन पूर्णतः अंकीकृत हो गया है। प्रणाली में नई प्रौद्योगिकीय परिवर्तन के समान, सीआईएल आंतरिक लेखापरीक्षक के कार्य विष्य-क्षेत्र में परिवर्तन अनुध्यात कर रहा है जिसे लेखापरीक्षकों की आगामी नियुक्ति में निगमित किए जाने की संभावना है।

हाल ही में, ईसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक की पहल से ईसीएल ने सरकारी पोर्टल (ई-ऑफिस) के जरिए अंकीय फाइल संचलन प्रणाली जो नवप्रवर्तित ईआईपी प्रणाली के साथ सुसंगत है और न केवल पारदर्शिता और गोपनीयता में संवृद्धि करेगा प्रत्युत प्रस्तावों के ससमय निपटान की प्रसुविधा भी प्रदान करेगा। यह अंततः प्रणाली में श्रेष्ठतर नियंत्रण और दक्षता को संप्रवर्तन करेगा।

भण्डार लेखापरीक्षा :

कोल इंडिया लिमिटेड के अनुमोदित दिशानिर्देशानुसार, भण्डार लेखापरीक्षा की नियुक्ति लागू लेखापरीक्षा शुल्क के साथ निर्धारित कार्य विषय-क्षेत्र के अंदर भण्डारों के भौतिक सत्यापन के लिए की जाती है। वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 की अवधि के लिए भण्डार लेखापरीक्षा संचालन के लिए वर्ष 2019-20 में अभिरूचि की अभिव्यक्ति के अधीन खुली बिडिंग प्रणाली के जरिए चार (04) भण्डार लेखापरीक्षकों का चयन किया गया है और उसे ईसीएल के समस्त भण्डार इकाइयों के लिए नियुक्त किया गया है। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2020-21 तक की भण्डार लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पूर्व में ही प्रस्तुत कर दिया है। भण्डार लेखापरीक्षकों द्वारा इंगित किए गए आवश्यक सुधारों को उनके संबंधित वर्षों के लेखा बहियों में लेखांकन प्रविष्टियों के माध्यम से सम्मिलित किया गया है।

लागत लेखापरीक्षा :

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148(6) एवं कंपनी (लागत अभिलेखों एवं लेखापरीक्षा) नियम 2014 के नियम 6(6) के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्रपत्र-सीआरए-4 में लागत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 18 अक्टूबर, 2021 को केंद्र सरकार के समक्ष दायर की गई थी।

परिचालनात्मक कार्य-निष्पादन के संदर्भ में वित्तीय कार्य-निष्पादन पर विवेचना :

परिचालन का परिणाम :

(₹ करोड़ में)

विशिष्टियाँ	2021-22	2020-21	वृद्धि (%)
सकल बिक्री	14453.65	14821.26	-2.48%
न्यून : लेवी	4152.20	4564.87	-9.04%
निवल बिक्री	10301.45	10256.39	0.44%
अन्य आय	667.43	847.64	-21.26%
कुल आय	10968.88	11104.03	-1.22%

कोयला बिक्री से आय :

बिक्री को रॉयल्टी, कोयले पर उपकर, माल और सेवा कर आदि सहित नानाविध लेवी की निवल यथा सकल बिक्री प्रस्तुत किया जाता है। कोयले की बिक्री से होने वाले आय मुख्यतः कोयले का मूल्य निर्धारण एवं उत्पादन और उसके वितरण पर निर्भर है।

व्यय :

प्रमुख शीर्षों के विश्लेषित आँकड़े :

(₹ करोड़ में)

विशिष्टियाँ	2021-22	2020-21	वृद्धि	
			आत्यंतिक	% प्रतिशत
स्टॉक में (अभिवृद्धि)/(अनभिवृद्धि)	291.34	-300.71	592.05	196.88%
उपभुक्त सामग्रियों की लागत	781.38	720.07	61.31	8.51%
कर्मी प्रसुविधा व्यय	7983.65	7788.30	195.35	2.51%
विद्युत शक्ति व्यय	434.92	431.19	3.73	0.87%
निगमित सामाजिक दायित्व व्यय	13.86	11.56	2.30	19.90%
संविदात्मक व्यय	1729.76	1941.23	-211.47	-10.89%
वित्तीय लागत	163.66	193.80	-30.14	-15.55%
मरम्मति	192.87	242.37	-49.50	-20.42%
अन्य व्यय	426.57	460.47	-33.90	-7.36%
विपट्टन गतिविधि समयोजना	-153.57	1.27	-154.84	-12192.13%
मूल्यह्रास/क्षति	529.70	494.18	35.52	7.19%
प्रावधान	12.11	27.56	-15.45	-56.06%
कर पूर्व कुल व्यापक आय	**-1502.79**	**-1141.74**	**-361.05**	**31.62%**
करोपरांत कुल व्यापक आय	**-1126.08**	**-994.06**	**-132.02**	**13.28%**

नकदी प्रवाह :

(₹ करोड़ में)

विशिष्टियाँ	31.03.2022	31.03.2021
आरंभिक नकदी एवं नकदी समतुल्य	945.04	-274.88
परिचालनात्मक गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह/(में प्रयुक्त)	1634.82	-1478.46
निवेशन गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह/(में प्रयुक्त)	-1689.89	2708.25
वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह/(में प्रयुक्त)	-7.68	-9.87
नकदी एवं नकदी समतुल्य में परिवर्तन	-62.75	1219.92
लेखाबंदी नकदी एवं नकदी समतुल्य	882.29	945.04

मानव संसाधन विकास :

जनशक्ति :

प्रवर्ग	को यथा जनशक्ति		वृद्धि (+)/ कमी (-)
	31.03.2022	31.03.2021	
अधिशासी	2040	1864	176
पर्यवेक्षक	3512	3800	-288
अनुसचिवीय/लिपिकीय	1861	2016	-155
अत्यधिक कुशल/कुशल	16941	17925	-984
अर्ध कुशल/अकुशल	27348	28271	-923
प्रशिक्षु (गैर-अधिशासी)	1233	990	243
कुल	**52935**	**54866**	**-1931**

वर्ष के दौरान अंतर के लिए कारण :

विशिष्टियाँ	अधिशासी	गैर-अधिशासी	कुल
वृद्धि			
नई नियुक्ति	214	40	254
चिकित्सीय अनुपयुक्त मामले के प्रतिकूल नियुक्ति	0	0	0
मृत्यु मामले के प्रतिकूल नियुक्ति	91	604	695
पुनःस्थापन/पुनःकार्य पर आना	0	03	03
अन्य कंपनियों से स्थानांतरित होकर आए	212	62	274
भू-वंचितों के प्रतिकूल नियुक्ति	0	237	237
विशेष महिला वीआरएस के प्रतिकूल नियुक्ति	0	0	0
कुल वृद्धि (क)	**517**	**946**	**1463**
कमी			
सेवानिवृत्ति	104	2340	2444
चिकित्सीय अनुपयुक्त	0	0	0
मृत्यु	11	688	699
त्याग-पत्र	11	18	29
अन्य कंपनियों में स्थानांतरित होकर गए	126	73	199
पदच्युति/पर्यवसान	01	14	15
जीएचएस/ईवीआरएस के अधीन वीआरएस	06	02	08
विशेष महिला वीआरएस	0	0	0
कुल कमी (ख)	**259**	**3135**	**3394**
अंतर (क – ख)	**258**	**-2189**	**-1931**

औद्योगिक संबंध :

कंपनी में औद्योगिक संबंध सामान्यतः सौहार्दपूर्ण है। कामगार अब बाह्य मामलों का समर्थन नहीं करते हैं। औद्योगिक संबंध एवं विधि-व्यवस्था संबंधित सांख्यिकीय निम्न उद्धृत है :

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विषय	2021-22	2020-21
1.	हड़ताल की संख्या	01 (2 Days)	02 (4 Days)
2.	श्रमिक दिन में क्षति (लाख में)	1.92	0.41
3.	उत्पादन में क्षति (लाख टन में)	2.25	1.57

विधि-व्यवस्था :

विषय	2021-22	2020-21
विधि-व्यवस्था (विघ्न)	03	09
उत्पादन में क्षति (लाख टन में)	Nil	Nil

प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता :

ईसीएल प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता कंपनी के भिन्न-भिन्न स्तरों पर पूर्णतः संचालित है। निगमित, क्षेत्रीय एवं परियोजना/इकाई स्तरों पर संयुक्त सलाहकार समिति कार्य कर रही हैं। जेसीसी बैठक में पुराने महत्वपूर्ण मामलों यथा उत्पादन, उत्पादकता इत्यादि पर विवेचना किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे कंपनी में समिति/बोर्ड यथा द्विपक्षीय खान सुरक्षा बोर्ड, क्षेत्रीय खान सुरक्षा समिति, कोलियरी खान सुरक्षा समिति, कल्याण बोर्ड इत्यादि भी क्रियाशील हैं। श्रम संगठनें ऐसी समितियों में अत्यंत सक्रियता से सहभागिता करती हैं तथा प्रबंधन और कर्मचारी के मध्य विश्वास एवं सदिच्छा को सुदृढ़ करने के अलावा पारदर्शिता, जवाबदेही लाती हैं।

बैठकें	2021-22	2020-21
मुख्यालय स्तर पर आयोजित जेसीसी बैठक की संख्या	02	05
मुख्यालय स्तर पर आयोजित संरचित बैठक की संख्या	05	05

एनसीडब्ल्यूए एवं एलएलएस के अधीन प्रदत्त नियोजन :

के अधीन प्रदत्त नियोजन	2021-22	2020-21
राष्ट्रीय कोयला मजदूरी करार (एनसीडब्ल्यूए)	695	525
भू-वंचित योजना (एलएलएस)	235	174
प्रत्यक्ष भर्ती	40	Nil

भर्ती एवं पदोन्नति में अनूसूचित जाति (अ.जा.) / अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) के लिए आरक्षण :

अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.) की भर्ती के मामले में राष्ट्रपतिक निदेशों को ईसीएल में क्रियान्वयन किया गया है। कुल जनशक्ति में एससी एवं एसटी अभ्यर्थियों के प्रतिनिधित्व यथा निम्नवत है :

को यथा	कुल जनशक्ति	अ.जा. अभ्यर्थी		अ.ज.जा. अभ्यर्थी	
		संख्या	%	संख्या	%
31.03.2022	52935	15377	29.05	7442	14.06
31.03.2021	54866	15132	27.58	7149	13.03

सृजित 1601 पदोन्नति में से, वर्ष 2020-21 के दौरान अनुसूचित जाति समुदाय के 233 और अनुसूचित जनजाति समुदाय के 139 अभ्यर्थियों के मुकाबले वर्ष 2021-22 के दौरान क्रमशः 257 और 136 अभ्यर्थियों को पदोन्नत किया गया था। 31.03.2021 को यथा 15285 ऑन रोल ओबीसी समुदाय के कर्मचारियों के मुकाबले 31.03.2022 को यथा 16165 थे।

श्रम संगठन :

ईसीएल के कर्मचारीगण अत्यधिक संघबद्ध हैं और शायद ही ऐसा कर्मचारी हों जो किसी भी श्रमिक संघ के सदस्य न हों। आईएनटीयूसी, एआईटीयूसी, एचएमएस, बीएमएस, यूटीयूसी, सीआईटीयू, आईएनटीटीयूसी इत्यादि प्रमुख श्रमिक संगठन कार्यरत है। अधिशासीगण सीएमओएआई के सदस्य हैं। जेबीसीसीआई द्वारा निरूपित राष्ट्रीय कोयला वेतन करार (एनसीडब्ल्यूए), कंपनी के स्थायी आदेश और सरकारी निदेशों द्वारा गैर-अधिशासी कर्मियों के मजदूरी पुनरीक्षण एवं सेवाओं की अन्य दशाएँ शासित किए जाते हैं।

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अधीन प्रकटन :

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अनुसार ईसीएल में गठित आंतरिक परिवाद समिति (आईसीसी) कार्यरत हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान, ईसीएल के आंतरिक परिवाद समिति (आईसीसी) द्वारा लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित एक (01) परिवाद अभिप्राप्त किया गया है और जाँच प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त, दो (02) परिवादों के जाँच प्रतिवेदन सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया गया है।

ईसीएल के सतग्राम क्षेत्र द्वारा आयोजित महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का निवारण के लिए जागरूकता कार्यक्रम

प्रशिक्षण :

भारतीय कोयला प्रबंधन संस्थान (आईआईसीएम) जो कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा वर्ष 1994 में स्थापित किया गया था अधिशासियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे कि उन्नत प्रबंधकीय कार्यक्रम, नेतृत्व विकास कार्यक्रम, सामान्य प्रबंधकीय कार्यक्रम, युवा प्रबंधक कार्यक्रम, उन्नत अनुरक्षण कार्यविधियाँ, प्रबंधन विकास कार्यक्रम, प्रशिक्षण और कोचिंग, कनिष्ठ अधिकारियों के लिए कैरियर विकास तथा संप्रेषण कौशल प्रदान करती हैं। इसके अलावा, हमारी कंपनी ने बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सम्मिलित होने के लिए सार्थक संख्या में अधिकारियों के लिए व्यवस्था की है और हमारे कर्मियों (निदेशकगणों, वरिष्ठ अधिकारियों और गैर-अधिशासी कर्मियों सहित) को भारत के बाहर कई अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण सत्रों के लिए भेजा गया है। आईआईसीएम के अलावा, ईसीएल में, हमारे दो संस्थान है, नामशः कोल इंडिया प्रशिक्षण प्रबंधन कॉलेज, डिसेरगढ़ एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान (एमटीआई), रतिबाटी अधिशासियों सहित हमारे कर्मियों को नानाविध प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। नए भर्ती हुए प्रबंधन प्रशिक्षुओं के लिए भी नियमित रूप से प्रवेशन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न संस्थानों के विद्यार्थियों के लिए औद्योगिक/व्यावसायिक प्रशिक्षण भी ईसीएल के भिन्न-भिन्न खानों/कार्यशालाओं में उनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए आयोजित किया गया था। शिक्षु अधिनियम, 1961 तथा भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय द्वारा निर्गत दिशानिर्देशों के अनुपालन में ईसीएल भारत के भिन्न-भिन्न राज्यों से नानाविध विषयों/ व्यवसायों के शिक्षुओं को सम्मिलित कर रहा है।

कार्य योजना : कार्य योजना (कंपनी में) के अनुसार एचआरडी प्रदर्शन प्रतिवेदन :

वर्ष	पाठ्यक्रमों की संख्या		सहभागियो की संख्या							
			लक्ष्य				वास्तविक			
	लक्ष्य	वास्तविक	अधि.	पर्यवेक्षक	कामगार	कुल	अधि.	पर्यवेक्षक	कामगार	कुल
2021-22	80	54	430	410	410	1250	494	344	415	1253
2020-21	124	21	360	890	420	1670	485	139	Nil	624

वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 के दौरान प्रदत्त नानाविध प्रशिक्षण के ब्यौरे :

क्रम सं.	प्रशिक्षण की प्रकृति	2021-22				2020-21			
		अधि.	पर्यवेक्षक	कामगार	कुल	अधि.	पर्यवेक्षक	कामगार	कुल
1	**सामान्य/कंपनी में प्रशिक्षण :**								
1.i	दिवस या अधिक	Nil	50	12	62	Nil	Nil	Nil	Nil
1.ii	दिवस से कम	494	294	403	1191	485	139	Nil	624
2	**बाह्य प्रशिक्षण (भारत में)**								
2.i	**आईआईसीएम में :**								
2.i.a	3 दिवस या अधिक	413	Nil	Nil	413	176	Nil	Nil	176
2.i.b	अल्पावधि पाठ्यक्रम	25	Nil	Nil	25	55	Nil	Nil	55
2.ii	**कंपनी से बाहर प्रशिक्षण (आईआईसीएम से भिन्न) :**								
2.ii.a	अल्पावधि	53	Nil	Nil	53	107	Nil	Nil	107
2.ii.b	दीर्घावधि	42	Nil	Nil	42	Nil	Nil	Nil	Nil
2.ii.c	3 दिवस या अधिक	21	Nil	Nil	21	19	Nil	Nil	19
3	बाह्य (विदेश)	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
	कुल	**1048**	**344**	**4 15**	**1807**	**842**	**139**	**Nil**	**981**
4	**अन्य प्रशिक्षण एवं सेमिनार :**								
a.	प्रशिक्षु :								
4.a.i	व्यावसायिक	Nil	Nil	910	910	Nil	Nil	640	640
4.a.ii	पीडीपीटी	Nil	1159	Nil	1159	Nil	949	Nil	949
4.a.iii	पीजीपीटी	207	Nil	Nil	207	159	Nil	Nil	159
4.a.iv	शिक्षु (कौशल विकास)	Nil	Nil	94	94	Nil	Nil	89	89
4.b.	**सेमिनार/कार्यशाला**	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
4.c.	**अनुकारी प्रशिक्षण**	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
	कुल	**1255**	**1503**	**1419**	**4 177**	**1001**	**1088**	**729**	**2818**

पर्यावरणीय रक्षण एवं संरक्षण :

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का पर्यावरण विभाग संधारणीय विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कंपनी के पर्यावरण एवं वन संबंधित मामलों का निपटारण करता है और अपने निगमित पर्यावरणीय नीति के क्रियान्वयन की दिशा में प्रतिबंध है। पर्यावरण पर कोयला खनन गतिविधियों के प्रभाव का नियमित अनुश्रवण किया जाता है और सांविधिक मानदंडों, अधिनियमों एवं नियमों में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त पर्यावरण रक्षण अध्युपाय किए जाते हैं। पर्यावरणीय मंजूरी एवं वानिकी मंजूरी के शर्तों के श्रेष्ठतर अनुषक्ति के लिए कदम उठाने के अलावा, कंपनी ने सतत विकास की दिशा में हरित पहल की है।

निगमित पर्यावरणीय नीति का अंगीकरण

ईसीएल ने अपना निगमित पर्यावरण नीति का निरूपण और क्रियान्वयन किया है जो कोल इंडिया लिमिटेड की पर्यावरण नीति के समरूप है। ईसीएल की पर्यावरण नीति अभिकथित करती है कि "ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल)" विस्तृत कंपनी में क्रियान्वयन के माध्यम से एक मिशन मोड में एकीकृत परियोजना की योजना एवं अभिविन्यास, 10 आर (संक्षेपण, पुनर्चक्रण, पुनःउपयोग, पुनर्रचना, पुनःप्रयोजन, नवीकरण, जीर्णोद्धार, पुनःप्राप्ति, विपरिनियोजन एवं अस्वीकार) परिकल्पना को परिनियोजित करने, प्रदूषण निवारण/ अल्पीकरण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, जैव-विविधता एवं पारिस्थिकी का पुनरूद्धार, अपशिष्टों का उचित निपटान, जलवायु परिवर्तन परिचयन और समावेशी संवृद्धि के जरिए पर्यावरण के रक्षण द्वारा संधारणीय विकास को प्रवर्तन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

संधारणीय विकास प्रकोष्ठ (एसडीसी)

ईसीएल में "संधारणीय विकास प्रकोष्ठ" का गठन कंपनी द्वारा समग्र रूप से कृत भिन्न-भिन्न पर्यावरणीय शमन अध्युपायों की योजना बनाने, दिशानिर्देश तैयार करने, समय-समय पर निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए नए विचारों को उत्पन्न करने की दिशा में काम करने के लिए किया गया है। एसडीसी प्रकोष्ठ की अध्यक्षता निदेशक (तकनीकी) योजना व परियोजना द्वारा की जाती है और इसमे प्रमुख विभागीय प्रधान होते हैं। पर्यावरणीय शमन अध्युपायों को उचित और संधारणीय रीति से करने से आस-पास के क्षेत्रों में काम करने वाले और वास करने वाले लोगों को श्रेष्ठतर वातावरण मिलेगा और राष्ट्र में कोयला क्षेत्र की समग्र छवि में भी सुधार होगा। एसडीसी के अधीन गतिविधियाँ यथा निम्नवत थे :

अ. इको-पार्क/पर्यटन स्थलों का विकास :

i. ईसीएल ₹9.32 करोड़ की प्रत्याशित लागत के साथ पश्चिम बंगाल वन विकास निगम लिमिटेड द्वारा 13.02 हेक्टेयर भूमि के ऊपर झाँझरा क्षेत्र में इको-पार्क के विकास करने के लिए प्रक्रियारत है।

ii. ईसीएल ₹1.22 करोड़ की लागत से पेवर ब्लॉक पथ के साथ-साथ परिसीमा दीवार के निर्माण के जरिए गुँजन इकोलॉजिकल पार्क के सौंदर्यीकरण करने के लिए प्रक्रियारत है। उसके लिए कार्यादेश पूर्व में ही निर्गत किया जा चुका है।

iii. भविष्य में तीन (03) इको-पार्क को विकसित किए जाने की योजना बनाई गई है।

आ. धूल दमन अध्युपाय :

ईसीएल की खानें एवं रेलवे पार्श्वस्थलें जल-छिलकाव व्यवस्थाओं से सुसज्जित है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, सतग्राम क्षेत्र में छः (06) फॉग कैनन अधिष्ठापित किए गए है और कुनुस्तोड़िया के बांसरा रेलवे पार्श्वस्थल में अचल जल छिड़काव यंत्र अधिष्ठापित किए गए हैं।

इ. उपरिभार का वैकल्पिक उपयोग :

ईसीएल ने उपरिभार के वैकल्पिक उपयोग के लिए एक पायलट परियोजना को ग्रहण किया है और ईसीएल के काजोड़ा क्षेत्र में प्रसंस्कृत ओबी संयंत्र की अधिष्ठापना की प्रकिया में है। संयंत्र उपरिभार को रेत में रूपांतरित करेगा जो ईसीएल के भूमिगत खानों में भूगर्त-भरण के प्रयोजन से उपयोगिता सिद्धि की जाएगी। इससे नदी तल से रेत निष्कर्षण कम होगी जिससे नदी पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार होगा और कंपनी की कुल रेत भूगर्त-भरण लागत में कमी आएगी।

ई. वैज्ञानिक अध्ययन :

i. सीएसआईआर-सीआईएमएफआर, धनबाद द्वारा "क्षेत्र आधारित अध्ययन का उपयोग करके विद्यमान जैव विविधता और पारिस्थितिक लाभ के साथ सोनपुर बजारी खुली खदान परियोजना में लगभग 245.20 हेक्टेयर के पुनःउद्धारित उपरिभार स्थल की पारिस्थितिक प्रास्थिति का निर्धारण" किया गया है। प्रारूप अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

ii. ईसीएल के छः खदानों (राजमहल खुली खदान परियोजना, सोनपुर बजारी खुली खदान परियोजना, कापासारा खुली खदान परियोजना, मधाईपुर खुली खदान परियोजना, शंकरपुर खुली खदान परियोजना एवं चितरा पूर्वी खुली खदान परियोजना) को आईआईटी, खड़गपुर द्वारा "ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के उपरिभार से प्रसंस्कृत उपरिभार/रेत निष्कर्षण के लिए साध्यता अध्ययन" करने के लिए चिह्नित किया गया है।

ईसीएल में पारिस्थितिक और स्थिरता गतिविधियां

उपाबंध-V

सीएसआर गतिविधियाँ 2021-22

1. कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा :

ईसीएल ने सीआईएल की सीएसआर नीति जो कंपनी अधिनियम 2013 एवं सीएसआर संशोधन नियमावली, 2014 के संशोधन के अनुकूल है को अंगीकृत और क्रियान्वित किया है। दिनांक 01.04.2014 से प्रभावी डीपीई दिशानिर्देशों यथा फाइल सं. 15(13)/2013-डीपीई (जीएम) दिनांकित 21 अक्तूबर 2014 का भी अनुपालन किया जाता है। हमारे सीएसआर पहलों ने ईसेल के परिचालनात्मक क्षेत्रों के समीपवर्ती अधिवासित अल्पसुविधा प्राप्त, सीमांत और परियोजना प्रभावित जनों पर प्रधानतः केंद्रित करते हुए हमारे सामाजिक दायित्व को विस्तारण करके सामाजिक प्रक्रियाओं के साथ हमारा कारबार को एकीकृत किया है। सीआईएल की सीएसआर नीति के अधीन उपबंधों के अनुसार, निधि का ईसील मुख्यालय/क्षेत्र/परियोजना के 25 कि.मी. की त्रिज्या के अंदर 80% उपयोजित किया जाना चाहिए और शेष 20% राज्य/परिचालन के राज्य में संव्यय किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाता है कि समाज के गरीब और जरूरतमंद वर्ग अपने विकास और संधारणीयता समर्थ करने लिए अधिकतम प्रसुविधाओं को प्राप्त करें।

2. वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की संरचना :

क्रम सं.	सदस्यों के नाम	पदनाम	सदस्यों के संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठक	बैठक में सहभागिता की संख्य
1.	श्री शिव तपस्या पासवासन	अध्यक्ष	01	01
2.	श्री संजीव सोनी	सदस्य	02	01
3.	श्री एस. एन. तिवारी	सदस्य	03	Nil
4.	श्री अनिमेष भारती	सदस्य	05	04
5.	श्री प्रवीण कांत	सदस्य	05	05
6.	श्री एक. के. गनेरिवाला	सदस्य	05	05
7.	श्रीमती धर्मशीला गुप्ता	सदस्य	01	01
8.	श्री शिव नारायण पाण्डेय	सदस्य	01	01

3. कंपनी की वेबसाइट पर वेब-लिंक जहाँ निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और सीएसआर परियोजनाएँ है प्रकटित किए जाते हैं :

ईसीएल ने एक सीएसआर पोर्टल विकसित किया है जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और सीएसआर परियोजनाओं से संबंधित संसूचना को उपबंधित करती है। वेब-लिंक http://secureloginecl.co.in/csr/index.php में आगे की संसूचना पाई जाएगी।a

ईसीएल ने एक ईसीएल सीएसआर फोटो अनुप्रयोग विकसित किया है (प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है) जहाँ परियोजना संबंधित ब्यौरे यथा परियोजना नाम, अवस्थान, सेक्टर, कार्यान्वित करने वाले अभिकरण, परियोजना लागत और सीएसआर परियोजनाओं की तस्वीरें नियमित आधार पर अद्यतन किए जाते हैं।

स्थानीय ग्रामीणों को फुटबाल वितरण

ई कैली के बेहतर स्वास्थ्य सेवा के लिए कटिबद्ध है

4. कंपनी नियम (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) नियमावली 2014 के नियम 8 के उपनियम (3), यदि लागू हो, के अनुसरण में निष्पादित सीएसआर परियोजनाओं के समाघात मूल्यांकन के ब्यौरे :

इस अध्ययन का उद्देश्य क्रमशः झारखंड और पश्चिम बंगाल के देवघर के 10 प्रखण्ड के 692 विद्यालयों, साहेबगंज के 5 प्रखण्ड के कुल 145 विद्यालयों और पुरूलिया जिले के 23 प्रखण्डों के 1115 विद्यालयों में अवस्थानित कुल 1952 विद्यालयों में क्रियात्मक और अपक्रियात्मक दोनों विद्यमान शौचालयों के क्रियात्मकता और संतुष्टि स्तरों अन्वेषण करना तथा योजनाओं की संधारणीयता समाघात करने वाले सामाजिक कारकों का परीक्षण करना; सहभागी योजना, सामाजिक जवाबदेही, सुशासन एवं योजना संधारणीयता के मध्य की कड़ी का परीक्षण करना और समुन्नत संधारणीयता लाने के निहितार्थ विकास पेशावरों के लिए बेहतरीन कार्यप्रणाली मार्गदर्शनों के लिए विवाद्यकों को परिलक्षित करना है।

अध्ययन के दौरान, झारखण्ड और पश्चिम बंगाल के 3 जिलों के अंतर्गत 38 प्रखण्डों में कुल 3372 विद्यालयों का सर्वेक्षण किया गया। अध्ययन का वस्तुनिष्ठ अवसंरचना के वास्तविक सत्यापन के जरिए परियोजना के परिणामों को समझना तथा निम्नलिखित अध्यूपायों यथा इनके उपयोगिता, निर्माण की गुणवत्ता, स्वास्थ्यकर दशाओं, शौचालयों के निर्माण के पश्चात उपस्थिति में वृद्धि और "स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय अभियान" के अधीन छात्रों और समाज में संदेश की पहुँच द्वारा निर्मित शौचालयों के लिए लाभार्थियों से प्रतिपुष्टी का संग्रहण था।

इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों आँकड़ें संग्रहण उपकरणों का प्रयोग किए जाते थे। आंकड़ा संग्रहण गतिविधियाँ विद्यालयों जहाँ शौचालयों का निर्माण किया गया था को समाविष्ट करते हैं। विद्यालय स्तर पर, ईसीएल द्वारा पूर्ण संसूचना अर्जित करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया परिगृहीत की गई : समस्त आवश्यक सुविधाओं जैसे जल, पीट दरवाजे, बालक और बालिकाओं दोनों के लिए मूत्रालयों एवं प्रसाधनों की संख्या के स्थापना के जरिए जो उपयोग में है शौचालयों पर प्रमुख सूचनादाता साक्षात्कार संकेंद्रित समूह विचार-विमर्श (एफजीडी)। इसके अतिरिक्त, समस्त विद्यालयों के वास्तविक संप्रेक्षण के साथ-साथ दस्तावेजी पुनर्विलोकन निष्पादित किया गया। आँकड़े संग्रहण में प्रयुक्त तकनीक सन्निर्मित शौचालयों का वास्तविक सत्यापन, उनकी उपयोगिता, उपलब्ध सुविधाएँ, स्वास्थ्यकर दशाओं और विद्यालय के कर्मियों के साथ अन्योन्यक्रिया को समाविष्ट किया जाता है।

अध्ययन के निष्कर्ष उजागर करते हैं कि सर्वेक्षित विद्यालयों में अधिक और न्यून अपेक्षित सुविधाओं के साथ शौचालयों की पर्याप्त संख्या होनी है, यद्यपि कुछ अधिक प्रावधानित सन्निर्माण और अधिष्ठापन के निबंधनों के अनुसार कुछ शौचालय पर अधिक ध्यान देने की जरूरत होती है। शौचालयों के निर्माण के विषय में कुछ विद्यालय प्राधिकारणों ने संतुष्टि व्यक्त की हैं जबकि, कुछ ने असंतुष्टि व्यक्त की हैं लेकिन, विद्यालय के अधिकांश कर्मचारी प्रसन्न थे कि ईसीएल ने ऐसे नेक काम के लिए उदारतापूर्वक निधियन किया है। यह पहल विद्यालय जाने वाले बच्चों का जीवन सदैव सुगम बनाएगा।

http://secureloginecl.co.in/csr/index.php में विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त किया जा सकता है।

सीएसआर के अधीन दुमका जिले के शिकारीपाड़ा और काठीकुंड प्रखण्ड में 'स्वास्थ्य सेतु' मुफ्त एम्बुलेंश सेवा

5. कंपनी नियम 2014 (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) के नियम 7 के उप-नियम 3 के अनुसरण में समंजन के लिए उपलब्ध राशि के ब्यौरे और वित्तीय वर्ष के लिए समंजन के लिए अपेक्षित राशि, यदि कुछ हो :

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	पूर्ववर्ती वर्षों से समंजन के लिए उपलब्ध राशि (₹ में)	वित्तीय वर्ष के लिए समंजन की जाने वाली अपेक्षित राशि (₹ में)
1.	2021-22	Nil	Nil

6. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभ : ₹628.87 करोड़

6. अ. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत निवल लाभ का 2% : ₹12.57 करोड़
   आ. पूर्व वित्तीय वर्ष के सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उद्भूत अधिशेष : कुछ नहीं
   इ. वित्तीय वर्ष के के लिए समंजन की जाने वाली आवश्यक राशि, यदि कुछ हो: कुछ नहीं
   ई. वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7अ + 7आ – 7इ) : ₹12.57 करोड़

8. अ. वित्तीय वर्ष के लिए संव्ययित या अव्ययित सीएसआर राशि :

वित्तीय वर्ष के लिए संव्ययित कुल राशि (₹ में)	अव्ययित राशि (₹ में)				
	धारा 135(6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाता को अंतरित कुल राशि		धारा 135(5) के द्वितीय परंतुक के तहत अधिसूची VII के अधीन विनिर्दिष्ट किसी निधि को अंतरित राशि		
	राशि.	अंतरण की तिथि	निधि के नाम	राशि	निधि राशि। अंतरण की तिथि
₹13.86 करोड़	कुछ नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	कुछ नहीं	लागू नहीं

आ. **वित्तीय वर्ष के लिए अविरत परियोजनाओं के प्रतिकूल संव्ययित सीएसआर राशि के ब्यौरे :** वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान अविरत परियोजनाओं पर व्ययित सीएसआर राशि ₹5.10 करोड़ थी। उपाबंध -क के रूप में विवरण संलग्न किए जाते हैं।

इ. **वित्तीय वर्ष के लिए अविरत परियोजनाओं से भिन्न के प्रतिकूल संव्ययित सीएसआर राशि के ब्यौरे :** वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान अविरत परियोजनाओं से भिन्न के प्रतिकूल संव्ययित सीएसआर राशि ₹8.51 करोड़ थी। उपाबंध-ख के रूप में विवरण संलग्न किए जाते हैं।

ईसीएल के कजोड़ा क्षेत्र में जैवनिम्नीकरणीय थैले का वितरण

ई. प्रशासनिक अधिव्यय में संव्ययित राशि : कुछ नहीं
उ. समाघात मूल्यांकन में संव्ययित राशि, यदि प्रयोज्य है : ₹0.25 करोड़ (**उपाबंध-ग** के रूप में विवरण संलग्न किए जाते हैं)
ऊ. वित्तीय वर्ष के लिए व्ययित कुल राशि (8ख+8ग+8घ+8ङ) : ₹13.86 करोड़
ॠ. समंजन के लिए आधिक्य राशि, यदि कुछ हो :

क्रम सं.	विशिष्टियाँ	राशि (₹ करोड़)
1.	धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	12.57
2.	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि	13.86
3.	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई अतिरिक्त राशि [2 - 1]	1.29
4.	पूर्व वित्तीय वर्षों, यदि कोई हो, के सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उद्भूत अधिशेष	कुछ नहीं
5.	उत्तरवर्ती वित्तीय वर्षों में समंजन के लिए उपलब्ध राशि [4 - 5]	कुछ नहीं

9. अ. पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि के ब्यौरे :

क्रम सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135(6) के अधीन अव्ययित सीएसआर खाता में अंतरित राशि (₹ में)	वित्तीय वर्ष में भुक्तशेष राशि (₹ में)	धारा 135 (6) के तहत अधिसूची के अधीन विनिर्दिष्ट किसी निधी में अंतरित राशि, यदि कोई हो			उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष में व्यय की जाने वाली शेष राशि
				निधि का नाम	राशि (₹ में)	अंतरण की तिथि	
1.	2018-19	कुछ नहीं	कुछ नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	कुछ नहीं
2.	2019-20	कुछ नहीं	कुछ नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	कुछ नहीं
3.	2020-21	कुछ नहीं	कुछ नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	कुछ नहीं

आ. पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष(ओं) के अविरत परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में व्ययित सीएसआर राशि का ब्यौरे : वित्तीय वर्ष के लिए अविरत परियोजनाओं के लिए व्ययित राशि ₹7.91 करोड़ है।

10. पूँजीगत आस्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में व्ययित सीएसआर के जरिए इस प्रकार निर्मित या अधिगृहीत आस्ति से संबंधित ब्यौरे प्रस्तुत करें (आस्तिवार विवरण) : लागू नहीं।

11. कारण(ओं को) विनिर्दिष्ट करें, यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत निवल लाभ के दो प्रतिशत संव्यय करने में विफल होती है : धारा 135(5) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत ₹12.57 करोड़ है और ईसीएल ने ₹13.86 करोड़ अर्थात आवश्यक व्यय से ₹1.29 करोड़ अधिक संव्यय किया है।

(जयप्रकाश गुप्ता)
निदेशक (तकनीकी) योजना व परियोजना

(शिव तपस्या पासवान)
अध्यक्ष, सीएसआर उप-समिति

दिनांक : 08.06.2022
स्थान : सांकतोड़िया
उपाबंध : क, ख एवं ग

उपाबंध – क

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए चालू परियोजनाओं के प्रतिकूल संव्ययित ईसीएल-सीएसआर राशि के ब्यौरे

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम के अधिसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना की अवस्थिति		परियो-जना की अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (₹ में)	वर्तमान वित्तीय वर्ष में संव्ययित राशि (₹ में)	धारा 135 (6) के तहत परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाता में अंतरित राशि (₹ में)	प्रत्यक्ष कार्यान्वयन की रीति (हाँ/नहीं)	क्रियान्वयन अभिकरण के जरिए कार्यान्वयन की रीति	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण सं.
1	सोनपुर बजारी क्षेत्र के सीएसआर के अधीन सोनपुर बजारी, मधुडांगा एवं भटमुरा ग्राम के ग्रामीणों एवं विद्यालय जाने वाले बच्चों के आवागमन के लिए दो ट्रेक्कर या समान रूप के वाहन का उपबंध करना	ग्रामीण विकास	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्द्धमान	1.3 वर्ष	9,17,515.00	8,43,377.70	0.00	हाँ	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा निविदा	–
2	हरिपुर ग्राम पंचायत के पाँच ग्रामों को जल टैंकर के जरिए घरेलू जल की आपूर्ति	जलापूर्ति	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्द्धमान	1 वर्ष	23,27,467.00	9,76,571.55	0.00	हाँ	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा निविदा	–
3	ईसीएल के सीएसआर के अधीन राजमहल क्षेत्र के गोड्डा जिला के मोलनाकिता में बहुउद्देशीय भवन का निर्माण।	ग्रामीण विकास	हाँ	झारखण्ड	गोड्डा	2.2 वर्ष	97,55,191.00	97,55,191.00	0.00	हाँ	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा निविदा	–
4	ईसीएल-सीएसआर के अधीन सोनाबंधी ग्राम में जलापूर्ति योजना	जलापूर्ति	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्द्धमान	1.4 वर्ष	95,24,148.00	75,01,175.00	0.00	हाँ	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा निविदा	–

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम के अधिसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना की अवस्थिति		परियोजना की अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (₹ में)	वर्तमान वित्तीय वर्ष में संव्ययित राशि (₹ में)	धारा 135 (6) के तहत परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाता में अंतरित राशि (₹ में)	प्रत्यक्ष कार्यान्वयन की रीति (हाँ/नहीं)	क्रियान्वयन अभिकरण के जरिए कार्यान्वयन की रीति	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण सं.
5	एस.पी. माइन्स क्षेत्र के अधीन जवाहर नवोदय विद्यालय, तामबाजोर, जामताड़ा में सामान्य प्रयोगशाला का निर्माण	शिक्षा	हाँ	झारखण्ड	देवघर	1 वर्ष	24,22,991.00	24,22,991.00	0.00	हाँ	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा निविदा	–
6	चल चिकित्सीय वाहनों के जरिए अल्प सुविधा प्राप्त एवं जरूरतमंद जनों को चिकित्सीय व स्वास्थ्य सेवाओं का उपबंध करना।	स्वास्थ्य सेवा	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्द्धमान	2.10 वर्ष	4,81,726.00	4,81,726.00	0.00	नहीं	एचएलएफ पीपीटी	CSR00010248
7	चल चिकित्सीय वाहनों के जरिए अल्प सुविधा प्राप्त एवं जरूरतमंद जनों को चिकित्सीय व स्वास्थ्य सेवाओं का उपबंध करना।	स्वास्थ्य सेवा	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्द्धमान	2.10 वर्ष	12,92,082.00	12,92,082.00	0.00	नहीं	आर.के. एच आईवी एड्स	CSR00002183
8	चल चिकित्सीय वाहनों के जरिए अल्प सुविधा प्राप्त एवं जरूरतमंद जनों को चिकित्सीय व स्वास्थ्य सेवाओं का उपबंध करना।	स्वास्थ्य सेवा	हाँ	झारखण्ड	गोड्डा	2.10 वर्ष	17,43,867.00	15,78,500.00	0.00	नहीं	आर.के. एच आईवी एड्स	CSR00002183
9	चल चिकित्सीय वाहनों के जरिए अल्प सुविधा प्राप्त एवं जरूरतमंद जनों को चिकित्सीय व स्वास्थ्य सेवाओं का उपबंध करना।	स्वास्थ्य सेवा	हाँ	झारखण्ड	देवघर	2.10 वर्ष	4,81,726.00	4,81,726.00	0.00	नहीं	एचएलएफ पीपीटी	CSR00010248

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम के अधिसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना की अवस्थिति		परियोजना की अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (₹ में)	वर्तमान वित्तीय वर्ष में संव्ययित राशि (₹ में)	धारा 135 (6) के तहत परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाता में अंतरित राशि (₹ में)	प्रत्यक्ष कार्यान्वयन की रीति (हाँ/नही)	क्रियान्वयन अभिकरण के जरिए कार्यान्वयन की रीति	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण सं.
10	चल चिकित्सीय वाहनों के जरिए अल्प सुविधा प्राप्त एवं जरूरतमंद जनों को चिकित्सीय व स्वास्थ्य सेवाओं का उपबंध करना।	स्वास्थ्य सेवा	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्द्धमान	2.10 वर्ष	11,22,267.00	11,22,267.00	0.00	नहीँ	आर.के. एच आईवी एड्स	CSR00002183
11	चल चिकित्सीय वाहनों के जरिए अल्प सुविधा प्राप्त एवं जरूरतमंद जनों को चिकित्सीय व स्वास्थ्य सेवाओं का उपबंध करना।	स्वास्थ्य सेवा	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्द्धमान	2.10 वर्ष	16,68,633.00	16,68,632.00	0.00	नहीँ	आर.के. एच आईवी एड्स	CSR00002183
12	बरातर विवेकानंद शिशु मंदिर, बारातर, पुरूलिया में नव विद्यालय भवन का निर्माण।	शिक्षा	नहीं	पश्चिम बंगाल	पुरुलिया	1.8 वर्ष	19,08,205.00	19,08,205.00	0.00	नहीँ	विवेकानंद विद्याविकास परिषद्	CSR00002109
13	ग्रामीण व जनजाति क्षेत्र में 100 एकल विद्यालय	शिक्षा	नहीं	पश्चिम बंगाल	पुरुलिया	1.1 वर्ष	13,20,000.00	13,20,000.00	0.00	नहीँ	भारत लोक शिक्षा परिषद्	CSR00000667
14	ईसीएल-सीएसआर के अधीन ईसीएल मुख्यालय के समीपवर्ती प्राथमिक विद्यालयों में जल-सह-शोधित्र, जल टंकी एवं निमज्जनीय पम्प का संस्थापन।	जलापूर्ति	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्द्धमान	1.4 वर्ष	1,89,048.00	1,89,048.00	0.00	नहीँ	सांकतोड़िया ग्राम समिति	CSR00026873

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम के अधिसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना की अवस्थिति		परियो-जना की अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (₹ में)	वर्तमान वित्तीय वर्ष में संव्ययित राशि (₹ में)	धारा 135 (6) के तहत परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाता में अंतरित राशि (₹ में)	प्रत्यक्ष कार्यान्वयन की रीति (हाँ/नहीं)	क्रियान्वयन अभिकरण के जरिए कार्यान्वयन की रीति	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण सं.
15	सांकतोड़िया में सौंदर्य कला में कौशल विकास	नारी सशक्तिकरण	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्द्धमान	2.8 वर्ष	2,70,660.00	1,59,060.00	0.00	नहीँ	एसएसआर डीपी	CSR00001258
16	शुक्ति मशरूम खेती के जरिए सांकतोड़िया में महिला सशक्तिकरण के लिए जीविका कार्यक्रम	नारी सशक्तिकरण	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्द्धमान	2.1 वर्ष	92,400.00	92,400.00	0.00	नहीँ	बारजोरा समाज कल्याण केंद्र	
17	मोहनपुर जल शोधन, सलानपुर से 8 समीपवर्ती ग्रामों को धरेलू जलापूर्ति।	जलापूर्ति	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्द्धमान	1.2 वर्ष	4,40,903.00	4,40,903.00	0.00	हाँ	बारजोरा समाज कल्याण केंद्र	–
18	02 चल चिकित्सीय वाहनों के जरिए अल्प सुविधा प्राप्त एवं जरूरतमंद जनों को चिकित्सीय व स्वास्थ्य सेवाओं का उपबंध करना।	स्वास्थ्य सेवा	हाँ	झारखण्ड	दुमका	1.3 वर्ष	12,35,000.00	11,11,500.00	0.00	नहीँ	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा निविदा	–
19	02 चल चिकित्सीय वाहनों के जरिए अल्प सुविधा प्राप्त एवं जरूरतमंद जनों को चिकित्सीय व स्वास्थ्य सेवाओं का उपबंध करना।	स्वास्थ्य सेवा	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्द्धमान	1.3 वर्ष	12,35,000.00	11,90,883.00	0.00	नहीँ	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा निविदा	–

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम के अधिसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना की अवस्थिति		परियोजना की अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (₹ में)	वर्तमान वित्तीय वर्ष में संव्ययित राशि (₹ में)	धारा 135 (6) के तहत परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाता में अंतरित राशि (₹ में)	प्रत्यक्ष कार्यान्वयन की रीति (हाँ/नहीं)	क्रियान्वयन अभिकरण के जरिए कार्यान्वयन की रीति	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण सं.
20	आईटीआई, सिकटिया, गोड्डा के संचालन, अनुरक्षण, प्रबंधन एवं उन्नयन	कौशल विकास	हाँ	झारखण्ड	गोड्डा	2 वर्ष	1,37,65,880.00	1,15,17,962.00	0.00	नहीं	गोविंदपुर शेफाली समाज सेवा समिति	–
21	ईसीएल के केंदा, सोदपुर, सलानपुर एवं सतग्राम क्षेत्र के 15 विद्यालयों में	शिक्षा	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्द्धमान	2 वर्ष	10,97,400.00	6,58,440.00	0.00	नहीं	संभावना फाउंडेशन	CSR00000687
22	सेंट्रल इंस्टिच्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग में सीआईएल-मुख्यालय / सीआईएल अनुषंगियों द्वारा समर्थ कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	कौशल विकास	हाँ	पश्चिम बंगाल एवं झारखण्ड	पश्चिम बर्द्धमान, दुमका एवं गोड्डा	1.6 वर्ष	27,75,500.00	27,75,500.00	0.00	नहीं	सीपेट	CSR00008481
23	एटीडीसी, कुनुस्तोड़िया द्वारा सिलाई मशीन ऑपरेटर ट्रेड में कौशल प्रशिक्षण मध्यक्षेप	कौशल विकास	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्द्धमान	2.2 वर्ष	9,89,474.00	9,89,474.00	0.00	नहीं	एटीडीसी, राँची	CSR00000938
24	चल चिकित्सीय वाहनों के जरिए अल्प सुविधा प्राप्त एवं जरूरतमंद जनों को चिकित्सीय व स्वास्थ्य सेवाओं का उपबंध करना	स्वास्थ्य सेवा	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्द्धमान	2.10 वर्ष	4,81,726.00	4,81,726.00	0.00	नहीं	एचएलएफ पीपीटी	CSR000 10248
						कुल व्यय	**5,75,38,809.00**	**5,09,59,340.25**				

उपाबंध – ख

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए चालू परियोजनाओं से भिन्न के प्रतिकूल संव्ययित ईसीएल-सीएसआर राशि का ब्यौरे

1	2	3	4	5		6	7	8	
क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम के अधिसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना की अवस्थिति		परियोजना के लिए संव्यय राशि (₹ में)	प्रत्यक्ष कार्यान्वयन की रीति (हाँ/नहीं)	क्रियान्वयन अभिकरण के जरिए कार्यान्वयन की रीति	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण सं.
1	पश्चिम बंगाल विधान सभा आम निर्वाचन 2021 के संसक्त मतदान केंद्रों को 100 व्हील चेयर उपबंध करना।	दिव्यांगजन	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्द्धमान	7,39,000.00	नहीं	भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम	CSR00000532
2	एडीएम, पश्चिम बर्द्धमान को उपबंधित मतदान केंद्रों के लिए 100 व्हील चेयर के प्रत्येक पर ईसीएल लोगो एवं नाम का मुद्रण।	दिव्यांगजन	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्द्धमान	6,000.00	नहीं	भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम	CSR00000533
3	गोड्डा के मेघी ग्राम में 600 मीटर की कंक्रीट ग्राम उपगमन सड़क का निर्माण।	ग्रामीण विकास	हाँ	झारखण्ड	गोड्डा	25,32,774.44	हाँ	ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड द्वारा निविदा	–
4	रानीगंज प्रखण्ड के अधीन सौर गलियारा प्रकाशक आधारित 38 एलईडी का संस्थापन	पर्यावरण एवं संधारणीयता	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्द्धमान	5, 11,100.00	हाँ	ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड द्वारा निविदा	–
5	दुमका जिला (आकांक्षापूर्ण जिला) के सरैयाहाट प्रखण्ड के हँसडीहा में नव निर्मित अस्पताल भवन में 200 शय्या युक्त समर्पित कोविड अस्पताल का स्थापन।	स्वास्थ्य सेवा (कोविड-19)	हाँ	झारखण्ड	दुमका	1,30,36,455.00	नहीं	उपायुक्त समाहरणालय, दुमका	–
6	कोविड-19 के उपशमन के लिए जिला प्रशासन, जामताड़ा को निधि उपबंध करना।	स्वास्थ्य सेवा (कोविड-19)	हाँ	झारखण्ड	जामताड़ा	25,00,000.00	नहीं	उपायुक्त समाहरणालय, जामताड़ा	–
7	देवघर जिला के भिन्न-भिन्न अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों एवं अन्य कोविड केंद्रों में कोविड सेवा केंद्रों के लिए आधारभूत अवसंरचना का विकास एवं मरम्मति और चिकित्सीय उपस्करों की अधिप्राप्ति के लिए निधि उपबंध करना।	स्वास्थ्य सेवा (कोविड-19)	हाँ	झारखण्ड	देवघर	3,00,00,000.00	नहीं	उपायुक्त समाहरणालय, देवघर	–

1	2	3	4	5		6	7	8	
क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम के अधिसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना की अवस्थिति		परियोजना के लिए संव्यय राशि (₹ में)	प्रत्यक्ष कार्यान्वयन की रीति (हाँ/नहीं)	क्रियान्वयन अभिकरण के जरिए कार्यान्वयन की रीति	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण सं.
8	कोविड-19 के प्रतिकूल लड़ाई के लिए आवश्यक चिकित्सीय एवं अन्य उपस्करों की अधिप्राप्ति के लिए आकांक्षी जिला, गोड्डा को निधि उपबंध करना।	स्वास्थ्य सेवा (कोविड-19)	हाँ	झारखण्ड	गोड्डा	1,66,94,002.00	नहीं	उपायुक्त समाहरणालय, गोड्डा	–
9	तिलाबोनी ग्राम में 500 मीटर पीसीसी सड़क का निर्माण	ग्रामीण विकास	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्द्धमान	8,05,094.00	हाँ	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा निविदा	–
10	गोड्डा में मोहनपुर हटिया से मस्जिद तक पीसीसी सड़क का निर्माण।	ग्रामीण विकास	हाँ		गोड्डा	28,96,561.00	हाँ	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा निविदा	–
11	कोविड-19 रोगियों के उपचार से संबंधित चिकित्सीय उपस्कर की अधिप्राप्ति के लिए पूर्वी रेलवे को सीएसआर निधि उपबंध करना।	स्वास्थ्य सेवा (कोविड-19)	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्द्धमान	2,62,000.00	नहीं	डीआरएम, पूर्वी रेलवे	–
12	वार्ड सं. 104 एवं 105 के डिसेरगढ़ में एसबीआई, सांकतोड़िया शाखा से ईसीएल स्टेडियम के सन्निकट सड़क तक उच्च जल निकासी एवं 2 पुलिया का निर्माण।	स्वच्छता	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्द्धमान	89,64,874.00	नहीं	आसनसोल नगर निगम	–
13	दुमका जिला (आकांक्षापूर्ण जिला) में शिकारीपाड़ा एवं काठीकुण्ड प्रखण्ड के लिए स्वास्थ्य सेतु एम्पुलेंश सेवा	स्वास्थ्य सेवा	हाँ	झारखण्ड	दुमका	12,21,136.00	नहीं	आर.के. एचआईवी एड्स	CSR00002183
14	गोड्डा में इंटर कॉलेज महागामा से विद्यमान पीसीसी सड़क तक पीसीसी सड़क के निर्माण के लिए प्रस्ताव।	ग्रामीण विकास	हाँ	झारखण्ड	गोड्डा	17,79,858.00	हाँ	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा निविदा	–

1	2	3	4	5		6	7	8	
क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम के अधिसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना की अवस्थिति		परियोजना के लिए संव्यय राशि (₹ में)	प्रत्यक्ष कार्यान्वयन की रीति (हाँ/नहीं)	क्रियान्वयन अभिकरण के जरिए कार्यान्वयन की रीति	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण सं.
15	सलानपुर क्षेत्र, ईसीएल के सीएसआर योजना के अधीन रामकृष्ण मिशन आश्रम में सभामण्डप का अवसंरचनात्मक विकास।	शिक्षा	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्द्धमान	20,52,470.00	नहीं	रामकृष्ण मिशन आश्रम	CSR00006101
16	पश्च अम्फान चक्रवात, कोलकाता में आपदा प्रबंधन कार्य।	पर्यावरण एवं संधारणीयता	नहीं	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	1,89,200.00	नहीं	नेशनल कोलफील्ड्स सिटिजेन फारम	–
17	न्यू इगरा ग्राम, कुनुस्तोड़िया में पेयजल की आपूर्ति के लिए डीप बोरवेल, सौर पम्प एवं पाइपलाइन का संस्थापन	जलापूर्ति	हाँ	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बर्द्धमान	9,4 1,460.00	हाँ	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा निविदा	–
					कुल :	**8,51,31,984.00**			

उपाबंध – ग

वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रभाव आकलन अध्ययन

क्रम सं.	परियोजना का नाम	परियोजना की अवस्थिति		परियोजना के लिए संव्यय राशि (₹ में)	प्रत्यक्ष कार्यान्वयन की रीति (हाँ/नहीं)	क्रियान्वयन अभिकरण के जरिए कार्यान्वयन की रीति	
		राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण सं.
1	देवघर, साहिबगंज एवं पुरूलिया जिले में सीएसआर के अधीन निर्मित / मरम्मति किए गए शौचालयों का प्रभाव आकलन एवं सर्वेक्षण	पश्चिम बंगाल एवं झारखण्ड	पश्चिम बर्द्धमान, पुरूलिया, धनबाद, देवघर, गोड्डा	24,93,000.00	नहीं	आईआईटी, खड़गपुर	–

निगमित सुशासन पर प्रतिवेदन

उपाबंध-VI

(1) दर्शन

निगमित सुशासन नैतिक रूप से संचालित कारबार प्रथाओं के माध्यम से नियामकों, कर्मियों, विक्रेताओं, निवेशकों और व्यापक रूप से समाज को समाविष्ट करते हुए हमारे हितधारकों के लिए दीर्घाकालिक संधारणीय मूल्य का सृजन और संवृद्धि है। प्रभावी निगमित सुशासन प्रथाएँ उस मजबूत नींव को स्थापित करती हैं जिसपर सफल वाणिज्यिक उद्यम अवलंबित होते हैं। सशक्त नेतृत्व और प्रभावी निगमित सुशासन प्रथाएँ कंपनी की विशिष्टता है जो उसे अपनी संस्कृति और लोकाचार से विरासत में मिली हैं। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में, यह समादेशी है कि हमारी कंपनी के मामलातों को निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से प्रबंधित किया गया है।

हमारी कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि कंपनी न केवल अभिकथित निगमित सुशासन दिशानिर्देशों को, बल्कि वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को भी विकसित और उनका अनुसरण करे। हम अपने शेयरधारकों के अधिकारों की रक्षा करना और अपने वित्तीय एवं कार्य-निष्पादन के साथ-साथ कंपनी के नेतृत्व और शासन के बारे में समय पर, पर्याप्त और सटीक सूचना का प्रकटन करना अपनी अंतर्निहित दायित्व मानते हैं। पारदर्शिता, जवाबदेही एवं सत्यनिष्ठा एक अच्छे निगमित सुशाशन का मुख्य घटक हैं। आपकी कंपनी यथा एक सुनिगमित नागरिक निगमित सुशासन के उच्चतम मानकों का पालन करने में विश्वास करती है। ईसीएल सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अधीन भारतीय नागरिकों को सूचना तक उचित पहुँच उपबंधित करती है।

(2) निदेशक मंडल :

(क) निदेशक मण्डल की संरचना :

हमलोग कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अर्थ के अंतर्गत एक सरकारी कंपनी है जिसका समस्त चुकता शेयर पूँजी कोल इंडिया लिमिटेड धारित करता है। संगत अनुच्छेदों के अनुसार, निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास है।

कंपनी के संगत अनुच्छेदों के निबंधन में हमारे निदेशक मंडल में जनशक्ति 02 निदेशकों से और 15 निदेशकों से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये निदेशकगण चाहे पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशकगण या अशंकालिक निदेशकगण हो सकते हैं। निदेशकों को कोई अर्हता शेयर रखने की आवश्यकता नहीं है।
31 मार्च, 2022 तक, निदेशक मण्डल में 8 निदेशकगण सम्मिलित हुए, जिसमें से 2 पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशकगण, 2 अंशकालिक पदीय निदेशकगण और 4 अंशकालिक गैर-पदीय निदेशकगण थें।

निदेशकगण निदेशक मण्डल में व्यापक अनुभव और कौशल लाते हैं।

निदेशकगण :

वर्ष 2021-22 के दौरान, श्री प्रेम सागर मिश्रा 28.01.2022 तक ईसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक थे और वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक 01.02.2022 से ईसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री अंबिका प्रसाद पंडा थे।

वर्ष 2021-22 के दौरान कंपनी के निदेशक मण्डल में अन्य निदेशकगण श्री प्रवीण कांत, अंशकालिक गैर-पदीय निदेशक (12.12.2021 तक); श्री अनिल कुमार गणेरिवाला, अंशकालिक गैर-पदीय निदेशक; श्रीमती धर्मशीला गुप्ता, अंशकालिक गैर-पदीय निदेशक (01.11.2021 से); श्री शिव नारायण पाण्डेय, अंशकालिक गैर-पदीय निदेशक (01.11.2021 से); श्री शिव तपस्या पासवान, अंशकालिक गैर-पदीय निदेशक (01.11.2021 से); श्री संजीव सोनी, अंशकालिक पदीय निदेशक (30.06.2021 तक); श्री एस. एन. तिवारी, अंशकालिक पदीय निदेशक (05.07.2021 से); श्री अनिमेष भारती, अंशकालिक पदीय निदेशक; श्री जयप्रकाश गुप्ता, कार्यकारी निदेशक; श्री विनय रंजन, कार्यकारी निदेशक (27.07.2021 तक); श्री बी. वीरा रेड्डी, कार्यकारी निदेशक (31.01.2022 तक) एवं श्री गौतम चंद्र दे, कार्यकारी निदेशक (31.01.2022 तक) थे।

सेवा संविदा :

भारत के राष्ट्रपति द्वारा कंपनी के निदेशकों की नियुक्ति की गई है। कंपनी के संगम अनुच्छेद के निबंधन में पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशगणों की नियुक्ति के निबंधन एवं शर्तों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा विनिश्चित किया जाता है। गैर-पदीय अंशकालिक निदेशकों के निबंधन एवं शर्ते को कोयला मंत्रालय द्वारा अधिकथित किया जाता है।

निदेशकगणों की आयु-सीमाएँ एवं पदावधि :

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं अन्य पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशकगणों की आयु-सीमा 60 वर्ष है। अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं अन्य पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशकगण पदग्रहण की तिथि से पाँच वर्षों की अवधि या पदधारी की अधिवर्षिता की तिथि तक या भारत सरकार के अगले आदेश तक जो भी घटना पहले होती है के लिए नियुक्त किए जाते हैं। निदेशक मण्डल के किसी भी निदेशकगण दस से अधिक सार्वजनिक कंपनियों में निदेशक पद को धारित नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त, उनमें से कोई भी दस से अधिक समितियों का सदस्य या सभी सार्वजनिक कंपनियों में पांच से अधिक समितियों का अध्यक्ष नहीं है, जिसमें वह एक निदेशक है। निदेशकों द्वारा 31 मार्च, 2022 तक अन्य सार्वजनिक कंपनियों में समिति के पदों संबंधी आवश्यक प्रकटन किया गया है। कोई भी निदेशक एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं। कोयला मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने वाले सरकारी नामित निदेशकगण, कोयला मंत्रालय के पदधारी नहीं रहने पर निदेशक मण्डल से सेवानिवृत्त होते हैं। भारत सरकार द्वारा स्वतंत्र निदेशकगणों की नियुक्ति की जाती है। गैर-अधिशासी स्वतंत्र निदेशकगण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 में विनिर्दिष्ट स्वतंत्रता की शर्तों को पूर्ण करते हैं।

(ख) निदेशक मण्डलीय बैठकें :

निदेशकों की सुविधा के लिए और वीडियो दूर सम्मेलन रीति के जरिए भी निदेशक मंडल की बैठकें सामान्यतः सांक्तोड़िया/कोलकाता में आयोजित की जाती हैं। कंपनी के पास निदेशक मंडल और उसकी समितियों की बैठकों के लिए सुपरिभाषित प्रक्रियाएँ हैं ताकि सुविज्ञ और दक्ष रीति से निर्णय विनिश्चय में सुकर हो सके।

31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान, यथा एक वित्तीय वर्ष में 4 बैठकों की न्यूनतम आवश्यकता के प्रतिकूल 12 (बारह) निदेशक मण्डलीय बैठकें 14.05.2021, 28.05.2021, 28.06.2021, 03.08.2021, 23.09.2021, 11.10.2021, 03.11.2021, 01.12.2021, 23.12.2021, 28.01.2022, 03.03.2022, एवं 22.03.2022 को आयोजित किए गए थें।

प्रत्येक निदेशकगणों की उपस्थिति सापेक्ष निदेशक मण्डलीय बैठकों की संख्या निम्नवत है :

क्रम सं.	निदेशकगण	निदेशक मण्डलीय बैठकें		अन्य निदेशकों की संख्या
		पदावधि के दौरान आयोजित	उपस्थिति सापेक्ष	
	कार्यकारी निदेशकगण :			
01	श्री प्रेम सागर मिश्रा अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, ईसीएल (28.01.2022 तक)	10	10	शून्य
02	श्री अंबिका प्रसाद पंडा अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, ईसीएल (01.02.2022 से)	2	2	02
03	श्री जयप्रकाश गुप्ता निदेशक (तकनीकी) योजना व परियोजना, ईसीएल (18.06.2018 से)	12	10	01
04	श्री विनय रंजन निदेशक (कार्मिक), ईसीएल (27.07.2021 तक)	3	3	शून्य
05	श्री बी. वीरा रेड्डी निदेशक (तकनीकी) संचालन, ईसीएल (31.01.2022 तक)	10	10	शून्य
06	श्री गौतम चंद्र दे निदेशक (वित्त), ईसीएल (31.01.2022 तक)	10	10	शून्य
	अंशकालिक पदीय निदेशक			
07	श्री संजीव सोनी निदेशक (वित्त), सीआईएल (30.06.2021 तक)	3	3	02
08	श्री ए. एन. तिवारी निदेशक (विपणन), सीआईएल (05.07.2021 से)	9	8	05

क्रम सं.	निदेशकगण	निदेशक मण्डलीय बैठकें		अन्य निदेशकों की संख्या
		पदावधि के दौरान आयोजित	उपस्थिति सापेक्ष	
09	श्री अनिमेष भारती आर्थिक सलाहकार, कोयला मंत्रालय	12	11	शून्य
	कार्यकारी निदेशकगण :			
10	श्री प्रवीण कांत (12.12.2021 तक)	8	8	05
11	श्री अनिल कुमार गणेरिवाला (10.07.2019 तक)	12	12	शून्य
12	श्रीमती धर्मशीला गुप्ता (01.11.2021 से)	6	6	शून्य
13	श्री शिव नारायण पाण्डेय (01.11.2021 से)	6	6	शून्य
14	श्री शिव तपस्या पासवान (01.11.2021 से)	6	6	शून्य

(ग) निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत सूचना :

निदेशक मण्डल का कंपनी के अंतर्गत किसी भी सूचना तक पूर्ण अभिगमन है। निदेशक मण्डल को आपूर्ति की जाने वाली नियमित सूचनाओं में अन्य बातों के साथ-साथ निम्निलखित को समाविष्ट करता है :

1. वार्षिक परिचालनात्मक योजनाएँ एवं बजटों और कोई अध्यतन।
2. पूँजी बजटों और कोई अद्यतन।
3. कंपनी और उसके परिचालनात्मक प्रभागों या कारबार अनुभागों के लिए तिमाही परिणाम।
4. निदेशक मण्डल के लेखापरीक्षा समिति एवं अन्य समितियों की बैठकों का कार्यवृत्त।
5. निदेशक मण्डल के ठीक नीचे मुख्य वित्तीय अधिकारी एवं कंपनी सचिव की नियुक्ति या अपसारण सहित वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक की सूचना।
6. कारण बताओ, माँग, अभियोजन सूचनाएँ तथा शास्ति सूचनाएँ जो तात्त्विक रूप से महत्वपूर्ण हैं।
7. घातक या गंभीर दुर्घटनाएँ, संकटपूर्ण घटनाएँ, किसी पदार्थ बहिःस्राव या प्रदूषण समस्याएँ।
8. कंपनी को और उसके द्वारा वित्तीय दायित्वों में कोई भी तात्त्विक व्यतिक्रम, या कंपनी द्वारा बिक्री मालों के लिए सारभूत असंदाय।
9. कोई भी मुद्दा, जिसमें किसी भी निर्णय या आदेश सहित सारभूत प्रकृति के संभावित सार्वजनिक या उत्पाद देयता दावे अंतर्वलित होते हैं, जिससे कंपनी के कार्याकलाप पर अवक्षेपें पारित हो सकता है या किसी अन्य उद्यम विषयक प्रतिकूल दृष्टिकोण परिगृहीत कर सकता है जिसका कंपनी पर नकारात्मक विवक्षा हो सकता है।
10. किसी भी संयुक्त उद्यमों या सहयोग करार का ब्यौरा।
11. महत्वपूर्ण श्रम समस्याएँ और उनके प्रस्तावित समाधान। मजदूरी करार पर हस्ताक्षर, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के क्रियान्वयन इत्यादि जैसे अग्रणी मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध में कोई महत्वपूर्ण विकास।
12. किसी भी विनियमकारी एवं कानूनी मामलों का अननुपालन।

(घ) निदेशक का पारिश्रमिक :

(I) कार्यकारी निदेशकगण :

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	निदेशक का नाम	वेतन	प्रसुविधाएँ	कुल
1.	श्री पी. एस. मिश्रा (28.01.2022 तक)	4733865.00	574011.00	5307876.00
2.	श्री जयप्रकाश गुप्ता	4810026.00	588337.00	5398363.00
3.	श्री विनय रंजन (27.07.2021 तक)	1301983.00	134676.00	1436659.00
4.	श्री बी. वीरा रेड्डी (31.01.2022 तक)	3744700.00	445630.00	4190330.00
5.	श्री जी सी डे (31.01.2022 तक)	6473774.00	542045.00	7015819.00

(ii) अंशकालिक पदीय निदेशकगण :

कंपनी द्वारा अंशकालिक पदीय निदेशकगणों को कोई भी पारिश्रमिक संदाय नहीं किया गया है।

(iii) अंशकालिक पदीय निदेशकगण :

अंशकालिक गैर-पदीय निदेशकों को बैठक शुल्क के सिवाय कोई पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जा रहा है। निदेशक मण्डल / समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए प्रदत्त बैठक शुल्क का ब्यौरे निम्नवत है :

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	निदेशक का नाम	निदेशक मण्डलीय बैठक के लिए बैठक शुल्क	समिति बैठकों के लिए बैठक शुल्क	कुल
1.	श्री प्रवीण कांत	1,20,000.00	3,00,000.00	4,20,000.00
2.	श्री अनिल कुमार गणेरिवाला	1,80,000.00	3,60,000.00	5,40,000.00
3.	श्रीमती धर्मशीला गुप्ता	90,000.00	1,05,000.00	1,95,000.00
4.	श्री शिव नारायण पाण्डेय	90,000.00	1,05,000.00	1,95,000.00
5.	श्री शिव तपस्या पासवान	90,000.00	1,05,000.00	1,95,000.00

(3) मण्डलीय समिति :

निदेशक मण्डल ने निम्नलिखित मण्डलीय समितियों का गठन किया है :

क. लेखापरीक्षा समिति;
ख. "परियोजनाओं का मूल्यांकन, मूल्य-निरूपण एवं अनुमोदन" के लिए उप-समिति;
ग. "सीएसआर" पर समिति;
घ. जोखिम प्रबंधन समिति;
ङ. "लागत नियंत्रण" के लिए उपसमिति;
च. "अनुसंधान एवं विकास" के लिए उपसमिति

[क] लेखापरीक्षा समिति :

आपकी कंपनी के पास स्वतंत्र लेखापरीक्षा समिति है। कंपनी द्वारा गठित लेखापरीक्षा समिति की संरचना, प्रक्रियाएँ, शक्तियाँ और भूमिकाएँ / प्रकार्य कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं का अनुपालन करना है।

लेखापरीक्षा समिति का विस्तार :

लेखापरीक्षा समिति के विस्तार यथा निम्नवत हैं :

1. कंपनी के वित्तीय प्रतिवेदित प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करना और उसके वित्तीय सूचना के प्रकटन को सुनिश्चित करना कि वित्तीय विवरणी सही, पर्याप्त और विश्वसनीय है।
2. निदेशक मण्डल को लेखापरीक्षा शुल्कों के नियतन की सिफारिश करना।
3. सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा प्रदत्त किसी अन्य सेवाओं के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों को शुल्क नियतन के लिए निदेशक मण्डल को सिफारिश।
4. वार्षिक वित्तीय विवरणियों को अनुमोदन के लिए निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करने के पूर्व अनुप्रयुक्त विधियों के साथ अनुपालन में हैं के प्रति निर्देश से प्रबंधन के साथ पुनर्विलोकन करना और यह सुनिश्चित करना कि :

क. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अनुसार निदेशक मण्डलीय प्रतिवेदनों में समाविष्ट किए गए आवश्यक मामले हैं;

ख. लेखांकन नीतियों एवं प्रथाओं में, यदि कोई हो, परिवर्तन हैं;
ग. प्रबंधन द्वारा निर्णय के अभ्यास पर आधारित प्राक्कलनों के अंतर्गत लेखांकन प्रविष्टियाँ किए गए हैं;
घ. लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उद्भूत वित्तीय विवरणियों में कृत महत्त्वपूर्ण समायोजन किए गए हैं;
ङ. वित्तीय विवरणी संबंधित विधिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन में हैं;
च. किसी भी संबंध पक्षकार लेनदेनों का प्रकटन किया गया है;
छ. लेखापरीक्षक प्रतिवेदन प्रारूप में अर्हताओं में हैं और
ज. वित्तीय दशाओं एवं परिचालनात्मक परिणामों की प्रबंधकीय परिचर्चा एवं विश्लेषण किया गया हैं।

5. अनुमोदन के लिए निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करने के पूर्व तिमाही वित्तीय विवरणियों, प्रबंधन क साथ, पुनर्विलोकन।
6. आंतरिक लेखापरीक्षकों के कार्य-निष्पादन एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों पर प्रबंधन के साथ पुनर्विलोकन करना।
7. आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की पर्याप्तता की समीक्षा, यदि कोई हो, जिसमें आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, विभाग के प्रमुख अधिकारी की स्टाफिंग और वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना कवरेज और आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति और आंतरिक लेखा परीक्षा की नियुक्ति और/या हटाने के संबंध में जानकारी शामिल है। लेखा परीक्षक।
8. आंतरिक लेखापरीक्षक और / या लेखापरीक्षकों के साथ किसी भी महत्वपूर्ण निष्कर्षों या उसके अनुवर्ती कार्रवाई पर परिचर्चा।
9. मामलें जहाँ तात्विक प्रकृति के संदिग्ध कपट या अनियमितता या आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता है और निदेशक मण्डल को मामलात की रिपोर्टिंग प्रतिवेदित किया जा रहा है को आंतरिक लेखापरीक्षकों / लेखापरीक्षकों / अभिकरणों द्वारा किसी भी आंतरिक अन्वेषणों के निष्कर्षों का पुनर्विलोकन करना।
10. लेखापरीक्षा आरंभ करने के पूर्व, लेखापरीक्षा की प्रकृति और विस्तार के साथ-साथ किसी भी समुत्थान क्षेत्र को अभिनिश्चित करने के लिए पश्च-लेखापरीक्षा परिचर्चा के बारे में सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ परिचर्चा।
11. जमाकर्ता, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश के असंदाय की दशा में) एवं ऋणदाताओं के संदाय में सारभूत व्यतिक्रम के लिए कारकों की जाँच-पड़ताल करना।
12. सूचना प्रदाता तंत्र के कार्य पद्धति का पुनर्विलोकन करना।
13. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा संप्रेक्षणों पर अनुवर्ती कार्रवाई का पुनर्विलोकन करना।
14. गतिविधियों के विस्तार या आवश्यक सूचना तक पहुँच में किसी भी निर्बंधनों सहित लेखापरीक्षा के दौरान समागमित कोई भी कठिनाइयाँ।
15. संसद के सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति के संस्तुतियों को परिगृहीत अनुवर्ती कार्रवाई को पुनर्विलोकन करना।

संरचना :

31 मार्च, 2022 तक लेखापरीक्षा समिति में चार (04) अंशकालिक गैर-पदीय निदेशकगण नामतः श्री अनिल कुमार गणेरिवाला, श्रीमती धर्मशीला गुप्ता, श्री शिव नारायण पाण्डेय एवं श्री शिव तपस्या पासवान; दो (02) अंशकालिक पदीय निदेशकगण नामतः श्री एस. एन. तिवारी, निदेशक (विपणन), सीआईएल और श्री अनिमेष भारती, आर्थिक सलाहकार, कोयला मंत्रालय तथा एक (01) कार्यकारी निदेशक नामतः श्री जयप्रकाश गुप्ता, निदेशक (तकनीकी) योजना व परियोजना एवं निदेशक (तकनीकी) संचालन (अतिरिक्त प्रभार) सम्मिलित थे।

अंशकालिक गैर-पदीय निदेशक श्री प्रवीण कांत 12.12.2021 तक लेखापरीक्षा समिति के सभापति थे और तत्पश्चात वर्ष की समाप्ति तक अंशकालिक गैर-पदीय निदेशक श्री अनिल कुमार गणेरिवाला लेखापरीक्षा समिति के सभापति थे।

लेखापरीक्षा समिति में निदेशक (वित्त) एवं महाप्रबंधक (आंतरिक लेखापरीक्षा) स्थायी आमंत्रित हैं और कंपनी सचिव समिति के सचिव है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान दिनांक 14.05.2021, 28.05.2021, 03.08.2021, 23.09.2021, 11.10.2021, 03.11.2021, 01.12.2021, 28.01.2022 एवं 03.03.2022 दिनांकों को लेखापरीक्षा समिति के नौ (09) बैठकें आयोजित किया गया। वर्ष के दौरान प्रत्येक सदस्यों द्वारा लेखापरीक्षा समिति बैठकों में उपस्थिति की संख्या यथा निम्नवत है :

क्रम सं.	सदस्य	सदस्यों के निज पदावधि के दौरान आयोजित बैठक	बैठकों में उपस्थिति की संख्या
1.	श्री प्रवीण कांत	7	7
2.	श्री अनिल कुमार गणेरिवाला	9	9
3.	श्री संजीव सोनी	2	1
4.	श्री एस. एन. तिवारी	6	1
5.	श्री अनिमेष भारती	9	6
6.	श्री धर्मशीला गुप्ता	3	3
7.	श्री शिव नारायण पाण्डेय	3	3
8.	श्री शिव तपस्या पासवान	3	3
9.	श्री जयप्रकाश गुप्ता	9	8
10.	श्री विनय रंजन	2	2
11.	श्री बी. वीरा रेड्डी	8	8

[ख] परियोजनाओं का मूल्यांकन, मूल्य निरूपण एवं अनुमोदन के लिए समिति :

निदेशक मंडल की 246वीं बैठक में, परियोजनाओं के मूल्यांकन, मूल्य-निरूपण एवं अनुमोदन के लिए एक समिति का गठन किया गया था। 31 मार्च, 2022 तक, परियोजनाओं के मूल्यांकन, मूल्य-निरूपण एवं अनुमोदन के लिए समिति में दो (02) अंशकालिक पदीय निदेशकगण नामतः श्री अनिमेष भारती, आर्थिक सलाहकार, कोयला मंत्रालय और श्री एस. एन. तिवारी, निदेशक (विपणन), सीआईएल ; चार (04) अंशकालिक गैर-पदीय निदेशकगण नामतः श्री अनिल कुमार गणेरिवाला, श्रीमती धर्मशीला गुप्ता, श्री शिव नारायण पाण्डेय एवं श्री शिव तपस्या पासवान; तथा एक (01) कार्यकारी निदेशक नामतः श्री जयप्रकाश गुप्ता, निदेशक (तकनीकी) योजना व परियोजना एवं निदेशक (तकनीकी) संचालन (अतिरिक्त प्रभार) सम्मिलित थे।

वर्ष के दौरान समिति का सभापति कोयला मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार एवं ईसीएल के अंशकालिक पदीय निदेशक श्री अनिमेष भारती थे। कंपनी सचिव समिति के सचिव है और इस समिति के लिए नोडल अधिकारी महाप्रबंधक (योजना व परियोजना) है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, परियोजनाओं के मूल्यांकन, मूल्य-निरूपण एवं अनुमोदन के लिए समिति का छः (06) बैठकें अर्थात् 14.05.2021, 28.05.2021, 28.06.2021, 01.12.2021, 28.01.2022 एवं 03.03.2022 को आयोजित हुई। बैठकों में सदस्यों और उनकी उपस्थिति का ब्यौरे निम्नवत है :

क्रम सं.	सदस्य	सदस्यों के निज पदावधि के दौरान आयोजित बैठक	बैठकों में उपस्थिति की संख्या
1.	श्री अनिमेष भारती	6	6
2.	श्री संजीव सोनी	3	1
3.	श्री एस. एन. तिवारी	3	1
4.	श्री प्रवीण कांत	4	4
5.	श्री अनिल कुमार गणेरिवाला	6	6
6.	श्रीमती धर्मशीला गुप्ता	3	3
7.	श्री शिव नारायण पाण्डेय	3	3
8.	श्री शिव तपस्या पासवान	3	3
9.	श्री जयप्रकाश गुप्ता	6	5
10.	श्री विनय रंजन	3	3
11.	श्री बी. वीरा रेड्डी	5	5
12.	श्री गौतम चंद्र दे	5	5

[ग] सीएसआर पर समिति :

ईसीएल निदेशक मंडल की 261वीं बैठक में, सीएसआर उपसमिति का गठन किया गया था। 31 मार्च, 2022 तक समिति में चार (04) अंशकालिक गैर-पदीय निदेशकगण नामतः श्री अनिल कुमार गणेरिवाला, श्रीमती धर्मशीला गुप्ता, श्री शिव नारायण पाण्डेय एवं श्री शिव तपस्या पासवान; दो (02) अंशकालिक पदीय निदेशकगण नामतः श्री एस. एन. तिवारी, निदेशक (विपणन), सीआईएल और श्री अनिमेष भारती, आर्थिक सलाहकार, कोयला मंत्रालय तथा एक (01) कार्यकारी निदेशक नामतः श्री जयप्रकाश गुप्ता, निदेशक (तकनीकी) योजना व परियोजना एवं निदेशक (तकनीकी) संचालन (अतिरिक्त प्रभार) सम्मिलित थे।

अंशकालिक गैर-पदीय निदेशक श्री अनिल कुमार गणेरिवाला 23.12.2021 तक लेखापरीक्षा समिति के सभापति थे और तत्पश्चात वर्ष की समाप्ति तक अंशकालिक गैर-पदीय निदेशक श्री तपस्या पासवान सीएसआर उपसमिति के सभापति थे।

कंपनी सचिव समिति के सचिव है और इस समिति के लिए नोडल अधिकारी महाप्रबंधक (सीएसआर एवं कल्याण) है।

वर्ष 2021-22 के दौरान, सीएसआर समिति की पाँच (05) बैठकें अर्थात् 14.05.2021, 28.06.2021, 11.10.2021, 03.11.2021 एवं 01.12.2021 को आयोजित हुई। बैठकों में सदस्यों एवं उनकी उपस्थिति के ब्यौरे निम्नवत है :

क्रम सं.	सदस्य	सदस्यों के निज पदावधि के दौरान आयोजित बैठक	बैठकों में उपस्थिति की संख्या
1.	श्री अनिल कुमार गणेरिवाला	5	5
2.	श्री संजीव सोनी	2	1
3.	श्री एस. एन. तिवारी	3	0
4.	श्री अनिमेष भारती	5	4
5.	श्री प्रवीण कांत	5	5
6.	श्री धर्मशीला गुप्ता	1	1
7.	श्री शिव नारायण पाण्डेय	1	1
8.	श्री शिव तपस्या पासवान	1	1
9.	श्री जयप्रकाश गुप्ता	5	4
10.	श्री विनय रंजन	2	2
11.	श्री बी. वीरा रेड्डी	5	5
12.	श्री गौतम चंद्र दे	5	5

[घ] जोखिम प्रबंधन समिति :

ईसीएल निदेशक मंडल की 291वीं बैठक में, जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया था। 31 मार्च, 2022 तक समिति में चार (04) अंशकालिक गैर-पदीय निदेशकगण नामतः श्री अनिल कुमार गणेरिवाला, श्रीमती धर्मशीला गुप्ता, श्री शिव नारायण पाण्डेय एवं श्री शिव तपस्या पासवान तथा एक (01) कार्यकारी निदेशक नामतः श्री जयप्रकाश गुप्ता, निदेशक (तकनीकी) योजना व परियोजना एवं निदेशक (तकनीकी) संचालन (अतिरिक्त प्रभार) सम्मिलित थे।

दिनांक 12.12.2021 तक समिति के सभापति अंशकालिक गैर-पदीय निदेशक श्री प्रवीण कांत थे और तत्पश्चात वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक समिति की सभापति अंशकालिक गैर-पदीय निदेशक श्रीमती धर्मशीला गुप्ता थी।

कंपनी सचिव समिति के सचिव है और इस समिति के लिए नोडल अधिकारी महाप्रबंधक (योजना व परियोजना) है।

वर्ष 2021-22 के दौरान, जोखिम प्रबंधन समिति की दो (02) बैठकें अर्थात् 30.08.2021 एवं 23.09.2021 को आयोजित हुई। बैठकों में सदस्यों एवं उनकी उपस्थिति के ब्यौरे निम्नवत है :

क्रम सं.	सदस्य	सदस्यों के निज पदावधि के दौरान आयोजित बैठक	बैठकों में उपस्थिति की संख्या
1.	श्री प्रवीण कांत	2	2
2.	श्री अनिल कुमार गणेरिवाला	2	2
3.	श्री जयप्रकाश गुप्ता	2	1
4.	श्री बी. वीरा रेड्डी	2	2
5.	श्री गौतम चंद्र दे	2	2
6.	श्री धर्मशीला गुप्ता	0	0
7.	श्री शिव नारायण पाण्डेय	0	0
8.	श्री शिव तपस्या पासवान	0	0

[ङ] "लागत नियंत्रण" के लिए उप समिति :

ईसीएल निदेशक मंडल की 330वीं बैठक में, "लागत नियंत्रण" के लिए उपसमिति का गठन किया गया था। 31 मार्च, 2022 तक समिति में चार (04) अंशकालिक गैर-पदीय निदेशकगण नामतः श्री शिव नारायण पाण्डेय, श्री शिव तपस्या पासवान श्री अनिल कुमार गणेरिवाला एवं श्रीमती धर्मशीला गुप्ता तथा एक (01) कार्यकारी निदेशक नामतः श्री जयप्रकाश गुप्ता, निदेशक (तकनीकी) योजना व परियोजना एवं निदेशक (तकनीकी) संचालन (अतिरिक्त प्रभार) सम्मिलित थे।

दिनांक 12.12.2021 तक समिति के सभापति अंशकालिक गैर-पदीय निदेशक श्री प्रवीण कांत थे और तत्पश्चात वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक समिति की सभापति अंशकालिक गैर-पदीय निदेशक श्री शिव नारायण पाण्डेय थे।

कंपनी सचिव समिति के सचिव है और इस समिति के लिए नोडल अधिकारी महाप्रबंधक (वित्त) है।

वर्ष 2021-22 के दौरान, "लागत नियंत्रण" के लिए उपसमिति की एक बैठक अर्थात दिनांक 23.09.2021 को हुई। बैठकों में सदस्यों एवं उनकी उपस्थिति के ब्यौरे निम्नवत है :

क्रम सं.	सदस्य	सदस्यों के निज पदावधि के दौरान आयोजित बैठक	बैठकों में उपस्थिति की संख्या
1.	श्री प्रवीण कांत	1	1
2.	श्री अनिल कुमार गणेरिवाला	1	1
3.	श्री शिव नारायण पाण्डेय	0	0
4.	श्री शिव तपस्या पासवान	0	0
5.	श्री धर्मशीला गुप्ता	0	0
6.	श्री जयप्रकाश गुप्ता	1	1
7.	श्री बी. वीरा रेड्डी	1	1
8.	श्री गौतम चंद्र दे	1	1

[च] "अनुसंधान एवं विकास" के लिए उप समिति :

ईसीएल निदेशक मंडल की 330वीं बैठक में, "अनुसंधान एवं विकास" के लिए उपसमिति का गठन किया गया था। 31 मार्च, 2022 तक समिति में श्री अंबिका प्रसाद पंडा, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक; एक अंशकालिक पदीय निदेशक नामतः श्री एस. एन. तिवारी, निदेशक (विपणन), सीआईएल; चार (04) अंशकालिक गैर-पदीय निदेशकगण नामतः श्री अनिल कुमार गणेरिवाला, श्री शिव नारायण पाण्डेय, श्री शिव तपस्या पासवान एवं श्रीमती धर्मशीला गुप्ता; एक (01) कार्यकारी निदेशक नामतः श्री जयप्रकाश गुप्ता, निदेशक (तकनीकी) योजना व परियोजना एवं निदेशक (तकनीकी) संचालन (अतिरिक्त प्रभार); महाप्रबंधक (योजना व परियोजना), महाप्रबंधक (ई एण्ड एम), महाप्रबंधक (उत्खनन) एवं महाप्रबंधक (पर्यावरण एव वन) सम्मिलित थे। कंपनी सचिव समिति के सचिव है और इस समिति के लिए नोडल अधिकारी महाप्रबंधक (योजना व परियोजना है।

श्री प्रेम सागर मिश्रा, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक 28.01.2021 तक समिति के अध्यक्ष थे और तत्पश्चात् वर्ष की समाप्ति तक श्री अंबिका प्रसाद पंडा, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक समिति के अध्यक्ष थे। वर्ष 2021-22 के दौरान, "अनुसंधान एवं विकास" के लिए उपसमिति की कोई बैठक नहीं हुई।

सांविधिक लेखापरीक्षक :

वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी का वित्तीय खातों का लेखापरीक्षा संचालित करने के लिए भारत का नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अधीन निम्नलिखित सनदी लेखाकार फर्मों नियुक्त किया गया था :

सांविधिक लेखापरीक्षक :

1.	मेसर्स जी. पी. अग्रवाल एवं कंपनी, द्वितीय तल, 7ए, किरण शंकर राय मार्ग, कोलकाता – 700001

शाखा लेखापरीक्षक

2.	मेसर्स एस. के. अग्रवाल एवं कंपनी, कोष्ठावलि सं. 606 से 608, द चैम्बर्स, गीतांजली स्टेडियम के सामने, 1865 राजडांगा मुख्य मार्ग, कस्बा, कोलकाता – 700107
3.	मेसर्स केशरी एवं एसोसिएटस, 54 पिलखाना, तृतीय गली, हावड़ा- 711101
4.	मेसर्स रॉय घोष एवं एसोसिएटस, 39, कलना मार्ग, बदामतला, बर्द्धवान, पश्चिम बंगाल, पिन- 713101
5.	मेसर्स के. के. चांनानी एवं एसोसिएटस, 5/1 क्लाइव रॉ, तृतीय तल, कक्ष सं. 78, कोलकाता- 700001
6.	मेसर्स एस. के बासु एवं कंपनी, 20/5/2/2 बिश्वेश्वर बनर्जी लेन, हावड़ा- 711101

वार्षिक आम बैठक :

विगत 3 वर्षों के दौरान आयोजित कंपनी क शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठकों की विशिष्टियाँ यथा निम्नवत थे :

वर्ष	तिथि, समय व स्थान	उपस्थिति	विशेष संकल्प, यदि कोई हो
2018-19	पूर्वाह्न सांकतोड़िया	श्री प्रेम सादर मिश्रा, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, ईसीएल; श्रीमती मीता सेठ, मुख्य प्रबंधक (वित्त), कोल इंडिया लिमिटेड	हाँ* (टिप्पणी-1)
2019-20	19.08.2020	श्री प्रेम सादर मिश्रा, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, ईसीएल;	_

वर्ष	तिथि, समय व स्थान	उपस्थिति	विशेष संकल्प, यदि कोई हो
(टिप्पणी-2)	12.30 अपराह्न सांकतोड़िया	श्री प्रमोद अग्रवाल, अध्यक्ष, सीआईएल (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए); श्री संजीव सोनी, निदेशक (वित्त), सीआईएल (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए); श्री एम. विश्वनाथन, कंपनी सचिव, सीआईएल, सीआईएल का प्रतिनिधित्व, (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए); श्री अनिमेष भारती, अंशकालिक पदीय निदेशक, ईसीएल ईसीएल के परियोजनाओं के मूल्यांकन, मूल्य निरूपण एवं अनुमोदन समिति के सभापति (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए); श्री प्रवीण कांत, ईसीएल के अंशकालिक गैर-पदीय निदेशक और ईसीएल के लेखापरीक्षा समिति एवं जोखिम प्रबंधन समिति के सभापति (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए) श्री ए. के. गणेरिवाला, ईसीएल के अंशकालिक गैर-पदीय निदेशक एवं ईसीएल के सीएसआर उपसमिति के सभापति (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए); श्री जयप्रकाश गुप्ता, निदेशक (तकनीकी) योजन व परियोजना, ईसीएल; श्री विनय रंजन, निदेशक (कार्मिक), ईसीएल; श्री बी. वीरा रेड्डी, निदेशक (तकनीकी) संचालन, ईसीएल; श्री गौतम चंद्र दे, निदेशक (वित्त), ईसीएल; मेसर्स जी.पी. अग्रवाल एवं कंपनी, सांविधिक लेखापरीक्षक (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए); मेसर्स एस. जी. एण्ड एसोसिएट, लागत लेखापरीक्षक (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए)।	
2020-21 (**) (टिप्पणी-2)	11.08.2021 10.00 पूर्वाह्न सांकतोड़िया	श्री प्रेम सादर मिश्रा, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, ईसीएल; श्री प्रमोद अग्रवाल, अध्यक्ष, सीआईएल (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए); श्री एस. एन. तिवारी, निदेशक (विपणन), सीआईएल (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए); श्री एम. विश्वनाथन, कंपनी सचिव, सीआईएल, सीआईएल का प्रतिनिधित्व, (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए); श्री अनिमेष भारती, अंशकालिक पदीय निदेशक, ईसीएल ईसीएल के परियोजनाओं के मूल्यांकन, मूल्य निरूपण एवं अनुमोदन समिति के सभापति (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए); श्री प्रवीण कांत, ईसीएल के अंशकालिक गैर-पदीय निदेशक और ईसीएल के लेखापरीक्षा समिति एवं जोखिम प्रबंधन समिति के सभापति (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए) श्री ए. के. गणेरिवाला, ईसीएल के अंशकालिक गैर-पदीय निदेशक एवं ईसीएल के सीएसआर उपसमिति के सभापति (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए); श्री जयप्रकाश गुप्ता, निदेशक (तकनीकी) योजन व परियोजना, ईसीएल; श्री बी. वीरा रेड्डी, निदेशक (तकनीकी) संचालन, ईसीएल; श्री गौतम चंद्र दे, निदेशक (वित्त), ईसीएल; मेसर्स जी.पी. अग्रवाल एवं कंपनी, सांविधिक लेखापरीक्षक (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए); मेसर्स आर. जे. गोयल एण्ड कंपनी, लागत लेखापरीक्षक (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए); मेसर्स जे. के. दास एण्ड एसोसिएट, सचिवीय लेखापरीक्षक (विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए)।	

*** टिप्पणी-1** : कोयला मंत्रालय के पत्रांक 21/33/2018-बीए((iv) दिनांकित 17.11.2018 के अनुसार एक वर्ष की अवधि या जब तक अतिरिक्त आदेश न हो, जो पहले हो, के लिए दिनांक 17.11.2018 से प्रवृत्त कंपनी के गैर-पदीय अंशकालिक निदेशक प्रो.(डॉ.) इंदिरा चक्रवर्ती (डीआईएल 07368268) की पुनःनियुक्ति का अनुसमर्थन के लिए ईसीएल के वार्षिक आम बैठक में विशेष संकल्प पारित किया गया था। विशेष संकल्प का उद्धरण निम्न उद्धृत किया गया है :

"**संकल्पित यह और कि** प्रो.(डॉ.) इंदिरा चक्रवर्ती (डीआईएल 07368268) कोयला मंत्रालय के पत्रांक 21/33/2018-बीए((iv) दिनांकित 17.11.2018 के अनुसार एक वर्ष की अवधि या जब तक अतिरिक्त आदेश न हो, जो पहले हो, के लिए दिनांक 17.11.2018 से प्रवृत्त कंपनी के गैर-पदीय अंशकालिक निदेशक के रूप में एतदद्वारा पुनःनियुक्त है और किया गया है। वह चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्ति करने की दायी नहीं है।"

*** टिप्पणी-1** : : राष्ट्र में विद्यमान कोविड-19 से उत्पन्न सर्वव्यापी रोग के कारण असाधारण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम-18 तथा भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा क्रमशः निर्गत सामान्य परिपत्र सं. 14/2020, दिनांकित 08 अप्रैल 2020, सामान्य परिपत्र सं. 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल 2020 एवं सामान्य परिपत्र सं. 17/2020 दिनांकित 05 मई 2020 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों (किसी भी सांविधिक उपांतर या तत्समय प्रवृत्त पुनःअधिनियमिति सहित) और अन्य अनुप्रयुक्त कानूनों एवं विनियमों के अनुसार, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की सचिवीय लेखापरीक्षक सहित शेयरधारकों, निदेशकगणों एवं लेखापरीक्षकों को बैठक में सम्मिलित होने और/या मतदान करने के हकदार थे, companysecretary.ecl@coalindia.in को ई-मेल प्रेषण के द्वारा बैठक में विचारित मदों पर केवल उसी स्तर में अपनी सहमति या असहमति व्यक्त करने के लिए, विडियो दूर सम्मेलन (वीसी) या अन्य दृश्य-श्रव्य साधनों (ओएवीएम) के जरिए बैठक में सम्मिलित हो सकते हैं और/या मतदान कर सकते हैं। सदस्यों द्वारा परोक्षी की नियुक्ति की प्रसुविधा अनुपलब्ध थीं। तदापि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 112 एवं 113 के अनुसरण में सदस्यों के प्रतिनिधियों को विडियो दूर सम्मेलन (वीसी) या अन्य दृश्य-श्रव्य साधनों (ओएवीएम) के जरिए सहभागिता और मतदान के लिए नियुक्त किया जा सकता है। विडियो दूर सम्मेलन (वीसी) या अन्य दृश्य-श्रव्य साधनों (ओएवीएम) के जरिए बैठक में उपस्थित होने के लिए, अग्रिम रूप से कंपनी के प्राधिकृत मेल आईडी से लिंक उपलब्ध कराया गया था और बैठक में सम्मिलित होने की प्रसुविधा बैठक आरंभ होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पूर्व खुली रखी गई और बैठक के निर्धारित समय के 15 मिनट के पश्चात बंद कर दी गई।

4. प्रकटन

(क) संबद्ध पक्षकार अंतरण :

कंपनी के निदेशकगणों द्वारा प्रदत्त प्रकटन के अनुसार कोई भी संबद्ध पक्षकार अंतरण नहीं हुआ था जो कि स्वच्छंद कंपनी के हितों के साथ संभावी संघर्ष हो।

(ख) निदेशकगणों एवं वरिष्ठ अधिशासियों के लिए आचार संहिता :

कंपनी के निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 15 अक्तूबर, 2007 को आयोजित अपने 214वें बैठक में निदेशकगणों एवं वरिष्ठ अधिशासियों के लिए आचार संहिता अनुमोदित किया गया था। इसे निदेशकगणों एवं वरिष्ठ अधिशासियों को परिचालित किया गया था और उनकी अभिपुष्टि प्राप्त की गई थी। इसे कंपनी के वेबसाइट www.easterncoal.nic.in पर अपलोड किया गया था।

(ग) लेखांकन निर्धारण :

वित्तीय विवरणी को अनुप्रयुक्त आज्ञापक लेखांकन मानकों एवं कंपनी अधिनियम, 20213 के सुसंगत प्रस्तुतिमूलक आवश्यकताओं के अनुरूप निर्मित किया जाता है।

(घ) जोखिम प्रबंधन, कपट निवारण एवं शनाख्त

ईसीएल निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 05.11.2012 को आयोजित अपने 257वें बैठक में जोखिम निर्धारण और शमन नीति को अनुमोदित किया गया है। जोखिम प्रबंधन समिति दिनांक 13.03.2019 को कोलकाता में आयोजित अपने दूसरी बैठक में कंपनी के लिए 'जोखिम जो वजह हैं' का पुनर्विलोकन किया और श्री आर. एन. सोम, महाप्रबंधक (योजना व परियोजना), ईसीएल को यथा मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया। श्री आर. एन. सोम, महाप्रबंधक (योजना व परियोजना), ईसीएल ने अपनी अधिवर्षिता के दिवस अर्थात् 31.10.2020 तक मुख्य जोखिम अधिकारी का पद धारित किया और तत्पश्चात विभागीय प्रधान (योजना व परियोजना) ने मुख्य जोखिम अधिकारी का पदभार ग्रहण किया। वर्ष 2021-22 के दौरान, जोखिम प्रबंधन समिति के दो (02) बैठकें की गई और भिन्न-भिन्न विभागों और खानों से संबद्ध जोखिम को निर्मित की गई एवं विश्लेषण किया गया। कारबार से सहयुक्त जोखिमों का नियमित अनुश्रवण किया जाता है।

(ङ) सीईओ/सीएफओ प्रमाणन :

श्री शरद कुमार सोमानी, महाप्रबंधक (वित्त) प्रभारी/सीएफओ, ईसीएल एवं श्री अंबिका प्रसाद पंडा, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, ईसीएल द्वारा हस्ताक्षरित विहित प्रमाण-पत्र को 350वीं निदेशक मण्डलीय बैठक में प्रस्तुत किया गया था जो निगमित सुशासन प्रतिवेदन यथा उपाबंध – घ में उपाबंधित किया गया है।

(च) अनुप्रयुक्त विधियों का अनुपालन :

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, ईसीएल के महाप्रबंधक (कार्मिक/विधि) द्वारा प्रदत्त घोषणा के अनुसार, कंपनी को अनुप्रयुक्त सभी विधियों का अनुपालन किया गया है।

(5) संचार के साधन :

कंपनी का वार्षिक प्रतिवेदन, परिचालनात्मक एवं वित्तीय कार्य-निष्पादन, को कंपनी की वेबसाइट www.easterncoal.nic.in पर अपलोड किया गया है।

(6) लेखापरीक्षण अर्हता :

कंपनी का प्रयास सदैव अनर्ह वित्तीय विवरणी को प्रस्तुत करने का होता है। 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों के संप्रेक्षणों का प्रबंधकीय प्रत्युत्तर निदेशक मण्डलीय प्रतिवेदन में यथा उपाबंध दिया गया हैं। 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के लेखों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अधीन भारत के नियंत्रक-महापरीक्षक की टिप्पणियाँ भी वार्षिक प्रतिवेदन में उद्धृत किया गया है।

(7) निदेशक मण्डलीय सदस्यों का प्रशिक्षण :

कार्यकारी निदेशकगण अपेक्षित विशेषज्ञता और अनुभव रखने के फलस्वरूप संबंधित कार्यकारी क्षेत्रों के प्रधान होते हैं। वे कंपनी के कारबार मॉडल के साथ-साथ कंपनी के कारबार के जोखिम प्रोफाइल से भी अवगत हैं। अंशकालिक निदेशकगण भी कंपनी के कारबार मॉडल से पूर्णतः अवगत हैं।

(8) कंपनी की शेयरधारिता प्रतिरूप :

कंपनी के 100% शेयर कोल इंडिया लिमिटेड के पास है।

(9) मुखबिर नीति :

कंपनी अपने समस्त कारबार गतिविधियों में नैतिक व्यवहार को संप्रवर्तन करती है। निदेशक मण्डल ने अवैध व अनैतिक व्यवहार की रिपोर्टिंग करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया है। कर्मीगण सक्षम प्राधिकारी को विधियों, नियमों के उल्लंघन, कपट या अनैतिक आचरण की सूचना देने के लिए स्वतंत्र है। किसी कर्मी से प्राप्त सूचनाओं को अनुवीक्षण समिति द्वारा पुनर्विलोकन किया जाएगा। प्रबंध-कार्मिक ऐसे सूचनाओं की गोपनीयता के अनुरक्षण करने के लिए प्रतिबद्धित किया गया है और सुनिश्चित करता है कि मुखबिरों को किसी विभेदकारी प्रवृत्तियों के अध्यधीन नहीं रखा गया है।

सत्यनिष्ठा समझौता के क्रियान्वयन के लिए सीआईएल द्वारा किए गए एमओयू के समान आपकी कंपनी के निदेशक मण्डल ने 27 मार्च, 2008 को आयोजित अपने 218वीं बैठक में मेसर्स ट्रांसपरेंसी इंटरनेशनल के साथ सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के लिए अपना अनुमोदन प्रदान किया था और उसे कार्यान्वित किया था।

(10) अंतरंगी व्यापार नीति :

कोल इंडिया द्वारा दिनांक 16 मार्च, 2020 को कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की संशोधित अंतरंगी व्यापार नीति को संसूचित किया था। इस नीति के अनुसार, कोई भी अंतरंगी कंपनी या अन्य अंतरंगी सहित किसी व्यष्टि को सूचिबद्ध प्रतिभूतियों से संबंधित किसी अप्रकाशित कीमत संवेदनशील सूचना (यूपीएसआई) की संसूचना या कोई अभिगम की अनुमित नहीं देगा सिवाय जहाँ ऐसी संसूचना की विधिसंगत प्रयोजनों, कर्तव्यों का पालन या विधिक बाध्यताओं के निर्वहन, को अग्रसर करने में है। इसके अलावा, वित्तीय परिणामों की घोषणा के लिए प्रत्येक तिमाही के अंत से वित्तीय परिणाम घोषित होने के 48 घंटे बाद तक ट्रेडिंग विंडो को बंद किया जाना है। अतएव, वित्तीय परिणाम घोषित होने के 48 घंटे बाद तक प्रत्येक तिमाही के अंतिम सोमवार से ट्रेडिंग विंडो बंद है। यदि सोमवार को अवकाश होता है, तो यह अगले कार्य दिवस से बंद रहता है। यह कंपनी सचिव द्वारा समय-समय पर सूचित किया जाता है जिसका सभी पदाभिहित कर्मियों को पालन करना होता है।

सीआईएल ने भी निर्देशित किया कि पदाभिहित व्यक्तियों को वार्षिक आधार पर और जब कभी सूचना परिवर्तित होती है अपने नाम, स्थायी खाता संख्या (पैन) या विधि द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य शनाख्त और पदाभिहित व्यष्टि(यों) के साक्षात् संबंधियों एवं किसी अन्य व्यष्टि(यों) जिनके साथ ऐसे पदाभिहित व्यष्टि(याँ) कंपनी के वित्तीय संबंधी तत्त्वों को सांझा करता(ते) है(हैं) के ब्यौरों को प्रकटित करना आवश्यक हैं। कंपनी पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण और समय मुहर एवं लेखा सत्यापन की जाँच के साथ सुनियोजित डिजिटल डाटाबेस का अनुरक्षण कर रही है। तदनुसार, ईसीएल के सभी पदाभिहित व्यष्टियों ने सीआईएल द्वारा यथा निर्देशित सुसंगत ब्यौरे के साथ-साथ अंतरंगी व्यापार प्लेटफार्म के सीआईएल निवारण में स्वःघोषणा प्रक्रिया को पूर्ण किया है।

(11) वर्ष 2021-22 के दौरान, किसी भी व्यक्ति को लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष तक प्रत्यक्ष अभिगम से निवारित नहीं किया गया है।

(12) पीई सर्वेक्षण के लिए पूर्ण आँकड़ा पत्रक डीपीई को प्रस्तुत करने की तिथि 07.10.2021 थी।

अनुबंध - घ

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का कार्यालय
सांकतोड़िया, पत्रालय- डिसेरगढ़,
जिला- बर्द्धमान, पश्चिम बंगाल-713333
सी.आइ.एन-U10101WB1975GOI030295
वेबसाइट – www.easterncoal.gov.in

EASTERN COALFIELDS LIMITED
Office of the Chairman-cum-Managing Director
Sanctoria, P.O.: Dishergarh,
Dist.: Bardhaman, West Bengal-713333
CIN-U10101WB1975GOI030295
Website – www.easterncoal.gov.in

मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) एवं मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) का प्रमाणन

सेवा में
निदेशक मण्डल
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरण को निदेशक मंडल के समक्ष उनके विचारणा एवं अंगीकारण के लिए एतदद्वारा प्रस्तुत किया गया है।

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए संबद्ध क्षेत्रों/इकाइयों के महाप्रबंधकगणों एवं क्षेत्रीय वित्त प्रबंधकों द्वारा उनके संपरीक्षित वित्तीय विवरणों से संबंधित प्रमाणन के आधार पर, हमलोग, ईसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) ए. के. पंडा एवं ईसीएल के महाप्रबंधक एवं मुख्य वित्त अधिकारी एस. के. सोमानी, वित्त कृत्यों के लिए उत्तरदायी प्रमाणित करते है कि

हमने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणी का पुनर्विलोकन किया है और हमारे पूर्ण ज्ञान और विश्वास के अनुसार यह है कि :

a) इन विवरणी में कोई तात्त्विक रूप से असत्य विवरण अंतर्विष्ट या किसी तात्त्विक तथ्य का लोप या विवरण जो भ्रामक हो सके अंतर्विष्ट नहीं है;

b) ये विवरण एक साथ कंपनी के कार्याकलापों का सही और ऋजु चित्र प्रस्तुत करते हैं और विद्यमान लेखा मानकों, प्रयोज्य विधियों और विनियमों के अनुपालन में हैं।

हमारे पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार, 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किसी प्रकार का लेनदेन नहीं की गई जो कपटपूर्ण, अवैध या कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन हो।

हम वित्तीय रिपोर्ट देने के निमित्त आंतरिक नियंत्रणों को सिद्ध करने एवं बनाए रखने के दायित्व का प्रतिग्रहण करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कंपनी के आंतरिक प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है और हमलोगों ने संपरीक्षकों और संपरीक्षा समिति के समक्ष ऐसे आंतरिक नियंत्रणों की परिकल्पना एवं परिचालन में कमियों, यदि कोई हो, को प्रकटित किया है, जिसके लिए वे सजग हैं और इन कमियों को दूर करने के लिए कदम उठाए हैं या उठाने का प्रस्ताव किया है।

हमलोगों ने संपरीक्षकों और संपरीक्षा समिति को उपदर्शित किया है कि :

a) वर्ष के दौरान प्रसंगाधीन वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है;

b) खण्ड 2.11 अमूर्त आस्तियाँ, 2.17 कर्मचारी प्रसुविधाएँ और 2.23.2.3 परिभाषित प्रसुविधा योजनाएँ रहित वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया है;

c) हमें वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में अहम भूमिका निभाने वाले कर्मचारीवृंद या प्रबंधन की सहभागिता से सार्थक कपट की किसी अवस्था की सूचना नहीं है।

महाप्रबंधक (वित्त) व सीएफओ

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

दिनांक : 09 मई, 2022
स्थान : सांकतोड़िया

अनुबंध - VII

जे के दास एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

प्लॉट नंबर 883, बिजन कानन ब्रह्मपुर,
बांसधरोनी, कोलकाता - 700096
टी : 24102892/93
एम: 9831204082
ई : jkdascs@gmail.com
admin@jkdas.com
डब्ल्यू : www.jkdas.com

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के सदस्यों के लिए निगमित सुशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रमाणपत्र

1. हम, जे. के. दास एण्ड एसोसिएटस, पेशेवर कंपनी सचिव 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (इसमें इसके पश्चात कंपनी के रुप में ज्ञापित) के निगमित सुशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन का जैसा कि दिनांकित 14.05.2010 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लिए निगमित सुशासन पर दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट किया गया है (इसमें इसके पश्चात "डीपीई दिशानिर्देशों के रुप में संदर्भित), परीक्षण किया है।

प्रबंधन का उत्तरदायित्व

2. निगमित सुशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के शर्तों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। यह उत्तरदायित्व डीपीई दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट निगमित सुशासन के शर्तों के साथ अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाओं की परिकल्पना, कार्यान्वयन और अनुरक्षण को समाविष्ट करती है।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

3. हमारा उत्तरदायित्व निगमित सुशासन के शर्तों के अनुरूप सुनिश्चयन के लिए कंपनी द्वारा अंगीकृत, इसकी प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन के परीक्षण को परिसीमित किया जाता है। यह ना तो कंपनी के वित्तीय विवरणी के ऊपर रायों का लेखापरीक्षा और ना ही अभिव्यक्ति होती है।

4. हमने कंपनी द्वारा निगमित सुशासन जरूरतों की अनुरूपता पर युक्तियुक्त आश्वासन प्रदान करने के प्रयोजनार्थ कंपनी द्वारा अनुरक्षित लेखा-बहियों एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों और कागजातों का परीक्षण किया है।

5. हमने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा वचनवद्धता पर सीएसएएस-१ लेखापरीक्षण मानक के अनुसार कंपनी के सुसंगत अभिलेखों का परीक्षण किया है।

राय

6. सुसंगत अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर और हमें उपबंधित संसूचना एवं स्पष्टीकरणों और प्रबंधन द्वारा उपबंधित व्यपदेशन के आधार पर, हम प्रमाणित करते हैं कि निम्नलिखित के अध्यधीन 31 मार्च 2022 को समाप्त हो रहे वर्ष के दौरान डीपीई दिशानिर्देशों में यथा विनिर्दिष्ट निगमित सुशासन के शर्तों के अनुरूप कंपनी ने अनुपालन किया है :

i. 31 मार्च 2022 को यथा कंपनी के निदेशक मण्डल के कुल सदस्य और कार्यकारी निदेशक क्रमशः दो और आठ थे। कार्यकारी निदेशकों की संख्या बोर्ड के वास्तविक संख्या का 25% है और डीपीई दिशा-निर्देशों के अध्याय 3 के पारा 3.1.2 के अनुसार कार्यकारी निदेशकों की संख्या (अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक और प्रबंध निदेशक को समाविष्ट करते हुए) बोर्ड के वास्तविक संख्या के 50% से अधिक नहीं होने चाहिए।

ii. 31 मार्च 2022 को यथा कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों और निदेशक मण्डल के कुल सदस्यों की संख्या क्रमशः 4 और 8 थी। डीपीई दिशानिर्देशों के अध्याय 3 के पारा 3.1.4 के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों की संख्या बोर्ड के सदस्यों के एक तिहाई से ज्यादा थी जैसा कि कंपनी के लिए स्वतंत्र निदेशकों की संख्या कम से कम बोर्ड सदस्यों के एक तिहाई होने चाहिए अनुप्रयोज्य है।

iii. 31 मार्च 2022 को यथा कंपनी की लेखापरीक्षा समिति की कुल सात में से चार स्वतंत्र निदेशक हैं, यतः डीपीई दिशा-निर्देशों के अध्याय 4 के पारा 4.1.1 के अनुसार सदस्य के रूप में लेखापरीक्षा समिति में कम से कम तीन निदेशक होंगे। लेखापरीक्षा समिति के दो-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होंगे।

7. हम अभिव्यक्त करते हैं कि ऐसे अनुपालन कंपनी के आगत व्यवहार्यता के रूप में ना तो आश्वासन है और ना ही जिसके साथ प्रबंधन ने कार्यकलापों का संचालन किया है दक्षता या प्रभावकारिता है।

(सीएस जे. के. दास)
सी.पी. सं.- 4250
सदस्यता सं. एफ़सीएस 7268
मेसर्स जे.के. दास एण्ड एसोसिएटस,
कंपनी सचिव
यूडीआईएन : F007268D000527238
पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट सं. 1748/2022

स्थान: कोलकाता
दिनांक: 24 जून 2022

अनुबंध - VIII

जे के दास एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

प्लॉट नंबर 883, बिजन कानन ब्रह्मपुर,
बांसधरोनी, कोलकाता - 700096
टी : 24102892/93
एम: 9831204082
ई : jkdascs@gmail.com
admin@jkdas.com
डब्ल्यू : www.jkdas.com

सचिवालयिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
फार्म सं.- एमआर-3

31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति एवं पारितोषिक) नियम, 2014 के नियम 09 के अनुसरण में]

सेवा में,
सदस्यगण,
मेसर्स ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
पोस्ट- डिसेरगढ़, सांकतोड़िया,
पश्चिम बर्द्धमान- 713333
पश्चिम बंगाल (भारत)

हमने मेसर्स ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीआइएन: U10101WB1975GOI030295) (इसमें इसके पश्चात कंपनी कहा जाएगा) को प्रवृत्त सांविधिक प्रावधानों के अनुरूप होने और के द्वारा सर्वश्रेष्ठ निगमित प्रथाओं से अनुषक्ति के लिए सचिवालयिक लेखापरीक्षा किया गया है। सचिवालयिक लेखापरीक्षा भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आइसीएसआई) द्वारा जारी सीएसएएस-4 – सचिवालयिक लेखापरीक्षा पर लेखापरीक्षण मानक जो निगमित आचार/सांविधिक के अनुरूप मूल्यांकन एवं उसपर अपना मत व्यक्त करने के लिए मुझे युक्तियुक्त आधार उपबंधित किया के अनुसार की गई।

सचिवालयिक लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी द्वारा अनुरक्षित बहियों, कागज पत्रों, कार्यवृत्त बहियों, प्रपत्रों एवं दाखिल विवरणी व अन्य अभिलेखों के मेरे सत्यापन और कंपनी, उसके अधिकारियों, अभिकर्ताओं एवं प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदत्त सूचनाओं, मुझे प्रदान किए गए व्याख्या एवं स्पष्टीकरण और प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के आधार पर, हम, एतदद्वारा प्रतिवेदित करते हैं कि मेरी राय में, कंपनी ने, 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष को प्रावरण लेखापरीक्षा काल के दौरान, इसके नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुवर्तन किया है और यह भी कि कंपनी के पास विस्तार तक, रीति से तथा इसमें इसके पश्चात निर्मित प्रतिवेदिति के अधीन उचित बोर्ड-प्रक्रिया एवं अनुपालनात्मक कार्यविधि है:

मैंने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (कंपनी) के बहियों, कागज-पत्रों, कार्यवृत्त-बहियों, प्रपत्रों एवं दाखिल विवरणियों तथा अन्य अभिलेखों का परीक्षण निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की गई है :

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा इसके तहत निर्मित नियम;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') तथा इसके तहत निर्मित नियम (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं);

(iii) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 तथा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, वैदेशिक प्रत्यक्ष निवेश एवं बाह्य वाणिज्यिक उधार के विस्तार के अध्यधीन निर्मित नियम एवं विनियम (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं);

(iv) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के अधीन विहित विनियम एवं दिशानिर्देश (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान सिवाय सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनिमय लागू नहीं);

(v) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और इसके अध्यधीन निर्मित विनियम तथा उपविधियाँ;

(vi) ओएम. सं. 18(8)/2005-GM दिनांक 14 मई, 2010 के माध्यम से लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी कॉरपोरेट शासन दिशानिर्देश;

(vii) भारतीय कंपनी सचिव संस्था द्वारा यथा निर्गत सचिवीय मानक 1 एवं 2;

(viii) भारतीय प्रतिभूतियों एवं विनिमय बोर्ड (भेदिया व्यापार प्रतिषेध) विनियम, 2015.

हम प्रतिवेदित करते हैं कि, कंपनी में प्रचलित अनुपालन प्रणाली को ध्यान में रखकर और उसके अनुसरण में सुसंगत दस्तावजों एवं अभिलेखों के परीक्षण पर, सांकेतिक परीक्षा आधारित और नियमित आधार पर ईसीएल निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत समस्त लागू विधियों पर तिमाही अनुपालन प्रतिवेदन, कंपनी ने कंपनी को विशेषतः लागू निम्नलिखित विधियों का अनुपालन किया है:

1. कोयला खान अधिनियम, 1952
2. भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884
3. कोलियरी नियंत्रण आदेश, 2000 तथा कोलियरी नियंत्रण आदेश, 2004
4. कोयला खान विनियम, 2017
5. वेतन भुगतान (खान) नियम, 1956
6. कोयला खान पेंशन योजना, 1998
7. कोयला खान (संरक्षण एवं विकास) अधिनियम, 1974
8. खान व्यावसायिक प्रशिक्षण नियम, 1966
9. खान क्रेच रूल्स, 1961
10. खान बचाव नियम, 1985
11. कोयला खान पिटहेड बाथ नियम, 1946
12. मातृत्व लाभ (खान एवं सर्कस) नियम, 1963
13. विस्फोटक नियम, 2008
14. खनिज रियायत नियम, 1960
15. कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948
16. खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957
17. असंवितरित मजदूरी (खान) भुगतान नियम, 1989
18. भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 तथा भारतीय विद्युत नियम, 1956
19. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986
20. परिसंकटमय एवं अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016
21. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा इसके अधीन निर्मित नियम
22. वायु (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981
23. लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 तथा इसके अधीन निर्मित नियम

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, कंपनी ने उपरि वर्णित अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों इत्यादि के प्रावधानों का सामान्यतः अनुपालन किया है। कतिपय कारपोरेट सुशासन प्रावधानों के विषय में, कंपनी एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (पीएसयू) होने के नाते, सरकारी कंपनियों पर लागू नियामक ढाँचा को निदेशकों की नियुक्ति, मूल्यांकन और उच्चाधिकार, डीपीई निगमित सुशासन मानकों के अनुपालन पर सीपीएसई के तिमाही/वार्षिक ग्रेडीकरण की निस्बत मामले से संबंधित अनुपालनों के सुनिश्चियन के लिए परिकल्पित किया जाता है। वार्षिक आधार पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन की प्रस्तुति का अनुपालन किए गए को पाया गया।

हम आगे प्रतिवेदित करते हैं कि कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार 31 मार्च, 2022 को यथा कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन किया जाता है। पुनर्विलोकन के अधीन वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन हुआ।

मंडलीय बैठकों के नियत होने का यथायोग्य सूचना सभी निदेशकों को दी गई थी, कार्यसूची एवं कार्यसूची की विस्तृत टिप्पणियाँ अग्रिम रूप से न्यूनातिन्यून सात दिनों पूर्व प्रेषित की गई थी सिवाय जहाँ बैठक अत्यावश्यक कारबार के संव्यवहार के लिए अल्प सूचना में अभिनिर्धारित हुई थी और अतिरिक्त सूचना व बैठक में प्रस्तुत कार्यसूची मद पर स्पष्टीकरण चाहने वाले एवं की अभिप्राप्ति के लिए तथा बैठक में बोधगम्य सहभागिता के लिए एक प्रणाली विद्यमान है। पुनर्विलोकन के अधीन लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, मण्डलीय स्तर पर सभी विनिश्चयों का सर्वसम्मत से पालन किया गया था।

हम आगे यह भी प्रतिवेदित करते हैं कि प्रवृत्त विधियों, नियमों, विनियमों एवं मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुश्रवण एवं अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के क्षेत्र एवं संचालन के अनुरूप कंपनी में यथायोग्य प्रणाली एवं प्रक्रियाएँ विद्यमान हैं।

हम आगे प्रतिवेदित करते हैं कि प्राप्त स्पष्टीकरण एवं प्रबंधकीय अभ्यावेदनों और मुझपर निर्भर होने के अनुसार, लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के मामले से संबंधित वृहद कोई भी ऐसी विनिर्दिष्ट घटनाएँ / कार्रवाई नहीं हुई थी।

(सीएस जे. के. दास)
सी.पी. सं.- 4250
सदस्यता सं. एफ़सीएस 7268
मेसर्स जे.के. दास एण्ड एसोसिएटस,
कंपनी सचिव
यूडीआईएन : F007268D000527238
पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट सं. 1748/2022

स्थान : कोलकाता
दिनांक: 13 जून, 2022

जे के दास एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव

प्लॉट नंबर 883, बिजन कानन ब्रह्मपुर,
बांसधरोनी, कोलकाता - 700096
टी : 24102892/93
एम: 9831204082
ई : jkdascs@gmail.com
admin@jkdas.com
डब्ल्यू : www.jkdas.com

उपाबंध - क

सेवा में,
सदस्यगण,
मेसर्स ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
पोस्ट- डिसेरगढ़, सांकतोड़िया,
पश्चिम बर्द्धमान- 713333
पश्चिम बंगाल (भारत)

प्रिय महोदय,
समतिथि की हमारी रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जाना चाहिए।

प्रबंधन का उत्तरदायित्व :

कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व निम्नवत है :

1. सचिवालयिक अभिलेखों के अनुरक्षण का उत्तरदायित्व कंपनी प्रबंधन की है। हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवालयिक अभिलेखों पर एक अभिमत व्यक्त करना हमारा दायित्व है।
2. हमने लेखापरीक्षण पद्धतियों एवं प्रक्रियाओं का अनुगमन किया है जो सचिवालयिक अभिलेखों के अंतर्वस्तु की शुद्धता के बारे युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए विनियोजित था। जांच आधारित सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन किया गया कि सही तथ्य सचिवालयिक अभिलेखों में प्रतिबिंबित होता है। हम विश्वास करते हैं कि प्रक्रियाएँ और पद्धतियाँ, हमने अनुगमन किया, हमारे अभिमत के लिए युक्तियुक्त आधार प्रदान किया।
3. हमने बहियों एवं कागजातों के अलावा कंपनी के वित्तीय अभिलेखों और लेखा-बहियों की सत्यता एवं उपयुक्तता की पुष्टि नहीं की है और न ही बहियों और कागजातों से भिन्न किसी बहियों, सूचनाओं या विवरणों की जांच की है।
4. हमने उपरि वर्णित के अलावा किसी भी अन्य विशिष्ट विधियों की जांच नहीं की है।
5. जहाँ कहीं आवश्यक हुई, हमने उपरि कथित विधियों, नियमों, विनियमों, मानकों, दिशानिर्देशों और घटनाओं के अनुपालन के सबंध में प्रबंधन का अभ्यावेदन प्राप्त किया है।
6. कारपोरेट विधियों तथा अन्य प्रवृत्त नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों इत्यादि के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा परीक्षण जाँच आधारित प्रक्रिया के सत्यापन तक सीमित थी।
7. सचिवालयिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी के भविष्यगत व्यवहार्यता के लिए एक आश्वासन है और न ही प्रभावकारिता या क्रियाशीलता का जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी मामलात को संचालित किया है।

(सीएस जे. के. दास)
सी.पी. सं.- 4250
सदस्यता सं. एफ़सीएस 7268
मेसर्स जे.के. दास एण्ड एसोसिएटस,
कंपनी सचिव
यूडीआईएन : F007268D000527238
पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट सं. 1748/2022

स्थान : कोलकाता
दिनांक: 13 जून, 2022

अनुबंध - IX

विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय

(i) उत्पादनों, सेवाओं एवं निर्यात योजनाओं के लिए निर्यात संबंधित गतिविधियाँ, निर्यात संवृद्धि के लिए परिगृहीत पहलों, नए निर्यात बाजारों का विकास। : कंपनी निर्यात गतिविधियों में लगा हुआ नहीं है।

(ii) **प्रयुक्त व अर्जित कुल विदेशी मुद्रा :**

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अभिवर्णन	2020-21	2019-20
(क)	प्रयुक्त विदेशी मुद्रा :		
	1. आयात का सीआईएफ मूल्य :		
	(आ) कच्चा माल	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	(आ) संघटक, भण्डार एवं उपकरण	3.82	6.82
	(इ) पूँजीगत माल	160.12	23.82
	2. यात्रा/प्रशिक्षण व्यय	0.06	0.15
	3. तकनीकी जानकारी पर व्यय और विदेशी सलाहकारी संस्था	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	4. विदेशियों को पेंशन	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	5. अन्य	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	कुल	**163.95**	**27.71**
(ख)	अर्जित विदेशी मुद्रा	कुछ नहीं	कुछ नहीं

अनुबंध - X

तकनीक आमेलन के संबंध में विशिष्टियों का प्रकटन के लिए प्रपत्र

अनुसंधान एवं विकास (आ तथा डी)

1.	विशिष्ट क्षेत्र जिसमें कंपनी द्वारा आर&डी की गई	:	कंपनी का स्वयं का अनुसंधान व विकास संघटन नहीं है। सीएमपीडीआईएल, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की अनुषंगी कोल इंडिया लिमिटेड की समस्त अनुषंगियों के लिए अनुसंधान और विकास कार्य करता है।
2.	उपर्युक्त आर तथा डी के फलस्वरूप उद्भूत प्रसुविधाएँ	:	लागू नहीं
3.	भविष्यत् कार्ययोजना	:	लागू नहीं
4.	आर तथा डी पर व्यय	:	लागू नहीं
	(अ) पूँजीगत		-
	(आ) आवर्ती		-
	(इ) कुल		-
	कुल आर तथा डी व्यय यथा कुल कारबार का प्रतिशत	:	लागू नहीं

तकनीक आमेलन, अनुकूलन एवं नवाचार

1.	तकनीक आमेलन, अनुकूलन एवं नवाचार की दिशा में कृत, संक्षेप में, प्रयास	:	कुछ नहीं
2.	उपर्युक्त प्रयासों अर्थात् उत्पादन सुधार, लागत घटत, उत्पाद विकास, आयात प्रतिस्थापन, आदि के फलस्वरूप उद्भूत प्रसुविधाएँ	:	कुछ नहीं
3.	आयातित तकनीक (वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से संगणित अंतिम 5 वर्षों के दौरान आयातित) के मामले में, निम्नलिखित संसूचना प्रस्तुत किया जा सकता है :	:	कुछ नहीं
	(i) आयातित तकनीक	:	कुछ नहीं
	(ii) आयात का वर्ष	:	कुछ नहीं
	(iii) क्या तकनीक पूर्णतः आमेलित हो चुकी है?	:	कुछ नहीं
	(iv) यदि पूर्णतः आमेलित नहीं हुई है, क्षेत्र जहाँ यह परिगृहीत नहीं हुई है, इसके कारण और भविष्यत् कार्ययोजना	:	कुछ नहीं

अनुबंध - XI

स्वतंत्रता की घोषणा

सेवा में,
निदेशक मण्डल,
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड,
सांकतोड़िया, पश्चिम बर्द्धमान,
पश्चिम बंगाल 713333

विषय: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 की उप-धारा (6) के अधीन स्वतंत्रता की घोषणा।

मैं, **अनिल कुमार गणेरिवाला**, एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैं ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड सांकतोड़िया, पश्चिम बर्द्धमान, पश्चिम बंगाल का एक स्वतंत्र निदेशक हूँ और कंपनी अधिनियम 2013 में यथा परिकल्पित स्वतंत्र निदेशक के समस्त मानदंडों का अनुपालन करता हूँ।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि

1. कंपनी में एक स्वतंत्र निदेशक होने के लिए सुसंगत विशेषज्ञता और अनुभव धारण करता हूँ;
2. मैं कंपनी या इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयुक्त कंपनी का संप्रवर्तक नहीं हूँ / था;
3. मैं कंपनी, इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयुक्त कंपनी में निदेशक मण्डलीय स्तर या निदेशक मण्डल से निम्न स्तरीय पर प्रबंधन पद का अधियोग करने वाले संप्रवर्तकों/ निदेशकों/ व्यक्तियों से संबंध नहीं है;
4. निदेशकीय बैठक शुल्क प्राप्त करने के अतिरिक्त, मेरा दो तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों या वर्तमान वर्ष के दौरान कंपनी, इसके संप्रवर्तकों, इसके निदेशकों, इसके वरिष्ठ प्रबंधन या इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयुक्त कंपनी, या उनके संप्रवर्तकों या निदेशकों के साथ धनीय संबंध/ संव्यवहार नहीं है/ था।
5. दो तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षो के दौरान या वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, मेरे किसी भी रिश्तेदार का कंपनी, इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयुक्त कंपनी, या उनके संप्रवर्तकों, या निदेशकों जिसके सकल आवर्त या कुल आय का 2% या अधिक या ₹50 लाख या ऐसी अधिकतर राशि जैसा विहित की जाए, जो भी कम हो, की श्रेणी में आने वाले के साथ कोई धनीय संबंध या संव्यवहार नहीं है या था;
6. ना तो मैं ना ही मेरा कोई रिश्तेदार :

अ) वित्तीय वर्ष के तत्काल पूर्ववर्ती तीन किसी वित्तीय वर्षों में कंपनी या इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयुक्त कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी के पद धारण करता है या किया है या कर्मी/अधिशाषी है या रहा है;

आ) वित्तीय वर्ष के तत्काल पूर्ववर्ती किसी भी तीन वित्तीय वर्षों में कर्मी या स्वत्वधारी या एक भागीदार है या रहा है;

i. व्यवसाय में लेखापरीक्षकों या कंपनी सचिवों के एक फर्म या कंपनी या इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयुक्त कंपनी के लागत लेखापरीक्षकों; या

ii. कोई विधिक या परामर्शी फर्म जिसका कंपनी, इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयुक्त कंपनी के साथ ऐसे फार्म के सकल आवर्त का 10% या अधिक की कोटि का हो कोई संव्यवहार है या था;

इ) कंपनी के कुल मत-शक्ति का 2% या अधिक मेरे रिशतेदारों के साथ धारण करता है; या

ई) किसी अलाभकारी संगठन जो कंपनी, अपने किसी संप्रवर्तकों, निदेशकों या इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयुक्त कंपनी से इसकी प्राप्तियों का 25% या अधिक प्राप्त करता है या जो कंपनी के कुल मत-शक्ति का 2% या अधिक धारण करता है के मुख्य अधिशाषी या निदेशक, जिस किसी नाम से बुलाया जाता हो, है; या

7. मैं कंपनी का सामाग्री आपूर्तिकर्ता, सेवा प्रदाता या ग्राहक या एक पट्टाकर्ता या पट्टेदार नहीं हूँ।
8. मैं 21 वर्ष से कम उम्र का नहीं हूँ।

घोषणा

मैं वचन देता हूँ कि यदि और जहाँ तक मेरा कोई ऐसा संबंध/संव्यवहार, चाहे तात्त्विक हो या अतात्त्विक, मैं बोर्ड का पूर्व अनुमोदन चाहूँगा। यदि मैं ऐसा करने में असफल होता हूँ, मैं ऐसे संबंध/ संव्यवहारों में प्रवेश करने की तिथि से एक स्वतंत्र निदेशक होने के लिए स्थगन करूँगा। इसके अतिरिक्त, मैं एतदद्वारा घोषणा और पुष्ट करता हूँ कि यथा स्वतंत्रता की घोषणा की तिथि पर उपर्युक्त संसूचनाएँ सत्य हैं और मेरी जानकारी के अनुसार सही है और मैं इसकी शुद्धता का उत्तरदायित्व लेता हूँ और यदि भविष्य में वही दोषपूर्ण या गलत पाया जाता है कंपनी, इसके निदेशकों पर यदि कोई अधिरोपित जुर्माना के लिए दायी होऊंगा। मैं आगे उसे अद्यतन करने के लिए कंपनी को परिवर्तनों, यदि कोई हो, की तत्काल सूचना देने का भी वचन देता हूँ।

सधन्यवाद!

आपका विश्वासी,

तिथि : 03.06.2022

स्थान : नई दिल्ली

नाम : श्री अनिल कुमार गणेरिवाला

डीआईएन : 06372875

स्वतंत्रता की घोषणा

सेवा में,
निदेशक मण्डल,
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड,
सांकतोड़िया, पश्चिम बर्द्धमान,
पश्चिम बंगाल 713333

विषय: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 की उप-धारा (6) के अधीन स्वतंत्रता की घोषणा।

मैं, **धर्मशीला गुप्ता**, एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैं ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड सांकतोड़िया, पश्चिम बर्द्धमान, पश्चिम बंगाल का एक स्वतंत्र निदेशक हूँ और कंपनी अधिनियम 2013 में यथा परिकल्पित स्वतंत्र निदेशक के समस्त मानदंडों का अनुपालन करता हूँ।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि

1. कंपनी में एक स्वतंत्र निदेशक होने के लिए सुसंगत विशेषज्ञता और अनुभव धारण करता हूँ;
2. मैं कंपनी या इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयुक्त कंपनी का संप्रवर्तक नहीं हूँ / था;
3. मैं कंपनी, इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयुक्त कंपनी में निदेशक मण्डलीय स्तर या निदेशक मण्डल से निम्न स्तरीय पर प्रबंधन पद का अधियोग करने वाले संप्रवर्तकों/ निदेशकों/ व्यक्तियों से संबंध नहीं है;
4. निदेशकीय बैठक शुल्क प्राप्त करने के अतिरिक्त, मेरा दो तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों या वर्तमान वर्ष के दौरान कंपनी, इसके संप्रवर्तकों, इसके निदेशकों, इसके वरिष्ठ प्रबंधन या इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयुक्त कंपनी, या उनके संप्रवर्तकों या निदेशकों के साथ धनीय संबंध/ संव्यवहार नहीं है/ था।
5. दो तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान या वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, मेरे किसी भी रिश्तेदार का कंपनी, इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयुक्त कंपनी, या उनके संप्रवर्तकों, या निदेशकों जिसके सकल आवर्त या कुल आय का 2% या अधिक या ₹50 लाख या ऐसी अधिकतर राशि जैसा विहित की जाए, जो भी कम हो, की श्रेणी में आने वाले के साथ कोई धनीय संबंध या संव्यवहार नहीं है या था;
6. ना तो मैं ना ही मेरा कोई रिश्तेदार :

अ) वित्तीय वर्ष के तत्काल पूर्ववर्ती तीन किसी वित्तीय वर्षों में कंपनी या इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयुक्त कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी के पद धारण करता है या किया है या कर्मी/अधिशाषी है या रहा है;

आ) वित्तीय वर्ष के तत्काल पूर्ववर्ती किसी भी तीन वित्तीय वर्षों में कर्मी या स्वत्वधारी या एक भागीदार है या रहा है;

i. व्यवसाय में लेखापरीक्षकों या कंपनी सचिवों के एक फर्म या कंपनी या इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयुक्त कंपनी के लागत लेखापरीक्षकों; या

ii. कोई विधिक या परामर्शी फर्म जिसका कंपनी, इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयुक्त कंपनी के साथ ऐसे फार्म के सकल आवर्त का 10% या अधिक की कोटि का हो कोई संव्यवहार है या था;

इ) कंपनी के कुल मत-शक्ति का 2% या अधिक मेरे रिशतेदारों के साथ धारण करता है; या

ई) किसी अलाभकारी संगठन जो कंपनी, अपने किसी संप्रवर्तकों, निदेशकों या इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयुक्त कंपनी से इसकी प्राप्तियों का 25% या अधिक प्राप्त करता है या जो कंपनी के कुल मत-शक्ति का 2% या अधिक धारण करता है के मुख्य अधिशाषी या निदेशक, जिस किसी नाम से बुलाया जाता हो, है; या

7. मैं कंपनी का सामाग्री आपूर्तिकर्ता, सेवा प्रदाता या ग्राहक या एक पट्टाकर्ता या पट्टेदार नहीं हूँ।
8. मैं 21 वर्ष से कम उम्र का नहीं हूँ।

घोषणा

मैं वचन देता हूँ कि यदि और जहाँ तक मेरा कोई ऐसा संबंध/संव्यवहार, चाहे तात्त्विक हो या अतात्त्विक, मैं बोर्ड का पूर्व अनुमोदन चाहूँगा। यदि मैं ऐसा करने में असफल होता हूँ, मैं ऐसे संबंध/ संव्यवहारों में प्रवेश करने की तिथि से एक स्वतंत्र निदेशक होने के लिए स्थगन करूँगा। इसके अतिरिक्त, मैं एतदद्वारा घोषणा और पुष्ट करता हूँ कि यथा स्वतंत्रता की घोषणा की तिथि पर उपर्युक्त संसूचनाएँ सत्य हैं और मेरी जानकारी के अनुसार सही है और मैं इसकी शुद्धता का उत्तरदायित्व लेता हूँ और यदि भविष्य में वही दोषपूर्ण या गलत पाया जाता है कंपनी, इसके निदेशकों पर यदि कोई अधिरोपित जुर्माना के लिए दायी होऊंगा। मैं आगे उसे अद्यतन करने के लिए कंपनी को परिवर्तनों, यदि कोई हो, की तत्काल सूचना देने का भी वचन देता हूँ।

सधन्यवाद!

आपका विश्वासी,

Dharmshila Gupta

तिथि : 06.06.2022

स्थान : दरभंगा

नाम : श्रीमती धर्मशीला गुप्ता

डीआईएन : 09415976

स्वतंत्रता की घोषणा

सेवा में,
निदेशक मण्डल,
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड,
सांकतोड़िया, पश्चिम बर्द्धमान,
पश्चिम बंगाल 713333

विषय: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 की उप-धारा (6) के अधीन स्वतंत्रता की घोषणा।

मैं, **शिव नारायण पाण्डेय**, एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैं ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड सांकतोड़िया, पश्चिम बर्द्धमान, पश्चिम बंगाल का एक स्वतंत्र निदेशक हूँ और कंपनी अधिनियम 2013 में यथा परिकल्पित स्वतंत्र निदेशक के समस्त मानदंडों का अनुपालन करता हूँ।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि

1. कंपनी में एक स्वतंत्र निदेशक होने के लिए सुसंगत विशेषज्ञता और अनुभव धारण करता हूँ;
2. मैं कंपनी या इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयुक्त कंपनी का संप्रवर्तक नहीं हूँ / था;
3. मैं कंपनी, इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयुक्त कंपनी में निदेशक मण्डलीय स्तर या निदेशक मण्डल से निम्न स्तरीय पर प्रबंधन पद का अधियोग करने वाले संप्रवर्तकों/ निदेशकों/ व्यक्तियों से संबंध नहीं है;
4. निदेशकीय बैठक शुल्क प्राप्त करने के अतिरिक्त, मेरा दो तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों या वर्तमान वर्ष के दौरान कंपनी, इसके संप्रवर्तकों, इसके निदेशकों, इसके वरिष्ठ प्रबंधन या इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयुक्त कंपनी, या उनके संप्रवर्तकों या निदेशकों के साथ धनीय संबंध/ संव्यवहार नहीं है/ था।
5. दो तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान या वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, मेरे किसी भी रिश्तेदार का कंपनी, इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयुक्त कंपनी, या उनके संप्रवर्तकों, या निदेशकों जिसके सकल आवर्त या कुल आय का 2% या अधिक या ₹50 लाख या ऐसी अधिकतर राशि जैसा विहित की जाए, जो भी कम हो, की श्रेणी में आने वाले के साथ कोई धनीय संबंध या संव्यवहार नहीं है या था;
6. ना तो मैं ना ही मेरा कोई रिश्तेदार :

   अ) वित्तीय वर्ष के तत्काल पूर्ववर्ती तीन किसी वित्तीय वर्षों में कंपनी या इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयुक्त कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी के पद धारण करता है या किया है या कर्मी/अधिशाषी है या रहा है;

   आ) वित्तीय वर्ष के तत्काल पूर्ववर्ती किसी भी तीन वित्तीय वर्षों में कर्मी या स्वत्वधारी या एक भागीदार है या रहा है;

      i. व्यवसाय में लेखापरीक्षकों या कंपनी सचिवों के एक फर्म या कंपनी या इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयुक्त कंपनी के लागत लेखापरीक्षकों; या

      ii. कोई विधिक या परामर्शी फर्म जिसका कंपनी, इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयुक्त कंपनी के साथ ऐसे फार्म के सकल आवर्त का 10% या अधिक की कोटि का हो कोई संव्यवहार है या था;

   इ) कंपनी के कुल मत-शक्ति का 2% या अधिक मेरे रिशतेदारों के साथ धारण करता है; या

   ई) किसी अलाभकारी संगठन जो कंपनी, अपने किसी संप्रवर्तकों, निदेशकों या इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयुक्त कंपनी से इसकी प्राप्तियों का 25% या अधिक प्राप्त करता है या जो कंपनी के कुल मत-शक्ति का 2% या अधिक धारण करता है के मुख्य अधिशाषी या निदेशक, जिस किसी नाम से बुलाया जाता हो, है; या
7. मैं कंपनी का सामाग्री आपूर्तिकर्ता, सेवा प्रदाता या ग्राहक या एक पट्टाकर्ता या पट्टेदार नहीं हूँ।
8. मैं 21 वर्ष से कम उम्र का नहीं हूँ।

घोषणा

मैं वचन देता हूँ कि यदि और जहाँ तक मेरा कोई ऐसा संबंध/संव्यवहार, चाहे तात्त्विक हो या अतात्त्विक, मैं बोर्ड का पूर्व अनुमोदन चाहूँगा। यदि मैं ऐसा करने में असफल होता हूँ, मैं ऐसे संबंध/ संव्यवहारों में प्रवेश करने की तिथि से एक स्वतंत्र निदेशक होने के लिए स्थगन करूँगा। इसके अतिरिक्त, मैं एतदद्वारा घोषणा और पुष्ट करता हूँ कि यथा स्वतंत्रता की घोषणा की तिथि पर उपर्युक्त संसूचनाएँ सत्य हैं और मेरी जानकारी के अनुसार सही है और मैं इसकी शुद्धता का उत्तरदायित्व लेता हूँ और यदि भविष्य में वही दोषपूर्ण या गलत पाया जाता है कंपनी, इसके निदेशकों पर यदि कोई अधिरोपित जुर्माना के लिए दायी होऊंगा। मैं आगे उसे अद्यतन करने के लिए कंपनी को परिवर्तनों, यदि कोई हो, की तत्काल सूचना देने का भी वचन देता हूँ।

सधन्यवाद!

आपका विश्वासी,

नाम : श्री शिव नारायण पाण्डेय

डीआईएन : 09413672

तिथि : 04.06.2022

स्थान : जगदलपुर

स्वतंत्रता की घोषणा

सेवा में,
निदेशक मण्डल,
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड,
सांकतोड़िया, पश्चिम बर्द्धमान,
पश्चिम बंगाल 713333

विषय: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 की उप-धारा (6) के अधीन स्वतंत्रता की घोषणा।

मैं, **शिव तपस्या पासवान**, एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैं ईस्टर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड सांकतोड़िया, पश्चिम बर्द्धमान, पश्चिम बंगाल का एक स्वतंत्र निदेशक हूँ और कंपनी अधिनियम 2013 में यथा परिकल्पित स्वतंत्र निदेशक के समस्त मानदंडों का अनुपालन करता हूँ।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि

1. कंपनी में एक स्वतंत्र निदेशक होने के लिए सुसंगत विशेषज्ञता और अनुभव धारण करता हूँ;
2. मैं कंपनी या इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयुक्त कंपनी का संप्रवर्तक नहीं हूँ / था;
3. मैं कंपनी, इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयुक्त कंपनी में निदेशक मण्डलीय स्तर या निदेशक मण्डल से निम्न स्तरीय पर प्रबंधन पद का अधियोग करने वाले संप्रवर्तकों/ निदेशकों/ व्यक्तियों से संबंध नहीं है;
4. निदेशकीय बैठक शुल्क प्राप्त करने के अतिरिक्त, मेरा दो तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों या वर्तमान वर्ष के दौरान कंपनी, इसके संप्रवर्तकों, इसके निदेशकों, इसके वरिष्ठ प्रबंधन या इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयुक्त कंपनी, या उनके संप्रवर्तकों या निदेशकों के साथ धनीय संबंध/ संव्यवहार नहीं है/ था।
5. दो तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान या वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान, मेरे किसी भी रिश्तेदार का कंपनी, इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयुक्त कंपनी, या उनके संप्रवर्तकों, या निदेशकों जिसके सकल आवर्त या कुल आय का 2% या अधिक या ₹50 लाख या ऐसी अधिकतर राशि जैसा विहित की जाए, जो भी कम हो, की श्रेणी में आने वाले के साथ कोई धनीय संबंध या संव्यवहार नहीं है या था;
6. ना तो मैं ना ही मेरा कोई रिश्तेदार :

अ) वित्तीय वर्ष के तत्काल पूर्ववर्ती तीन किसी वित्तीय वर्षों में कंपनी या इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयुक्त कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी के पद धारण करता है या किया है या कर्मी/अधिशाषी है या रहा है;

आ) वित्तीय वर्ष के तत्काल पूर्ववर्ती किसी भी तीन वित्तीय वर्षों में कर्मी या स्वत्वधारी या एक भागीदार है या रहा है;

i. व्यवसाय में लेखापरीक्षकों या कंपनी सचिवों के एक फर्म या कंपनी या इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयुक्त कंपनी के लागत लेखापरीक्षकों; या

ii. कोई विधिक या परामर्शी फर्म जिसका कंपनी, इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयुक्त कंपनी के साथ ऐसे फार्म के सकल आवर्त का 10% या अधिक की कोटि का हो कोई संव्यवहार है या था;

इ) कंपनी के कुल मत-शक्ति का 2% या अधिक मेरे रिशतेदारों के साथ धारण करता है; या

ई) किसी अलाभकारी संगठन जो कंपनी, अपने किसी संप्रवर्तकों, निदेशकों या इसके नियंत्रक, अनुषंगी या सहयुक्त कंपनी से इसकी प्राप्तियों का 25% या अधिक प्राप्त करता है या जो कंपनी के कुल मत-शक्ति का 2% या अधिक धारण करता है के मुख्य अधिशाषी या निदेशक, जिस किसी नाम से बुलाया जाता हो, है; या

7. मैं कंपनी का सामाग्री आपूर्तिकर्ता, सेवा प्रदाता या ग्राहक या एक पट्टाकर्ता या पट्टेदार नहीं हूँ।
8. मैं 21 वर्ष से कम उम्र का नहीं हूँ।

घोषणा

मैं वचन देता हूँ कि यदि और जहाँ तक मेरा कोई ऐसा संबंध/संव्यवहार, चाहे तात्त्विक हो या अतात्त्विक, मैं बोर्ड का पूर्व अनुमोदन चाहूँगा। यदि मैं ऐसा करने में असफल होता हूँ, मैं ऐसे संबंध/ संव्यवहारों में प्रवेश करने की तिथि से एक स्वतंत्र निदेशक होने के लिए स्थगन करूँगा। इसके अतिरिक्त, मैं एतदद्वारा घोषणा और पुष्ट करता हूँ कि यथा स्वतंत्रता की घोषणा की तिथि पर उपर्युक्त संसूचनाएँ सत्य हैं और मेरी जानकारी के अनुसार सही है और मैं इसकी शुद्धता का उत्तरदायित्व लेता हूँ और यदि भविष्य में वही दोषपूर्ण या गलत पाया जाता है कंपनी, इसके निदेशकों पर यदि कोई अधिरोपित जुर्माना के लिए दायी होऊंगा। मैं आगे उसे अद्यतन करने के लिए कंपनी को परिवर्तनों, यदि कोई हो, की तत्काल सूचना देने का भी वचन देता हूँ।

सधन्यवाद!

आपका विश्वासी,

तिथि : 06.06.2022

स्थान : बाबुरी

नाम : श्री शिव तपस्या पासवान

डीआईएन : 09414240

अनुबंध - XII

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का कार्यालय
सांकतोड़िया, पत्रालय- डिसेरगढ़,
जिला- बर्द्धमान, पश्चिम बंगाल-713333
सी.आइ.एन-U10101WB1975GOI030295
वेबसाइट – www.easterncoal.gov.in

EASTERN COALFIELDS LIMITED
Office of the Chairman-cum-Managing Director
Sanctoria, P.O.: Dishergarh,
Dist.: Bardhaman, West Bengal-713333
CIN-U10101WB1975GOI030295
Website – www.easterncoal.gov.in

वर्ष 2021-22 के लिए सहमति ज्ञापन लक्ष्य प्राप्ति की प्रास्थिति

क्रम सं.	निष्पादन मानदण्ड	माप की इकाई	वर्ष के लिए लक्ष्य	प्राप्ति
1.	परिचालन से राजस्व (निवल)	₹ करोड़	13826.00	10,750.75
2.	आस्ति आवर्त अनुपात	%	83.39%	74.45%
3.	विगत वर्ष की तुलना में परिचालन हानि में कमी	%	100%	-3.33%
4.	विगत वर्ष की तुलना में कुल आय के % के रूप में कुल व्यय	%	22.29%	4.93%
5.	व्यापार प्राप्य (निवल) यथा परिचालन से राजस्व दिवसों की संख्या	दिवसों की संख्या	101	61.24
6.	कोयला उत्पादन	मि.टन	54.00	32.428
7.	पूँजीगत व्यय (₹ करोड़ में)	₹ करोड़	1180.00	1227.99
8.	तृतीय तिमाही की समाप्ति तक पूँजीगत प्राप्ति (31 दिसम्बर, 2021)	₹ करोड़	1062.00	760.55
9.	कोयला गुणवत्ता – ग्रेड की वास्तविक प्राप्ति	%	90%	100%
10.	5 वर्षों में से विगत 3 वर्षों के औसत न्यूनतम स्तर पर घातक क्षति में % कमी	%	20%	वर्ष 2021-22 में 10.58% की वृद्धि
11.	5 वर्षों में से विगत 3 वर्षों के औसत न्यूनतम स्तर पर गंभीर क्षति में % कमी	%	20%	वर्ष 2021-22 में 54.22% की कमी
12.	नव पौध रोपण	हेक्टेयर	150	154.90
13.	उपरिभार हटाव	मि. घनमीटर	170.00	118.989

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
के सदस्यों को स्वतंत्र लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन

लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन

वित्तीय विवरणी का लेखापरीक्षा पर प्रतिवेदन

राय

हमने ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय विवरणी का लेखपरीक्षा किया है, जिसमें 31 मार्च, 2022 को यथा तुलन-पत्र और लाभ-हानि विवरणी (अन्य व्यापक आय सहित), तब समाप्त वर्ष के लिए साम्या में परिवर्तनों का विवरणी एवं नकदी प्रवाह विवरणी, और वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं अन्य व्याख्यात्मक संसूचना (इसके पश्चात् यथा "वित्तीय विवरणी" संदर्भित) का सारांश सहित समाविष्ट हैं जिसमें (अ) हमारे द्वारा मुख्यालय एवं 7 क्षेत्रों/ इकाइयों का लेखापरीक्षा किया गया और (आ) कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 139 के अधीन नियुक्त शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा 19 क्षेत्रों/इकाइयों का लेखापरीक्षा किए गए से संबंधित निगमित किया जाता है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम संसूचना के अनुसार तथा हमें प्रस्तुत स्पष्टीकरण के तहत, उपर्युक्त वित्तीय विवरणी अधिनियम द्वारा अभीष्ट संसूचना अपेक्षित रीति से 31 मार्च, 2022 को यथा कंपनी के कार्यकलाप की स्थिति और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए उसकी हानि, कुल व्यापक हानि, साम्या में परिवर्तन और उसके नकदी प्रवाह का विवरण प्रदान करता है तथा भारत में सामान्यतया स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और ऋजु चित्र प्रस्तुत करता है।

राय के लिए आधार

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा पर मानकों (एसए) के अनुसार अपना लेखापरीक्षा किया। उन मानकों के अधीन हमारे उत्तरदायित्वों को आगे हमारे प्रतिवेदन के वित्तीय विवरणी अनुभाग की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्वों में वर्णित किया गया है। हम भारतीय सनदी लेखाक संस्थान ("आईसीएआई") द्वारा निर्गत आचार संहिता के साथ-ही-साथ नैतिक आवश्यकताएँ जो इसके अधीन अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के अधीन वित्तीय विवरणी की हमारे लेखापरीक्षा के लिए सुसंगत हैं के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, तथा हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को पूर्ण किया है। हम विश्वास करते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

विषय का प्रबलन

i. हम कोल नेट से सैप (ईआरपी) में डेटा के संक्रमण के दौरान वित्तीय विवरणी के टिप्पणी 38 (5) थ (i) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं कि कुछ विक्रेता के शेष को वसीयत विक्रेता कोड के अधीन सैप में अपलोड किया गया था जो है कंपनी द्वारा प्रबंधन के मूल्यांकन के अनुसार देय है।

ii. हम यथा संपत्ति दर्शित किए गए जीएसटी निविष्टि साख के अधीन स्थित राशि विषयक वित्तीय विवरणी के टिप्पणी 38 (5) थ (ii) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जो प्रबंधन के मूल्यांकन के अनुसार पूरी तरह से वसूली योग्य है।

iii. हम कंपनी द्वारा अगस्त, 2021 से आरंभ किए गए सैप के सभी प्रतिरूप यथा फिको, एमएम, पीएम, पीपी, पीएस, एचसीएम और एसडी विषयक वित्तीय विवरणों के टिप्पणी सं. 6.1 की टिप्पणी 1 पर ध्यान आकर्षित करते हैं।

उपर्युक्त विषयों के संबंध में हमारी राय में कोई उपांतर नहीं किया गया है।

अन्य विषय

हमने कंपनी के वित्तीय विवरणी में समाविष्ट 19 इकाइयों के वित्तीय विवरणियों का लेखापरीक्षा नहीं किया जिनके वित्तीय विवरणियाँ 31 मार्च, 2022 को यथा ₹ 11,350,65 करोड़ की कुल आस्तियों और 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 10,344.45 करोड़ की कुल आय, यथा वित्तीय विवरणी में निर्धारित, को दर्शाते हैं। इन इकाइयों के वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा इकाई लेखापरीक्षकों द्वारा की गई है जिनका प्रतिवेदन हमें प्रस्तुत किया गया है, और हमारी राय जहाँ तक यह उन इकाइयों के संबंध में समाविष्ट राशियों और प्रकटनों से संबंधित है, जो केवल ऐसे इकाई लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित हैं।

इन विषयों के संबंध में हमारी राय में कोई उपांतर नहीं किया गया है।

वित्तीय विवरणी से भिन्न संसूचना एवं उसपर लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन

कंपनी का निदेशक मण्डल अन्य संसूचना के लिए उत्तरदायी है। अन्य संसूचना निदेशक मण्डल के प्रतिवेदन (लेकिन इसमें वित्तीय विवरणी और हमारे लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन समाविष्ट नहीं है) को समाविष्ट करता है। इस लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन की तिथि के पश्चात निदेशक मण्डल के प्रतिवेदन हमें उपलब्ध कराए जाने की प्रत्याशा है।

वित्तीय विवरणी पर हमारी राय में अन्य संसूचना समाविष्ट नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करेंगे।

वित्तीय विवरणी की हमारी लेखापरीक्षा के संसंग में, हमारा उत्तरदायित्व अन्य संसूचना को पढ़ने की है और, ऐसा करने में, इस बात पर विचार करतें हैं कि क्या अन्य संसूचना वित्तीय विवरणी के साथ तत्वतः असंगत है या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारी संसूचना या अन्यथा तत्वतः मिथ्या कथन करती प्रतीत होती है।

जब हम निदेशक मण्डल के प्रतिवेदन पढ़ते हैं, यदि हम यह निश्चित करते हैं कि इसमें कोई तत्व अयथार्थ कथन है, तो हमें इस विषय को सुशासन के भारितों तक संसूचित करना आवश्यक है।

वित्तीय विवरणी के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व और उनपर सुशासन के लिए भारिता

कंपनी का निदेशक मण्डल इन वित्तीय विवरणियों की निर्मिति से संबंधित अधिनियम की धारा 134(5) में विवरणित विषयों के लिए उत्तरदायी है जो इसके अधीन निर्गत सुसंगत नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) सहित, भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, कुल व्यापक आय, साम्या में परिवर्तनों और नकदी-प्रवाह का सही और ऋजु चित्र प्रस्तुत करते हैं। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की आस्तियों की संरक्षा के लिए और कपट एवं अन्य विसंगतियों की रोकथाम एवं पता लगाने के लिए तथा समुचित लेखांकन नीतियों के चयन एवं अनुप्रयोग; निर्णयों या अनुमानों जो युक्तियुक्त और प्रज्ञायुक्त हो लेने या लगाने; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अभिकल्प, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण, जो लेखांकन अभिलेखों की निश्चितता एवं पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशीलता से परिचालित किया जा रहा था,

वित्तीय विवरणियों जो सही और ऋजु चित्र प्रस्तुत करता है और तात्विक अयथार्थ कथन से मुक्त है, चाहे कपट या त्रुटि के कारण हो, के निर्मिति एवं प्रस्तुतिकरण को सुसंगत करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों के अनुरक्षण भी समाविष्ट है।

वित्तीय विवरणी निर्मिति में, निदेशक मंडल यथा चालू समुत्थान रखने की कंपनी की क्षमता का मूल्यांकन करने, चालू समुत्थान, यथा लागू हो, संबंधित विषयों को प्रकटन करने और लेखांकन के चालू समुत्थान आधारित उपयोग करने के लिए उत्तरदायी है जब तक कि निदेशक मंडल या तो कंपनी को परिसमापन करने या परिचालन बंद करने का इरादा नहीं रखता है, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय प्रतिवेदिति प्रक्रिया के पर्यवेक्षण के लिए भी उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरणी के लेखापरीक्षा के लिए लेखपरीक्षकों का दायित्व

हमारा उद्देश्य इस बाबत युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरणी तात्त्विक अयथार्थ कथन से मुक्त हैं, चाहे वह कपट या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन जिसमें हमारी राय समाविष्ट है निर्गत करना है। युक्तियुक्त आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह प्रत्याभूत नहीं है कि लेखांकन मानकों के अनुसार आयोजित लेखापरीक्षा सदैव तात्त्विक अयथार्थ कथन जब वह विद्यमान हो का पता लगाएगा। अयथार्थ कथन कपट या त्रुटि से उद्भूत हो सकते हैं और उन्हें तात्त्विक प्रतिफलित किया जाता है यदि, व्यष्टि रूप से या समग्र रूप से, इन वित्तीय विवरणियों के आधार पर परिगृहीत उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की युक्तियुक्त रूप से प्रत्याशा की जा सकती है।

लेखांकन के मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा के भाग रूप में, हम वृत्तिक निर्णय का प्रयोग करते हैं और पूरे लेखापरीक्षा में वृत्तिक संशयवाद बनाए रखते हैं। हम :

- वित्तीय विवरणी के तात्त्विक अयथार्थ कथन के जोखिमों को भी परिलक्षित और उनका मूल्यांकन करते हैं, चाहे वे कपट या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के लिए लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को अभिकल्पित और निष्पादित भी करते हैं, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है। कपट के परिणामस्वरूप होने वाले एक तात्त्विक अयथार्थ कथन को परिलक्षित नहीं करने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले से अधिक है, . क्योंकि कपट में दुस्संधि, कूटरचना, साशय चूक, दुर्व्यपदेशन, या आंतरिक नियंत्रण का अध्यारोही समाविष्ट हो सकता है।

- उन परिस्थितियों में संगत लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को अभिकल्पित करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ भी प्राप्त करते हैं। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अधीन, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा कृत लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्क संगति का भी मूल्यांकन करते हैं।
- लेखांकन के चालू समुत्थान के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर,
- क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई तात्त्विक अनिश्चितता विद्यमान है जो कंपनी की एक चालू समुत्थान के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक तात्त्विक अनिश्चितता विद्यमान है, तो हमें अपने लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में वित्तीय विवरणी में या, यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को उपांतरित करने के लिए संबंधित प्रकटन पर ध्यानाकर्षित किया जाना अपेक्षित है। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। तदापि, भविष्यत् घटनाएँ या दशाएँ कंपनी को यथा चालू समुत्थान जारी रखने में अवरोध का कारण बन सकती है।
- प्रकटनें सहित वित्तीय विवरणी की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन भी करते हैं, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।

तात्त्विकता वित्तीय विवरणी में अयथार्थ कथनों का परिमाण है, जो व्यष्टि रूप से या संकलित में, यह अधिसंभाव्य है कि वित्तीय विवरणी के युक्तियुक्त रूप से सुविज्ञ उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य की परिधि की योजना बनाने और अपने कार्य के परिणामों का मूल्यांकन करने; और (ii) वित्तीय विवरणी में किसी भी परिलक्षित अयथार्थ कथनों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक तात्त्विकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम, अन्य मामलों के अलावा, लेखापरीक्षा के नियोजित परिधि और समय-सीमा और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष, आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमियाँ जिन्हें हम अपने लेखापरीक्षा के दौरान परिलक्षित करते हैं सहित, के बारे में सुशासन के भारितों को संसूचित करते हैं।

हम उन लोगों को भी प्रदान करते हैं जिन पर सुशासन भारिता है कि हमने स्वतंत्रता से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उन समस्त संबंधों और अन्य विषयों जो हमारी स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त विचार कर सकते हैं, और जहाँ लागू हो, संबद्ध संरक्षा पर उनके साथ संवाद करना है।

अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन

1. यथा अधिनियम की धारा 143 (11) के निबंधनों में भारत की केंद्रीय सरकार द्वारा निर्गत कंपनी (लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन) आदेश, 2020 (“आदेश”) द्वारा अपेक्षित है, हम “उपाबंध I” में, आदेश के पैरा 3 एवं 4 में, विनिर्दिष्टि विषयों पर एक विवरणी प्रदान करते हैं।
2. अधिनियम की धारा 143 (5) के अधीन यथा अपेक्षित, “उपाबंध II” में हमने, इस प्रतिवेदन को, लेखापरीक्षा की इंगित प्रणालीतंत्र के अनुपालन के पश्चात भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत, उपाबंध क में निदेशनों एवं उपाबंध ख की अतिरिक्त निदेशनों में विवरणी, उस पर की गई कार्रवाई और कंपनी के लेखा और वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव को प्रस्तुत करते हैं।
3. यथा अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित है, हम प्रतिवेदित करते हैं कि :

ए हमने सभी संसूचना और स्पष्टीकरण की ईप्सा किए हैं और उसे प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे;

बी हमने सभी संसूचना और स्पष्टीकरण की ईप्सा किए हैं और उसे प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे;

सी इकाई लेखापरीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143(8) के अधीन लेखापरीक्षित कंपनी की इकाइयों के लेखा पर प्रतिवेदन हमें प्रेषित की गई है और इस प्रतिवेदन को निर्मिति करने में हमारे द्वारा समुचित बरता गया है;

डी तुलन-पत्र, लाभ-हानि विवरणी (अन्य व्यापक आय सहित), साम्या में परिवर्तन विवरणी और इस प्रतिवेदन द्वारा निपटाए गए नकदी-प्रवाह विवरणी वित्तीय विवरणी की निर्मिति के प्रयोजनार्थ अनुरक्षित लेखा के सुसंगत बहियों के साथ करार में है;

इ. हमारी राय में, उपर्युक्त वित्तीय विवरणी कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं;

एफ. कारपोरेट मामले के मंत्रालय द्वारा निर्गत अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 05.06.2015 के अनुसरण में, निदेशकगणों की निरर्हता से संबंधित अधिनियम की धारा 164(2), सरकारी कंपनी पर लागू नहीं है;

जी. कंपनी की वित्तीय प्रतिवेदिति पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, "**अनुलग्नक III**" में हमारे पृथक प्रतिवेदन का संदर्भ लें जो हमारे प्रतिवेदन पर आधारित है और 19 इकाइयों की लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन को हमारे द्वारा लेखापरीक्षित नहीं किया गया है। हमारा प्रतिवेदन, इसमें बताए गए कारणों के लिए, कंपनी की वित्तीय प्रतिवेदिति पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक अनुपांतरित राय अभिव्यक्त करती है;

एच. कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11, यथा संशोधित, के अनुसार लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में समाविष्ट किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम संसूचना के अनुसार और हमें प्रदत्त स्पष्टीकरण के अनुसार :

i. कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणी में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटन किया है - वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी 38.4 देखें;

ii. कंपनी के पास व्युत्पन्नी संविदाओं सहित कोई दीर्घावधि संविदाएँ नहीं थीं, जिसके लिए कोई तात्त्विक पूर्वाभासी हानि हुआ हो;

iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित करने की आवश्यकता थी।

iv. (अ) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए, कोई भी निधियों (जो या तो व्यष्टि रूप से या कुल मिलाकर तात्त्विक हो) को अग्रिम या ऋण या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई निधि या किसी अन्य स्रोत या निधियों के किसी प्रकार से) कंपनी को या किसी अन्य व्यष्टि या संस्था में, जिसमें विदेशी संस्था ("मध्यवर्ती") समाविष्ट है, इस समझ के साथ कि चाहे वह लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि मध्यवर्ती, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से ("अंतिम लाभार्थी") प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी।

(आ) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा विदेशी संस्था ("निधियन पक्षकारों") सहित किसी भी व्यक्ति या संस्था से कोई निधि (जो व्यष्टि रूप से या कुल मिलाकर तात्त्विक है) प्राप्त नहीं किया गया है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, निधियन पक्षकारों ("अंतिम लाभार्थी") या की ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करेगी।

(ग) लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें आस्तियों में युक्तियुक्त और उपयुक्त माना गया है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11 (ई) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन, यथा उपर्युक्त (अ) और (आ) के अधीन उपबंधित, इसमें कोई भी तात्त्विक अयथार्थ कथन है।

v. कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया है।

4. कारपोरेट मामले के मंत्रालय द्वारा निर्गत अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 05.06.2015 के अनुसरण में, प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित अधिनियम की धारा 197, सरकारी कंपनी पर लागू नहीं है।

सीए राकेश कुमार सिंह
साझेदार
सदस्यता संख्या 066421
यू डी आई एन : 22066421AIRMAL7801

दिनांक: 09 मई 2022
स्थान: सेंक्टोरिया

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन का उपाबंध 'I'

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणी पर सम तिथि की

लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की वित्तीय विवरणी के लिए सम तिथि के अपने प्रतिवेदन का 'अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकता पर प्रतिवेदन' शीर्षक के अधीन पैरा 1 में संदर्भित

i. (अ) (क) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की मात्रात्मक ब्यौरे और स्थिति सहित पूर्ण विशिष्टियाँ दर्शित करते हुए उचित अभिलेखों को अनुरक्षित किया है।

(ख) कंपनी ने अमूर्त आस्तियों के पूर्ण विशिष्टयों को दर्शित करते हुए उचित अभिलेखों को अनुरक्षित किया है।

(आ) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर का वास्तविक सत्यापन किया गया है, जो हमारी राय में, कंपनी के आकार और इसकी संपत्ति की प्रकृति को देखते हुए युक्तियुक्त है। हमें प्रदत्त संसूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस तरह के सत्यापन में कोई तात्त्विक विसंगति नहीं पाई गई।

(इ) कंपनी द्वारा खरीदी गई अचल संपत्तियों के संबंध में हमें उपाबंधित संपत्ति कर प्राप्तियाँ, पंजीकृत बिक्री विलेख / अंतरण विलेख / हस्तांतरण विलेख और कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1973, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन व विकास) अधिनियम 1957, सरकारी भूमि का प्रत्यक्ष हस्तांतरण और वन अधिनियम के अधीन वन भूमि अधिग्रहण के अधीन अर्जित अचल संपत्तियों के स्वामित्व दस्तावेजों के हमारे परीक्षण के आधार पर जैसा कि हमें प्रदान किया गया है, हम प्रतिवेदित करते हैं कि, संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के अधीन समाविष्ट वित्तीय विवरणी में प्रकटित सभी अचल संपत्तियों के संबंध में हक निम्नलिखित के सिवाय तुलन-पत्र की तिथि को यथा कंपनी के नाम में धारित किया जाता है :

संपत्ति का अभिवर्णन	सकल वहनीय मूल्य (₹ करोड़ में)	के नाम पर धारित हक विलेख	या तो संप्रवर्तक, निदेशक या उनके संबंधी या कर्मी	संपत्ति किस तिथि से धारित है	कंपनी के नाम नहीं होने का कारण
पूर्ण स्वामित्व	2.10	कुछ नहीं	नहीं	1992	720.00 हेक्टेयर भूमि के संबंध में दस्तावेजों/ विलेखों के संकलन एवं पुनःमिलान का कार्य प्रगति पर है।

(ई) वर्ष के दौरान कंपनी ने किसी भी अपने संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर और अमूर्त आस्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(उ) बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (2016 में यथा संशोधित) और उसके अधीन सृजित नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को धारित करने के लिए कोई कार्यवाहियाँ वर्ष के दौरान आरंभ नहीं की गई है या 31 मार्च, 2022 को यथा कंपनी के विरूद्ध लंबित नही है।

ii. (अ) कोयला का वर्षांत भण्डार का नियंत्रक कंपनी अर्थात् कोल इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधियों द्वारा स्वतंत्र रूप से वास्तविक सत्यापन किया गया है। आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग के दल द्वारा भण्डारों का वास्तविक सत्यापन संचालित किया गया है। भण्डार के सत्यापन आवरण एवं प्रक्रिया, हमारी राय में, कंपनी के आकार के संबंध में समुचित है।
बही अभिलेखों के तुलना में वस्तुसूचियों के वास्तविक सत्यापन पर कोई तात्त्विक विसंगतियाँ नहीं देखी गई हैं।
(आ) कंपनी को विभिन्न बैंकों से सावधि जमा के एवज में कुल ₹753.55 करोड़ की बैंक ओवरड्राफ्ट प्रसुविधा स्वीकृत की गई है। हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के तहत, कंपनी द्वारा कोई तिमाही विवरणी या विवरणी दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। अतः, उक्त आदेश के पैरा 3 के खंड (iii) (बी) के अधीन प्रतिवेदिति कंपनी पर लागू नहीं होती है।

iii. कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी संस्था को कोई गारण्टी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है। कंपनी ने वर्ष के दौरान, कंपनियों में निवेश किया है और कर्मचारियों को ऋण की प्रकृति में बेज़मानती ऋण या अग्रिम प्रदान किए हैं, जिसके संबंध में :

(अ) कंपनी ने ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम प्रदान किया है जिसके संबंध में :
(क) कंपनी का कोई अनुषंगी, संयुक्त उद्यम और एसोसिएट नहीं है, अतः उक्त आदेश के पैराग्राफ 3 के खंड (iii)(ए)(ए) के अधीन प्रतिवेदिति कंपनी पर लागू नहीं होती है।
(ख) वर्ष के दौरान कुल राशि ₹0.08 करोड़ है और कर्मचारियों को ऋण की प्रकृति में ऋण या अग्रिम के संबंध में तुलन-पत्र में बकाया राशि ₹0.10 करोड़ है।

(आ) हमारी राय में, वर्ष के दौरान किए गए निवेश और ऋण प्रदान करने के नियम और शर्तें प्रथम दृष्ट्या हैं, कंपनी के हित के लिए प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला नहीं हैं।

(इ) कंपनी द्वारा दिए गए ऋणों के संबंध में, मूलधन की चुकौती और ब्याज के भुगतान की अनुसूची अनुबद्धित की गई है और मूलधन की अदायगी और ब्याज की प्राप्तियाँ सामान्यतया अनुबंध के अनुसार नियमित होती हैं।

(ई) कंपनी द्वारा दिए गए ऋणों के संबंध में, तुलन-पत्र की तिथि के अनुसार कोई अतिदेय राशि बकाया नहीं है।

(उ) कंपनी द्वारा दिया गया कोई भी ऋण जो वर्ष के दौरान देय हो गया है, उसी पक्षकार को दिए गए विद्यमान ऋणों के अतिदेय को निपटाने के लिए नवीनीकृत या विस्तारित या नए ऋण दिए गए हैं।

(ऊ) कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी शर्त या प्रतिसंदाय की अवधि को निर्दिष्ट किए बिना माँग पर प्रतिसंदाय योग्य ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है। अतः, उक्त आदेश के पैरा 3 के खंड 3(iii)(f) के अधीन प्रतिवेदिति लागू नहीं है।

iv. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कोई ऋण, गारंटी और प्रतिभूतियाँ या निवेश नहीं किया गया है जिसके संबंध में अधिनियम की धारा 185 और 186 के प्रावधान लागू हैं। अतः, उक्त आदेश के पैरा 3 के खंड (iv) के अधीन प्रतिवेदिति कंपनी पर लागू नहीं होती है।

v. कंपनी ने धारा 73 से 76 या अधिनियम के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कोई जमा स्वीकार नहीं किया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। अतः, उक्त आदेश के पैरा 3 के खंड (v) के अधीन प्रतिवेदिति कंपनी पर लागू नहीं होती है।

vi. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा परीक्षित अभिलेखों के अनुसार सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 148(1) के अंतर्गत लागत अभिलेख एवं खाते विहित किए गए हैं। उक्त खातों और अभिलेखों का अनुरक्षण कंपनी द्वारा किया जाता है।

vii. (अ) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा लेखा बहियों एवं अभिलेखों की हमारे परीक्षण के आधार पर कंपनी वस्तु एवं सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री-कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और उपयुक्त अधिकारियों को कोई अन्य वैधानिक बकाया सहित अविवादित सांविधिक देयराशियों को जमा करने में नियमित है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त के संबंध में देय कोई भी निर्विवाद राशि 31 मार्च, 2022 को देय होने की तिथि से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थी, सिवाय यथा निम्न अभिकथित है :

कानून के नाम	देय की प्रकृति	राशि (₹ करोड़ में)	अवधि जिससे राशि संबंधित हैं	संदाय की तिथि
झारखण्ड खनिज धारित भूमि पर (कोविड-19 महामारी) उपकर अधिनियम, 2022	कोविड महामारी उपकर	2.83	06.07.2020 से 30.09.2020	कोविड महामारी उपकर

(आ) हमें प्राप्त संसूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार एवं हमारे द्वारा परीक्षित अभिलेखों के तहत, आयकर, विक्रय कर, धन कर, सेवा कर, सीमा-शुल्क, उत्पाद-शुल्क, मूल्य वर्धित कर, माल व सेवा कर के देयों से संबंधित समाविष्ट राशि को और अधिकरण जहाँ विवाद लंबित है में इस प्रतिवेदन के **उपाबंध 1** में उद्धृत किसी विवादों के मद्धे जमा नहीं किया गया है।

viii. आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में अभ्यर्पण या प्रकटन की गई पूर्व में दर्ज न की गई आय से संबंधित कोई लेनदेन नहीं था।

ix. (अ) कंपनी ने ऋण या अन्य उधारों के प्रतिसंदाय में या किसी ऋणदाता को उस पर ब्याज के संदाय में चूक नहीं की है।

(आ) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा इरादतन चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(इ) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है। अतः, आदेश के पैरा 3 के खंड 3 (ix)(c) के अधीन प्रतिवेदिति लागू नहीं है।

(ई) कंपनी के वित्तीय विवरणी की समग्र परीक्षण पर, अल्पावधि आधार पर समुत्थापित निधियों का प्रथम दृष्टया, कंपनी द्वारा दीर्घकालिक प्रयोजनों के लिए वर्ष के दौरान प्रयुक्त नहीं किया गया है।

(उ) कंपनी की कोई अनुषंगी, एसोसिएट या संयुक्त उद्यम नहीं है और अतः आदेश के पैरा 3 के खंड 3 (ix) (ई) पर प्रतिवेदिति लागू नहीं है।

(ऊ) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है और अतः आदेश के पैरा 3 के खंड 3 (ix) (एफ) के तहत प्रतिवेदिति लागू नहीं है।

x. (अ) कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या आगे सार्वजनिक प्रस्ताव (कर्ज लिखतों सहित) के माध्यम से धनराशियाँ समुत्थापित नही किया है और अतः आदेश के पैरा 3 के खंड 3 (x) (ए) के अधीन प्रतिवेदिति लागू नहीं है।

(आ) वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपरिवर्तनीय संचयी प्रतिदेय अधिमान शेयरों को परिवर्तनीय अधिमान शेयरों में परिवर्तित किया था। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने परिवर्तनीय अधिमान शेयरों को सममूल्य पर साम्या शेयरों में परिवर्तित किया है, जिसके संबंध में अधिनियम की धारा 42 और धारा 62 की आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है। कंपनी वर्ष के दौरान कोई निधि समुत्थापित नहीं किया है।

कंपनी वर्ष के दौरान (पूर्णतः या अंशतः या विकल्पतः) अधिमानी आबंटन या परिवर्तनीय डिबेंचरों का निजी स्थानन नहीं किया है।

xi. (अ) वर्ष के दौरान कंपनी और कंपनी द्वारा कोई कपट सूचना या प्रतिवेदित नहीं की गई है।

(आ) अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के अधीन कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के अधीन विहित प्रपत्र एडीटी-4 में केंद्र सरकार के पास वर्ष के दौरान और इस प्रतिवेदन की तिथि तक कोई प्रतिवेदन दर्ज नहीं की गई है।

(इ) लेखापरीक्षा के दौरान हमें कोई सूचना प्रदाता परिवाद नहीं प्राप्त हुई है।

xii. कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। अतः, उक्त आदेश के पैरा 3 के खंड (xii) के अधीन प्रतिवेदिति कंपनी पर लागू नहीं होती है।

xiii. निष्पादित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, संबंधित पक्षकारों के साथ सभी लेनदेन अधिनियम की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं और विवरण वित्तीय विवरणी में लागू लेखांकन मानकों द्वारा यथा अपेक्षित प्रकटन किए गए हैं।

xiv. (क) हमारी राय में कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।

(ख) हमने अपनी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय-सीम और विस्तार का निर्धारण करने में, वर्ष के दौरान और अब तक कंपनी को निर्गत लेखापरीक्षा के अधीन वर्ष के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर विचार किया है।

xv. हमारी अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अधिनियम की धारा 192 के प्रावधानों के अधीन वर्ष के दौरान निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकदी लेनदेन नहीं किया है। अतः, उक्त आदेश के पैरा 3 के खंड (xv) के अधीन प्रतिवेदिति कंपनी पर लागू नहीं होती है।

xvi. (अ) हमारी राय में, कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। अतः, आदेश के पैरा 3 के खंड 3 (xvi) (ए), (बी) और (सी) के अधीन प्रतिवेदिति कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(आ) हमारी अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, समूह में समूह के हिस्से के रूप में एक से अधिक सीआईसी नहीं हैं {कोर निवेश कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 में यथा परिभाषित} और तदनुसार आदेश के पैरा 3 के खंड 3(xvi) (d) के अधीन प्रतिवेदिति कंपनी पर लागू नहीं होती है।

xvii. हमें प्रदत्त संसूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा अभिलेखों के परीक्षण के तहत, कंपनी वित्तीय वर्ष में ₹498.75 करोड़ और ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में ₹49.78 करोड़ की नकदी हानि उपगत की है।

xviii. वर्ष के दौरान कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों का कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है।

xix वित्तीय अनुपातों, काल-प्रभावन और वित्तीय आस्तियों की वसूली और वित्तीय देयताओं के भुगतान की प्रत्याशित तिथियों के आधार पर, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य संसूचना और निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी और समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारे परीक्षण के आधार पर हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो जाता है कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की तिथि को कोई भी वास्तविक अनिश्चितता विद्यमान है, यह दर्शाता है कि कंपनी तुलन-पत्र की तिथि में विद्यमान अपनी देयताओं को, जब वे गिरती हैं तुलन-पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय, पूरा करने में सक्षम नहीं है। यद्यपि, हम अधिकथन करते हैं कि यह कंपनी की भविष्यत् व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम इसके अतिरिक्त अधिकथित करते हैं कि हमारी प्रतिवेदिति लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन-पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देनदारियों को कंपनी द्वारा जब कभी वे देय होते हैं उन्मोचन कर लिया जाएगा।

xx (क) उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप-धारा (5) के द्वितीय परंतुक के अनुपालन में कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में अंतरण की आवश्यकता वाली चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य पर निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के लिए कोई अव्ययित राशि नहीं है। तदनुसार, आदेश के पैरा 3 के खंड 3(xx)(ए) के अधीन प्रतिवेदिति वर्ष के लिए लागू नहीं है।

(ख) अधिनियम की धारा 135(6) के प्रावधानों के अनुपालन में सीएसआर के तहत ऐसी कोई चालू परियोजनाएँ नहीं हैं जिसके लिए उक्त वित्तीय वर्ष की समाप्ति से 30 दिनों की अवधि के भीतर एक विशेष खाते में स्थानांतरण की आवश्यकता है। तदनुसार, आदेश के पैरा 3 के खंड 3(xx)(बी) के अधीन प्रतिवेदिति वर्ष के लिए लागू नहीं है।

xxi कंपनी को समेकित वित्तीय विवरणी निर्मिति करने की आवश्यकता नहीं है। अतः आदेश के पैरा 3 के खंड 3 (xxi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

जीपी के लिए अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफ.आर. सं. 302082E

सीए राकेश कुमार सिंह
साझेदार
सदस्यता संख्या 066421
यू डी आई एन : 22066421AIRMAL7801

दिनांक: 09 मई 2022
स्थान: सेंक्टोरिया

उपाबंध 1

विवादित देय जो जमा नहीं किया गया है।

क्रम सं.	अधिनियमित के नाम	अधिनियमित के नाम	अवधि जिससे राशि संबंधित है	न्यायालय / श्रम आयुक्त / मध्यस्थम् पैनल	प्रतिफल के अधीन राशि (₹ करोड़ में)	अभ्यापत्ति के अधीन प्रदत्त राशि	
1	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	निर्धारण वर्ष 1993-94 एवं निर्धारण वर्ष 2010-11 से निर्धारण वर्ष 2018-19 तक	सीआईटी(ए), आसनसोल	1,201.45	753.66	यह तथ्य का एक विवरण है। यद्यपि, इन विवादित देयों को उपखण्ड सं. 4. अनिर्धारित मदें के अधीन लेखा के लिए अतिरिक्त टिप्पणियों में दर्शित आकस्मिक देयता (कंपनी के प्रतिकूल दावा को यथा कर्ज अभिस्वीकृति नहीं किया गया) में समाविष्ट किया जाता है।
2	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	निर्धारण वर्ष 2010-11 एवं निर्धारण वर्ष 2011-12	आईटीएटी	1.66	0.00	
3	आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	निर्धारण वर्ष 2003 -04 से निर्धारण वर्ष 2006-07	माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता	26.89	5.53	
4	केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944	केंद्रीय उत्पाद-शुल्क	अप्रैल, 2014 से मार्च, 2016	सीसीई, बोलपुर	0.58	0.02	
5	केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944	केंद्रीय उत्पाद-शुल्क	मार्च, 2011 से मार्च, 2018	सीईएसटीएटी, कोलकाता	976.03	51.77	
6	केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944	केंद्रीय उत्पाद-शुल्क	वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं वित्तीय वर्ष 2015-16	लेखापरीक्षा का प्रधान निदेशक का कार्यालय, राँची (सीएजी)	5.17	0.00	
7	केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944	केंद्रीय उत्पाद-शुल्क	वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं वित्तीय वर्ष 2015-16	केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त (अपील), राँची	0.61	0.02	यह तथ्य का एक विवरण है। यद्यपि, इन विवादित देयों को उपखण्ड सं. 4. अनिर्धारित मदें के अधीन लेखा के लिए अतिरिक्त टिप्पणियों में दर्शित आकस्मिक देयता (कंपनी के प्रतिकूल दावा को यथा कर्ज अभिस्वीकृति नहीं किया गया) में समाविष्ट किया जाता है।
8	केंद्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956	सीएसटी	वित्तीय वर्ष 1999-00 एवं वित्तीय वर्ष 2001-02	एसीसीटी, देवघर	0.31	0.00	
9	केंद्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956	सीएसटी	वित्तीय वर्ष 1989-90 एवं वित्तीय वर्ष 1995-96	माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता	30.87	10.53	
10	केंद्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956	सीएसटी	वित्तीय वर्ष 2017-18	पश्चिम बंगाल वाणिज्यिकी कर अपीली एवं पुनरीक्षण बोर्ड, कोलकाता	1.96	0.20	

क्रम सं.	अधिनियमित के नाम	अधिनियमित के नाम	अवधि जिससे राशि संबंधित है	न्यायालय / श्रम आयुक्त / मध्यस्थम् पैनल	प्रतिफल के अधीन राशि (₹ करोड़ में)	अभ्यापत्ति के अधीन प्रदत्त राशि	
11	केंद्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956	सीएसटी	वित्तीय वर्ष 2001-02 वित्तीय वर्ष 2004-05 वित्तीय वर्ष 2008-09 से वित्तीय वर्ष 2006-07 तक	सीसीटी, राँची	2.70	0.74	यह तथ्य का एक विवरण है। यद्यपि, इन विवादित देयों को उपखण्ड सं. 4. अनिर्धारित मदें के अधीन लेखा के लिए अतिरिक्त टिप्पणियों में दर्शित आकस्मिक देयता (कंपनी के प्रतिकूल दावा को यथा कर्ज अभिस्वीकृति नहीं किया गया) में समाविष्ट किया जाता है।
12	केंद्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956	सीएसटी	अप्रैल, 2006 से मई, 2013 एवं वित्तीय वर्ष 2013-14	वाणिज्यिक कर न्यायाधिकरण, राँची	6.60	3.70	
13	केंद्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956	सीएसटी	वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं वित्तीय वर्ष 2012-13	डीसीसीटी, देवघर	3.62	0.03	
14	केंद्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956	सीएसटी	वित्तीय वर्ष 2015-16	डीसीसीटी, गोड्डा	41.55	1.37	
15	केंद्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956	सीएसटी	वित्तीय वर्ष 2008-09, वित्तीय वर्ष 2011-12, वित्तीय वर्ष 2012-13, वित्तीय वर्ष 2013-14, वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं वित्तीय वर्ष 2017-18	जे.सी.सी.टी. (अपील), देवघर	4.19	1.11	
16	केंद्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956	सीएसटी	वित्तीय वर्ष 2003-04, वित्तीय वर्ष 2009-10, वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं वित्तीय वर्ष 2015-16	जे.सी.सी.टी. (अपील), दुमका	15.62	0.91	यह तथ्य का एक विवरण है। यद्यपि, इन विवादित देयों को उपखण्ड सं. 4. अनिर्धारित मदें के अधीन लेखा के लिए अतिरिक्त टिप्पणियों में दर्शित आकस्मिक देयता (कंपनी के प्रतिकूल दावा को यथा कर्ज अभिस्वीकृति नहीं किया गया) में समाविष्ट किया जाता है।
17	केंद्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956	सीएसटी	वित्तीय वर्ष 2000-01	जे.सी.सी.टी., दुमका	0.13	0.00	
18	केंद्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956	सीएसटी	वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं वित्तीय वर्ष 2015-16	उप सीसीटी, चिरकुंडा अंचल	23.76	3.30	
19	केंद्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956		वित्तीय वर्ष 2002-03 F.Y. 2002-03	न्यायाधिकरण न्यायालय, राँची	1.39	0.00	
20	केंद्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956	सीएसटी	वित्तीय वर्ष 2004-05 से 2007-08 तक	वाणिज्यिक कर आयुक्त, राँची	8.12	0.00	

क्रम सं.	अधिनियमित के नाम	अधिनियमित के नाम	अवधि जिससे राशि संबंधित है	न्यायालय / श्रम आयुक्त / मध्यस्थम् पैनल	प्रतिफल के अधीन राशि (₹ करोड़ में)	अभ्यापत्ति के अधीन प्रदत्त राशि	
21	झारखण्ड वैट अधिनियम, 2005	जीवैट	वित्तीय वर्ष 1989-90 से वित्तीय वर्ष 1995-96	माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता	1.54	0.00	यह तथ्य का एक विवरण है। यद्यपि, इन विवादित देयों को उपखण्ड सं. 4. अनिर्धारित मदें के अधीन लेखा के लिए अतिरिक्त टिप्पणियों में दर्शित आकस्मिक देयता (कंपनी के प्रतिकूल दावा को यथा कर्ज अभिस्वीकृति नहीं किया गया) में समाविष्ट किया जाता है।
22	झारखण्ड वैट अधिनियम, 2005	जीवैट	वित्तीय वर्ष 1997-98 से वित्तीय वर्ष 2001-02	एसीसीटी, देवघर	0.59	0.00	
23	झारखण्ड वैट अधिनियम, 2005	जीवैट	वित्तीय वर्ष 2004-05 एवं वित्तीय वर्ष 2006-07 से वित्तीय वर्ष 2008-09 तक	सीसीटी, राँची	1.15	0.23	
24	झारखण्ड वैट अधिनियम, 2005	जीवैट	वित्तीय वर्ष 2012-13	डीसीसीटी, देवघर	0.32	0.00	
25	झारखण्ड वैट अधिनियम, 2005	जीवैट	वित्तीय वर्ष 2016-17	डीसीसीटी, गोड्डा	2.49	0.00	
26	झारखण्ड वैट अधिनियम, 2005	जीवैट	वित्तीय वर्ष 2007-08, वित्तीय वर्ष 2011-12, वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं वित्तीय वर्ष 2017-18.	जे.सी.सी.टी. (अपील), धनबाद	2.77	0.73	
27	झारखण्ड वैट अधिनियम, 2005	जीवैट	वित्तीय वर्ष 2003-04, वित्तीय वर्ष 2009-10, वित्तीय वर्ष 2014-15	जे.सी.सी.टी. (अपील), दुमका	11.06	2.79	
28	झारखण्ड वैट अधिनियम, 2005	जीवैट	वित्तीय वर्ष 2000-01	जे.सी.सी.टी., दुमका	0.01	0.00	यह तथ्य का एक विवरण है। यद्यपि, इन विवादित देयों को उपखण्ड सं. 4. अनिर्धारित मदें के अधीन लेखा के लिए अतिरिक्त टिप्पणियों में दर्शित आकस्मिक देयता (कंपनी के प्रतिकूल दावा को यथा कर्ज अभिस्वीकृति नहीं किया गया) में समाविष्ट किया जाता है।
29	झारखण्ड वैट अधिनियम, 2005	जीवैट	वित्तीय वर्ष 2015-16	उप सी.सी.टी., चिरकुंडा अंचल	2.79	0.66	
30	झारखण्ड वैट अधिनियम, 2005	जीवैट	वित्तीय वर्ष 2002-03	न्यायाधिकरण न्यायालय, राँची	0.23	0.00	
31	पश्चिम बंगाल वैट अधिनियम, 2003	डब्ल्यूबी वैट	वित्तीय वर्ष 2016-17 से वित्तीय वर्ष 2017-18	पश्चिम बंगाल वाणिज्यिक कर अपीली एवं पुनरीक्षण बोर्ड, कोलकाता	1.25	0.09	
32	पश्चिम बंगाल वैट अधिनियम, 2003	डब्ल्यूबी वैट	वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं वित्तीय वर्ष 2013-14	पश्चिम बंगाल कराधान न्यायाधिकरण, कोलकाता	15.37	0.00	

क्रम सं.	अधिनियमित के नाम	अधिनियमित के नाम	अवधि जिससे राशि संबंधित है	न्यायालय / श्रम आयुक्त / मध्यस्थम् पैनल	प्रतिफल के अधीन राशि (₹ करोड़ में)	अभ्यापत्ति के अधीन प्रदत्त राशि	
33	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	रायल्टी	मई, 1973 से दिसंबर, 1997; वित्तीय वर्ष 1990-91, वित्तीय वर्ष 2007-08, एवं वित्तीय वर्ष 2008-09	प्रमाणन अधिकारी, दुमका	1.32	0.52	यह तथ्य का एक विवरण है। यद्यपि, इन विवादित देयों को उपखण्ड सं. 4. अनिर्धारित मदें के अधीन लेखा के लिए अतिरिक्त टिप्पणियों में दर्शित आकस्मिक देयता (कंपनी के प्रतिकूल दावा को यथा कर्ज अभिस्वीकृति नहीं किया गया) में समाविष्ट किया जाता है।
34	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	रायल्टी	सितंबर, 2003 एवं वित्तीय वर्ष 2005-06	उपायुक्त, देवघर	0.76	0.00	
35	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	रायल्टी	वित्तीय वर्ष 1999-00	जिला खनन पदाधिकारी	0.40	0.00	
36	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	रायल्टी	वित्तीय वर्ष 2008-09 एवं वित्तीय वर्ष 2009-10	जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा	0.09	0.00	
37	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	रायल्टी	वित्तीय वर्ष 1997-98 एवं 2409.03 से 31.12.05 तक	माननीय उच्च न्यायालय, राँची	40.76	0.00	
38	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	रायल्टी	24.09.2003 से 31.12.2005 तक	माननीय उच्च न्यायालय, राँची - रोकाधीन	0.17	0.00	
39	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	रायल्टी	वित्तीय वर्ष 2011-12	जिला समाहर्ता, गोड्डा	17.57	3.37	
40	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	रायल्टी	अप्रैल, 1986; फरवरी, 1991; अप्रैल, 1994; मार्च, 1996 एवं सितंबर, 2003	माननीय सर्वोच्च न्यायालय	5.92	0.00	यह तथ्य का एक विवरण है। यद्यपि, इन विवादित देयों को उपखण्ड सं. 4. अनिर्धारित मदें के अधीन लेखा के लिए अतिरिक्त टिप्पणियों में दर्शित आकस्मिक देयता (कंपनी के प्रतिकूल दावा को यथा कर्ज अभिस्वीकृति नहीं किया गया) में समाविष्ट किया जाता है।
41	एमएमडीआर अधिनियम, 1957	पर्यावरण	वित्तीय वर्ष 2000-01 से वित्तीय वर्ष 2009-10 तक	पुनरीक्षण प्राधिकारी, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	2,178.14	0.00	

क्रम सं.	अधिनियमित के नाम	अधिनियमित के नाम	अवधि जिससे राशि संबंधित है	न्यायालय / श्रम आयुक्त / मध्यस्थम् पैनल	प्रतिफल के अधीन राशि (₹ करोड़ में)	अभ्यापत्ति के अधीन प्रदत्त राशि	
42	पश्चिम बंगाल प्राइमरी एजुकेशन अधिनियम, 1973	पश्चिम बंगाल प्राइमरी एजुकेशन उपकर	वित्तीय वर्ष 2005-06, वित्तीय वर्ष 2007-08, वित्तीय वर्ष 2008-09, वित्तीय वर्ष 2017-18, वित्तीय वर्ष 2018-19, एवं वित्तीय वर्ष 2019-20	विशेष आयुक्त, बेलियाघाटा, कोलकाता	53.33	0.00	यह तथ्य का एक विवरण है। यद्यपि, इन विवादित देयों को उपखण्ड सं. 4. अनिर्धारित मदें के अधीन लेखा के लिए अतिरिक्त टिप्पणियों में दर्शित आकस्मिक देयता (कंपनी के प्रतिकूल दावा को यथा कर्ज अभिस्वीकृति नहीं किया गया) में समाविष्ट किया जाता है।
43	पश्चिम बंगाल प्राइमरी एजुकेशन अधिनियम, 1973	पश्चिम बंगाल प्राइमरी एजुकेशन उपकर	वित्तीय वर्ष 2009-10 से वित्तीय वर्ष 2016-17 तक	वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त, आसनसोल	135.26	0.00	
44	पश्चिम बंगाल प्राइमरी एजुकेशन अधिनियम, 1973	पश्चिम बंगाल प्राइमरी एजुकेशन उपकर	वित्तीय वर्ष 1997-98 से वित्तीय वर्ष 2004-05 तक	पश्चिम बंगाल न्यायाधिकरण, कोलकाता	121.88	0.00	
45	पश्चिम बंगाल रूरल इंप्यामेंट एण्ड प्रोडक्शन अधिनियम, 1976	पश्चिम बंगाल प्राइमरी एजुकेशन उपकर	वित्तीय वर्ष 2005-06, वित्तीय वर्ष 2007-08 एवं वित्तीय वर्ष 2008-09	विशेष आयुक्त, बेलियाघाटा, कोलकाता	38.82	0.00	
46	पश्चिम बंगाल रूरल इंप्यामेंट एण्ड प्रोडक्शन अधिनियम, 1976	पश्चिम बंगाल प्राइमरी एजुकेशन उपकर	वित्तीय वर्ष 2009-10 से वित्तीय वर्ष 2016-17 तक	वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त, आसनसोल	613.34	0.00	
47	पश्चिम बंगाल रूरल इंप्यामेंट एण्ड प्रोडक्शन अधिनियम, 1976	पश्चिम बंगाल प्राइमरी एजुकेशन उपकर	वित्तीय वर्ष 1997-98 से वित्तीय वर्ष 2004-05 तक	पश्चिम बंगाल न्यायाधिकरण, कोलकाता	339.45	0.00	
	कुल				**5,939.99**	**841.28**	

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन का उपाबंध 'II'

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की वित्तीय विवरणी पर सम तिथि की

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणी को सम तिथि के हमारे प्रतिवेदन के "अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकता पर प्रतिवेदन" शीर्षक के अधीन पैरा 2 में संदर्भित किया गया :

उपाबंध 'क' – वर्ष 2021-22 के लिए लेखा के लेखापरीक्षा के संसंग में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अधीन निदेशन

क्रम सं.	लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन	लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	प्रबंधन प्रत्युत्तर
1.	कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेनों को आदेशिका करने की प्रणाली है? यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली के बाह्य लेखांकन लेनदेनों के आदेशिका करने के वित्तीय विवक्षा के साथ-साथ खातों की सत्यनिष्ठा पर विवक्षा, यदि कोई हो, उद्धृत किया जा सकता है।	हाँ, कंपनी के पास आईटी प्रणाली (सैप सॉफ्टवेयर) के जरिए निम्नलिखित संव्यवहारों के लिए आदेशिका करने की प्रणाली है : (अ)वित्तीय लेखांकन प्रणाली (आ) वेतन पत्रक (पश्च-सेवानिवृत्ति प्रसुविधा सहित) (ग) ऑनलाइन अवकाश प्रबंधन प्रणाली (घ) एमएम मॉड्यूल में लेखांकन ऑनलाइन (ङ) विक्रय लेखांकन एवं बिलिंग भण्डार (च) इसके अलावा वित्तीय लेखांकन प्रणाली विक्रय लेखांकन/बिलिंग प्रणाली और वेतन पत्रक प्रणाली के साथ एकीकृत है।	यह तथ्य का एक विवरण है।
2.	क्या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण विद्यमन ऋण की कोई पुनर्रचना है या ऋणदाता द्वारा कंपनी को कर्ज/ऋण/ब्याज आदि की अधित्यजन/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव को विवरणितत किया जा सकता है। क्या ऐसे मामलों का समुचित लेखा-जोखा रखा जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है)	वर्ष के दौरान ऐसा कोई मामला नहीं है।	यह तथ्य का एक विवरण है।
3.	क्या केंद्र/राज्य सरकार या अभिकरणों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों (अनुदान/ सहायकी आदि) को इसके निबंधन और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा-जोखा/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	हाँ, केंद्रीय/राज्य अभिकरणों से विशिष्ट योजना के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों को इसके निबंधन और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा-जोखा/उपयोग किया गया था।	

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन का उपाबंध 'II'

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की वित्तीय विवरणी पर सम तिथि की

उपाबंध 'ख' - वर्ष 2021-22 के लिए कोल इंडिया लिमिटेड, अपने अनुषंगियों एवं संयुक्त उद्यमों के लेखा की लेखापरीक्षा के संसंग में कंपनी अधनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अधीन अतिरिक्त निदेशन

क्रम सं.	लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन	लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	प्रबंधन प्रत्युत्तर
1.	क्या कोयला भण्डार मापन समोच्च मानचित्र को ध्यान में रखकर की गई थी। क्या वास्तविक भण्डार मापन प्रतिवेदने सभी मामलों में समोच्च मानचित्रों के साथ हैं? क्या वर्ष के दौरान सृजित नए ढेर, यदि कोई हो, के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया गया था।	कोयला भण्डार मापन समोच्च मानचित्र को ध्यान में रखते हुए किया गया है। वास्तविक भण्डार मापन प्रतिवेदनें समोच्च मानचित्रों के साथ हैं। वर्ष के दौरान बनाए गए नए ढेर को सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।	यह तथ्य का एक विवरण है।
2.	क्या कंपनी ने किसी क्षेत्र के विलयन/विखण्डन/ पुनर्संरचना के समय आस्तियों और संपत्तियों का वास्तविक सत्यापन किया है। यदि हाँ, तो क्या संबंधित सहायक कंपनी ने अपेक्षित प्रक्रिया का पालन किया है।	वर्ष के दौरान ऐसा कोई मामला नहीं है।	यह तथ्य का एक विवरण है।
3.	क्या सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों में प्रत्येक खान के लिए पृथक निलंब खाते अनुरक्षित किए गए हैं। खाते की निधि के उपयोगिता की भी परीक्षा करें।	हाँ, पृथक निलंब खाते प्रत्येक खान के लिए अनुरक्षित किए गए हैं। आगे, वर्ष के दौरान इन निलंब खातों से 20.38 aकरोड़ की निधि की उपयोगिता सिद्धि की गई।	यह तथ्य का एक विवरण है।
4.	क्या अवैध खनन के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिरोपित शास्ति के प्रभाव पर विधिवत विचार किया गया है और इसका लेखा-जोखा रखा गया है?	झारखण्ड राज्य की ओर से राजमहल, मुगमा एवं संथाल परगना माइन्स के संबंध में अधिकतम उत्पादन क्षमता से अधिक कोयला उत्पादन करने के लिए ₹ 2,178.14 करोड़ का माँग सूचना निर्गत किया गया है जो यथा आकस्मिक देयता दर्शित किया गया है। यद्यपि, कोयला मंत्रालय ने उक्त माँग सूचना के निष्पादन पर रोक लगा दी है।	यह तथ्य का एक विवरण है।

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन का उपाबंध 'III'

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की वित्तीय विवरणी पर सम तिथि की

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के उपखण्ड (i) के अधीन आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर प्रतिवेदन

लेखापरीक्षकों का प्रतिवेदन

हमने 31 मार्च, 2022 तक ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा-जोखा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणी के हमारे लेखापरीक्षा के साथ किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधकीय उत्तरदायित्व

2. कंपनी का प्रबंधन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्गत वित्तीय प्रतिवेदिति पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी टिप्पणी में कथित आंतरिक नियंत्रण के मर्मभूत घटकों को विचार करते हुए कंपनी द्वारा अधिस्थापित वित्तीय प्रतिवेदिति पर आंतरिक नियंत्रण मानदण्डों पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अधिस्थापन एवं अनुरक्षण करने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के पर्याप्त अभिकल्पना, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण समाविष्ट हैं जो कंपनी की अनुषक्ति, आस्तियों का अभिरक्षण, कपट एवं त्रुटियों की रोकथाम एवं पता लगाना, लेखांकन अभिलेखों की सटिकता एवं पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय संसूचना का ससमय निर्मिति, कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन यथा आवश्यक, सहित, अपने कारबार के व्यवस्थित एवं कुशल कार्यान्वियन एवं अनुरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशीलता से परिचालित कर रहे थे।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

3. हमारा उत्तरदायित्व हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय प्रतिवेदिति पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय अभिव्यक्त करना है। हमने, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा के लिए लागू दोनों, और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्गत दोनों, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा के विस्तार तक लागू, आईसीएआई द्वारा निर्गत एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अधीन विहित समझे गए वित्तीय प्रतिवेदिति पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी टिप्पणी ("मार्गदर्शी टिप्पणी") और लेखांकन मानकों के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा संचालित की। उन मानकों और मार्गदर्शी टिप्पणी के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएँ और लेखा परीक्षा करें कि क्या वित्तीय प्रतिवेदिति पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और यदि ऐसे नियंत्रण सभी तात्विक विषयों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे लेखापरीक्षा में वित्तीय प्रतिवेदिति पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता की बाबत लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएँ समाविष्ट हैं। वित्तीय प्रतिवेदिति पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय प्रतिवेदिति पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि एक तात्विक कमजोरी विद्यमान है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना समाविष्ट है। चयनित प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षक के निर्णयों पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के तात्विक अयथार्थ कथन के जोखिमों का आकलन समाविष्ट है, चाहे वह कपट या त्रुटि के कारण हो।

हम विश्वास करते हैं कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं और अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा उनके प्रतिवेदन के अनुसार प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य नीचे अन्य विषयों के पैराग्राफ में संदर्भित हैं, वित्तीय प्रतिवेदिति पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

4. वित्तीय प्रतिवेदिति पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय प्रतिवेदिति की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने और सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणी निर्मिति करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। वित्तीय प्रतिवेदिति पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ समाविष्ट हैं जो :

(1) अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित हैं, जो युक्तियुक्त ब्यौरे में, कंपनी की आस्तियों के लेनदेन और व्ययन को सटीक और निष्पक्ष रूप से परावर्तित करते हैं;

(2) युक्तियुक्त आश्वासन प्रदान करती हैं कि लेनदेन को अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार वित्तीय विवरणी निर्मिति करने की अनुमति देने के लिए यथा आवश्यक अभिलिखित किया गया है, और यह कि कंपनी की प्राप्तियाँ और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार बनाई जा रही है; और

(3) कंपनी की आस्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या व्ययन की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में युक्तियुक्त आश्वासन प्रदान करती हैं, जिसकी वित्तीय विवरणी पर तात्विक प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय प्रतिवेदिति पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंतर्निहित परिसीमाएँ

5. वित्तीय प्रतिवेदिति पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमाओं के कारण, जिसमें दुरभिसंधि की संभावना या नियंत्रणों के अनुचित प्रबंधन अध्यारोही समाविष्ट हैं, त्रुटि या कपट के कारण तात्त्विक अयथार्थ कथन हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय प्रतिवेदिति पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के प्रक्षेपकें जोखिम के अध्यधीन हैं कि वित्तीय प्रतिवेदिति पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री क्षय हो सकती है।

राय

6. हमारी राय में, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्गत वित्तीय प्रतिवेदिति के उपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर मार्गदर्शी टिप्पणी में विवरणित आंतरिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण घटकों को विचार करते हुए कंपनी द्वारा अधिस्थापित वित्तीय प्रतिवेदिति मानदण्ड के ऊपर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित, वित्तीय प्रतिवेदिति पर कंपनी, समस्त तात्त्विक पहलुओं में, के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय प्रतिवेदिति पर ऐसे आंतरिक नियंत्रण 31 मार्च, 2022 को यथा प्रभावी परिचालित थी।

अन्य विषय

वित्तीय प्रतिवेदिति के ऊपर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता एवं परिचालन प्रभावशीलता पर अधिनियम की धारा 143 (3) के अधीन हमारे उपरि कथित प्रतिवेदन, जहाँ तक यह कंपनी की 19 इकाइयों से संबंधित है, ऐसे इकाइयों के लेखापरीक्षकों की तत्स्थानी प्रतिवेदनों पर आधारित है।

जीपी के लिए अग्रवाल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफ.आर. सं. 302082E

सीए राकेश कुमार सिंह
साझेदार
सदस्यता संख्या 066421
यू डी आई एन : 22066421AIRMAL7801

दिनांक: 09 मई 2022
स्थान: सेंक्टोरिया

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (कोयला)
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (COAL)
पुराना निजाम महल (प्रथम तल), 234/4, आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड,
कोलकाता – 700020
OLD NIZAM PALACE, 234/4, A. J. C. BOSE ROAD,
KOLKATA-700020

सत्यमेव जयते

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

सं. 175/डीजीए(सी)/कोलकाता/एलए-I/लेखा_लेखापरीक्षा/ईसीएल2021-22/2022-23

गोपनीय

सेवा में,
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
सांकतोड़िया, पोस्ट – डिसेरगढ़,
जिला – पश्चिम बर्दधवान (पश्चिम बंगाल)
पिन – 713333

विषय : 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणियों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अधीन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टीका-टिप्पणियाँ।

महोदय,
मैं एतदद्वारा 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणियों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अधीन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टीका-टिप्पणियाँ अग्रेषित करता हूँ।

कृपया इस पत्र की प्राप्ति की पावती दें।

भवदीय,

संलग्नक : यथोपरि।

(मौसुमी रॉय भट्टाचार्य)
महालेखापरीक्षक निदेशक (कोयला)
कोलकाता

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 08 जुलाई, 2022

पुराना निजाम महल (प्रथम तल), 234/4, आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड, कोलकाता-700 020
OLD NIZAMPALACE (First Floor), 234/4, Acharya Jagadish Ch. Bose Road, Kolkata-700 020
Phones: 2287-5380, 2287-7165, 2281-5784, 2290-0314, 2287-8838 Fax: 2280 0062
e-mail: dgacoalkol@cag.gov.in

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणियों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अधीन भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टीका-टिप्पणियाँ।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन विहित वित्तीय प्रतिवेदिति संरचना के अनुसार 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणी की निर्मिति कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन विहित लेखापरीक्षण के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अधीन वित्तीय विवरणियों पर मत प्रकट करने के लिए अधिनियम की धारा 139(5) के अधीन भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक उत्तरदायी है। यह उनके द्वारा दिनांकित 09 मई 2022 की अपनी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के माध्यम से किया गया अभिकथित किया गया है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अधीन 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा संचालित की गयी है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यकारी कागजातों की पहुँच के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है तथा सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं कंपनी कर्मियों के जांच और कुछ लेखा अभिलेखों का चयनात्मक परीक्षण के लिए प्रधानतः सीमित किया गया है।

इसके अतिरिक्त, मैं अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अधीन निम्नलिखित विशिष्ट तथ्यों को चिह्नांकित करना चाहूँगा जो मेरे ध्यान में आ चुका है और जो मेरी दृष्टिकोण में वित्तीय विवरणियों और संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के श्रेष्ठतर समझ की सामर्थ्यता के लिए आवश्यक है।

क. लाभप्रदता पर टीकाटिप्पणी

क.1. लाभ व हानि की विवरणी

व्यय - विपट्टन गतिविधि समायोजन : ₹(153.57) करोड़

लागत लेखांकन मानक - 23 जो सिद्धांतों, युक्तियुक्त शुद्धता के साथ के उपरिभार हटाव लागत के अवधारण और समनुदेशन विधियों को अनुबंधित करता है। दिशानिर्देश टिप्पणी (उपरिभार हटाव लेखांकन पर जे. एन. बोस समिति) के अनुसार, विपट्टन गतिविधि समायोजन के संगणन में, उपरिभार हटाव पुनः प्रहस्तन के लिए परिमाण और कार्यदिवसों पर विचार नहीं किए जाने चाहिए।

यद्यपि, उपर्युक्त के प्रतिकूल, ईसीएल राजमहल परियोजना में उपरिभार हटाव पुनःप्रहस्तन के लिए परिमाण एवं कार्यदिवसों दोनों, सोनपुर बजारी खुली खदान परियोजना (ओसीपी) के लिए कार्यदिवसों और मोहनपुर ओसीपी में गलती से प्रभाजित उपरि व्यय पर विचार किया। इसके परिणामस्वरूप व्यय (विपट्टन गतिविधि समायोजन) को ₹ 51.73 करोड़ से अधिक बताया गया।

ख. वित्तीय स्थिति पर टीकाटिप्पणियाँ

ख.1 तुलन-पत्र

आस्तियाँ

चालू आस्तियाँ

व्यापार प्राप्य (टिप्पणी सं. 13): ₹2504.20 करोड़

0-3 कि.मी. तक की अग्रगमन दूरी के लिए कोयला आपूर्ति हेतु सतही परिवहन प्रभार (एसटीसी) संबंधी सितंबर 2017 से 02 अगस्त 2020 तक की अवधिक के लिए उपरि शीर्ष में एनटीपीसी से ₹132.30 करोड़ प्राप्य राशि समाविष्ट है।

सितंबर, 2017 के पूर्व, एनटीपीसी के साथ करार, 3 किमी से अधिक की दूरी पर स्थित एनटीपीसी संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति के लिए एसटीसी प्रभारित करने की अनुमति देता है। यद्यपि, ईसीएल ने 0-3 किलोमीटर तक के लिए सितंबर 2017 से एकपक्षीय रूप से एसटीसी उद्ग्रहण आरंभ कर दिया।

0-3 कि.मी. तक की दूरी के लिए एसटीसी प्रभारित करने के लिए करार केवल अगस्त 2020 में एनटीपीसी के साथ एक करार किया गया था जिसमें अभिकथित किया कहा गया है कि उपांतरण हस्ताक्षर करने की तिथि अर्थात् अगस्त 2020 से लागू होगा। अगस्त 2020 से पूर्व की अवधि के संबंध में एनटीपीसी ने 0-3 किलोमीटर के दावों को अभिस्वीकृत करने से अगृहीत कर दिया।

0-3 कि.मी. तक के निहितार्थ एसटीसी को प्रभारित करने के लिए किसी करार के अभाव में, सितंबर 2017 और 2 अगस्त 2020 के बीच की अवधि के लिए ₹132.30 करोड़ की वसूली की संभावना बहुत कम है और उपयुक्त प्रावधान सृजित किए जाने चाहिए थे।

वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक लेखा में भी मामले पर टीकाटिप्पणी की गई है, लेकिन ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के प्रबंधन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

ख.2 तुलन-पत्र

प्रावधान (टिप्पणी – 21) - ₹4369.68 करोड़

सीआईएल एवं ईसीएल सहित समस्त अनुषंगियों के गैर-अधिशासियों के वेतन एवं मजदूरियों को राष्ट्रीय कोयला मजदूरी करार (एनसीडब्ल्यूए) को अंतिम रूप देने के पश्चात प्रत्येक पांच वर्षों में अंतिम रूप दिया जाता है। एनसीडब्ल्यूए-XI के अनुसार वेतन संशोधन 01 जुलाई 2021 से देय था। ईसीएल ने लेखा बहियों में प्रत्याशित वेतन संशोधन का प्रावधान किया था।

प्रत्याशित वेतन परिशोधन / संशोधन के लिए प्रावधान स्थापन के बावजूद, बीमांकिक ने उसी धारणा के साथ दायित्व का आकलन किया जिसे पूर्व वर्ष 2020-21 में माना गया था और गैर-अधिशासी के प्रत्याशित वेतन संशोधन पर विचार किए बिना वर्ष के लिए बीमांकिक देयता का आकलन किया था जो 01 जुलाई 2021 से देय था।

उपर्युक्त के परिणामस्वरूप वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं और लाभ (राशि अपरिमाणीकृत) के संबंध में प्रावधानों का दोषपूर्ण चित्रण हुआ है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
के लिए और की ओर से

(मौसुमी रॉय भट्टाचार्य)
महालेखापरीक्षक निदेशक (कोयला),
कोलकाता

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 08 जुलाई 2022

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टीका-टिप्पणियों के प्रबंधन प्रत्युत्तर

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टीकाटिप्पणियाँ	प्रबंधन का प्रत्युत्तर
कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन विहित वित्तीय प्रतिवेदिति संरचना के अनुसार 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणी की निर्मिति कंपनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन विहित लेखापरीक्षण के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अधीन वित्तीय विवरणियों पर मत प्रकट करने के लिए अधिनियम की धारा 139(5) के अधीन भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक उत्तरदायी है। यह उनके द्वारा दिनांकित 09 मई 2022 की अपनी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के माध्यम से किया गया अभिकथित किया गया है। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अधीन 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा संचालित की गयी है। यह अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्यकारी कागजातों की पहुँच के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है तथा सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं कंपनी कर्मियों के जांच और कुछ लेखा अभिलेखों का चयनात्मक परीक्षण के लिए प्रधानतः सीमित किया गया है।	यह तथ्य का एक विवरण है।
इसके अतिरिक्त, मैं अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अधीन निम्नलिखित विशिष्ट तथ्यों को चिह्नांकित करना चाहूँगा जो मेरे ध्यान में आ चुका है और जो मेरी दृष्टिकोण में वित्तीय विवरणियों और संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के श्रेष्ठतर समझ की सामर्थ्यता के लिए आवश्यक है। **क. लाभप्रदता पर टीकाटिप्पणी** **क.1. लाभ व हानि की विवरणी** **व्यय - विपट्टन गतिविधि समायोजन : ₹(153.57) करोड़** लागत लेखांकन मानक - 23 जो सिद्धांतों, युक्तियुक्त शुद्धता के साथ के उपरिभार हटाव लागत के अवधारण और समनुदेशन विधियों को अनुबंधित करता है। दिशानिर्देश टिप्पणी (उपरिभार हटाव लेखांकन पर जे. एन. बोस समिति) के अनुसार, विपट्टन गतिविधि समायोजन के संगणन में, उपरिभार हटाव पुनःप्रहस्तन के लिए परिमाण और कार्यदिवसों पर विचार नहीं किए जाने चाहिए। यद्यपि, उपर्युक्त के प्रतिकूल, ईसीएल राजमहल परियोजना में उपरिभार हटाव पुनःप्रहस्तन के लिए परिमाण एवं कार्यदिवसों दोनों, सोनपुर बजारी खुली खदान परियोजना (ओसीपी) के लिए कार्यदिवसों और मोहनपुर ओसीपी में गलती से प्रभाजित उपरि व्यय पर विचार किया। इसके परिणामस्वरूप व्यय (विपट्टन गतिविधि समायोजन) को ₹ 51.73 करोड़ से अधिक बताया गया।	वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुपूरक लेखापरीक्षा के संप्रेक्षण का ध्यान रखा जाएगा और आवश्यक समायोजन प्रविशिष्टियाँ की जाएगी।
ख. वित्तीय स्थिति पर टीकाटिप्पणियाँ **ख.1 तुलन-पत्र** **आस्तियाँ** **चालू आस्तियाँ** **व्यापार प्राप्य (टिप्पणी सं. 13): ₹2504.20 करोड़**	0-3 कि.मी. तक की अग्रगमन दूरी के लिए कोयले की आपूर्ति के निमित्त सतही परिवहन प्रभार (एसटीसी) के वास्ते सितंबर, 2017 से 02 अगस्त, 2020 तक की अवधि के लिए एनटीपीसी से प्राप्य राशियों के मामले एएमआरसीडी

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टीकाटिप्पणियाँ	प्रबंधन का प्रत्युत्तर
0-3 कि.मी. तक की अग्रगमन दूरी के लिए कोयला आपूर्ति हेतु सतही परिवहन प्रभार (एसटीसी) संबंधी सितंबर 2017 से 02 अगस्त 2020 तक की अवधिक के लिए उपरि शीर्ष में एनटीपीसी से ₹132.30 करोड़ प्राप्य राशि समाविष्ट है। सितंबर, 2017 के पूर्व, एनटीपीसी के साथ करार, 3 किमी से अधिक की दूरी पर स्थित एनटीपीसी संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति के लिए एसटीसी प्रभारित करने की अनुमति देता है। यद्यपि, ईसीएल ने 0-3 किलोमीटर तक के लिए सितंबर 2017 से एकपक्षीय रूप से एसटीसी उद्ग्रहण आरंभ कर दिया। 0-3 कि.मी. तक की दूरी के लिए एसटीसी प्रभारित करने के लिए करार केवल अगस्त 2020 में एनटीपीसी के साथ एक करार किया गया था जिसमें अभिकथित किया कहा गया है कि उपांतरण हस्ताक्षर करने की तिथि अर्थात् अगस्त 2020 से लागू होगा। अगस्त 2020 से पूर्व की अवधि के संबंध में एनटीपीसी ने 0-3 किलोमीटर के दावों को अभिस्वीकृत करने से अगृहीत कर दिया। **वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक लेखा में भी मामले पर टीकाटिप्पणी की गई है, लेकिन ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के प्रबंधन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है।**	(लोक उद्यम विभाग के अधीन तंत्र) में निर्णय के लिए लंबित है जहाँ प्रबंध अनुकूल परिणाम की प्रत्याशा करती है।
ख.2 तुलन-पत्र **प्रावधान (टिप्पणी – 21) - ₹4369.68 करोड़** सीआईएल एवं ईसीएल सहित समस्त अनुषंगियों के गैर-अधिशासियों के वेतन एवं मजदूरियों को राष्ट्रीय कोयला मजदूरी करार (एनसीडब्ल्यूए) को अंतिम रूप देने के पश्चात प्रत्येक पांच वर्षों में अंतिम रूप दिया जाता है। एनसीडब्ल्यूए-XI के अनुसार वेतन संशोधन 01 जुलाई 2021 से देय था। ईसीएल ने लेखा बहियों में प्रत्याशित वेतन संशोधन का प्रावधान किया था। प्रत्याशित वेतन परिशोधन / संशोधन के लिए प्रावधान स्थापन के बावजूद, बीमांकिक ने उसी धारणा के साथ दायित्व का आकलन किया जिसे पूर्व वर्ष 2020-21 में माना गया था और गैर-अधिशासी के प्रत्याशित वेतन संशोधन पर विचार किए बिना वर्ष के लिए बीमांकिक देयता का आकलन किया था जो 01 जुलाई 2021 से देय था। **उपर्युक्त के परिणामस्वरूप वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं और लाभ (राशि अपरिमाणीकृत) के संबंध में प्रावधानों का दोषपूर्ण चित्रण हुआ है।**	भारतीय लेखांकन मानक 19 के पैरा 75 से पैरा 98 का विचार करते हुए कर्मी प्रसुविधाओं से संबंधित बीमांकिक प्रक्धारणाएँ एनसीडब्ल्यूए एवं आर्थिक प्रतिफल के प्रत्याशित आयमों को आवरित करने पर विस्तृत आधारित हैं।

वार्षिक लेखा

2021-22

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की एक अनुषंगी)

तुलन पत्र

(₹ करोड़ में)

	टिप्पणी सं.	को यथा 31-03-2022	को यथा 31-03-2021
आस्तियाँ			
अप्रचलित आस्तियाँ			
अ. संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर	3	4,411.30	3,572.54
आ. पूँजीगत चालू कार्य	4	400.51	587.28
इ. अन्वेषित एवं मूल्यांकित आस्तियाँ	5	684.40	655.46
ई. अमूर्त आस्तियाँ	6	2.08	2.78
उ. विकास के अधीन अमूर्त आस्तियाँ	6.1	9.16	-
"ऊ. वित्तीय आस्तियाँ			
i. निवेश "	7	0.08	0.08
ii. ऋण	8	0.10	0.02
iii. अन्य वित्तीय आस्तियाँ	9	765.33	700.15
ए. आस्थगित कर आस्तियाँ (निवल)	36	904.97	513.58
ऐ. अन्य अप्रचलित आस्तियाँ	10	878.34	759.41
कुल अप्रचलित आस्तियाँ (क)		**8,056.27**	**6,791.30**
चालू आस्तियाँ			
अ. वस्तुसूची	12	554.17	810.36
आ. वित्तीय आस्तियाँ			
i. निवेश	7	-	-
ii. व्यवसाय प्राप्य	13	2,504.20	4,423.53
iii. नकदी एवं नकदी समतुल्य	14	882.47	945.16
iv. अन्य बैंक अतिशेष	15	997.56	566.50
v. ऋण	8	-	-
vi. अन्य वित्तीय आस्तियाँ	9	55.02	36.63
इ. चालू कर आस्तियाँ (निवल)		274.39	1,071.22
ई. अन्य चालू आस्तियाँ	11	1,409.17	855.95
कुल चालू आस्तियाँ (ख)		**6,676.98**	**8,709.35**
कुल आस्तियाँ (क+ख)		**14,733.25**	**15,500.65**
साम्या एवं देयताएँ			
साम्या			
अ. साम्या शेयर पूँजी	16	4,269.42	2,218.45
आ. अन्य साम्या	17	(2,455.71)	(1,329.63)
कंपनी के साम्याधारकों को रोप्य साम्या		1,813.71	888.82
कुल साम्या (क)		**1,813.71**	**888.82**

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की एक अनुषंगी)

(₹ करोड़ में)

	टिप्पणी सं.	को यथा 31-03-2022	को यथा 31-03-2021
देयताएँ			
अप्रचलित देयताएँ			
अ. वित्तीय देयताएँ			
i. उगाही	18	151.04	2,091.68
ii. अन्य वित्तीय देयताएँ	20	90.35	98.86
आ. प्रावधान	21	4,369.68	4,311.62
इ. अन्य अप्रचलित देयताएँ	22	40.09	41.44
कुल अप्रचलित देयताएँ (ख)		**4,651.16**	**6,543.60**
चालू देयताएँ			
अ. वित्तीय देयताएँ			
i. उगाही	18	7.36	7.07
ii. व्यवसाय देय	19		
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का कुल बकाया देनदारियाँ		0.84	0.97
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों का कुल बकाया देनदारियाँ		1,095.19	961.67
iii. अन्य वित्तीय देयताएँ	20	1,727.38	1,706.27
आ. अन्य चालू देयताएँ	23	4,154.67	4,232.07
इ. प्रावधान	21	1,282.94	1,160.18
कुल चालू देयताएँ (ग)		**8,268.38**	**8,068.23**
कुल साम्या एवं देयताएँ (क+ख+ग)		**14,733.25**	**15,500.65**
निगमित सूचना	1		
महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	2		
लेखा पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ	38		
सहटिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है।			

(रामबाबू पाठक)
कंपनी सचिव

(एस.के. सोमानी)
महाप्रबंधक (वित्त)/सीएफओ

(जयप्रकाश गुप्ता)
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन - 08174002

(अम्बिका प्रसाद पंडा)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 06664375

रिपोर्ट के अनुसार
कृते जी.पी. अग्रवाल एंड कं..
सानदी लेखाकार
एफ.आर. एन. 302082E

सीए राकेश कुमार सिंह
साझेदार
एम सं. 066421

दिनांक: 09 मई, 2022
स्थान : सांकतोड़िया

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की एक अनुषंगी)

लाभ और हानि का विवरण

(₹ करोड़ में)

		टिप्पणी सं.	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2022	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2021
	संचालन से राजस्व			
क	विक्रय (सांविधिक करों का निवल)	24	10,301.45	10,256.39
ख	अन्य परिचालनात्मक राजस्व (सांविधिक करों का निवल)	24	449.30	461.76
(I)	**परिचालन से राजस्व (क+ख)**		**10,750.75**	**10,718.15**
(II)	**अन्य आय**	25	218.13	385.88
(III)	**कुल आय (I+II)**		**10,968.88**	**11,104.03**
	व्यय			
	सामग्री खपत की लागत	26	781.38	720.07
	तैयार माल, चालू कार्य एवं विक्रेय माल की वस्तु-सूची में परिवर्तन	27	291.34	(300.71)
	कर्मी प्रसुविधा व्यय	28	7,983.65	7,788.30
	विद्युत शक्ति व्यय		434.92	431.19
	निगमित सामाजिक दायित्व व्यय	29	13.86	11.56
	मरम्मति	30	192.87	242.37
	संविदात्मक व्यय	31	1,729.76	1,941.23
	वित्तीय लागत	32	163.66	193.80
	मूल्यह्रास/परिशोधन/क्षति	3,4,5,6	529.70	494.18
	प्रावधान	33	12.11	27.56
	बट्टे खाते	34	-	-
	अन्य व्यय	35	426.57	460.47
	विपट्टन गतिविधि समायोजन		(153.57)	1.27
(IV)	**कुल व्यय**		**12,406.25**	**12,011.29**
(V)	**अपवादात्मक मदों एवं कर पूर्व लाभ/(हानि) (III-IV)**		**(1,437.37)**	**(907.26)**
(VI)	**अपवादात्मक मदे**		-	**-**
(VII)	**कर पूर्व लाभ / (हानि) (V-VI)**		**(1,437.37)**	**(907.26)**
(VIII)	**कर व्यय**	36		
	चालू कर		14.68	6.77
	आस्थगित कर		(391.39)	(154.45)
	कुल कर व्यय (VIII)		**(376.71)**	**(147.68)**
(IX)	**वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (VII-VIII)**		**(1,060.66)**	**(759.58)**
	अन्य व्यापक आय	37		
	i. आइटम जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		(65.42)	(234.48)
	ii. उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-
	iii. आइटम जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		-	-
	iv. उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		-	-

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की एक अनुषंगी)

(₹ करोड़ में)

	टिप्पणी सं.	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2022	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2021
(X) **कुल अन्य व्यापक आय**		(65.42)	(234.48)
(XI) **वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (IX+X) (वर्ष के लिए समाविष्ट लाभ/(हानि) एवं अन्य व्यापक आय**		(1,126.08)	(994.06)
प्रति साम्या शेयर अर्जन (₹ में) (शेयर का अंकित मूल्य ₹1000/- प्रति)			
1. मूल		(415.52)	(397.86)
2. तनुकृत		(415.52)	(397.86)
निगमित सूचना	1		
महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	2		
लेखा पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ	38		
सहटिप्पणियाँ वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है।			

(रामबाबू पाठक)
कंपनी सचिव

(एस.के. सोमानी)
महाप्रबंधक (वित्त)/सीएफओ

(जयप्रकाश गुप्ता)
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन - 08174002

(अम्बिका प्रसाद पंडा)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 06664375

रिपोर्ट के अनुसार
कृते जी.पी. अग्रवाल एंड कं..
सानदी लेखाकार
एफ.आर. एन. 302082E

सीए राकेश कुमार सिंह
साझेदार
एम सं. 066421

दिनांक: 09 मई, 2022
स्थान : सांकतोड़िया

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की एक अनुषंगी)

वर्ष के लिए साम्या में परिवर्तनों का विवरण

क. साम्या शेयर पूँजी

को यथा 31-03-2022

(₹ करोड़ में)

	1.04.2021 को यथा शेष	पूर्व अवधि के त्रुटियों के कारण साम्या शेयर पूँजी में परिवर्तन	01.04.2021 को यथा पूर्व नियत शेष	चालू वर्ष के दौरान साम्या शेयर पूँजी में परिवर्तन	को यथा 31-03-2022
₹1000/- के 10390000 इक्विटी शेयर पूरी तरह से नकद में भुगतान किए गए	1,039.00	-	1,039.00	-	1,039.00
32304200 ₹ 1000/- के इक्विटी शेयर प्रत्येक नकद के अलावा प्राप्त प्रतिफल के रूप में पूर्ण प्रदत्त के रूप में आवंटित किए गए	1, 179.45	-	1,179.45	2,050.97	3,230.42
कुल	**2,218.45**	-	**2,2 18.45**	2,050.97	**4,269.42**

को यथा 31-03-2021

(₹ करोड़ में)

विशिष्टयाँ	1.04.2020 को यथा शेष	पूर्व अवधि के त्रुटियों के कारण साम्या शेयर पूँजी में परिवर्तन	01.04.2020 को यथा पूर्व नियत शेष	चालू वर्ष के दौरान साम्या शेयर पूँजी में परिवर्तन	को यथा 31-03-2021
₹1000/- के 10390000 इक्विटी शेयर पूरी तरह से नकद में भुगतान किए गए	1,039.00	-	1,039.00	-	1,039.00
11794500 ₹ 1000/- के इक्विटी शेयर प्रत्येक नकद के अलावा प्राप्त प्रतिफल के रूप में पूर्ण प्रदत्त के रूप में आवंटित किए गए	1, 179.45	-	1,179.45	-	1,179.45
कुल	**2,218.45**	-	**2,2 18.45**	-	**2,218.45**

ख. अन्य साम्या

को यथा 31-03-2022

(₹ करोड़ में)

विशिष्टयाँ	शेयर आवेदन राशि का लंबित आबंटन	चक्रवृद्धि वित्तीय लिखत का साम्या घटक	आरक्षित निधि एवं अधिशेष			कुल
			सामान्य आरक्षित निधि	प्रतिधारित उपार्जन	परिभाषित प्रसुविधा योजना का पुन: माप (कर का निवल) - (ओ.आई.सी.)	
01.04.2021 को यथा शेष	-	855.61	832.71	(2,764.50)	**(253.45)**	**(1,329.63)**
लेखांकन नीति या पूर्व अवधि की त्रुटियों में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-
01.04.2020 को यथा शेष	**-**	**855.61**	**832.71**	**(2,764.50)**	**(253.45)**	**(1,329.63)**
कुल व्यापक आय	-	-	-	(1,060.66)	(65.42)	**(1,126.08)**
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान समायोजित	-	**(855.61)**	-	**855.61**	-	-
सामान्य आरक्षित निधि में/से अंतरण	-	-	-	-	-	-
शेयरों का वापसी-खरीद	-	-	-	-	-	-
वापसी-खरीद पर कर	-	-	-	-	-	-
बोनस शेयरों के मद	-	-	-	-	-	-
"को यथा 31-03-2022"	**-**	-	**832.71**	**(2,969.55)**	**(318.87)**	**(2,455.71)**

को यथा 31-03-2021

(₹ करोड़ में)

विशिष्टयाँ	शेयर आवेदन राशि का लंबित आबंटन	चक्रवृद्धि वित्तीय लिखत का साम्या घटक	आरक्षित निधि एवं अधिशेष			कुल
			सामान्य आरक्षित निधि	प्रतिधारित उपार्जन	परिभाषित प्रसुविधा योजना का पुन: माप (कर का निवल) - (ओ.आई.सी.)	
01.04.2020 को यथा शेष	-	855.61	832.71	(2,004.92)	(18.97)	**(335.57)**
लेखांकन नीति या पूर्व अवधि की त्रुटियों में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-
फिर से बताने से 01.04.2020 को यथा शेष	-	**855.61**	**832.71**	**(2,004.92)**	**(18.97)**	**(335.57)**
कुल व्यापक आय	-	-	-	(759.58)	(234.48)	**(994.06)**
अंतरिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-	-	-
सामान्य आरक्षित में/से अंतरण	-	-	-	-	-	-
शेयरों की वापसी-खरीद	-	-	-	-	-	-
वापसी-खरीद पर कर	-	-	-	-	-	-
बोनस शेयरों की मदे	-	-	-	-	-	-
"को यथा 31-03-2021"	-	**855.61**	**832.71**	**(2,764.50)**	**(253.45)**	**(1,329.63)**

(रामबाबू पाठक)
कंपनी सचिव

(एस.के. सोमानी)
महाप्रबंधक (वित्त)/सीएफओ

(जयप्रकाश गुप्ता)
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन - 08174002

(अम्बिका प्रसाद पंडा)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 06664375

रिपोर्ट के अनुसार
कृते जी.पी. अग्रवाल एंड कं..
सानदी लेखाकार
एफ.आर. एन. 302082E

सीए राकेश कुमार सिंह
साझेदार
एम सं. 066421

दिनांक: 09 मई, 2022
स्थान : सांकतोड़िया

नकदी प्रवाह का विवरण (अप्रत्यक्ष विधि)

(₹ करोड़ में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2022		समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2021	
क. परिचालनात्मक गतिविधियों से नकदी प्रवाह :				
कर पूर्व लाभ/(हानि)		**(1,437.37)**		**(907.26)**
के लिए समायोजन :				
मूल्यह्रास, परिशोधन एवं क्षति	529.70		494.18	
ब्याज से आय	(68.82)		(96.13)	
वित्त लागत	163.66		193.80	
आस्तियों के विक्रय पर (लाभ)/हानि	(0.02)		(0.55)	
देयता एवं प्रावधान प्रतिलेखन	(43.02)		(112.56)	
प्यवसाय प्राप्य के लिए छूट	0.21		26.20	
अन्य प्रावधान	11.90		1.36	
विपट्टन गतिविधि समायोजन	(153.57)		1.27	
विनियम दर अंतर पर हानि/(लाभ)	5.24	445.28	(4.95)	502.62
चालू/अप्रचलित आस्तियों एवं देयताओं के पूर्व परिचालनात्मक लाभ/(हानि)		**(992.09)**		**(404.64)**
के लिए समायोजन :				
व्यवसाय प्राप्य (प्रावधान का निवल)	1,919.33		(1,107.07)	
वस्तु-सूची	256.19		(307.60)	
ऋण एवं अग्रिम तथा अन्य वित्तीय आस्तियाँ	(159.57)		42.44	
वित्तीय एवं अन्य देयताएँ	222.24		569.55	
व्यवसाय देय	133.39	2,371.58	(153.17)	(955.85)
परिचालन से उत्पन्न नकदी		**1,379.49**		**(1,360.49)**
आयकर (प्रदत्त)/वापसी		255.33		(117.97)
परिचालनात्मक गतिविधियों (में प्रयुक्त)/उत्पन्न निवल नकदी प्रवाह (I)		**1,634.82**		**(1,478.46)**
ख. निवेशित गतिविधियों से नकदी प्रवाह :				
संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर की क्रय	**(1,214.81)**		**(810.43)**	
संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्करों का विक्रय (निवल)	0.02		0.55	
अन्वेषित एवं मूल्यांकित आस्तियों में परिवर्धन	(28.94)		(39.71)	
सावधि जमा से आगम/(निवेश)	(496.17)		3,240.22	
निवेशों से ब्याज	50.01	(1,689.89)	317.62	2,708.25
निवेशित गतिविधियों (मे प्रयुक्त)/उत्पन्न निवल नकदी प्रवाह (II)		**(1,689.89)**		**2,708.25**
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह :				
उधार-राशियों में (वापसी-चुकौती)/वृद्धि	(7.06)		(6.99)	
वित्तीय गतिविधियों से संबंधित ब्याज एवं वित्त लागत	(0.62)	(7.68)	(2.88)	(9.87)
वित्तीय गतिविधियों (में प्रयुक्त)/उत्पन्न निवल नकदी प्रवाह (III)		**(7.68)**		**(9.87)**
नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/(कमी) (I+II+III)		**(62.75)**		**1,219.92**
नकदी एवं नकदी समतुल्य (प्रारंभिक शेष) (IV)	**945.04**		**(274.88)**	
नकदी एवं नकदी समतुल्य (अंतिम शेष) (V)	**882.29**	**(62.75)**	**945.04**	**1,219.92**
(कोष्ठक में सभी आँकड़े बहिर्गमन को व्यपदेशित करते हैं)				

नकदी प्रवाह विवरण पर टिप्पणियाँ :

(₹ करोड़ में)

	को यथा 31-03-2022	को यथा 31-03-2021
1. नकदी एवं नकदी समतुल्य		
बैंकों पास नकदी या शेष	243.75	502.86
जोड़ : अल्पावधि निवेश	638.72	442.30
न्यून : बैंक ओवरड्राफ्ट	0.18	0.12
नकदी एवं नकदी समतुल्य	882.29	945.04
विनियम दर परिवर्तन का प्रभाव	-	-
नकदी एवं नकदी समतुल्य यथा अभिकथित	**882.29**	**945.04**

2. वित्तीय गतिविधियों से उद्भूत देयाताओं में परिवर्तन

31.03.2022 को समाप्त वर्ष के दौरान वित्तीय गतिविधियों से उद्भूत आस्तियों और देयताओं में उतार-चढ़ाव:

(₹ करोड़ में)

	को यथा 31-03-2021	नकदी प्रवाह	नकदीतर प्रवाह*	को यथा 31-03-2022
अ. अप्रचलित उधार [टिप्पणी सं. 18 में संदर्भित]	153.09	(7.18)	5.13	151.04
आ. दीर्घावधि कर्ज का चालू परिपक्वता [टिप्पणी सं. 18 में संदर्भित]	6.95	0.12	0.11	7.18
कुल	**160.04**	**(7.06)**	**5.24**	**158.22**

(₹ करोड़ में)

	को यथा 31-03-2020	नकदी प्रवाह	नकदीतर प्रवाह*	को यथा 31-03-2021
अ. अप्रचलित उधार [टिप्पणी सं. 18 में संदर्भित]	164.82	(6.95)	(4.78)	153.09
आ. दीर्घावधि कर्ज का चालू परिपक्वता [टिप्पणी सं. 18 में संदर्भित]	7.16	(0.04)	(0.17)	6.95
कुल	**171.98**	**(6.99)**	**(4.95)**	**160.04**

* विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन के कारण राशि समाविष्ट।

4. नकदी एवं नकदी समतुल्य कोई राशि समाविष्ट नहीं करती है जो कंपनी के अपने उपयोग के लिए अनुपलब्ध है।

(रामबाबू पाठक)
कंपनी सचिव

(एस.के. सोमानी)
महाप्रबंधक (वित्त)/सीएफओ

(जयप्रकाश गुप्ता)
निदेशक (तकनीकी)
डीआईएन - 08174002

(अम्बिका प्रसाद पंडा)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 06664375

रिपोर्ट के अनुसार
कृते जी.पी. अग्रवाल एंड कं..
सानदी लेखाकार
एफ.आर. एन. 302082E

सीए राकेश कुमार सिंह
साझेदार
एम सं. 066421

दिनांक: 09 मई, 2022
स्थान : सांकतोड़िया

टिप्पणी 1 : निगमित सूचना

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (कंपनी) को ईस्टर्न डिविजन ऑफ कोयला माइन्स प्राधिकरण लिमिटेड (कोल इंडिया लिमिटेड का पूर्व नाम) के साथ निहित आस्तियों एवं देयताओं का अधिग्रहण करते हुए 01 नवंबर, 1975 को यथा कोल इंडिया लिमिटेड की 100% अनुषंगी यथा एक निजी लिमिटेड कंपनी निगमित की गई थी। कंपनी प्रधानतः कोयला के उत्पादन एवं विक्रय के कारबार में संलग्न है।

कंपनी भारत में अधिवसित है और इसका पंजीकृत कार्यालय अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का कार्यालय, पोस्ट- डिसेरगढ़, जिला- पश्चिम बर्दमान, पिन - 713333 में है।

टिप्पणी-2- महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

2.1 वित्तीय विवरणी की निर्मिति का आधार

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 ("अधिनियम") एवं भारतीय लेखांकन मानक नियम, 2015) के अधीन अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल या कंपनी) की वित्तीय विवरणी निर्मिति की गई है।

निम्नलिखित के सिवा, वित्तीय विवरणी मापन की ऐतिहासिक लागत के आधार पर विनिर्मिति किए गए है:-

- उचित मूल्य पर मापित कतिपय आस्तियाँ एवं दयेताएँ (उद्धरण 2.14 में वित्तीय लिखतों पर लेखांकन नीति में संदर्भित);
- परिभाषित प्रसुविधा योजनाएँ - उचित मूल्य पर मापित योजनागत आस्तियाँ;
- लागत पर वस्तुसूची या निवल प्राप्य मूल्य (एनआरवी) जो भी कम हो (उद्धरण सं. 2.20 में लेखांकन नीति में संदर्भित)।

2.1.1 राशियों को पूर्णांकन

जब तक कि अन्यथा उपदर्शित नहीं किया गया हो, इन वित्तीय विवरणी में राशियों को दशमलव के दो अंकों तक "रूपये करोड़ में" पूर्ण अंकों में उपदर्शित किए गए हैं।

2.2 चालू एवं अप्रचलित वर्गीकरण

कंपनी चालू एवं अप्रचलित वर्गीकरण के आधार पर तुलन-पत्र में आस्तियों और देयताओं को प्रस्तुत करती है। कंपनी द्वारा आस्ति को यथा चालू मानी जाती है जब -

अ. यह अपने सामान्य परिचालनात्मक चक्र में आस्ति की प्राप्ति की प्रत्याशा, अथवा इन्हें विक्रय या उपभोग करने का आशय, रखती हो;

आ. आस्ति को प्रधानतः व्यवसाय के प्रयोजनार्थ धारण करती हो;

इ. रिपोर्टिंग अवधि के पश्चात् बारह महीने के अंदर आस्ति की प्राप्ति की प्रत्याशा रखती हो, अथवा

ई. आस्ति नकदी या नकदी समतुल्य है (भारतीय लेखांकन मानक 7 में यथा परिभाषित) जबतक कि प्रतिवेदित अवधि के पश्चात न्यूनातिन्यून बारह माह के लिए देयता का निपटान हेतु आस्ति का विनिमय या प्रयोग होने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है। अन्य सभी आस्तियाँ यथा अप्रचलित वर्गीकृत किए जाते हैं।

कंपनी द्वारा किसी देयता को यथा चालू मानी जाती है जब -

अ. यह अपने सामान्य परिचालन चक्र में देयता के निपटान की प्रत्याशा रखती हो;

आ. देयता को प्रधानतः व्यवसाय के प्रयोजनार्थ धारण करती हो;

इ. प्रतिवेदित अवधि के पश्चात् बारह माह के अंदर देयता को निपटारित किए जाने के लिए देय हो, अथवा

ई. प्रतिवेदित अवधि के पश्चात् न्यूनातिन्यून बारह माह के लिए देयता के निपटान को आस्थगित करने का अशर्त अधिकार न हो। किसी देयता के निबंधन जो, प्रतिपक्ष के विकल्प पर, साम्या लिखतों के निर्गमन द्वारा इसके निपटारण के परिणामस्वरूप इसके वर्गीकरण को प्रभावित न करती हों।

सभी अन्य देयताओं को यथा अप्रचलित वर्गीकृत किए गए हैं।

2.3.1 राजस्व का निर्धारण

उपभोक्ताओं संग संविदाओं से राजस्व

ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व को निर्धारित किया जाता है जब माल या सेवाओं का नियंत्रण ग्राहक को ऐसी राशि पर अंतरित किया जाता है जो उस प्रतिफल को प्रतिबिंबित करती है जिसके लिए कंपनी उन माल या सेवाओं के लिए विनिमय में हकदारिता की प्रत्याशा करती है। कंपनी ने साधारणतयः निश्चित किया है कि यह उसके राजस्व व्यवस्था का एक सिद्धांत है क्योंकि इसे ग्राहक को अंतरित करने से पूर्व यह माल या सेवाओं को प्रारुपिकतया नियंत्रित रखती है।

भारतीय लेखांकन मानक 115 में सिद्धांतों को निम्नलिखित पांच कदमों का प्रयोग करते हुए उपयोजित किया जाता हैः

कदम 1- संविदा को परिलक्षित करना :

किसी ग्राहक के साथ संविदा के लिए कंपनी केवल तब जवाबदेह होती है जब निम्नलिखित समस्त मानदंड पूर्ण होते हैं :

अ. संविदा के लिए पक्षकारों ने संविदा को अनुमोदित किया हों और अपने-अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए प्रतिबद्ध हों;

आ. कंपनी माल या सेवाएँ विषयक प्रत्येक पक्षकार के अधिकारों को हस्तांतरित किए जाने को परिलक्षित कर सकती हो;

इ. कंपनी माल या सेवाओं के लिए संदाय निबंधनों को अंतरित किए जाने को परिलक्षित कर सकती हो;

ई. संविदा में वाणिज्यिक तत्व (उदाहरणार्थ संविदा के परिणामस्वरूप कंपनी के भविष्यत नकदी प्रवाह के जोखिम, कालन या राशि में परिवर्तन प्रत्याशित की जाती है) हो; और

उ. यह अधिसंभाव्य है कि कंपनी माल और सेवाएँ जो ग्राहक को हस्तांतरित किया जाएगा के विनिमय में हकदारिता रखेगी के प्रतिफलों का संग्रहण करेगी। प्रतिफल की राशि जिसके लिए कंपनी यदि प्रतिफल परिवर्तनशील हो संविदा में अभिकथित कीमत से कम हो सकती है क्योंकि कंपनी ग्राहक को कीमत रियायतें, बट्टे, रिबेट, धन-वापसी, साख या प्रोत्साहन की हकदारिता, कार्य-निष्पादन बोनस, या समरूप मदें प्रस्तावित कर सकती है में हकदारिता रखेगी।

संविदाओं का संयोजन

कंपनी दो या अधिक संविदाओं को उसी ग्राहक (या ग्राहक के संबद्ध पक्षकारों) के साथ उसी समय या उसके निकट संयोजित करती है और संविदाओं यदि निम्नलिखित मानदंडों में से एक या अधिक पूर्ण होते हैं को यथा एकल संविदा लेखा-जोखा देती है:

अ. संविदाओं को एकल वाणिज्यिक उद्देश्य के साथ यथा एक पैकेज परक्रमामित की जाती हो;

आ. कीमत या अन्य संविदा के कार्य-निष्पादन पर एक संविदा में प्रतिफल की राशि संदाय किया जाना है निर्भर करती हो; या

इ. संविदाओं में माल या सेवाएं देने का वचन दिया हुआ हो (अथवा प्रत्येक संविदा में माल या सेवाएँ देने का वचन दिया हुआ हो) का एक एकल कार्य-निष्पादन दायित्व हो।

संविदा उपांतरण

संविदा उपांतरण यथा पृथक संविदा के लिए कंपनी जिम्मेदार होती है यदि निम्नलिखित दोनों दशाएँ विद्यमान रहती हैं:

अ. वचनबद्धित माल और सेवाएं जो सुस्पष्ट है के परिवर्धन के कारण संविदा की व्याप्ति में वृद्धि होती हो और

आ. प्रतिफल की राशि के खाते से संविदा की कीमत में वृद्धि होती है जो कंपनी की वचनबद्धित अतिरिक्त माल या सेवाओं की और उस कीमत का कोई समुचित समायोजनों को विशिष्ट संविदा की परिस्थितियों को परावर्तित करने के लिए एकल बिक्री कीमत को परावर्तित करती हो।

कदम 2 : कार्य-निष्पादन दायित्वों को परिलक्षित करना:

संविदा के प्रारंभ में, कंपनी ग्राहक के साथ संविदा में वचनबद्धित माल या सेवाओं को निर्धारित करती है और ग्राहक को हस्तांतरण करने के लिए प्रत्येक वचन यथा एक कार्य-निष्पादन दायित्व परिलक्षित करती है या तो :

अ. माल या सेवा (अथवा माल या सेवाओं का एक बंडल) जो विशिष्ट है; या

आ. विशिष्ट माल या सेवाओं की एक श्रृंखला जो सारतः समान हैं और जिनके पास ग्राहक को हस्तांतरण का वही तरीका है।

कदम 3 : लेनदेन कीमत का अवधारण

लेनदेन कीमत को अवधारित करने के लिए कंपनी संविदा के निबंधनों और इसकी ग्राहकीय कारबार परिपाटियों का विचार करती है। तीसरे पक्षकारों की ओर से संगृहीत राशि को अपवर्जित करते हुए, लेनदेन कीमत प्रतिफल की राशि होती है जिसके लिए ग्राहक वचनबद्धित माल और सेवाओं के हस्तांतरित करने के लिए विनिमय में कंपनी हकदारी की प्रत्याशा करती हो। ग्राहक के साथ संविदा में वचनबद्धित प्रतिफल में नियत राशियों, परिवर्तनशील राशियों, या दोनों, को समाविष्ट कर सकती है :

लेनदेन कीमत को निर्धारित करते समय, कंपनी निम्नलिखित समस्त परिणामों पर विचार करती है :

क परिवर्ती प्रतिफल ;
ख परिवर्ती प्रतिफल के प्राक्कलनों को आबद्ध करना;
ग महत्वपूर्ण वित्तीय घटक का अस्तित्व;
घ गैर-नकदी प्रतिफल;
ङ ग्राहक को समुचित संदेय।

बट्टा, रिबेट, धन-वापसी, साख, कीमत रियायतें, प्रोत्साहन, कार्य-निष्पादन बोनस, या अन्य समरूप मदों के कारण प्रतिफल की राशि परिवर्तित हो सकती है। वचनबद्धित प्रतिफल परिवर्तित भी हो सकती है यदि प्रतिफल के लिए कंपनी की हकदारी भविष्यत् घटनाओं के संयोग या असंयोग पर समाश्रित है।

कुछ संविदाओं में, शास्तियाँ विनिर्दिष्ट हैं। ऐसी दशाओं में, संविदा के सार के अनुसार शास्तियाँ निर्धारित होती हैं। जहाँ लेनदेन कीमत के अवधारण में शास्तियाँ अन्तर्निहित हैं, यह परिवर्ती प्रतिफल के हिस्से का विनिर्माण करती है।

कंपनी लेनदेन कीमत में केवल उस सीमा तक प्राक्कलित परिवर्ती प्रतिफल की किंचित या सभी राशियों को समाविष्ट करती है जिसकी अत्यंत अधिसंभाव्यता है कि संचयी राजस्व की निर्धारित राशि में एक महत्वपूर्ण उत्क्रमण नहीं होगा जब परिवर्ती प्रतिफल से सहयुक्त अनिश्चितता को तत्पश्चात संकल्पित किया जाता है।

एक विशिष्ट वित्तीय लिखत के प्रभाव के लिए कंपनी वचनबद्धित प्रतिफल की राशियों को समायोजित नहीं करती है यदि यह प्रत्याशित है कि, संविदा आरंभ में, जब एक ग्राहक को वचनबद्धित माल या सेवा हस्तांतरित करती है और जब ग्राहक उस माल या सेवा के लिए संदाय करता है के मध्य की अवधि एक साल या उससे कम होगी।

कंपनी एक प्रतिदाय देयता को निर्धारित करती है यदि कंपनी ग्राहक से प्रतिफल प्राप्त करती है और ग्राहक को उस प्रतिफल का कुछ या संपूर्ण प्रतिदाय की प्रत्याशा करती है। प्राप्त (प्राप्य) प्रतिफल की राशि पर प्रतिदाय देयता मापित की जाती है जिसके लिए कंपनी की हकदारिता (अर्थात् लेनदेन कीमत में राशि समाविष्ट नहीं है) अप्रत्याशित है। परिस्थितियों में परिवर्तन के लिए प्रत्येक प्रतिवेदित अवधि की समाप्ति पर प्रतिदाय देयता (और लेनदेन कीमत में तत्संबंधी परिवर्तन, और फलतः, संविदा देयता) को अद्यतन किया जाता है।

संविदा आरंभ होने के पश्चात्, अनिश्चित घटनाओं या परिस्थितियों में अन्य परिवर्तन जो प्रतिफल की राशि को परिवर्तित करती है सहित विभिन्न कारणों से लेनदेन कीमत परिवर्तित हो सकती है जिसके लिए कंपनी वचनबद्धित माल या सेवाओं के विनिमय में हकदार होने की प्रत्याशा करती है।

कदम 4 : लेनदेन कीमत का विनिधान

राशि जो प्रतिफल की राशि को दर्शाता है जिसको कंपनी ग्राहकों को वचनबद्धित माल या सेवाओं के हस्तांतरित करने के लिए विनिमय में हकधारिता की प्रत्याशा करती है में कंपनी के लिए लेन-देन कीमत के विनिधान करते समय उद्देश्य प्रत्येक कार्य-निष्पादन दायित्व (या सुभिन्न माल या सेवा) को लेने-देन कीमत विनिधान करना है।

एक सापेक्ष एकल आधारित विक्रय कीमत पर प्रत्येक कार्य-निष्पादन दायित्व को लेनदेन विनिधान करने के लिए, कंपनी संविदा के आरंभ में संविदा में प्रत्येक कार्य-निष्पादन दायित्व में अन्तर्निहित सुभिन्न माल या सेवा का एकल विक्रय कीमत अवधारित करती है और उन एकल विक्रय कीमतों को अनुपाततः लेनदेन कीमत में विनिधान करती है।

कदम 5 : राजस्व निर्धारण :

कंपनी राजस्व निर्धारण करती है जब (या यथा) कंपनी किसी ग्राहक को वचनबद्धित माल या सेवा के हस्तांतरण द्वारा कार्य-निष्पादन दायित्व का निवर्हन करती है। कोई माल या सेवा हस्तांतरित किया जाता है जब (या यथा) ग्राहक उस माल या सेवा का नियंत्रण अभिप्राप्त करता है।

कंपनी समय के साथ किसी माल या सेवा के नियंत्रण को हस्तांतरित करती है और, फलतः, यदि निम्नलिखित मानदंडों में से कोई एक पूर्ण होता है, समय के साथ किसी कार्य-निष्पादन दायित्व का निर्वहन और राजस्व निर्धारण करती है :

अ. कंपनी के कार्य-निष्पादन यथा कंपनी कार्य-निष्पादन करती है द्वारा ग्राहक को उपबंधित प्रसुविधाओं का एक साथ प्राप्ति और उसका उपभोग करती हो;

आ. कंपनी का कार्य-निष्पादन आस्ति को सृजित या में संवृद्धि करती हो जिसे ग्राहक यथा आस्तियों को सृजित या में संवृद्धि किया जाता है को नियंत्रित करता है;

इ. कंपनी का कार्य-निष्पादन कंपनी के लिए किसी वैकल्पिक उपयोग के साथ आस्ति सृजन नहीं करती है और कंपनी के पास नियत तिथि तक पूर्ण कार्य-निष्पादन के संदाय का प्रवर्तनीय अधिकार होता है।

समय के साथ निर्वाहित प्रत्येक कार्य-निष्पादन दायित्व के लिए, कंपनी समय के साथ कार्य-निष्पादन दायित्व के पूर्ण निर्वहन की प्रगति के मापन द्वारा राजस्व निर्धारण करती है।

कंपनी समय के साथ निर्वाहित प्रत्येक कार्य-निष्पादन दायित्व के लिए प्रगति मापन का एकल विधि उपयोजित करती है और कंपनी समरूप कार्य-निष्पादन दायित्वों एवं समरूप परिस्थितियों में उस विधि का निरंतर उपयोजन करती है। प्रत्येक प्रतिवेदित अवधि की समाप्ति पर, समय के साथ पूर्णतः निर्वाहित कार्य-निष्पादन दायित्व की अपनी प्रगति को पुनःमापित करती है।

कंपनी, संविदा के अधीन वचनबद्धित शेष माल या सेवाओं के सापेक्ष तिथि को हस्तांतरित मालों एवं सेवाओं के ग्राहक के लिए प्रत्यक्ष मापन के मूल्य के आधार पर राजस्व निर्धारण करने के लिए उत्पादन विधियों का उपयोजन करती है। विधियों यथा समय पर पूर्ण कार्य-निष्पादन का सर्वेक्षण, प्राप्त परिणामों का मूल्यांकन, तयशुदा हासिल, व्यपगत समय तथा उत्पादित इकाइयों या परिदत्त इकाइयों को निर्गत विधियों में समाविष्ट करती हैं।

समय के साथ परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार, कंपनी कार्य-निष्पादन दायित्व के परिणामों में किसी तरह के परिवर्तन को परावर्तित करने के लिए अपने अध्युपायों को अद्यतन करती है। भारतीय लेखांकन मानक सं. 8, लेखांकन नीतियों, लेखांकन प्राक्कलन एवं त्रुटियों में परिवर्तन के अनुसार कंपनी की प्रगति के अध्युपायों में ऐसे परिवर्तनों को लेखांकन प्राक्कलन में यथा परिवर्तन हिसाब में लिया जाता है।

कंपनी समय के साथ तुष्ट कार्य-निष्पादन दायित्व के लिए राजस्व निर्धारित करती है तभी कंपनी कार्य-निष्पादन दायित्व के पूर्ण तुष्टिकरण के लिए अपने प्रगति को युक्तियुक्त रूप से मापन कर सकती है। जब (या जैसे) कार्य-निष्पादन दायित्व तुष्ट हो जाती है तब कंपनी लेनदेन कीमत की राशि को यथा राजस्व निर्धारित करती है जिसमें परिवर्ती प्रतिफल के प्राक्कलनें जो कि निरूद्ध किए जाते हैं अपवर्जित होती है जिन्हें उस कार्य-निष्पादन दायित्व के लिए आबंटित किया जाता है।

यदि कोई कार्य-निष्पादन दायित्व समय के साथ तुष्ट नहीं होती है तो कंपनी कार्य-निष्पादन दायित्व को एक समय सीमा में तुष्ट करती है। समय सीमा जिसपर एक ग्राहक वचनबद्धित माल या सेवाओं के नियंत्रण की अभिप्राप्ति करता है को अवधारित करने के लिए, कंपनी नियंत्रण के हस्तांतरण के सूचकों को, जो निम्नलिखित को समाविष्ट करती है, लेकिन असीमित हैं, निर्धारण करती है :

अ. कंपनी के पास माल या सेवा के भुगतान का सम्प्रति अधिकार होता है;

आ. ग्राहक के पास माल या सेवा का विधिक हकधारिता होती है;

इ. कंपनी ने माल या सेवा के वास्तविक दखल को हस्तांतरित किया है;

ई. ग्राहक के पास माल या सेवा के स्वामित्व का विशिष्ट जोखिम और पारिश्रमिक होता है;

उ. ग्राहक ने माल या सेवा को स्वीकार किया है।

जब संविदा के किसी भी पक्षकार ने कार्य-निष्पादन किया है तो कंपनी के कार्य-निष्पादन और ग्राहक को संदाय के बीच के संबंधों पर निर्भर होते हुए, कंपनी संविदा को तुलन पत्र में यथा संविदात्मक आस्ति या संविदात्मक देयता प्रस्तुत करती है। कंपनी पृथकतः प्रतिफल के लिए किसी भी अशर्त अधिकारों को यथा प्राप्य राशियाँ प्रस्तुत करती है।

संविदात्मक आस्तियाँ :

संविदात्मक आस्ति ग्राहक को हस्तांतरित माल औए सेवाओं के लिए विनिमय में प्रतिफल का अधिकार है। यदि कंपनी प्रतिफल के संदाय के पूर्व या बकाया संदाय के पूर्व ग्राहक को माल या सेवाओं के हस्तांतरण द्वारा कार्य-निष्पादित करती है तो अर्जित प्रतिफल जो कि सशर्त होती है के लिए संविदा आस्ति निर्धारित की जाती है।

व्यवासय प्राप्य :

प्राप्य राशियाँ प्रतिफल राशि जो अशर्त होती है के लिए कंपनी के अधिकार को प्रदर्शित करती है (अर्थात्, प्रतिफल का संदाय देय है से पूर्व केवल समय का अबाध रूप अपेक्षित होती है)।

संविदात्मक देयताएँ :

संविदात्मक देयता एक ग्राहक को माल और सेवाएँ हस्तांतरित करने का दायित्व है जिसके लिए ग्राहक से कंपनी ने प्रतिफल (या प्रतिफल राशि देय हो) प्राप्त किया है। यदि कंपनी ने ग्राहक को माल या सेवाएँ हस्तांतरित करता है के पूर्व ग्राहक प्रतिफल को संदाय करता है तो संविदा देयता निर्धारित की जाती है जब संदाय किया जाता है या देय रहता है (जो भी पहले हो)। संविदात्मक देयताओं को यथा राजस्व निर्धारित की जाती है जब कंपनी संविदा के अधीन कार्य-निष्पादन करती है।

2.3.2 ब्याज

प्रभावी ब्याज विधि के उपयोग से ब्याज आय निर्धारित किया जाता है।

2.3.3 लाभांश

निवेशों से लाभांश आय तब निर्धारित किया जाता है जब संदाय की प्राप्ति का अधिकार स्थापित किया जाता है।

2.3.4 अन्य दावें

अन्य दावों (उपभोक्ताओं से विलंब वसूली पर ब्याज सहित) को तब हिसाब दिया जाता हैं जब वसूली में निश्चितता हो और स्थिरता से मापन किया जा सकता हो।

2.4 सरकार से अनुग्रह

सरकारी अनुदान निर्धारित नहीं किए जाते हैं जब तक युक्तियुक्त आश्वासन ना हो कि कंपनी उनके साथ संलग्न निबंधनों का अनुपालन करेगी और कि युक्तियुक्त निश्चितता है कि अनुदान प्राप्त किए जाएंगे।

सरकारी अनुदानों को अवधि से अधिक सुनियोजित आधार पर लाभ-हानि विवरणी में निर्धारित किया जाता है जिसमें कंपनी यथा संबद्ध लागतों के व्यय को निर्धारित करती है जिसके लिए अनुदानों को प्रतिकर देना आशयित किया जाता है।

अनुदान यथा आस्थगित आय की स्थापना करके आस्तियों से संबंधित सरकारी अनुदानों को तुलन-पत्र में दर्शाया जाता है और आस्ति के उपभोजित व्यवहार के समय सुनियोजित आधार पर लाभ-हानि विवरणी में निर्धारित किया जाता है।

आय से संबंधित अनुदान (अर्थात् आस्तियों के अलावा अन्य से संबंधित अनुदान) को 'अन्य आय' शीर्ष के अधीन लाभ-हानि विवरणी के भागरूप में प्रस्तुत किया जाता है।

सरकारी अनुदान/सहायता जो पूर्व में उपगत व्ययों या हानियों के लिए या बिना भविष्यत् संबंधी लागतों के साथ कंपनी को तत्काल वित्तीय आलम्ब प्रदान करने के उद्देश्य के लिए यथा प्रतिकर प्राप्य बनता है, को अवधि के लाभ या हानि में निर्धारित किया जाता है जिसमें यह प्राप्य बन जाता है।

सरकारी अनुदानों अथवा संप्रवर्तक के अभिदाय प्रकृति की अनुदानों को प्रत्यक्षतः "आरक्षित पूँजी" में निर्धारित होने चाहिए जो "शेयरधारकों की निधि" का अंश है।

2.5 पट्टा

संविदा एक पट्टा है या को अंतर्विष्ट करता है यदि संविदा प्रतिफल के विनिमय में एक अवधि के लिए परिलक्षित आस्ति के उपभोग के नियंत्रण के अधिकार को प्रवहित करता है।

2.5.1 कंपनी यथा एक पट्टेदार

तिथि प्रारंभ होने पर, एक पट्टेदार लागत पर आस्ति के उपभोग का अधिकार और पट्टा संदायों जो उस तिथि पर सभी पट्टों के लिए अप्रदत्त है के वर्तमान मूल्य पर पट्टाधृति देयता निर्धारित करना चाहिए जबतक कि पट्टा अवधि 12 महीने या इससे कम हो या अंतर्निहित आस्ति का मूल्य कम है

तत्पश्चात, लागत प्रतिरूप का प्रयोग करते हुए आस्ति अधिकार के उपयोग का मापन किया जाता है यतः, पट्टा देयता पर ब्याज को परावर्तित करने के लिए वहनीय राशि में वृद्धि, पट्टा पर हुए संदाय को परावर्तित करने के लिए वहनीय राशि में कमी और किसी पुनःआकलन या पट्टा उपान्तरणों को परावर्तित करने के लिए वहनीय राशि के पुनर्मापण द्वारा पट्टादेयता को मापित किया जाता है।

लाभ और हानि विवरणी में वित्तीय प्रभारों को वित्तीय लागतों में निर्धारित किया जाता है, जब तक कि लागतों को अन्य अनुप्रयुक्त मानकों को उपयोजित करने वाली एक अन्य आस्ति के वहनीय राशि में समाविष्ट नहीं किए जाते हैं।

आस्ति के उपयोग का अधिकार आस्ति के उपभोजित व्यवहार के समय ह्रासित हो जाता है, यदि पट्टा पट्टा अवधि की समाप्ति पर पट्टेदार को आस्ति के स्वामित्व का हस्तांतरण करता है या यदि आस्ति के उपयोग के अधिकार के लागत को परावर्तित करता है कि पट्टेदार क्रय विकल्प का प्रयोग करेगा। अन्यथा, पट्टेदार आस्ति उपयोग अधिकार के उपभोगजन्य काल की समाप्ति या पट्टा निबंधन की समाप्ति के पूर्व आरंभ तिथि से आस्ति उपयोग अधिकार को ह्रासित करेगा।

2.5.2 कंपनी यथा एक पट्टाकर्ता

समस्त पट्टा या तो एक क्रियाशील पट्टा या एक वित्तीय पट्टे जैसा है।

एक पट्टा यथा वित्तीय पट्टा वर्गीकृत किया जाता है यदि यह एक अंतर्निहित आस्ति के स्वामित्व के लिए आनुषांगिक समस्त जोखिम और पारिश्रमिक को सारतः हस्तांतरित करता है। पट्टा को यथा परिचालनात्मक पट्टा वर्गीकृत किया जाता है यदि यह एक अंतर्निहित आस्ति के स्वामित्व के आनुषांगिक समस्त जोखिम और पारिश्रमिक को सारतः हस्तांतरित नहीं करता है।

परिचालनात्मक पट्टा – परिचालनात्मक पट्टों से पट्टा संदाय को या तो एक सीधी कटौती के आधार पर यथा आय निर्धारित की जाती है जब तक कि कोई अन्य व्यवस्थित आधार उस पद्धति का अधिक प्रतिनिधित्व न हो जिसमें अंतर्निहित आस्ति के उपयोग से प्रसुविधा कम हो जाती है।

वित्तीय पट्टा – पट्टा में निवल निवेश को मापने के लिए पट्टा में अव्यक्त ब्याज दर का प्रयोग करते हुए पट्टा में निवल निवेश के समतुल्य राशि पर वित्तीय पट्टा के अधीन धारित आस्तियाँ प्रथमतः इसके तुलन-पत्र में निर्धारित किया जाता है और उसे यथा प्राप्य राशि दर्शाया जाता है।

2.6 विक्रय के लिए धारित अप्रचलित आस्तियाँ

कंपनी यथा विक्रय के लिए धारित अप्रचलित आस्तियों एवं (या व्ययन समुच्चय) को वर्गीकृत करती है यदि उसके वहनीय राशियाँ सतत उपयोग के जरिए इसके बजाय विक्रय के जरिए मूलतः प्रत्युद्धारित किया जाएगा। विक्रय को पूर्ण करने के लिए आवश्यक कार्रवाइयों से प्रतीत होना चाहिए कि यह असंभाव्य है कि विक्रय में विशिष्ट परिवर्तन किए जाएँगे या विक्रय करने के निर्णय को वापस ले लिया जाएगा। वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के अंदर प्रत्याशित विक्रय के लिए प्रबंधन को प्रतिबद्ध होना चाहिए।

इन प्रयोजनों के लिए, विक्रय लेन-देन अन्य अप्रचलित आस्तियों के लिए अप्रचलित आस्तियों के विनिमयों को समाविष्ट करता है जब विनिमय में वाणिज्यिक सत्व हो। विक्रय वर्गीकरण के लिए धारित के मानदंड को तभी पूर्ण समझा जाता है जब आस्तियाँ या व्ययन समुच्चय अपने वर्तमान परिस्थितियों में तत्काल विक्रय के लिए उपलब्ध हो, ऐसे आस्तियों (या व्ययन समुच्चय) के लिए केवल निबंधनों के अधीन जो विक्रय के लिए प्रायिक और रूढ़िगत है, इसका विक्रय अत्यंत अधिसंभाव्य है; और यह सचमुच में विक्रेय किया जाएगा, अपरित्यक्त रखा जाएगा। कंपनी आस्तियों के विक्रय या व्ययन समुच्चय को अत्यंत अधिसंभाव्य मानती है जब :

अ. प्रबंधन का उचित स्तर आस्ति (या व्ययन समुच्चय) के विक्रय के योजना के लिए प्रतिबद्ध हों,

आ. किसी क्रेता की अवस्थिति जानने और योजना के फलीभूत होने के लिए एक सक्रिय कार्यक्रम आरंभ किया गया हो,

इ. आस्ति (या व्ययन समुच्चय) को एक कीमत पर जो इसके वर्तमान उचित मूल्य पर युक्तियुक्त हो विक्रय के लिए सक्रिय रूप से विपणन किया जा रहा हो,

ई. वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के अंदर यथा पूर्ण विक्रय निर्धारण के लिए विक्रय अर्हिति के लिए प्रत्याशित हो, और

उ. योजना को पूर्ण करने के लिए आवश्यक कार्रवाइयों से उपदर्शित होता हैं कि यह असंभाव्य है कि योजना में विशिष्ट परिवर्तन किए जाएँगे या योजना को वापस ले लिया जाएगा।

2.7 संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर (पीपीई)

ऐतिहासिक लागत पर भूमि को वहन किया जाता है। ऐतिहासिक लागत व्यय जो भूमि अधिग्रहण के लिए प्रत्यक्षतः रोप्य जैसे, पुनर्वासन व्यय, पुनर्स्थापन लागत और संबद्ध विस्थापित व्यष्टियों के लिए उपगत भूमि के एवज में प्रतिकर आदि को समाविष्ट करता है।

निर्धारण के उपरांत, समस्त अन्य संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के वस्तु इनके लागत से किसी भी संचित मूल्यह्रास एवं किसी भी संचित क्षति हानियों को न्यून कर वहन की जाती है। किसी संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के मद की लागत समाविष्ट करती हैं :

अ. व्यवसाय बट्टा और रिबेट की कटौती के उपरांत आयात शुल्क और अप्रतिदाय योग्य क्रय कर सहित इसका क्रय कीमत।

आ. प्रबंधन द्वारा आशातीत रूप में परिचालन समर्थ होने के लिए आस्ति को आवश्यक अवस्थिति और परिस्थिति में लाने के लिए प्रत्यक्षतः रोप्य कोई लागत।

इ. वस्तु का विखण्डन एवं से निकालने और में अवस्थान पुनःस्थापन जिसपर अवस्थित है करने के लागतों का प्रारंभिक प्राक्कलन, दायित्व जिसके लिए कंपनी या तो तब जब वस्तु अधिगृहीत किया जाता है या उस अवधि के दौरान वस्तुसूचियों को प्रस्तुत करने से भिन्न प्रयोजनों के लिए एक विशेष अवधि के दौरान वस्तु का उपयोग करने के परिणामस्वरूप उपगत करती है।

लागत के साथ संपत्ति, संयंत्र, और उपकरण के वस्तु का प्रत्येक भाग/पुर्जे जो पृथकतः अवक्षयित वस्तु के कुल लागत के संबंध में विशिष्ट है। तदापि, अवक्षयण प्रभार को अवधारित करने में समान उपभोजित व्यवहार और अवक्षयण विधि वाले पीपीई वस्तु के विशिष्ट पुर्जा (पुर्जे) को एकसाथ संयुक्त किया जाता है।

यथा 'मरम्मति और अनुरक्षण' के लिए वर्णित दैनंदिन परिचरण की लागतों को अवधि में जिसमें वही उपगत किया जाता है लाभ-हानि विवरणी में निर्धारित किया जाता है।

विशिष्ट संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के वस्तु की कुल लागत के संबंध में विशिष्ट पुर्जों को निकालने का पाश्विक लागत वहनीय राशि में निर्धारित किए जाते हैं, यदि यह अधिसंभाव्य है कि वस्तु के साथ सहयुक्त भविष्यत् आर्थिक प्रसुविधाएँ कंपनी के लिए प्रवहित होंगी; और वस्तु की लागत विश्वसनीयता के साथ मापन की जा सकती है। उन पुर्जों जो कि बदले गए हैं के वहनीय राशि निम्न उद्धृत अनिर्धारण नीति के अनुसार अनिर्धारित किया जाता है।

जब प्रमुख निरीक्षण निष्पादित किए जाते हैं, इसकी लागत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण मद के वहनीय राशि में यथा प्रतिस्थापन निर्धारित किए जाते हैं यदि यह अधिसंभाव्य है कि मद के साथ सहयुक्त आगामी आर्थिक प्रसुविधाएँ कंपनी के लिए प्रवाहित होंगी; और मद की लागत विश्वसनीयता के साथ मापन की जा सकती है। पूर्व निरीक्षण के लागत का कोई शेष वहनीय राशि (भौतिक उपकरणों से यथा भिन्न) अनिर्धारित किया जाता है।

आस्ति के प्राक्कलित उपभोगजन्य काल में सीधी कटौती के आधार पर लागत प्रतिरूप के अनुसार, पट्टाधृति भूमि के सिवाय, संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के मूल्यह्रास यथा निम्न उपबंधित किया जाता है:

अन्य भूमि (पट्टाधृति भूमि)	:	परियोजना के सक्रियता काल या पट्टा अवधि जो भी कम हो
भवन	:	3-60 वर्ष
सड़क	:	3-10 वर्ष
दूरसंचार	:	3-9 वर्ष
रेलवे पार्श्वस्थल	:	15 वर्ष
संयंत्र और उपस्कर	:	5-30 वर्ष
कंप्यूटर एवं लैप्टॉप	:	3 वर्ष
कार्यालयीन उपस्कर	:	3-6 वर्ष
फर्नीचर और जुड़नार	:	10 वर्ष
वाहन	:	8-10 वर्ष

तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, प्रबंधन का मानना है कि उपरि वर्णित उपभोगजन्य काल उस अवधि का सबसे अच्छा प्रस्तुतीकरण करता है जिसपर प्रबंधन आस्ति के उपभोग की प्रत्याशा करता है। अतएव आस्तियों का उपभोगजन्य काल कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के भाग-ग के अधीन यथा विहित उपभोगजन्य काल से भिन्न हो सकता है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में आस्ति का प्राक्कलित उपभोजन्य काल को पुनर्विलोकित किया जाता है।

आस्ति के कुछ मदों यथा कोयला टब, कुंडलन रज्जु, हाउलेज रज्जु, भराटि पाइप और सुरक्षा बत्ती आदि के सिवाय संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के अवशिष्ट मूल्य को यथा आस्ति के मूल लागत के 5% प्रतिफलित किया जाता है जिसके लिए तकनीकी प्राक्कलित उपभोगजन्य काल को एक वर्ष तक कुछ नहीं अवशिष्ट मूल्य हो अवधारित किया जाता है।

वर्ष के दौरान परिवर्धित/निपटारित आस्तियों का मूल्यह्रास को परिवर्धन/निपटान के माह के संदर्भ में आनुपातिक आधार पर उपबंधित किया जाता है।

"अन्य भूमि" के मूल्य में कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम 1957, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (आरएफसीटीएलएआरआर) अधिनियम 2013, सरकारी भूमि का दीर्घावधि हस्तांतरण आदि को समाविष्ट करता है जो परियोजना के शेष कार्यकाल के आधार पर परिशोधित किया जाता है; और पट्टाधृति भूमि के मामलों में ऐसे परिशोधन पट्टे की अवधि या परियोजना के शेष कार्यकाल जो भी कम हो पर आधारित होते है।

पूर्णतः अवक्षयित आस्तियों, सक्रिय उपभोग से निवृत्त संपत्ति, संयंत्र व उपस्कर के अधीन इसके अवशिष्ट मूल्य पर यथा सर्वेयड ऑफ आस्तियों को पृथकतः प्रकटन किए जाते है और क्षति के लिए जाँच किए जाते हैं।

निश्चित आस्तियों के सन्निर्माण/विकास पर कंपनी द्वारा उपगत पूँजी व्यय जो उत्पादन, मालों की आपूर्ति के लिए या कंपनी के किसी विद्यमान आस्तियों तक पहुँच के लिए आवश्यक है को संपत्ति, संयत्र और उपकरण के अधीन यथा समर्थकारी आस्तियाँ निर्धारित किए जाते हैं।

भारतीय लेखांकन मानकों को संक्रमण

कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानकों की तिथि को यथा वित्तीय विवरणी में यथा निर्धारित अपने समस्त संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए, पूर्व सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत (जीएएपी) के अनुसार मापन किए गए, लागत प्रतिरूप के अनुसार वहनीय मूल्य के साथ जारी रखने का चयन किया।

2.8 खान संवरण, स्थल पुनरुद्धार एवं अप्रवर्तन दायित्व

कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार भूमि उद्धार एवं निर्मित्ति के अप्रवर्तन के लिए सतही और भूमिगत दोनों खदानों के व्यय पर कंपनी का दायित्व गठित होता है। कंपनी आवश्यक कार्य की विस्तृत संगणना, की राशि का तकनीकी मूल्यांकन एवं के निष्पादन में भविष्यत व्यय होने वाली नकदी का कालमापन के आधार पर खान संवरण, स्थल पुनरुद्धार और अप्रवर्तन के लिए अपने दायित्व का प्राक्कलन करती है। अनुमोदित खान संवरण योजना के अनुसार खान संवरण व्यय उपबंधित किया जाता है। मुद्रास्फीति से व्ययों के प्राक्कलन में वृद्धि होती है, और तब बट्टा दर पर भुनाई की जाती है जो धन का सामयिक मूल्य और जोखिमों के चालू बाजार मूल्यांकन को परावर्तित करता है, जैसे कि उपबंधित राशि दायित्व को निपटान के लिए आवश्यक प्रत्याशित के व्यय के वर्तमान मूल्य को परावर्तित करती है। कंपनी अंतिम पुनःउद्धार एवं खान संवरण के लिए देयता के साथ सहयुक्त तत्संबंधी आस्ति को अभिलेखित करती है। दायित्व और तत्संबंधी आस्तियों को उस अवधि जिसमें देयता उपगत होती है में निर्धारण किया जाता है। खान संवरण योजना के अनुसार आस्ति जो कुल स्थल पुनरुद्धार लागत (सेंट्रल माइन प्लानिंग एवं डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट लिमिटेड द्वारा यथा प्राक्कलित) को प्रस्तुत कर रही है को पीपीई में यथा पृथक मद निर्धारित किया जाता है और परियोजना/खान के शेष कार्यकाल के ऊपर परिशोधित किया जाता है।

समय के साथ प्रावधान का मूल्य यथा अकुंडलन भुनाई के प्रभाव से उत्तरोत्तर वृद्धि हो जाती है जो वित्तीय व्यय के रूप में एक निर्धारित व्यय का सृजन कर रही है।

आगे, अनुमोदित खान संवरण योजना के अनुसार इस प्रयोजनार्थ एक विशिष्ट निलंब निधि खाता अनुरक्षित की जाती है।

संपूर्ण खदान संवरण दायित्व का भाग होने के आधार पर वर्ष प्रति वर्ष उपगत प्रगामी खान संवरण व्यय प्रारम्भ में निलम्ब खाता से यथा प्राप्य निर्धारित किया जाता है और तत्पश्चात उस वर्ष में दायित्व के साथ समायोजित किया जाता है जिसमें राशि को प्रमाणकर्ता अभिकरणों की सहमति के उपरांत आहरित किया गया है।

2.9 गवेषण एवं मूल्यांकन आस्तियाँ

गवेषण और मूल्यांकन आस्तियाँ पूँजीकृत लागतों को समाविष्ट करता है जो कोयला एवं संबंधित संपदाओं की खोज के फलस्वरूप किए गए माने जाते हैं, परिलक्षित संपदा की तकनीकी साध्यता और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के अवधारण के लंबित होने तक जो अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित समाविष्ट है :

अ. गवेषण करने के अधिकारों का अर्जन;

आ. ऐतिहासिक गवेषण आँकड़ों का अनुसंधान और विश्लेषण करना;

इ. स्थलाकृतिक, भू-रसायन एवं भू-भौतिक अध्ययन के माध्यम से गवेषण आँकड़ों

ई. गवेषक प्रवेधन, खंदकन और प्रतिचयन;

उ. संपदा के परिमाण और श्रेणी का अवधारण और परीक्षण करना;

ऊ परिवहन और अवसंरचना आवश्यकताओं का सर्वेक्षण करना;

ए बाजार एवं वित्त अध्ययनों का संचालन करना।

उपर्युक्त कर्मी पारिश्रमिक, सामग्रियों की लागत और खपत हुए ईंधन, संविदाकारों को संदाय आदि को समाविष्ट करता है।
यथा अमूर्त घटक उपगत हुए समग्र प्रत्याशित मूर्त लागतों के उपेक्षणीय/ अविभेद्य अंश को व्यपदिष्ट करता है और भविष्यत् संदोहन से प्रतिपूर्ति किया जाता है, इन लागतों को अन्य पूँजीकृत गवेषण लागतों के साथ यथा गवेषण एवं मूल्यांकन आस्ति अभिलेखित किए जाते हैं।

गवेषण एवं मूल्यांकन लागतों को परियोजना की तकनीकी साध्यता और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के अवधारित होने तक परियोजन दर परियोजना के आधार पर पूँजीकृत किए जाते हैं और अप्रचलित आस्तियों के अधीन यथा पृथक सीमा मद प्रकटन किए जाते हैं।

एक बार प्रमाणित निचय अवधारित हो जाते हैं और खानों/परियोजना का विकास स्वीकृत हो जाते हैं तब गवेषण और मूल्यांकन आस्तियों को प्रगतिशील पूँजीगत कार्य के अधीन "विकास" में स्थानांतरित किए जाते हैं। तदापि, यदि प्रमाणित निचय अवधारित नहीं किए जाते हैं तब गवेषण और मूल्यांकन आस्ति का अनिर्धारण किया जाता है।

2.10 विकास व्यय

जब प्रमाणित निचय अवधारित हो जाते हैं और खानों/परियोजना का विकास स्वीकृत हो जाते हैं तब पूँजीकृत गवेषण एवं मूल्यांकन लागत सन्निर्माण के अधीन यथा आस्तियाँ निर्धारित किया जाता है और "विकास" शीर्ष के अधीन यथा पूँजी चालू कार्य घटक प्रकटन किया जाता है। समस्त पश्चातवर्ती विकास व्यय भी पूंजीकृत किए जाते हैं। विकास प्रावस्था के दौरान निष्कर्षित कोयले के विक्रय से आगमों का निवल पूँजीकृत विकास व्यय है।

वाणिज्यिक परिचालन

परियोजना/खानों को राजस्व में लाए जाते हैं; जब किसी परियोजना/खान की वाणिज्यिक तैयारी संधारणीय आधार पर उत्पादन प्राप्ति के लिए या तो परियोजना प्रतिवेदन में विनिर्दिष्टतः विवरणित दशाओं के आधार पर या निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर स्थापित किए जाते हैं :

अ. वर्ष के ठीक पश्चात् वित्तीय वर्ष के आरंभ में जिसमें अनुमोदित परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार परियोजना निर्धारित क्षमता का 25% के वास्तविक उत्पादन को प्राप्त करती है, या

आ. कोयले मिलने/कसौटी के 2 वर्ष तक, या

इ. वित्तीय वर्ष के आरंभ में जिसमें उत्पादन का मूल्य कुल व्यय से अधिक हो।

जो भी घटना पहले घटित हो;

राजस्व में लाये जाने पर, पूँजी चालू कार्य के अधीन आस्तियाँ "अन्य खनन अवसंरचना" नाम के अधीन संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के यथा घटक पुनःवर्गीकृत किए जाते हैं। अन्य खनन अवसंरचना उस वर्ष से, जब खान को 20 वर्षों या परियोजना कार्यकाल जो भी कम हो में राजस्व के अधीन लाया जाता है परिशोधित किए जाते हैं।

2.11 अमूर्त आस्तियाँ

पृथकतः अर्जित अमूर्त आस्तियों को लागत के प्रारम्भिक निर्धारण पर मापित किए जाते हैं। एक कारबार संयोजन में अर्जित अमूर्त आस्तियों के लागत अर्जन की तिथि पर उनका उचित मूल्य है। प्रारम्भिक निर्धारण के पश्चात्, अमूर्त आस्तियों को किसी भी संचित परिशोधन (उनके उपभोगजन्य काल के उपर सीधी कटौती पद्धति पर संगणित) और संचित क्षति हानियों, यदि कोई हो, को न्यून करके उस लागत पर ले जाए जाते हैं।

अंतःजनित अमूर्तें, पूँजीकृत विकास लागतें रहित, पूँजीकृत नहीं किए जाते हैं। इसके स्थान पर, संबंधित व्यय उस अवधि में जिसमें व्यय उपगत होता है को लाभ -हानि विवरणी और अन्य व्यापक आय में निर्धारित किए जाते हैं। अमूर्त आस्ति के उपभोगजन्य काल का मूल्यांकन या तो अपरिमित या अनिश्चित के रूप में निर्धारित किए जाते हैं। अपरिमित काल के साथ अमूर्त आस्तियाँ उनके उपभोगजन्य आर्थिक काल के ऊपर परिशोधित किए जाते हैं और जब कभी उपदर्शन होता है कि अमूर्त आस्ति की क्षति हो सकती है तो क्षति के लिए मूल्यांकित किये जाते हैं। एक अपरिमित उपभोगजन्य काल के साथ अमूर्त आस्तियों के लिए परिशोधन अवधि और परिशोधन पद्धति न्यूनातिन्यून प्रत्येक प्रतिवेदित अवधि के अंत में पुनर्विलोकन किए जाते हैं। प्रत्याशित उपभोगजन्य काल या आस्ति में सन्निहित भविष्यत् आर्थिक प्रसुविधाओं के उपभोग का प्रत्याशित स्वरूप में परिवर्तनें, यथोचित, परिशोधन अवधि या पद्धति के उपांतरण को प्रतिफलित किए जाते हैं

और लेखांकन प्राक्कलन में यथा परिवर्तन व्यवहृत होते हैं। अपरिमित काल के साथ अमूर्त आस्तियों पर परिशोधन व्यय को लाभ-हानि विवरणी में निर्धारित किए जाते हैं।

एक अनिश्चितार्थ उपभोगजन्य काल के साथ अमूर्त आस्ति को परिशोधित नहीं किया जाता हैं लेकिन प्रत्येक प्रतिवेदित तिथि पर क्षति के लिए जाँच किया जाता है।

अमूर्त आस्तियों के अनिर्धारण से उद्भूत अभिलाभ या हानि को यथा आस्तियों के निवल निपटान कार्यवाहियों और वहनीय राशि के मध्य अंतर मापित किए जाते हैं तथा लाभ-हानि विवरणी में निर्धारित किए जाते हैं।

यद्यपि, बाह्य अभिकरणों (सीआईएल के लिए निश्चित नहीं किए गए खण्डों के लिए) को विक्रय के लिए या बिक्री किए जाने के लिए परिलक्षित खण्डों के लिए रोप्य गवेषण और मूल्यांकन आस्तियों को यथा अमूर्त आस्तियाँ वगीकृत किए जाते हैं और क्षति के लिए जाँच किए जाते हैं।

अनुसंधान और विकास यथा व्यय जैसे ही और जब उपगत होता है निर्धारित किया जाता है।

2.12 आस्तियों की क्षति (वित्तीय आस्तियों के बिना)

कंपनी प्रत्येक प्रतिवेदित अवधि के अंत में यदि कोई उपदर्शन है कि आस्ति को क्षति हो सकती है मूल्यांकित करती है। यदि ऐसे उपदर्शन विद्यमान होते हैं, कंपनी आस्ति के प्रत्युद्धरणीय राशि का प्राक्कलन करती है। यदि ऐसा कोई संकेत विद्यमान हो तो कंपनी आस्ति के प्रत्युद्धरणीय राशि को अनुमानित करती है। एक आस्ति की प्रत्युद्धरणीय राशि प्रयुक्त में आस्ति या नकदी जनन इकाई के मूल्य से अधिक है और इसका उचित मूल्य निपटान की लागत कम है, और एक व्यष्टि आस्ति के लिए अवधारित किया जाता है, जब तक कि आस्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो कि आस्ति नकदी प्रवाह उत्पन्न नहीं करती है जो अन्य आस्तियों या आस्तियों के समूहों से काफी हद तक स्वतंत्र होती है, इस मामले में प्रत्युद्धरणीय राशि नकदी जनन इकाई जिससे आस्ति संबंधित है के लिए निर्धारित की जाती है। कंपनी क्षति के जाँच के प्रयोजनार्थ व्यष्टि खानों को यथा पृथक नकदी जनन इकाइयाँ प्रतिफलित करती है।

यदि आस्ति का प्राक्कलित प्रत्युद्धरणीय राशि इसके वहनीय राशि से कम है तो इसके प्रत्युद्धरणीय राशि के लिए आस्ति के वहनीय राशि घटाए जाते हैं और लाभ हानि विवरणी में क्षति हानि निर्धारित किया जाता है।

2.13 निवेशित संपत्ति

संपत्ति (भूमि या भवन या भवन का भाग या दोनों) भाटक अर्जित करने के लिए या पूँजी अधिमूल्यन या दोनों के लिए धारण किया जाता है, उत्पादन या माल या सेवा की आपूर्ति या प्रशासनिक प्रयोजन के लिए; या कारबारों के सामान्य अनुक्रम के विक्रय में प्रयुक्त करने के बजाय, को यथा निवेशित संपत्ति वर्गीकृत किए जाते हैं।

निवेशित संपत्ति प्रारंभतः संबंधित लेनदेन लागतें और जहाँ उधारी लागतें लागू है अपने लागत पर मापन की जाती है।

निवेशित संपत्तियाँ अपने प्राक्कलित प्रयोज्य सक्रियता के ऊपर सीधी कटौती पद्धति का उपयोग करते हुए मूल्यह्रासित किए जाते हैं।

2.14 वित्तीय लिखत

एक वित्तीय लिखत कोई भी एक संविदा है जो एक निकाय की वित्तीय आस्ति और अन्य निकाय की वित्तीय देयता या साम्या लिखत को उत्पन्न करती है।

वित्तीय आस्तियाँ

2.14.1 आरंभिक निर्धारण एवं मापन

समस्त वित्तीय आस्तियों को प्रारंभतः उचित मूल्य पर, लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर अनभिलेखित वित्तीय आस्तियों के मामले में लेनदेन लागतों जो. वित्तीय आस्तियों के अधिग्रहण से रोप्य है के जोड़ से निर्धारित किए जाते हैं। वित्तीय आतियों के क्रय या विक्रय जिसके लिए बाजार स्थल (नियमित तरीके से व्यवसाय) में विनिमय या अभिसमय द्वारा अधिस्थापित समय-सीमा के भीतर आस्तियों की सुपुर्दगी की आवश्यकता होती है को व्यवसाय तिथि अर्थात् जिस तिथि पर कंपनी आस्ति के क्रय या विक्रय के लिए प्रतिबद्ध है पर निर्धारित किए जाते हैं।

2.14.2 पाश्चिक मापन

पाश्चिक मापन के प्रयोजन से, वित्तीय आस्तियों को चार प्रवर्गों में वर्गीकृत किया जाता हैं :

अ. परिशोधित लागत पर कर्ज लिखतें

आ. अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर कर्ज लिखतें

इ. लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर कर्ज लिखतें, व्युत्पन्नी और साम्या लिखतें

ई. अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर साम्या लिखतों को मापन किए गए।

2.14.2.1 परिशोधित लागत पर ऋण लिखत

एक 'कर्ज लिखत' को परिशोधित लागत पर मापन किया जाता हैं यदि निम्नलिखित दोनों दशाएँ पूर्ण होती हैं:

अ. आस्ति को एक कारबार प्रतिरूप में धारित किया जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह के संग्रहण के लिए आस्तियों को धारण करना है, और

आ. आस्ति के संविदात्मक निबंधनें नकदी प्रवाह को विनिर्दिष्ट तिथियों पर उत्पन्न करती है जिसके मूलधन और ब्याज का संदाय (एसपीपीआई) केवल बकाया मूलधन पर होता है।

प्रारम्भिक मापन के पश्चात्, ऐसे वित्तीय आस्तियाँ तत्पश्चात प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करते हुए परिशोधित लागत पर मापन किया जाता हैं। अधिग्रहण पर किसी तरह के बट्टे या प्रीमियम और शुल्कें या लागतें जो प्रभावी ब्याज दर का अनिवार्य भाग होता है को ध्यान में रखते हुए परिशोधित लागत को संगणित किया जाता है। लाभ या हानि में वित्त आय में प्रभावी ब्याज दर परिशोधन समाविष्ट किया जाता है। क्षति से उद्भूत हानियों को लाभ या हानि में निर्धारित किए जाते हैं।

2.14.2.2 एफवीटीओसीआई पर कर्ज लिखत

एफवीटीओसीआई पर यथा एक 'कर्ज लिखत' वर्गीकृत किया जाता है यदि निम्नलिखित दोनों मानदंड पूरे होते हैं

अ. कारबार प्रतिरूप का उद्देश्य दोनों संविदात्मक नकदी प्रवाह को संगृहीत करने और वित्तीय आस्तियों को विक्रेय के द्वारा प्राप्त किया जाता है, और

आ. आस्ति का संविदात्मक नकदी प्रवाह एसपीपीआई को व्यपदिष्ट करता है।

एफवीटीओसीआई प्रवर्ग में समाविष्ट कर्ज लिखतें प्रारंभतः के साथ-साथ प्रत्येक प्रतिवेदित पर उचित मूल्य पर मापन किए जाते है। उचित मूल्य संचलन अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में निर्धारित किए जाते हैं। यद्यपि, कंपनी लाभ व हानि विवरणी में ब्याज आय, क्षति हानि व उत्क्रमण और विदेशी विनिमय अभिलाभ या हानि को निर्धारित करती है। आस्ति के अनिर्धारण पर, ओसीआई में पूर्व निर्धारित संचयी अभिलाभ या हानि को साम्या से लाभ व हानि विवरणी में पुनःवर्गीकृत किए जाते हैं। एफवीटीओसीआई कर्ज लिखत धारण करने के दौरान अर्जित ब्याज को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करते हुए यथा ब्याज आय ज्ञापित किया जाता है।

2.14.2.3 एफवीटीपीएल पर कर्ज लिखत

एफवीटीपीएल कर्ज लिखतों के लिए एक अवशिष्ट प्रवर्ग है। किसी कर्ज लिखत, जो यथा परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई पर यथा प्रवर्गीकरण के लिए मानदंडों को पूर्ण नहीं करता है, को यथा एफवीटीपीएल वर्गीकृत किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी एफवीटीपीएल पर यथा कर्ज लिखत, जो अन्यथा परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई मानदंड पूर्ण करती है को अभिहित करने का चयन कर सकती है। तथापि ऐसे चयन केवल तभी अनुज्ञात किए जाते हैं जब ऐसा करने से मापन या अवधारण असंगति (लेखांकन असंतुलन के रूप में संदर्भित) कम होता है या दूर होता है। कंपनी ने किसी कर्ज लिखतों को यथा एफवीटीपीएल अभिहित नहीं किया है।

एफवीटीपीएल प्रवर्ग में समाविष्ट कर्ज लिखतों को लाभ-हानि में निर्धारित समस्त परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापन किए जाते हैं।

2.14.2.4 अनुषंगियों, सह एवं संयुक्त उद्यमों में साम्या निवेश

भारतीय लेखांकन मानक 101 के अनुसार (भारतीय लेखांकन मानक का प्रथमतः अंगीकरण), पूर्व जीएएपी (सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत) के अनुसार इन निवेशों के वहनीय राशि यथा पारगमन की तिथि पर समझी गई लागत माना जाता है। तत्पश्चात अनुषंगियों, सह-सदस्यों और संयुक्त उद्यमों में निवेश लागत पर मापन किए जाते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणी के मामले में, भारतीय लेखांकन मानक 28 के 10वें पारा में यथा विहित साम्या विधि के अनुसार सह-सदस्यों और संयुक्त उद्यमों में साम्या निवेश लेखांकित किए जाते हैं।

2.14.2.5 अन्य साम्या निवेश

भारतीय लेखांकन मानक 109 की व्याप्ति में समस्त अन्य साम्या निवेश लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर मापित किए जाते हैं।

समस्त अन्य साम्या लिखतों के लिए, कंपनी अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत करने के लिए उचित मूल्य में पश्चात्वर्ती परिवर्तनों के लिए एक अप्रतिसंहरणीय चयन कर सकती है। कंपनी इस तरह के चयन लिखत दर लिखत के आधार पर करती है। प्रारम्भिक निर्धारण पर वर्गीकरण किया जाता है और अप्रतिसंहरनीय है।

यदि कंपनी एफवीटीओसीआई को यथा एक साम्या लिखत वर्गीकरण का निर्णय लेती है, तब लिखत में परिवर्तित समस्त उचित मूल्य, लाभांशों के सिवा, अन्य व्यापक आय में निर्धारित किए जाते हैं। निवेश की विक्रय पर भी अन्य व्यापक आय से लाभ-हानि विवरणी तक की राशि का पुनर्चक्रण नहीं होता है। तदापि, कंपनी साम्या के अंदर संचयी अभिलाभ या हानि को अंतरित कर सकती है।

एफवीटीपीएल प्रवर्ग के अंतर्गत समाविष्ट साम्या लिखतें लाभ-हानि विवरणी में निर्धारित समस्त परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापित किए जाते हैं।

2.14.2.6 अनिर्धारण

एक वित्तीय आस्ति (या, जहाँ प्रयोज्य है, वित्तीय आस्ति का एक भाग या समरूप वित्तीय आस्तियों का एक समूह) को प्रधानतः अनिर्धारित किए जाते हैं (अर्थात तुलन पत्र से हटा दिया जाता है) जब :

अ. आस्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने का अधिकार समाप्त हो चुका हो, या

आ. कंपनी ने आस्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने का अधिकार हस्तांतरित कर दिया है या 'पास-थ्रू' व्यवस्था के अधीन किसी तीसरे पक्षकार को तात्त्विक विलम्ब के बिना प्राप्त नकदी प्रवाह का पूर्णतः संदाय करने का दायित्व ग्रहण किया हो; और या तो (क) कंपनी ने आस्ति के समस्त जोखिमों और पारिश्रमिकों का सारतः हस्तांतरण किया हो, या (ख) कंपनी ने आस्ति के समस्त जोखिमों और पारिश्रमिकों का सारतः न तो हस्तांतरित किया हो न ही प्रतिधारित किया हो, बल्कि आस्ति के नियंत्रण को हस्तांतरित किया हो।

जब कंपनी किसी आस्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने का अधिकार हस्तांतरित कर दिया है या पास-थ्रू व्यवस्था में प्रवेश किया है तो यह मूल्यांकन करती है कि क्या और किस विस्तार तक उसने स्वामित्व के जोखिमों और पारिश्रमिकों को प्रतिधारित किया है। जब इसने आस्ति के जोखिमों और पारिश्रमिकों को सारतः न तो हस्तांतरित किया है और न ही प्रतिधारित किया है, न ही आस्ति का नियंत्रण हस्तांतरित किया है कंपनी कंपनी की सतत सहभागिता के विस्तार तक हस्तांतरित आस्ति को निर्धारण करना जारी रखती है। उस मामले में, कंपनी संबद्ध देयता का भी निर्धारण करती है। हस्तांतरित आस्ति और संबंधित देयता उस आधार पर मापित किए जाते हैं जो अधिकारों और दायित्वों जिसे कंपनी ने प्रतिधारित किया है को परावर्तित करता है। सतत सहभागिता जो हस्तांतरित आस्ति के ऊपर प्रत्याभूति का रूप लेती है आस्ति के मूल वहनीय राशि के निम्नतर पर मापन किया जाता है और प्रतिफल की अधिकतम राशि जिसे कंपनी को संदाय करने की आवश्यकता हो सकती है।

2.14.2.7 वित्तीय आस्तियों की क्षति (उचित मूल्य के बिना)

भारतीय लेखांकन मानक 109 के अनुसार, कंपनी निम्नलिखित वित्तीय आस्तियों और साख जोखिम एक्सपोजर पर क्षति हानि के मापन और निर्धारण के लिए प्रत्याशित साख हानि (ईसीएल) प्रतिरूप को लागू करती है :

अ) वित्तीय आस्तियाँ जो कर्ज लिखतें हैं, और परिशोधित लागत अर्थात ऋणें, कर्ज प्रतिभूतियों, जमाराशियों, व्यवसाय प्राप्तियों और बैंक में अतिशेष पर मापन किए जाते हैं

आ) वित्तीय आस्तियाँ जो कर्ज लिखतें हैं और एफवीटीओसीआई पर मापन किए जाते हैं

इ) लेखांकन मानक 116 के अधीन पट्टा प्राप्तियाँ

ई) व्यवसाय प्राप्तियाँ या नकदी या अन्य वित्तीय आस्ति प्राप्त करने के लिए कोई संविदात्मक अधिकार जो लेनदेनों के परिणाम है और भारतीय लेखांकन मानक 115 की व्याप्ति के अंतर्गत है

कंपनी क्षति हानि भत्ता के निर्धारण के लिए अधोलिखित पर 'सरलीकृत उपागम' का अनुसरण करती है :

अ) व्यवसाय प्राप्तियाँ या संविदा राजस्व प्राप्तियाँ; और

आ) भारतीय लेखांकन मानक 116 के विस्तार के अंतर्गत लेनदेनों के परिणामतः समस्त पट्टा प्राप्तियाँ।

सरलीकृत उपागम का अभ्यावेदन के लिए कंपनी को साख जोखिम में परिवर्तनों पर नजर रखने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बजाय, यह प्रत्येक प्रतिवेदित तिथि पर, इसकी प्रारंभिक निर्धारण से ही, आजीवन प्रत्याशित साख हानियों (ईसीएल) के आधार पर क्षति हानि भत्ता को निर्धारित करती है।

2.14.3 वित्तीय देयताएँ

2.14.3.1 आरंभिक निर्धारण एवं मापन

कंपनी की वित्तीय देयताएँ बैंक ओवरड्राफ्ट सहित व्यवसाय एवं अन्य देय राशियों, ऋणों और उधारों को समाविष्ट करती हैं।
समस्त वित्तीय देयताएँ प्रारंभतः उचित मूल्य पर और ऋणों एवं उधारों तथा देय राशियों के मामले में प्रत्यक्षतः रोप्य लेनदेन लागतों पर निर्धारित किए जाते हैं।

2.14.3.2 पाश्चिक मापन

वित्तीय देयताओं का मापन उनके वर्गीकरण, यथा निम्न व्याख्यायित, पर निर्भर करता है :

2.14.3.3 लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएँ

लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएँ व्यवसाय के लिए धारित वित्तीय देयताओं और लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर यथा प्रारम्भिक निर्धारण के ऊपर अभिहित वित्तीय देयताओं को समाविष्ट करती है। वित्तीय देयताओं को यथा व्यवसाय के लिए धारित वर्गीकृत किए जाते हैं यदि वे निकट अवधि में पुनःक्रय के प्रयोजनार्थ उपगत किए जाते हैं। इस प्रवर्ग में कंपनी द्वारा दर्ज किए गए व्युत्पन्नि वित्तीय लिखतें भी सम्मिलित हैं जिन्हें भारतीय लेखांकन मानक 109 द्वारा यथा परिभाषित बचाव संबंधों में बचाव लिखतों के रूप में अभिहित नहीं किया गया है। पृथक-पृथक अंतःस्थापित व्युत्पन्नि को भी यथा व्यवसाय के लिए धारित वर्गीकृत किया जाता है जब तक कि उन्हें यथा प्रभावी बचाव लिखतें अभिहित नहीं किया जाता है।

व्यवसाय के लिए धारित देयताओं पर अभिलाभ या हानियाँ को लाभ या हानि में

लाभ या हानि के जरिए प्रारंभिक निर्धारण में उचित मूल्य पर अभिहित वित्तीय देयताएँ निर्धारण के प्रारंभिक तिथि पर उसी रूप में अभिहित किए जाते हैं, और केवल तभी जब भारतीय लेखांकन मानक 109 में मानदंड तुष्ट होते हैं। एफवीटीपीएल के रूप में अभिहित देयताओं के लिए, अन्य व्यापक आय में अपने साख जोखिमों में परिवर्तन के लिए रोप्य उचित मूल्य अभिलाभ/हानि को निर्धारित किए जाते हैं। लाभ-हानि विवरणी में इन अभिलाभ/हानि को तत्पश्चात अंतरित नहीं किए जाते हैं। तदापि, कंपनी साम्या के अंतर्गत संचयी अभिलाभ/हानि को अंतरित कर सकती है। ऐसे देयताओं के उचित मूल्य में सभी अन्य परिवर्तन को लाभ-हानि विवरणी में निर्धारित किए जाते हैं। कंपनी ने लाभ और हानि के जरिए उचित मूल्य पर यथा किसी वित्तीय देयता को अभिहित नहीं किया है।

2.14.3.4 परिशोधित लागत पर वित्तीय देयाताएँ

प्रारंभिक निर्धारण के पश्चात्, इन्हें बाद में प्रभावी ब्याज दर प्रणाली का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापन किए जाते हैं। अभिलाभ और हानियाँ लाभ या हानि में निर्धारित किए जाते हैं जब देयताओं को अनिर्धारण करने के साथ-साथ प्रभावी ब्याज दर परिशोधन प्रणाली के जरिए किए जाते हैं। परिशोधित लागत की गणना अर्जन पर किसी भी बट्टा या प्रीमियम और फीस या लागत जो प्रभावी ब्याज दर का एक अभिन्न अंग हैं को ध्यान में रखकर की जाती है। प्रभावी ब्याज दर परिशोधन को लाभ-हानि विवरणी में यथा वित्त लागत समाविष्ट किया जाता है। यह प्रवर्ग सामान्यतः उधार पर लागू होती है।

2.14.3.5 अनिर्धारण

एक वित्तीय देयता को अनिर्धारित किया जाता है जब देयता के अधीन दायित्व का उन्मोचन या रद्द किया जाता है या पर्यवसित हो जाता है। जब उसी ऋणदाता से सारतः भिन्न निबंधनों पर एक विद्यमान वित्तीय देयता को अन्य से प्रस्थापित किया जाता है या विद्यमान देयता के निबंधन सारतः उपांतरित किए जाते हैं, ऐसे विनिमय या उपांतरण वास्तविक देयता के अनिर्धारण और नई देयता के निर्धारण की तरह व्यवहृत होते हैं। किसी अन्य पक्षकार को निर्वापित या अंतरित वित्तीय देयता (या वित्तीय देयता के भाग) की वहनीय राशि और कोई अंतरित गैर-नकदी आस्तियों या अवधारित देयताओं को समाविष्ट करते हुए संदत्त प्रतिफल के मध्य के अंतर को लाभ या हानि में निर्धारित किए जाएंगे।

2.14.4 वित्तीय आस्तियों का पुन:वर्गीकरण

कंपनी प्रारम्भिक निर्धारण पर वित्तीय आस्तियों और देयताओं का वर्गीकरण निर्धारित करती है। प्रारम्भिक निर्धारण के पश्चात्, वित्तीय आस्तियाँ जो साम्या लिखतें और वित्तीय देयताएँ हैं के लिए पुनःवर्गीकरण नहीं किया जाता है। वित्तीय आस्तियों के लिए जो ऋण लिखतें हैं, उन आस्तियों के प्रबंधन के लिए कारबार प्रतिरूप में यदि कोई परिवर्तन है तो पुनःवर्गीकरण किया जाता है। कारबार प्रतिरूप में परिवर्तन यदा-कदा होना प्रत्याशित माना जाता है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन कारबार प्रतिरूप में परिवर्तन यथा बाह्य और आंतरिक परिवर्तन के परिणाम जो कंपनी के परिचालनों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं निर्धारित करती है। ऐसे परिवर्तन बाह्य पक्षकारों के लिए सुव्यक्त होते हैं। कारबार प्रतिरूप में परिवर्तन पाया जाता है जब कंपनी कोई गतिविधि जो इसके परिचालनों के लिए महत्वपूर्ण है

के कार्य-निष्पादन को या तो प्रारम्भ करती है या प्रविरत हो जाती है। यदि कंपनी वित्तीय आस्तियों को पुनःवर्गीकृत करती है, यह पुनःवर्गीकरण तिथि जो कारबार प्रतिरूप में परिवर्तन का अनुगामी तत्काल अगले प्रतिवेदित अवधि का प्रथम दिवस है से भविष्यलक्षी रूप से पुनःवर्गीकरण लागू करती है। कंपनी किसी पूर्व निर्धारित अभिलाभों, हानियों (क्षति अतिलाभ या हानियाँ सहित) या ब्याज का पुनःकथन नहीं करती है।

निम्न तालिका नानाविध पुनःवर्गीकरण और उनका हिसाब कैसे लगाया जाता है को दर्शाती है

मूल वर्गीकरण	संशोधित वर्गीकरण	लेखांकन सुविधा
परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	पुनःवर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य पर मापन किया जाता हैं। पूर्व परिशोधित लागत और उचित मूल्य के मध्य का अंतर लाभ-हानि में निर्धारित किया जाता हैं।
एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	पुनःवर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य इसकी नई सकल वहनीय राशि बन जाती है। नई वहनीय राशि के आधार पर प्रभावी ब्याज दर की संगणना की जाती है।
परिशोधित लागत	एफवीटीओसीआई	पुनःवर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य मापन किया जाता है। पूर्व परिशोधित लागत और उचित मूल्य के मध्य का अंतर अन्य व्यापक आय में निर्धारित किया जाता है। पुनः वर्गीकरण के कारण ईआईआर में में कोई परिवर्तन नहीं है।
एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत	पुनःवर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य पर इसकी नई परिशोधित लागत वहनीय राशि बन जाता है। तदापि, अन्य व्यापक आय में संचित अभिलाभ या हानि उचित मूल्य के प्रतिकूल समायोजित किया जाता है। तत्पश्चात, आस्ति को मापित किया जाता है जहाँ तक, यह सदैव परिशोधित लागत पर मापित किया गया हो।
एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	पुनःवर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य इसकी नई वहनीय राशि बन जाती है। किसी अन्य समायोजन की आवश्यकता नहीं है।
एफवीटीओसीआई	एफवीटीपीएल	आस्तियों को उचित मूल्य पर मापन किया जाना जारी है। अन्य व्यापक आय में निर्धारित पूर्व संचयी अभिलाभ या हानि को पुनःवर्गीकरण तिथि पर लाभ-हानि विवरणी में पुनः वर्गीकृत किया जाता है।

2.14.5 वित्तीय लिखत का प्रतितुलन

आस्तियों की प्राप्ति के साथ-साथ देयताओं के निपटान के लिए, वित्तीय आस्तियों एवं वित्तीय देयताओं को समंजन/प्रतितुलन किया जाता है और निवल राशि को समेकित तुलन-पत्र में प्रतिवेदित किया जाता है यदि निर्धारित राशियों को समंजन/प्रतितुलन करने के लिए वर्तमान में प्रवर्तनीय विधिक अधिकार हो और निवल आधार पर निपटान करने का आशय हो।

2.14.6 नकदी एवं नकदी समतुल्य

तुलन पत्र में नकदी एवं नकदी समतुल्य में बैंकों और हाथ में नकदी तथा मूल परिपक्वता के तीन महीने या कम के साथ अल्पावधि जमाराशि, जो मूल्य में परिवर्तन के अमहत्वपूर्ण जोखिमों के अध्यधीन है, समाविष्ट है। नकदी प्रवाह के समेकित विवरणी के प्रयोजन के लिए, नकदी और नकदी समतुल्य में नकदी और अल्पावधि जमाराशियों, यथा उपरि परिभाषित, बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट के निवल क्योंकि उन्हें कंपनी के नकदी प्रबंधन का एक अभिन्न अंग माना जाता है समाविष्ट है।

2.15 उधार लागत

उधार लागत को जैसे ही और जब उपगत होती है व्यय किया जाता है, सिवाय इसके कि जहाँ वे प्रत्यक्षतः अर्हक संपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के लिए रोप्य होते हैं, अर्थात वे आस्तियाँ जो इसके आशयित उपभोग के लिए तैयार रहने के लिए आवश्यक रूप से पर्याप्त समयावधि लेती है, इस मामले में उस तिथि तक जब अर्हक आस्ति इसके आशयित उपभोग के लिए तैयार हो उन आस्तियों के लागत के भाग के रूप में वे पूँजीकृत किए जाते हैं।

2.16 कराधान

आयकर व्यय तत्काल संदाय योग्य कर और आस्थगित कर के योग को दर्शाता है।

वर्तमान कर एक अवधि के लिए कर-योग्य लाभ (कर हानि) की बाबत देय (अप्रतिसंहरणीय) आयकरों की राशि है। करयोग्य लाभ लाभ और हानि विवरणी तथा अन्य व्यापक आय में यथा ज्ञापित “आयकर पूर्व लाभ” से भिन्न होता है क्योंकि यह आय या व्यय के मदों को जो अन्य वर्षों में करयोग्य या कटौतीयोग्य है को अपवर्जित करता है और यह आगे के मदों जो कभी भी करयोग्य या कटौतीयोग्य नहीं है को अपवर्जित करता है। वर्तमान कर के लिए कंपनी की देयता कर को दरों जो प्रतिवेदित अवधि के अंत में अधिनियमित या विशेष्यतः अधिनियमित किया गया है का उपयोग करते हुए संगणित किया जाता है।

आस्थगित कर देयताएँ प्रायः समस्त कर-योग्य अस्थायी अंतर के लिए निर्धारित किए जाते हैं। आस्थगित कर आस्तियाँ प्रायः समस्त कटौती-योग्य अस्थायी अंतर उस विस्तार तक निर्धारित किए जाते हैं कि यह संभाव्य है कि कर-यो लाभ उपलब्ध होगा जिसके सहारे वे कटौतीयोग्य अस्थायी अंतर का उपयोग किए जा सकते हैं। ऐसी आस्तियाँ और देयताएँ निर्धारित नहीं किए जाते हैं यदि लेन-देन में सदिच्छा से या अन्य आस्तियों और देयताओं के प्रारम्भिक निर्धारण (कारबार संयोजन से भिन्न में) से अस्थायी असमानताएँ उद्भूत होती हैं जो ना तो कर-योग्य लाभ को ना ही लेखांकन लाभ को प्रभावित करती है।

आस्थगित कर देयताएँ अनुषंगियों और एसोसिएटों में निवेशों के साथ सहयुक्त कर-योग्य अस्थायी असमानताओं के लिए निर्धारित किए जाते हैं, सिवाय जहाँ कंपनी अस्थायी असमानताओं के उलटाव को नियंत्रित करने के लिए समर्थ है और यह संभाव्य है कि अस्थायी असमानता पूर्वाभासी भविष्य में फिर से उलटाव नहीं होगा। ऐसे निवेशों और ब्याजों से सहयुक्त कटौतीयोग्य अस्थायी अंतरों से उद्भूत हो रहे आस्थगित कर आस्तियाँ केवल उस विस्तार तक निर्धारित किए जाते हैं कि यह संभाव्य है कि पर्याप्त कर-योग्य लाभ होंगे जिसके सहारे अस्थायी अंतरों की प्रसुविधाएँ उपयोग किए जाएँगे।

आस्थगित कर आस्तियों के वहनीय राशि प्रत्येक प्रतिवेदित अवधि के अंत में पुनर्विलोकित किए जाते हैं और उस विस्तार तक अवनत किए जाते हैं कि यह अधिक संभावी नहीं हो कि समस्त या आस्ति के भाग का प्रत्युद्धरण किया जाना है को अनुज्ञात करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा। प्रत्येक प्रतिवेदित अवधि के अंत में उस विस्तार तक अनिर्धारित आस्थगित कर आस्तियाँ पुनर्मूल्यांकित की जाती हैं कि यह संभाव्य हो चुका है कि समस्त या आस्थगित कर आस्ति के भाग का प्रत्युद्धरण किया जाना है को अनुज्ञात करने के लिए पर्याप्त कर-योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

आस्थगित कर आस्तियाँ और देयताएँ कर दरों पर मापित किए जाते हैं जो उस अवधि जिसमें देयता निपटारित या आस्ति प्राप्त किए जाते हैं में संप्रयोजित करने के लिए प्रत्याशित होते हैं, कर दर (और कर विधियों) पर आधारित जो प्रतिवेदित अवधि के अंत तक अधिनियमित या विशेष्यतः अधिनियमित किये गए हैं।

आस्थगित कर देयताओं और आस्तियों के मापन कर परिणामों को परावर्तित करते हैं जो उस रीति से अनुसारित होते हैं जिसमें कंपनी प्रतिवेदित अवधि के अंत में, इसके आस्तियों और देयताओं के वहनीय राशि के प्रत्युद्धरण या निपटान करने की प्रत्याशा करती है।

वर्तमान और आस्थगित कर लाभ या हानि में निर्धारित किए जाते हैं, सिवाय जब वे मदों से संबंधित होते हैं जो केवल अन्य व्यापक आय या प्रत्यक्षतः साम्या में निर्धारित किए जाते हैं, जिन मामलों में, वर्तमान और आस्थगित कर क्रमशः अन्य व्यापक आय या प्रत्यक्ष साम्या में भी निर्धारित किए जाते हैं। जहाँ एक कारबार संयोजन के लिए प्रारंभिक लेखांकन से वर्तमान कर और आस्थगित कर उद्भूत होता है, कारबार संयोजन के लिए लेखांकन में कर प्रभाव समाविष्ट किया जाता है।

2.17 कर्मी प्रसुविधाएँ

2.17.1 अल्पावधि प्रसुविधाएँ

अल्पावधि कर्मी प्रसुविधाएँ कर्मी प्रसुविधाएँ हैं (पर्यवासन से भिन्न) है जो वार्षिक प्रतिवेदित अवधि जिसमें कर्मीगण संबद्ध सेवा प्रदान करते हैं की समाप्ति के पश्चात के 12 माह पूर्व पूर्णतः निपटारित किए जाने की प्रत्याशा हैं।

अवधि जिसमें कर्मियों द्वारा सेवाएँ दी जाती हैं में समस्त अल्पावधि कर्मी प्रसुविधाएँ निर्धारित किए जाते हैं।

2.17.2 नियोजनोपरांत प्रसुविधाएँ एवं अन्य दीर्घावधि कर्मी प्रसुविधाएँ

2.17.2.1 परिभाषित अंशदान योजना

एक परिभाषित अंशदान योजना एक पश्च-नियोजन प्रसुविधा योजना है जिसके अधीन कंपनी एक पृथक निकाय द्वारा अनुरक्षित निधि में नियत अंशदान का संदाय करती है और अगली राशि के संदाय के लिए कंपनी की कोई विधिक या आन्वयिक दायित्व नहीं होगा। परिभाषित अंशदान योजना में अंशदान के लिए दायित्व अवधि जिसके दौरान कर्मीगण द्वारा सेवाएँ प्रदान की जाती हैं में लाभ और हानि विवरणी में यथा कर्मी प्रसुविधा व्यय निर्धारित किए जाते हैं।

2.17.2.2 परिभाषित प्रसुविधाएँ योजना

परिभाषित प्रसुविधा योजना परिभाषित अंशदान योजना से भिन्न एक पश्च-नियोजन प्रसुविधा योजना है। परिभाषित प्रसुविधा योजनाओं की बावत कंपनी का निवल दायित्व आगत प्रसुविधा की राशि के प्राक्कलन द्वारा संगणना की जाती है जिसे कर्मी ने वर्तमान और पूर्वीक अवधि में अपनी सेवा के बदले उपार्जित किया है। प्रसुविधा, यदि कोई हो, इसके वर्तमान मूल्य को अवधारित करने के लिए बट्टाकृत किया जाता है और योजना आस्तियों के उचित मूल्य द्वारा अवनत किया जाता है। बट्टा दर प्रतिवेदित तिथि को यथा भारत के सरकारी प्रतिभूतियों के प्रचलित बाजार प्रतिफल पर आधारित होते हैं जिसकी कंपनी के दायित्वों के निबंधनों सन्निकटक परिपक्वता तिथि होती है और जिसे उसी मुद्रा में जिसमें प्रसुविधाएँ संदत्त किया जाना प्रत्याशित है मूल्यवर्गित किए जाते हैं।

बीमांकिक मूल्यांकन का आवेदन बट्टा दर, आस्तियों पर प्रतिलाभ का प्रत्याशित दर, आगत वेतन वृद्धि, मृत्यु दर आदि के विषय में अवधारणाएँ निर्माण को अंतर्ग्रस्त करता है। इन योजनाओं के दीर्घावधि प्रकृति के कारण, ऐसे प्राक्कलन अनिश्चितताओं के अध्यधीन होते हैं। पूर्वानुमानित इकाई साख पद्धति का उपयोग करते हुए बीमांकक द्वारा प्रत्येक तुलन पत्र में संगणना संपादित किए जाते हैं। जब संगणना से कंपनी के प्रसुविधा को परिणाम आता है, निर्धारित आस्ति योजना से या योजना के लिए आगत अंशदान में कमी से किसी आगत प्रतिदायों के रूप में उपलब्ध आर्थिक प्रसुविधाओं के वर्तमान मूल्य के लिए सीमित की जाती है। कंपनी के लिए आर्थिक प्रसुविधा उपलब्ध होता है यदि यह योजना के कार्यकाल, या योजना देयताओं के निपटारण के दौरान वसूलीयोग्य होता है।

निवल परिभाषित प्रसुविधा देयता का पुनर्मापण, जो योजना आस्तियों पर प्रत्यागम (ब्याज रहित) और आस्ति सीमा (ब्याज रहित, यदि कोई हो) के प्रभावों को विचार करते हुए बीमांकिक लाभ और हानियों को समाविष्ट करता है तत्काल अन्य व्यापक आय में निर्धारित किए जाते हैं। कंपनी अवधि के दौरान निवल परिभाषित प्रसुविधा देयता (आस्ति) में किसी भी परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए यथा अंशदान और प्रसुविधा संदायों के परिणामस्वरूप, उस निवल परिभाषित प्रसुविधा देयता (आस्ति) को वार्षिक अवधि के प्रारंभ में परिभाषित प्रसुविधा देयता (आस्ति) को मापन करने के लिए प्रयुक्त बट्टा दर के संप्रयोजन द्वारा उस अवधि के लिए निवल परिभाषित प्रसुविधा देयता पर निवल ब्याज व्यय (आय) निर्धारित करती है। परिभाषित प्रसुविधा योजनाओं से संबंधित निवल ब्याज व्यय और अन्य व्यय लाभ और हानि में निर्धारित किए जाते हैं।

जब योजना की सुविधाएँ संवर्धित की जाती हैं, कर्मियों द्वारा पूर्व सेवा से संबंधित वृद्धि हुई प्रसुविधाओं के भाग लाभ और हानि विवरणी में तत्काल यथा व्यय निर्धारित किए जाते हैं।

2.17.3 अन्य दीर्घावधि कर्मी प्रसुविधाएँ

अल्पावधि कर्मी प्रसुविधाओं, पश्च-नियोजन प्रसुविधाओं एवं पर्यवसान प्रसुविधाओं से भिन्न समस्त कर्मी प्रसुविधाएँ अन्य दीर्घावधि कर्मी प्रसुविधाएँ हैं।

अन्य दीर्घावधि कर्मी प्रसुविधाएँ उन मदों को समाविष्ट करती है जिसकी वार्षिक प्रतिवेदित अवधि की समाप्ति के पश्चात जिसमें कर्मीगण संबंधित सेवाएँ देते हैं के बारह माह पूर्व निपटारित न होने की प्रत्याशा की जाती है।

अन्य दीर्घावधि कर्मी प्रसुविधाओं के लिए, लाभ या हानि विवरणी में निम्नलिखित राशियों का निवल कुल निर्धारित किया गया है :

अ. सेवा लागत

आ. निवल परिभाषित प्रसुविधा देयता (आस्ति) पर निवल ब्याज

इ. निवल परिभाषित प्रसुविधा देयता (आस्ति) का पुनःमापन

2.18 विदेशी मुद्रा

आर्थिक परिवेश की प्रधान मुद्रा होने की वजह से कंपनी की प्रतिवेदित मुद्रा और इसके बहुसंख्य संक्रिया के लिए प्रकार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपये (INR) में है जिसमें यह प्रचलित होती है।

लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करते हुए विदेशी मुद्राओं में लेनदेन को कंपनी की प्रतिवेदित मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। प्रतिवेदित अवधि की समाप्ति पर परादेय विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित मौद्रिक आस्तियों और देयताओं को प्रतिवेदित अवधि की समाप्ति पर यथा प्रचलित विनिमय दरों में परिवर्तित किया जाता है। अवधि के दौरान या पूर्व वित्तीय विवरणियों में मौद्रिक आस्तियों और देयताओं के निपटान से या उस दर से भिन्न दरों जिसपर आरंभिक निर्धारण पर परावर्तित की गई थी पर मौद्रिक आस्तियों और देयताओं के परावर्तित होने से उद्भूत विनिमय अंतरों को अवधि जिसमें वे उद्भूत हुए है में लाभ और हानि विवरणी में निर्धारित किए जाते हैं।

2.19 विपट्टन गतिविधि व्यय या समायोजन

खुली खदान खनन के मामले में, कोयले तक पहुँच तथा इसके निष्कर्षण के लिए खदान अपशिष्ट सामग्रियाँ ("उपरिभार") जो कोयला सीम के शीर्ष पर मृदा और शैल के रूप में होती है को अपसारित करने की आवश्यकता होती है। इस अपशिष्ट हटाव गतिविधि को यथा 'विपट्टन' माना जाता है। खुली खदानों में, कंपनी को खान के सक्रिय प्रयोज्यता / जीवन्तता पर ऐसे व्यय उपगत करना पड़ता है (तकनीकी रूप से अनुमानित)।

अतः, यथा नीति, एक मिलियन टन प्रति वर्ष और उससे अधिक की निर्धारित क्षमता वाले खदानों में, खनन के पश्चात विपट्टन गतिविधि आस्ति और अनुपात -अंतर लेखा में राजस्व को लाया जाता है के लिए सम्यक समायोजन के साथ प्रत्येक खदानों में तकनीकी रूप से मूल्यांकित औसत विपट्टन अनुपात (उपरिभार: कोयला) पर विपट्टन की लागत को भारित किया जाता है

तुलन-पत्र तिथि पर विपट्टन गतिविधि आस्ति एवं अनुपात अंतर के निवल शेष को यथास्थिति अप्रचलित प्रावधानों / अन्य अप्रचलित आस्तियों के मद्द के अधीन यथा विपट्टन गतिविधि समायोजन दर्शित किया जाता है।

आलेखानुसार उपरिभार की प्रतिवेदित परिमाण को उपरिभार हटाव लेखांकन के लिए अनुपात संगणना में विचार किया जाता है, जहाँ प्रतिवेदित परिमाण और मापित परिमाण के बीच का अंतर अनुज्ञेय सीमा, यथा इसके अधीन वर्णित, के अंदर हो :-

खदान की उपरिभार का वार्षिक परिमाण	अंतर की अनुज्ञेय सीमा (%)
1 मि. घनमीटर से कम	+/- 5%
1 से 5 मि. घनमीटर के मध्य	+/- 3%
5 मि. घनमीटर से अधिक	+/- 2%

यद्यपि, जहाँ अंतर अनुज्ञेय सीमाओं यथा उपर्युक्त से अधिक है, मापित परिमाण पर प्रतिफलित किया जाता है।

एक मिलियन टन से कम की निर्धारित क्षमता वाली खानों के मामले में, उक्त नीति उपयोजित नहीं की जाती है और वर्ष के दौरान उपगत विपट्टन गतिविधि की वास्तविक लागत को लाभ और हानि के विवरणी में निर्धारित की जाती है।

2.20 वस्तुसूचियाँ

2.20.1 कोयला स्टॉक

कोयला/कोककारी की वस्तुसूचियाँ कम लागत और निवल वसूलयोग्य मूल्य पर अभिकथित की जाती है। भारित औसत पद्धति का उपयोग करके वस्तुसूचियों के लागतों की संगणना की जाती है। निवल वसूलयोग्य मूल्य वस्तुसूचियों के अनुमानित विक्रय कीमत से सभी अनुमानित पूरण लागतों और विक्रय करने के लिए आवश्यक लागतों को घटाकर व्यपदेशन करता है।

बहीगत कोयला स्टॉक को खाता में विचार किया जाता है जहाँ बहीगत स्टॉक एवं मापित स्टॉक के बीच का अंतर +/- 5% तक है और जहाँ अंतर +/- 5% से अधिक है के मामले में मापित स्टॉक पर विचार किया जाता है। ऐसे स्टॉक निवल वसूलयोग्य मूल्य या लागत जो कम हो पर मूल्यांकित किया जाता है।

कोयला और कोककारी-सूक्ष्मक लागत या निवल वसूलीयोग्य मूल्य के कमतर पर मूल्यांकित और कोयला स्टॉक के अंश के रूप में प्रतिफलित किए जाते हैं। कर्दम (कोककर/अकोककर), वाशारियों का मिडलिंग और उपोत्पादों का निवल वसूलीयोग्य मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है और कोयला स्टॉक के अंश के रूप में विचार किया जाता है।

2.20.2 भण्डार एवं उपकरणें

केंद्रीय और क्षेत्रीय भंडारों में भण्डारों एवं उपकरणों (जिसमें खुदरा औजारें भी सम्मिलित है) के स्टॉक को समूल्य भण्डार बही में दर्शित शेष के अनुसार विचार किया जाता है और भारित औसत विधि के आधार पर संगणित लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। कोलियरी/ उप-भण्डारों/ प्रवेधन कैम्पों/ उपभोगित केन्द्रों में पड़े भण्डारों एवं उपकरणों की वस्तुसूची को प्रत्यक्षतः सत्यापित भण्डारों के अनुसार वर्ष की समाप्ति पर विचार किया जाता है और लागत पर मूल्यांकित किया जाता है।

अनुपयोगी, क्षतिग्रस्त और अप्रचलित स्टोरों और पुर्जों के लिए 100% की दर से और 5 वर्षों से अहस्तांतरित स्टोर और पुर्जों के लिए 50% की दर से प्रावधान बनाए गए हैं।

2.20.3 अन्य वस्तु-सूची

चालू कार्य सहित कर्मशालाएँ जाब को लागत पर मूल्यांकित किया जाता है। प्रिंटिंग प्रेस में प्रेस जाब के स्टॉक (चालू कार्य सहित) एवं स्टेशनरी तथा केंद्रीय अस्पताल में दवाओं को लागत पर मूल्यांकित किए जाते हैं।

2.21 प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ एवं आकस्मिक आस्तियाँ

प्रावधानों को निर्धारित किया जाता है जब कंपनी के पास विगत घटना के फलस्वरूप वर्तमान दायित्व (विधिक या रचनात्मक) होता है, और यह अधिसंभाव्य है कि दायित्व के निपटान के लिए आर्थिक प्रसुविधाओं के निर्गमन की आवश्यकता होगी और दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। जहाँ धन का सामयिक मूल्य भौतिक है तब दायित्व के निपटान के लिए प्रत्याशित व्यय के वर्तमान मूल्य पर प्रावधानों को अभिकथित किया जाता है।

प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि पर सभी प्रावधानों का पुनर्विलोकन किए जाते हैं और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमान को दर्शित करने के लिए समायोजित किए जाते हैं। जहाँ यह अधिसंभाव्य नहीं होता है कि आर्थिक प्रसुविधाओं को निर्गमन की आवश्यकता होगी, या राशि को अनुमान स्थिरता से नहीं लगाया जा सकता है तब दायित्व को यथा आकस्मिक देयता प्रकटन किया जाता है, जबतक कि आर्थिक प्रसुविधाओं के निर्गमन की अधिसंभाव्यता दूरस्थ न हो। अधिसंभाव्य दायित्वों, जिसका अस्तित्व एक या अधिक भविष्यत् अनिश्चित घटनाओं जो पूर्णतः कंपनी के नियंत्रण में न हो के घटित या अघटित होने के द्वारा केवल सुनिश्चित किया जाएगा, उसे यथा आकस्मिक देयताएँ भी प्रकटन किया जाता है जब तक कि आर्थिक प्रसुविधाओं का निर्गमन की अधिसंभाव्यता दूरस्थ न हो।

वित्तीय विवरणी में आकस्मिक आस्तियों को निर्धारित नहीं किया जाता है। तथापि, जब आय की वसूली अर्थतः निश्चित होती है तब संबद्ध आस्ति एक आकस्मिक आस्ति नहीं होती है और इसका निर्धारण समुचित होती है।

2.22 अर्जन प्रति शेयर

प्रति शेयर मूल अर्जन अवधि के दौरान बकाया साम्या शेयर के भारित औसत संख्या को करोपरांत निवल लाभ से विभाजित कर संगणना की जाती है। प्रति शेयर तनुकृत अर्जन को मूल अर्जन प्रति शेयर को व्युत्पन्नित करने और भी साम्या शेयरों की भारित औसत संख्या जो समस्त तनुकृत रूपक संभाव्य साम्या शेयरों के रूपांतरण के लिए निर्गत किए गए हैं से प्रतिफलित साम्या शेयरों की भारित औसत संख्या को करोपरांत लाभ से विभाजित कर संगणना की जाती है।

2.23 निर्णय, प्राक्कलन एवं ग्रहण

भारतीय लेखांकन मानक के साथ अनुरूपता में वित्तीय विवरणी की निर्मिति में प्रबंधन को प्राक्कलनों, निर्णयों और ग्रहणों जो आस्तियों एवं देयताओं के लेखांकन नीतियों एवं प्रतिवेदित राशियों के अनुप्रयोग, वित्तीय विवरणी की तिथि पर आकस्मिक आस्तियों एवं देयताओं का प्रकटीकरण तथा प्रतिवेदित अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की राशि को प्रभावित करती है के निर्माण करने की आवश्यकता होती है। जटिल और विषयपरक निर्णयों वाले लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग और इन वित्तीय विवरणों में ग्रहणों के उपयोग का प्रकटन किया गया है। लेखांकन प्राक्कलनें समय-समय पर परिवर्तित हो सकते हैं। वास्तविक परिणाम प्राक्कलनों से भिन्न हो सकते हैं। प्राक्कलनों और अंतर्निहित ग्रहणों का पुनर्विलोकन सतत आधार पर किया जाता है। अवधि जिसमें प्राक्कलन परिशोधित किए जाते है में लेखांकन प्राक्कलनों के लिए परिशोधनों को निर्धारित किए जाते हैं और, यदि तात्विक हो, इनके प्रभावों को वित्तीय विवरणियों के टिप्पणियों में प्रकटन किए जाते हैं।

2.23.1 निर्णय

कंपनी के लेखांकन नीतियों के संप्रयोजन की प्रक्रिया में, प्रबंधन ने निम्नलिखित निर्णय लिए है जिनका वित्तीय विवरणी में निर्धारित राशियों पर अति विशिष्ट प्रभाव है।

2.23.1.1 लेखांकन नीतियों का निरूपण

लेखांकन नीतियाँ इस तरीके से विनिर्मित की जाती है कि, जिसके परिणामस्वरूप लेनदेनों, अन्य घटनाओं और दशाओं के बारे में सुसंगत और विश्वसनीय संसूचना से युक्त वित्तीय विवरणी में परिणाम होता है जिन पर वे संप्रयोजित होते हैं। उन नीतियों को संप्रयोजित करने की आवश्यकता नहीं है जब उन्हें संप्रयोजन करने का प्रभाव महत्वहीन हो।

भारतीय लेखांकन नीति की अनुपस्थिति में जो विनिर्दिष्टतः किसी लेनदेनों, अन्य घटनाओं या दशाओं के लिए संप्रयोजित होती है, प्रबंधन ने लेखांकन नीति के विकास और संप्रयोजन में अपना निर्णय प्रयोग किया है जो संसूचनाओं में यथा परिणाम देता है :

प्रयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय-निर्माण जरूरतों के लिए सुसंगत और उस वित्तीय विवरणी में विश्वसनीय होता है :

(i) कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह को निष्ठापूर्वक व्यपदिष्ट करता है; (ii) लेनदेनों, अन्य दशाओं और घटनाओं के आर्थिक उपादान को परावर्तीत करती है और केवल विधिक रूप को नहीं; (iii) तटस्थ रहता है, अर्थात् पूर्वाग्रह से मुक्त; (iv) प्रबुद्ध होता है और (v) अविरूद्ध आधार पर समस्त तात्विक विषयों में पूर्ण होते हैं।

निर्णय निर्माण में, प्रबंधन अवरोही क्रम में निम्नलिखित स्रोतों की संप्रयोज्यताओं को निदिर्ष्ट और विचार करती है :

अ. एक समान और संबंधित विवाद्यकों की कार्यवाही में भारतीय लेखांकन मानकों की आवश्यकताएँ।

आ. रूपरेखा में आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय के लिए परिभाषाएँ, निर्धारण मानदंड और मापन संकल्पना।

निर्णय निर्माण में, प्रबंधन अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड की हाल की घोषणा को प्रतिफलित करती है और इसके अनुपस्थिति में उन अन्य मानक-समायोजक निकायों के जो उस विस्तार तक लेखांकन मानकों, अन्य लेखांकन साहित्य और स्वीकृत उद्यम प्रथाओं को विकसित करने के लिए समरूप संकल्पित रूपरेखा का प्रयोग करते हैं जो उपर्युक्त पैरा में स्रोतों के साथ संघर्ष नहीं करते हो।

कंपनी खनन सेक्टर में संचालन करती है (जहाँ गवेषण, मूल्यांकन, विकास उत्पादन चरणें दशकों से चालू अवधि वाले पट्टा में विस्तृत विविधि स्थलाकृति और भूखननीय भूभाग पर आधारित हैं), विगत कई दशकों से इसके अविरुद्ध अनुप्रयोगों के ऋणी होते हुए अनुसंधान समितियों द्वारा आलंबित एवं विभिन्न विनियामकों द्वारा अनुमोदित लेखांकन नीतियों जिसका विशिष्ट उद्दयम प्रथाओं पर आधारित होता है को विकसित किया गया है। कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में विशिष्ट लेखांकन साहित्य, मार्गदर्शन, और मानकों की अनुपस्थिति में जो उत्क्रमण की प्रक्रिया में हैं। कंपनी लेखांकन साहित्य के विकास के क्रम में लेखांकन नीतियों को विकसित करने का प्रयास जारी रखती है और उसमें किसी भी विकास को विशेष रूप से भारतीय लेखांकन मानक 8 में ऊपर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भूतलक्षी प्रभाव से हिसाब लगाया जाएगा।

वित्तीय विवरणियों को लेखांकन के उपचय आधार का प्रयोग करते हुए चालू समुत्थान आधार पर तैयार किए जाते हैं।

2.23.1.2 तात्विक्ता

भारतीय लेखांकन मानक मदों के लिए जो तात्विक है को संप्रयोजित करता है। प्रबंधन निर्णय का उपयोग यह विनिश्चित करने में करता है कि क्या व्यष्टि मद या मदों के समूह वित्तीय विवरणों में तात्विक हैं। मद की प्रकृति या महता या दोनों के संदर्भ द्वारा तात्विक्ता को परखा जाता है। विनिश्चयन कारक यह है कि क्या किसी संसूचना को लोप या मिथ्या कथन या अस्पष्ट करना वैयक्तिक रूप से या अन्य संसूचना के संयोजन में उन निर्णयों जो प्राथमिक उपभोक्ताएँ वित्तीय विवरणी के आधार पर पर निर्मित करते हैं को संयुक्त रूप से प्रभावित कर सकता है। भारतीय लेखांकन मानक के आवश्यकता अनुरूप अवधारित करने के लिए प्रबंधन तात्विक्ता के निर्णय का भी प्रयोग करती है। इसके अतिरिक्त, कंपनी को विधि द्वारा आवश्यक होने पर पृथक्तः अतात्विक मदों को प्रस्तुत करने की भी आवश्यकता हो सकती है।

01.04.2019 से प्रभावी पूर्व अवधियों से संबंधित वर्तमान वर्ष में खोजी गईं भूलें/चूकें यथा अतात्विक माने जाते हैं और वर्तमान वर्ष में समायोजित किए जाते हैं, यदि कंपनी के अंतिम लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणी के अनुसार कुल मिलाकर समस्त ऐसी भूलें और चूकें परिचालन से कुल राजस्व के 1% से अधिक नहीं होती हो।

2.23.2 प्राक्कलन एवं ग्रहण

प्रतिवेदित तिथि पर प्राक्कलन अनिश्चितता के आगत और अन्य प्रमुख स्रोतों के मद्धे प्रमुख ग्रहणों, जिसमें आगामी वित्तीय वर्ष में आस्तियों और देयताओं के वहनीय राशि के वास्तविक समायोजन के कारण एक विशिष्ट जोखिम है, नीचे वर्णित है। जब समेकित वित्तीय विवरणी की विनिर्मिति किए जाते थे तब कंपनी ने उपलब्ध मापदण्डों पर अपने ग्रहणों और प्राक्कलनों को आधारित किया। आगत विकास को लेकर विदद्यमान परिस्थितियों और ग्रहणों, यद्यपि बाजार परिवर्तनों या उद्भूत परिस्थितियों, जो कंपनी के नियंत्रण से बाहर होते हैं, के कारण परिवर्तित हो सकते हैं। ऐसे परिवर्तन जब वे घटित होते हैं ग्रहणों में परावर्तित होते हैं।

2.23.2.1 गैर-वित्तीय आस्तियों की क्षति

हानि का एक उपदर्शन है यदि, किसी आस्ति या नकदी जनन इकाई का वहनीय मूल्य उसकी प्रत्युद्धरणीय राशि से अधिक है, जो कि इसके उचित मूल्य से अधिक है, निपटान की लागत और उपयोग में इसके मूल्य से अधिक है। कंपनी हानि के परीक्षण के प्रयोजन के लिए व्यष्टि खानों को यथा पृथक नकदी जनन इकाइयाँ प्रतिफलित करती है। संगणना में प्रयुक्त मूल्य एक डीसीएफ प्रतिरूप पर आधारित है। नकदी प्रवाह अगले पांच वर्षों के लिए बजट से लिया गया है और इसमें पुनर्गठन गतिविधियों को सम्मिलित नहीं किया गया है जिसके लिए कंपनी अभी तक प्रतिबद्ध नहीं है या महत्वपूर्ण भविष्य के निवेश जो परीक्षण किए जा रहे सीजीयू के आस्ति के प्रदर्शन को बढ़ाएंगे। प्रत्युद्धरणीय राशि डीसीएफ मॉडल के लिए प्रयुक्त बट्टा दर के साथ-साथ बहिर्वेशन के प्रयोजनार्थ प्रयुक्त प्रत्याशित भावी नकदी-अंतर्वाह और वृद्धि दर के प्रति संवेदनशील है। ये अनुमान अन्य खनन अवसंरचना के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक हैं। भिन्न-भिन्न सीजीयू के लिए प्रत्युद्धरणीय राशि अवधारित करने के लिए प्रयुक्त प्रमुख ग्रहणों का प्रकटन किया गया है और आगे संबंधित टिप्पणियों में व्याख्या किया गया है।

2.23.2.2 कर

आस्थगित कर आस्तियों को अप्रयुक्त कर हानियों के लिए इस विस्तार तक निर्धारित की जाती है कि यह अधिसंभाव्य है कि कर-योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध हानियों की उपयोगिता सिद्धि की जा सकती है। संभावित समय और भविष्य के कर-योग्य लाभ के स्तर के साथ-साथ भविष्य की कर योजना रणनीतियों के आधार पर, आस्थगित कर आस्तियों की राशि निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता होती है।

2.23.2.3 परिभाषित प्रसुविधा योजनाएँ

परिभाषित प्रसुविधा योजना और अन्य पश्च-नियोजन चिकित्सा प्रसुविधाओं की लागत और दायित्वों का वर्तमान मूल्य बीमांकिक मूल्यांकन का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। एक बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न ग्रहणों को सृजित करना सम्मिलित है जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती हैं। इनमें बट्टा दर, भविष्यत् वेतन वृद्धि और मृत्यु दर के निर्धारण सम्मिलित हैं।

मूल्यांकन और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति में सम्मिलित जटिलताओं के कारण, एक परिभाषित प्रसुविधा दायित्व इन ग्रहणों में परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। प्रत्येक प्रतिवेदित तिथि पर सभी ग्रहणों की समीक्षा की जाती है। सबसे अधिक परिवर्तन के अध्यधीन मापदंड बट्टा दर है। भारत में परिचालित परियोजनाओं के लिए उचित बट्टा दर का निर्धारण करने में, प्रबंधन पश्च-नियोजन प्रसुविधा दायित्व की मुद्राओं के अनुरूप मुद्राओं में सरकारी बॉडों की ब्याज दरों को प्रतिफलित करती है।

मृत्यु दर देश की सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मृत्यु दर तालिकाओं पर आधारित है। जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के प्रत्युत्तर में अंतराल पर ही उन मृत्यु दर तालिकाओं में परिवर्तन होता है।

2.23.2.4 वित्तीय लिखत का उचित मूल्य मापन

जब तुलन पत्र में अभिलेखित वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देयताओं के सक्रिय बाज़ारों में उद्धृत कीमतों के आधार पर उचित मूल्य मापित नहीं किए जा सकते हैं, डीसीएफ प्रतिरूप को समाविष्ट करते हुए सामान्यतः स्वीकृत मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग करते हुए उनके उचित मूल्य मापन किया जाता है। जहाँ संभव हो संप्रक्षेण योग्य बाज़ारों से इन प्रतिरूपों की निविष्टियाँ ली जाती हैं, लेकिन जहाँ यह साध्य नहीं है, उचित मूल्यों के स्थापन में निर्णय की प्रास्थिति की आवश्यकता होती है। निर्णयों में निविष्टियों के प्रतिफलों जैसे कि चलनिधि जोखिम, साख जोखिम, अस्थिरता और अन्य सुसंगत निविष्टि/प्रतिफलों को समाविष्ट करती है। इन कारकों के बारे में ग्रहणों और प्राक्कलनों में परिवर्तनें वित्तीय लिखतों के प्रतिवेदित उचित मूल्य को प्रभावित करती है।

2.23.2.5 विकास के अधीन अमूर्त आस्ति

कंपनी लेखांकन नीति के अनुसार परियोजना के लिए विकास के अधीन अमूर्त आस्ति को पूँजीकृत करती है। लागतों का प्रारम्भिक पूँजीकरण प्रबंधन के निर्णयों पर आधारित होता है जिसका तकनीकी और आर्थिक साध्यता पुष्ट किया जाता है, प्रायः तब जब एक परियोजना प्रतिवेदन विनिर्मित और अनुमोदित की जाती है।

2.23.2.6 खान संवरण, स्थल पुनरुद्धार एवं अप्रवर्तन दायित्व के लिए प्रावधान

खान संवरण, स्थल पुनरुद्धार एवं अप्रवर्तन दायित्व के लिए उपबंध के उचित मूल्य के निर्धारित करने में, ब्याज दरों, स्थल पुनरुद्धार एवं निराकरण के प्रत्याशित लागत और उन लागतों के प्रत्याशित समय के संबंध में ग्रहणों और प्राक्कलनों को सृजित किए जाते हैं। कंपनी निम्न पर आधारित परियोजना/ खदान के कार्यकाल को विचार करते हुए डीसीएफ़ पद्धति का प्रयोग कर उपबंधों को प्राक्कलित करती है।

i. कोयला मंत्रालय द्वारा निर्गत दिशानिर्देशों में यथा विनिर्दिष्ट प्रति हेक्टेयर प्राक्कलित लागत,

ii. भारत सरकार

iii. बट्टा दर (पूर्व कर दर) जो मुद्रा का सामयिक मूल्य और देयता के विशिष्ट जोखिमों के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को परावर्तित करता है।

2.24 प्रयुक्त संक्षेपाक्षर

अ.	सीजीयू	नकदी जनन इकाई
आ.	डीसीएफ	बट्टागत नकदी प्रवाह
इ.	एफवीटीओसीआई	अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य
ई.	एफवीटीपीएल	लाभ और हानि के जरिए उचित मूल्य
उ.	जीएएपी	सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत
ऊ.	भा. ले. मा.	भारतीय लेखांकन मानक
ऋ.	ओसीआई	अन्य व्यापक आय
ए.	पी&एल	लाभ और हानि
ऐ.	पीपीई	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर
ओ.	एसपीपीआई	मूल और ब्याज
औ.	इआईआर	प्रभावी ब्याज दर

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी...)

टिप्पणी 3 संपत्ति, खरीद और उपस्कर

(₹ करोड़ में)

	पूर्ण-स्वामित्व वाली भूमि	अन्य भूमि	भवन (जलापूर्ति, सड़क एवं नाला)	संयंत्र एवं उपस्कर	दूर-संचार	रेलवे पार्श्वस्थल	भूमि उद्धार/ स्थल प्रत्यावर्तन लागत	फर्नीचर एवं जुड़नार	कार्यालयीन उपकरण	वाहन	वायुयान	अन्य खनन अवसंरचना	अन्य	सर्वे-ऑफ आस्तियाँ	कुल
वहनीय राशि :															
01-04-2020 को यथा	267.68	867.06	574.04	1,758.98	23.15	40.30	356.19	189.37	35.43	2.79	-	802.04	2.55	5.17	**4,924.75**
परिवर्धन	77.13	321.27	76.89	115.25	0.90	142.26	15.82	31.67	1.68	-	-	129.09	-	0.43	**912.39**
अपमार्जन/समायोजन	0.74	-	(0.01)	(14.29)	-	-	-	0.11	(0.69)	-	-	(8.84)	-	(0.03)	**(23.01)**
31-03-2021 को यथा	**345.55**	**1,188.33**	**650.92**	**1,859.94**	**24.05**	**182.56**	**372.01**	**221.15**	**36.42**	**2.79**	-	**922.29**	**2.55**	**5.57**	**5,814.13**
01-04-2021 को यथा	345.55	1,188.33	650.92	1,859.94	24.05	182.56	372.01	221.15	36.42	2.79	-	922.29	2.55	5.57	**5,814.13**
परिवर्धन	95.33	271.73	54.13	805.06	2.40	4.61	48.83	2.29	8.37	0.31	-	79.82	0.16	-	**1,373.04**
अपमार्जन/समायोजन	(5.66)	6.97	8.82	90.37	(1.67)	1.55	(2.27)	(112.11)	1.62	(0.01)	-	8.09	-	-	**(4.30)**
31-03-2022 को यथा	**435.22**	**1,467.03**	**713.87**	**2,755.37**	**24.78**	**188.72**	**418.57**	**111.33**	**46.41**	**3.09**	**-**	**1,010.20**	**2.71**	**5.57**	**7,182.87**
संचित मूल्यह्रास एवं क्षति															
01-04-2020 को यथा	-	264.97	142.84	754.58	12.55	9.11	170.22	67.19	11.27	1.21	-	314.29	2.53	5.17	**1,755.93**
वर्ष के लिए प्रभार	-	86.63	36.98	194.77	2.80	3.07	35.48	20.18	5.35	0.24	-	64.78	-	-	**450.28**
क्षति (निवल)	-	-	-	0.78	-	-	-	-	-	-	-	29.04	-	0.43	**30.25**
अपमार्जन/समायोजन	-	-	0.04	(3.39)	-	-	-	0.12	(0.64)	-	-	9.03	-	(0.03)	**5.13**
31-03-2021 को यथा	**-**	**351.60**	**179.86**	**946.74**	**15.35**	**12.18**	**205.70**	**87.49**	**15.98**	**1.45**	**-**	**417.14**	**2.53**	**5.57**	**2,241.59**
01-04-2021 को यथा	-	351.60	179.86	946.74	15.35	12.18	205.70	87.49	15.98	1.45	-	417.14	2.53	5.57	**2,241.59**
वर्ष के लिए प्रभार	-	93.61	38.26	240.19	2.55	11.76	34.22	3.39	4.56	0.18	-	56.83	-	-	**485.55**
क्षति (निवल)	-	-	-	1.06	-	-	-	-	-	-	-	39.38	-	-	**40.44**
अपमार्जन/समायोजन	-	-	(0.63)	15.08	(2.11)	-	(2.57)	(10.28)	3.02	(0.13)	-	1.61	-	-	**3.99**
31-03-2022 को यथा	**-**	**445.21**	**217.49**	**1,203.07**	**15.79**	**23.94**	**237.35**	**80.60**	**23.56**	**1.50**	**-**	**514.96**	**2.53**	**5.57**	**2,771.57**
निवल वहनीय राशि															

टिप्पणी 3 संपत्ति, खरीद और उपस्कर

(₹ करोड़ में)

	पूर्ण-स्वामित्व वाली भूमि	अन्य भूमि	भवन (जलापूर्ति, सड़क एवं नाला)	संयंत्र एवं उपस्कर	दूर-संचार	रेलवे पार्श्वस्थल	भूमि उद्धार/स्थल प्रत्यावर्तन लागत	फर्नीचर एवं जुड़नार	कार्यालयीन उपकरण	वाहन	वायुयान	अन्य खनन अवसंरचना	अन्य	सर्वे-ऑफ आस्तियाँ	कुल
31-03-2022 को यथा	435.22	1,021.82	496.38	1,552.30	8.99	164.78	181.22	30.73	22.85	1.59	-	495.24	0.18	-	4,411.30
31-03-2021 को यथा	345.55	836.73	471.06	913.20	8.70	170.38	166.31	133.66	20.44	1.34	-	505.15	0.02	-	3,572.54

टिप्पणी :

1. स्थावर संपत्तियों का हक विलेख कंपनी के नाम पर नहीं है।

तुलन-पत्र में प्रासंगिक लाइन मद	संपत्ति के मद का विवरण	सकल वहनीय मूल्य	के नाम पर हक विलेख	क्या हक विलेख धारक एक संप्रवर्तक, निदेशक या संप्रवर्तक*/ निदेशक का सगे-संबंधी# या संप्रवर्तक/ निदेशक का कर्मी है?	संपत्ति किस तारीख से धारित है	कंपनी के नाम नहीं होने का कारण
संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर	पूर्ण-स्वामित्व वाली भूमि	2.1	लागू नहीं	नहीं	1992	कोयला खान (राष्ट्रीकरण) अधिनियम, 1973 के अनुसरण में अधिगृहीत भूमि, संबंधित भूमि के लिए पृथकतः हक विलेख की आवश्यकता नहीं है। अधिगृहीत भूमि के लिए सभी अन्य हक विलेखें दखल में हैं और कंपनी के पक्ष में नामांतरित किया गया है सिवाय पूर्णस्वामित्व वाली भूमियों के कतिपय मामलें जहाँ विधिक औपचारिकताएँ लंबित होने के कारण वैसा ही प्रक्रियाधीन है। 720 हेक्टेयर भूमि की बाबत दस्तावेजों/हक विलेखों का संकलन एवं समाधान प्रगति पर है।

2. भूमि – अन्य में कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन और विकास) अधिनियम, 1957 एवं भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के अधीन अधिगृहीत भूमि भी समाविष्ट है।

3. भूमि उद्धार/स्थल प्रत्यावर्तन लागत में मुद्रास्फीति (5% प्रति वर्ष) के लिए विधिवत वृद्धि हुए और तब 8% बट्टा दर में भुनाए गए जो उचित मूल्य पर चालू बाजार दर एवं जोखिम को प्रतिबिम्बित करता है खान समाप्ति के चरण में उपगत अनुमानित लागत समाविष्ट है।

4. कोयला खदान श्रमिक कल्याण संगठन एवं कोयला खान बचाव संगठन से ग्रहण कर लिए गए आस्तियों एवं देयताओं, जिसके लिए कोई परिमाणात्मक ब्यौरे उपलब्ध नहीं है, को उनके मूल्य के अवधारण के लंबित खातों में सम्मिलित नहीं किया गया है। कोयला खदान श्रमिक कल्याण संगठन, कल्ला एवं केन्द्रीय अस्पताल के साथ-साथ 4 अन्य अस्पताल/औषधालयों, खान बचाव केन्द्र, बराकर इंजीनियरिंग एण्ड फाउंड्री वर्क्स की बाबत कंपनी द्वारा हस्तांतरित एवं ग्रहण की गई आस्तियों एवं देयताओं के लिए औपचारिक हस्तातंरण विलेखों/करार अभी अंतिम रूप दिया जाना है और कंपनी के पक्ष में निष्पादित किया जाना है।

5. तकनीकी अनुमान के अनुसार अवधारित प्रयोज्य सक्रियता के आधार पर मूल्यहास को उपबंधित किया गया है।

6. कंपनी क्षति की जाँच के प्रयोजनार्थ व्यष्टि खानों को यथा पृथक नकदी जनन इकाइयाँ समझता है और उसे आगामी पाँच वर्षों के लिए पुर्वानुमानित नकदी प्रवाह को विचार करते हुए डीसीएफ मॉडल पर संगणित किया गया है। 8% बट्टा दर माना गया है। उपरि संगणना पर आधारित, वर्ष के दौरान तथा लाभ और हानि विवरणी में मूल्यहास/परिशोधन शीर्ष के अधीन दर्शित ₹40.44 करोड़ (₹30.25 करोड़) के क्षति राशि को प्रभारित किया गया है एवं कुछ नहीं (एनआईएल) को प्रतिवर्ती किया गया है।"

7. भवन में आवासीय/कार्यालय/खनन क्षेत्रों में अवस्थित सड़क और नाला सम्मिलित है।

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी...)

टिप्पणी 4 : पूँजीगत चालू कार्य

(₹ करोड़ में)

	भवन (जलापूर्ति, सड़क एवं नाला)	संयंत्र एवं उपस्कर	रेलवे पार्श्वस्थल	अन्य खनन अवसंरचना/ विकास	अन्य	कुल
वहनीय राशि :						
01-04-2020 को यथा	40.48	195.68	147.16	88.90	12.77	484.99
परिवर्धन	98.48	235.66	46.43	135.63	14.29	530.49
पूँजीकरण/अपमार्जन	(74.82)	(76.07)	(141.36)	(106.57)	(10.56)	(409.38)
31-03-2021 को यथा	64.14	355.27	52.23	117.96	16.50	606.10
01-04-2021 को यथा	64.14	355.27	52.23	117.96	16.50	606.10
परिवर्धन	48.64	212.60	67.84	101.35	3.45	433.88
पूँजीकरण/अपमार्जन	(40.64)	(507.53)	(4.39)	(57.69)	(4.79)	(615.04)
31-03-2022 को यथा	72.14	60.34	115.68	161.62	15.16	424.94
प्रावधान एवं क्षति						
01-04-2020 को यथा	0.10	(1.22)	(0.90)	13.64	0.06	11.68
वर्ष के लिए प्रभार	-	0.33	-	-	-	0.33
क्षति (निवल)	-	0.35	-	12.55	-	12.90
अपमार्जन/समायोजन	-	2.33	0.90	(9.32)	-	(6.09)
31.03.2021 को यथा	0.10	1.79	-	16.87	0.06	18.82
01.04.2021 को यथा	0.10	1.79	-	16.87	0.06	18.82
वर्ष के लिए प्रभार	-	0.39	-	0.25	-	0.64
क्षति (निवल)	-	(1.06)	-	3.02	-	1.96
अपमार्जन/समायोजन	0.42	1.42	-	1.15	0.02	3.01
31.03.2022 को यथा	0.52	2.54	-	21.29	0.08	24.43
निवल वहनीय राशि						
31.03.2022 को यथा	71.62	57.80	115.68	140.33	15.08	400.51
31.03.2021 को यथा	64.04	353.48	52.23	101.09	16.44	587.28

टिप्पणी :

1. वर्ष के दौरान तथा लाभ और हानि विवरणी में मूल्यह्रास/परिशोधन शीर्ष के अधीन दर्शित ₹1.96 करोड़ (₹12.90 करोड़) के क्षति राशि को प्रभारित किया गया है एवं कुछ नहीं (एनआईएल) को प्रतिवर्ती किया गया है।
2. पूँजीगत चालू कार्य (सीडब्ल्यूआईपी)

(अ) 31-03-2022 को यथा पूँजीगत चालू कार्य के लिए काल प्रभावन अधिसूची : (₹ करोड़ में)

	की अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				
	1 वर्ष के कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
प्रगति में परियोजनाएँ :					
भवन (जलापूर्ति, सड़क एवं नाला)	27.75	15.98	17.99	10.30	72.02
संयंत्र एवं उपस्कर	49.44	4.23	0.36	6.31	60.34
रेलवे पार्श्वस्थल	63.82	7.14	12.06	14.86	97.88
अन्य खनन अवसंरचना/ विकास	55.70	17.97	16.26	71.43	161.36
अन्य	1.57	2.95	0.59	10.05	15.16
कुल (क)	198.28	48.27	47.26	112.95	406.76

अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ :					
भवन (जलापूर्ति, सड़क एवं नाला)					
पाण्डवेश्वर क्षेत्र के अधीन मधाईपुर में उच्च टर्मिनल एवं निम्नतर टर्मिनल उपकेंद्र कक्ष 11 कि.वोल्ट प्रति घंटा का निर्माण	-	-	-	0.02	0.02
पाण्डवेश्वर क्षेत्र के अधीन डालुरबांध में पहुँच आरसीसी सड़क का निर्माण	-	-	-	0.10	0.10
रेलवे पार्श्वस्थल					
श्रीपुर क्षेत्र के अधीन भनोड़ा पार्श्वस्थल में रेलवे पार्श्वस्थल का निर्माण	-	-	-	17.80	17.80
अन्य खनन अवसंरचना/ विकास					
पाण्डवेश्वर क्षेत्र के अधीन खोट्टाडीह भूमिगत खान में सेक्शनल टॉप्पिंग का निर्माण	-	-	-	0.24	0.24
पाण्डवेश्वर क्षेत्र के अधीन पाण्डवेश्वर भूमिगत खान में वापसी सड़क मार्ग के साथ रूफ बोल्टिंग	-	-	-	0.02	0.02
कुल (ख)	-	-	-	18.18	18.18
कुल जोड़ (क + ख)	198.28	48.27	47.26	131.13	424.94

(आ) 31-03-2022 को यथा पूँजीगत चालू कार्य बकाया :

(₹ करोड़ में)

	में पूर्ण किया जाना है				
	1 वर्ष के कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
प्रगति में परियोजनाएँ :					
भवन (जलापूर्ति, सड़क एवं नाला)					
कुनुस्तोड़िया क्षेत्र के अधीन बेलबाद कोलियरी में सिउड़ी सड़क बेलबाद मोड़ जंक्शन से बेलबाद रेवले पार्श्वस्थल एवं सड़क तोलन वेदी तक सिमेंट कंक्रीट सड़क का निर्माण	-	1.31	-	-	1.31
कुनुस्तोड़िया क्षेत्र के अधीन सोनाचोरा खुली खदान परियोजना से परासिया रेलवे क्रॉसिंग तक एक आरसीसी बॉक्स नाला के निर्माण के साथ बिटुमिनस कोयला परिवहन सड़क का निर्माण	-	3.89	-	-	3.89
सोनपुर बजारी परियोजना के अधीन सोनपुर बजारी परियोजना (कुल लंबाई 4800 मीटर) के तहत परिधीय ढुलाई सड़क से नई सीएचपी (2500 मीटर) तथा आईसीएल क्रशर केंद्र से नई सीएचपी (2300 मीटर) तक डब्ल्यूबीएम सड़क का निर्माण	8.86	-	-		8.86
रेलवे पार्श्वस्थल					
कुनुस्तोड़िया क्षेत्र के बांसड़ा रेलवे पार्श्वस्थल में रेलवे पार्श्वस्थल का निर्माण	-	1.07	-	-	1.07
अन्य					
श्रीपुर क्षेत्र के अधीन कालीपहाड़ी में ओवर हेड लाइन का स्थानांतरण	9.98	-	-	-	9.98
सोनपुर बजारी क्षेत्र में 25 मेगावोल्ट प्रति एंपीयर उपकेन्द्र के समीप 5 नम्बर 6.6 किलो वोल्ट फीडर स्थान से परित्यक्त 4 मेगावोल्ट प्रति एंपीयर उपकेन्द्र के जरिए खान घेरा के साथ बांधबोहल ग्राम के समीप एवं शंकरपुर डम्प तक एवं 01 नम्बर 25 मेगावोल्ट प्रति एंपीयर उपकेन्द्र से पथांतरित राष्ट्रीय मार्ग-60 के साथ सेक्टर 3 तक का स्थानांतरण	2.10	-	-	-	2.10
कुल	20.94	6.27	-	-	27.21

(इ) 31-03-2021 को यथा पूँजीगत चालू कार्य के लिए काल प्रभावन अधिसूची : (₹ करोड़ में)

	की अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				
	1 वर्ष के कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
प्रगति में परियोजनाएँ :					
भवन (जलापूर्ति, सड़क एवं नाला)	30.63	22.33	0.48	10.70	64.14
संयंत्र एवं उपस्कर	131.89	44.28	174.60	4.50	355.27
रेलवे पार्श्वस्थल	10.30	7.79	9.90	6.44	34.43
अन्य खनन अवसंरचना/ विकास	29.45	15.36	6.84	66.31	117.96
अन्य	5.72	0.48	10.00	0.30	16.50
कुल (क)	207.99	90.24	201.82	88.25	588.30
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ :					
भवन (जलापूर्ति, सड़क एवं नाला)					
परियोजना का नाम 1	-	-	-	-	-
रेलवे पार्श्वस्थल					
श्रीपुर क्षेत्र के अधीन भनोड़ा पार्श्वस्थल में रेलवे पार्श्वस्थल का निर्माण	-	-	17.80	-	17.80
अन्य खनन अवसंरचना/ विकास					
परियोजना का नाम 1	-	-	-	-	-
कुल (ख)	-	-	17.80	-	17.80
कुल जोड़ (क + ख)	207.99	90.24	219.62	88.25	606.10

(ई) 31-03-2021 को यथा पूँजीगत चालू कार्य बकाया : (₹ करोड़ में)

	में पूर्ण किया जाना है				
	1 वर्ष के कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
प्रगति में परियोजनाएँ :					
भवन (जलापूर्ति, सड़क एवं नाला)					
कुनुस्तोड़िया क्षेत्र के अधीन बेलबाद कोलियरी में सिउड़ी सड़क बेलबाद मोड़ जंक्शन से बेलबाद रेलवे पार्श्वस्थल एवं सड़क तोलन वेदी तक सिमेंट कंक्रीट सड़क का निर्माण	-	1.31	-	-	1.31
कुनुस्तोड़िया क्षेत्र के अधीन सोनाचोरा खुली खदान परियोजना से परासिया रेलवे क्रॉसिंग तक एक आरसीसी बॉक्स नाला के निर्माण के साथ बिटुमिनस कोयला परिवहन सड़क का निर्माण	-	3.89	-	-	3.89
सोनपुर बजारी परियोजना के अधीन सोनपुर बजारी परियोजना (कुल लंबाई 4800 मीटर) के तहत परिधीय ढुलाई सड़क से नई सीएचपी (2500 मीटर) तथा आईसीएल क्रशर केंद्र से नई सीएचपी (2300 मीटर) तक डब्ल्यूबीएम सड़क का निर्माण	8.86	-	-	-	8.86
संयंत्र एवं उपस्कर					
सोनपुर बजारी क्षेत्र में सीएचपी संस्थापन के अधीन है	171.62	-	-	-	171.62
रेलवे पार्श्वस्थल					
कुनुस्तोड़िया क्षेत्र के बांसड़ा रेलवे पार्श्वस्थल में रेलवे पार्श्वस्थल का निर्माण	-	1.07	-	-	1.07
अन्य					
सोनपुर बजारी क्षेत्र में 25 मेगावोल्ट प्रति एंपीयर उपकेन्द्र के समीप 5 नम्बर 6.6 किलो वोल्ट फीडर स्थान से परित्यक्त 4 मेगावोल्ट प्रति एंपीयर उपकेन्द्र के जरिए खान घेरा के साथ बांधबोहल ग्राम के समीप एवं शंकरपुर डम्प तक एवं 01 नम्बर 25 मेगावोल्ट प्रति एंपीयर उपकेन्द्र से पथांतरित राष्ट्रीय मार्ग-60 के साथ सेक्टर 3 तक का स्थानांतरण	2.10	-	-	-	2.10
कुल	182.58	6.27	-	-	188.85

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी...)

टिप्पणी 5 : अन्वेषित एवं मूल्यांकित आस्तियाँ (₹ करोड़ में)

	अन्वेषण और मूल्यांकन लागत
वहनीय राशि :	
01-04-2020 को यथा	615.75
परिवर्धन	44.02
अपमार्जन/समायोजन	(4.31)
31-03-2021 को यथा	**655.46**
01-04-2021 को यथा	655.46
परिवर्धन	28.94
अपमार्जन/समायोजन	-
31-03-2022 को यथा	**684.40**
प्रावधान एवं क्षति	
01-04-2020 को यथा	-
वर्ष के लिए प्रभार	-
क्षति (निवल)	-
अपमार्जन/समायोजन	-
31-03-2021 को यथा	-
01-04-2021 को यथा	-
वर्ष के लिए प्रभार	-
क्षति (निवल)	-
अपमार्जन/समायोजन	-
31-03-2022 को यथा	-
निवल वहनीय राशि	
31-03-2022 को यथा	**684.40**
31-03-2021 को यथा	**655.46**

टिप्पणी :

1. झारखण्ड राज्य में तीन कोयला ब्लॉकों नामतः अमराकोण्डा-मुर्गादंगल, ब्राह्मिणी और चिचरी-पिस्तिमल के आबंटन के कारण अन्वेषित एवं मूल्यांकित आस्तियाँ में ₹443.84 करोड़ (₹443.84 करोड़) की राशि समाविष्ट किया है।

2. अन्वेषित एवं मूल्यांकित आस्तियाँ

(अ) 31-03-2022 को यथा अन्वेषित एवं मूल्यांकित आस्तियाँ के लिए काल प्रभावन अधिसूची : (₹ करोड़ में)

	... अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				
	1 वर्ष के कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
प्रगति में अन्वेषित एवं मूल्यांकित आस्तियाँ परियोजनाएँ	28.94	42.33	42.44	570.69	**684.40**
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ :					
परियोजना का नाम	-	-	-	-	-
कुल	**28.94**	**42.33**	**42.44**	**570.69**	**684.40**

(आ) 31-03-2022 को यथा अन्वेषित एवं मूल्यांकित आस्तियाँ बकाया : (₹ करोड़ में)

	में पूर्ण किया जाना है				
	1 वर्ष के कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
प्रगति में अन्वेषित एवं मूल्यांकित आस्तियाँ परियोजनाएँ :					
परियोजना का नाम	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-

(इ) 31-03-2021 को यथा अन्वेषित एवं मूल्यांकित आस्तियाँ के लिए काल प्रभावन अधिसूची : (₹ करोड़ में)

	... अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी में राशि				
	1 वर्ष के कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
प्रगति में अन्वेषित एवं मूल्यांकित आस्तियाँ परियोजनाएँ	42.33	42.44	-	570.69	**655.46**
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ :					
परियोजना का नाम	-	-	-	-	-
कुल	**42.33**	**42.44**	-	**570.69**	**655.46**

(ई) 31-03-2021 को यथा अन्वेषित एवं मूल्यांकित आस्तियाँ बकाया : (₹ करोड़ में)

	में पूर्ण किया जाना है				
	1 वर्ष के कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
प्रगति में अन्वेषित एवं मूल्यांकित आस्तियाँ परियोजनाएँ :					
परियोजना का नाम	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी...)

टिप्पणी 6 : अमूर्त आस्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	अन्य	कुल
वहनीय राशि :			
01-04-2020 को यथा	-	-	-
परिवर्धन	3.20	-	3.20
अपमार्जन/समायोजन	-	-	-
31-03-2021 को यथा	3.20	-	3.20
01-04-2021 को यथा	3.20	-	3.20
परिवर्धन	0.41	-	0.41
अपमार्जन/समायोजन	-	-	-
31-03-2022 को यथा	3.61	-	3.61
प्रावधान एवं क्षति			
01-04-2020 को यथा	-	-	-
वर्ष के लिए प्रभार	0.42	-	0.42
क्षति (निवल)	-	-	-
अपमार्जन/समायोजन	-	-	-
31-03-2021 को यथा	0.42	-	0.42
01-04-2021 को यथा	0.42	-	0.42
वर्ष के लिए प्रभार	1.11	-	1.11
क्षति (निवल)	-	-	-
अपमार्जन/समायोजन	-	-	-
31-03-2022 को यथा	1.53	-	1.53
निवल वहनीय राशि			
31-03-2022 को यथा	2.08	-	2.08
31-03-2021 को यथा	2.78	-	2.78

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी...)

टिप्पणी 6.1 : विकास के अधीन अमूर्त आस्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	विकास के अधीन ईआरपी
वहनीय राशि :	
01-04-2020 को यथा	-
परिवर्धन	-
अपमार्जन/समायोजन	-
31-03-2021 को यथा	-
01-04-2021 को यथा	-
परिवर्धन	9.16
अपमार्जन/समायोजन	-
31-03-2022 को यथा	9.16
प्रावधान एवं क्षति	
01-04-2020 को यथा	-
वर्ष के लिए प्रभार	-
क्षति (निवल)	-
अपमार्जन/समायोजन	-
31-03-2021 को यथा	-
01-04-2021 को यथा	-
वर्ष के लिए प्रभार	-
क्षति (निवल)	-
अपमार्जन/समायोजन	-
31-03-2022 को यथा	-
निवल वहनीय राशि	
31-03-2022 को यथा	9.16
31-03-2021 को यथा	-

टिप्पणी :

1. 01.08.2021 से कंपनी (ईआरपी) सैप सॉफ्टवेयर क्रियान्वित किया है। उस दिनांक से लेखा का सॉफ्टवेयर कोलनेट से स्थानांतरण किया गया है।

2. विकास के अधीन अमूर्त आस्तियाँ

(अ) 31-03-2022 को यथा विकास के अधीन अमूर्त आस्तियाँ के लिए काल प्रभावन अधिसूची : (₹ करोड़ में)

	की अवधि के लिए विकास के अधीन अमूर्त आस्तियों में राशि				
	1 वर्ष के कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
प्रगति में विकास परियोजनाओं के अधीन ईआरपी	9.16	-	-	-	**9.16**
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ : परियोजना का नाम	-	-	-	-	-
कुल	**9.16**	-	-	-	**9.16**

(आ) 31-03-2022 को यथा विकास के अधीन अमूर्त आस्तियाँ बकाया : (₹ करोड़ में)

	में पूर्ण किया जाना है				
	1 वर्ष के कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
प्रगति में विकास परियोजनाओं के अधीन ईआरपी परियोजना का नाम	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-

(इ) 31-03-2021 को यथा विकास के अधीन अमूर्त आस्तियाँ के लिए काल प्रभावन अधिसूची : (₹ करोड़ में)

	की अवधि के लिए विकास के अधीन अमूर्त आस्तियों में राशि				
	1 वर्ष के कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
प्रगति में विकास परियोजनाओं के अधीन ईआरपी	-	-	-	-	-
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ : परियोजना का नाम	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-

(ई) 31-03-2021 को यथा विकास के अधीन अमूर्त आस्तियाँ बकाया : (₹ करोड़ में)

	में पूर्ण किया जाना है				
	1 वर्ष के कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
प्रगति में विकास परियोजनाओं के अधीन ईआरपी परियोजना का नाम	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी...)

टिप्पणी 7 : निवेश

(₹ करोड़ में)

	चालू वर्ष/(पूर्व वर्ष) शेयरों की संख्या	₹ में अंकित मूल्य प्रति शेयर चालू वर्ष/(पूर्व वर्ष)	को यथा 31-03-2022	को यथा 31-03-2021
अप्रचलित **अन्य (सहकारी शेयरों में)**				
i) कोल माइन्स ऑफिसर्स को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लि. में "बी" वर्गीय शेयर	500 (500)	1000 (1000)	0.05	0.05
ii) डिसेरगढ़ कोलियरी वर्क्स सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव स्टोर लि. में 1000 "डी" वर्गीय शेयर	1000 (1000)	100 (100)	0.01	0.01
iii) मुगमा कोलफील्ड्स कोलियरी वर्क्स सेंट्रल को-ऑपरेटिव स्टोर लि. में 4000 शेयर	4000 (4000)	25 (25)	0.01	0.01
iv) सोदपुर कोलियरी इंप्लॉईज को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लि. में "बी" वर्गीय शेयर	500 (500)	100 (100)	0.005	0.005
v) धेनोमेन कोलियरी इंप्लॉईज को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लि. में "बी" वर्गीय शेयर	500 (500)	100 (100)	0.005	0.005
कुल			0.08	0.08
अउद्धृत निवेशों का सकल राशि			0.08	0.08
उद्धृत निवेशों का सकल राशि			-	-
उद्धृत निवेशों का बाजार मूल्य			-	-
निवेशों के मूल्य में क्षति का सकल राशि			-	-
टिप्पणियाँ :				
1. परिशोधित लागत पर विचारित इंप्लॉईज को-ऑपरेटिव सोसाइटी के शेयर				
चालू				
पारस्परिक निधि निवेश				
यूटीआई पारस्परिक निधि			-	-
एलआईसी पारस्परिक निधि			-	-
एसबीआई पारस्परिक निधि			-	-
केनरा रोबेको पारस्परिक निधि			-	-
यूनियन केबीसी पारस्परिक निधि			-	-
बीओआई एक्सा पारस्परिक निधि			-	-
8.5% कर मुक्त विशिष्ट बॉण्ड (पूर्णतः समादत्त) :				
अप			-	-
कुल			-	-
अउद्धृत निवेशों का सकल राशि			-	-
उद्धृत निवेशों का सकल राशि			-	-
उद्धृत निवेशों का बाजार मूल्य			-	-
निवेशों के मूल्य में क्षति का सकल राशि			-	-

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी...)

टिप्पणी 8 : ऋण (₹ करोड़ में)

	को यथा 31-03-2022		को यथा 31-03-2021	
अप्रचलित				
संबद्ध पक्षकारों को ऋण				
प्रतिभूत, समझी गई माल	-		-	
प्रतिभूत रहित, समझी गई माल	-		-	
साख जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-		-	
क्षत साख	-		-	
	-		-	
न्यून : संदिग्ध ऋणों के लिए छूट	-	-	-	-
संबद्ध पक्षकारों से भिन्न को ऋण				
निगमित निकाय एवं कर्मियों को ऋण				
प्रतिभूत, समझी गई माल	-		-	
प्रतिभूत रहित, समझी गई माल	0.10		0.02	
साख जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-		-	
क्षत साख	-		-	
	0.10		0.02	
न्यून : संदिग्ध ऋणों के लिए छूट	-	0.10	-	0.02
कुल		**0.10**		**0.02**

टिप्पणी :

1. निदेशकगणों से देय राशियों के लिए – टिप्पणी 38(5)(ङ)(v) में संदर्भित
2. संबद्ध पक्षकारों को अप्रचलित ऋणों का ब्यौरे

उधारकर्ता का प्रकार	31-03-2022		31-03-2021	
	सकल बकाया राशि	कुल सकल ऋणों का %	सकल बकाया राशि	कुल सकल ऋणों का %
संप्रवर्तक	-	-	-	-
निदेशकगण	-	-	-	-
केएमपी	-	-	-	-
संबद्ध पक्षकार	-	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी...)

टिप्पणी 8 : ऋण (₹ करोड़ में)

	को यथा 31-03-2022	को यथा 31-03-2021
अप्रचलित		
संबद्ध पक्षकारों को ऋण		
प्रतिभूत, समझी गई माल	-	-
प्रतिभूत रहित, समझी गई माल	-	-
साख जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-	-
क्षत साख	-	-
	-	-
न्यून : संदिग्ध ऋणों के लिए छूट	-	- - -
संबद्ध पक्षकारों से भिन्न को ऋण		
निगमित निकाय एवं कर्मियों को ऋण		
प्रतिभूत, समझी गई माल	-	-
प्रतिभूत रहित, समझी गई माल	-	-
साख जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-	-
क्षत साख	-	-
	-	-
न्यून : संदिग्ध ऋणों के लिए छूट	-	- - -
कुल		- -

टिप्पणी :

1. निदेशकगणों से देय राशियों के लिए – टिप्पणी 38(5)(ङ)(v) में संदर्भित
2. संबद्ध पक्षकारों को अप्रचलित ऋणों का ब्यौरे

उधारकर्ता का प्रकार	31-03-2022		31-03-2021	
	सकल बकाया राशि	कुल सकल ऋणों का %	सकल बकाया राशि	कुल सकल ऋणों का %
संप्रवर्तक	-	-	-	-
निदेशकगण	-	-	-	-
केएमपी	-	-	-	-
संबद्ध पक्षकार	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी...)

टिप्पणी 9 : अन्य वित्तीय आस्तियाँ (₹ करोड़ में)

	को यथा 31-03-2022		को यथा 31-03-2021	
अप्रचलित				
प्रतिभूति जमाराशियाँ	21.78		21.71	
न्यून : संदिग्ध प्रतिभूति जमाराशियों के लिए छूट	21.20	0.58	21.20	0.51
12 माह से अधिक परिपक्वता के साथ बैंक जमाराशियाँ		0.22		0.22
के अधीन बैंक के पास जमाराशियाँ				
खान पूर्णता योजना		764.53		699.42
विस्थापन एवं पुनर्वासन निधि योजना		-		-
अन्य जमाराशियाँ एवं प्राप्य	-		-	
न्यून : संदिग्ध जमाराशियों एवं प्राप्य के लिए छूट	-	-	-	-
कुल		**765.33**		**700.15**

टिप्पणी :

1. वर्ष के दौरान खान पूर्णता निलंब खाता के प्रति यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में/से ₹64.04 करोड़ (₹68.56 करोड़) जमा किया गया है और ₹20.38 करोड़ (₹32.52 करोड़) निर्मुक्त किया गया है।
2. वर्ष के दौरान खान पूर्णता निलंब खाता के प्रति यथा ब्याज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ₹21.45 करोड़ (₹30.41 करोड़) जमा किया गया है।
3. सुरक्षा जमा में पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्य बिजली शुल्क की वापसी के रूप में ₹ 20.86 करोड़ (₹ 20.86 करोड़) शामिल हैं।
4. निदेशकगणों से देय राशियों के लिए – टिप्पणी
5. निलंब खाता शेष का समाधान:

	को यथा 31-03-2022		को यथा 31-03-2021	
आरंभिक तिथि पर निलंब खाता में शेष		699.42		632.97
जोड़ : चालू वर्ष के दौरान जमाशेष		64.04		68.56
जोड़ : वर्ष के दौरान जमा ब्याज		21.45		30.41
न्यून : वर्ष के दौरान निकासी राशि		20.38		32.52
लेखाबंदी तिथि पर निलंब खाता में शेष		764.53		699.42
चालू				
कोल इंडिया लिमिटेड के साथ चालू खाता शेष	-		-	
न्यून : अनुषंगियों के साथ संदिग्ध शेषों के लिए छूट	-	-	-	-
उपचित ब्याज		33.46		14.65
प्रतिभूति जमाराशि	-		-	
न्यून : संदिग्ध प्रतिभूति जमाराशियों के लिए छूट	-	-	-	-
अन्य जमाराशियाँ एवं प्राप्य	27.53		27.95	
न्यून : संदिग्ध जमाराशियों एवं प्राप्य के लिए छूट	5.97	21.56	5.97	21.98
कुल		**55.02**		**36.63**

टिप्पणियाँ : 1. निदेशकगणों से देय राशियों के लिए – टिप्पणी 38(5)(ङ)(v) में संदर्भित

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी...)

टिप्पणी 10 : अन्य अप्रचलित आस्तियाँ (₹ करोड़ में)

	को यथा 31-03-2022		को यथा 31-03-2021	
i. पूँजीगत अग्रिम	253.77		256.17	
न्यून : संदिग्ध अग्रिमों के लिए छूट	1.48	252.29	1.48	254.69
ii. पूँजीगत अग्रिमों से भिन्न अग्रिम				
अ. अन्य जमाराशियाँ एवं अग्रिम	43.51		43.51	
न्यून : संदिग्ध जमाराशियों के लिए छूट	1.52	41.99	1.52	41.99
iii. उपगत प्रगामी खान पूर्णता व्यय		584.06		462.73
कुल		**878.34**		**759.41**

टिप्पणी :

1. उपयोगिता के लिए प्रतिभूति जमाराशि के.औ.सु.ब. स्कंध की शक्ति में संवर्धन के निहितार्थ प्रतिभूति जमाराशि के प्रति आंतरिक मामलात मंत्रालय को जमा किए गए ₹ 2.21 करोड़ (₹ 2.21 करोड़) अंतर्गत है।
2. उपगत प्रगामी खान पूर्णता व्यय इस प्रयोजनार्थ निलंब खाता से प्राप्त देय हैं। निलंब खाता से खान पूर्णता व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए ₹77.53 करोड़ का सीएमपीडीआईएल के जरिए कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ) द्वारा लेखापरीक्षण किया गया है, जिसमें से वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान कंपनी द्वारा क्रमशः ₹32.52 करोड़ एवं ₹20.38 करोड़ प्राप्त किया गया है।

टिप्पणी 11 : अन्य चालू आस्तियाँ (₹ करोड़ में)

	को यथा 31-03-2022		को यथा 31-03-2021	
सांविधिक देय का अग्रिम संदाय	131.67		200.98	
न्यून : संदिग्ध सांविधिक देयों के लिए छूट	-	131.67	-	200.98
संबद्ध पक्षकारों को अग्रिम		-		-
अन्य जमाराशियों एवं अग्रिम	903.96		332.60	
न्यून : संदिग्ध अन्य जमाराशियों एवं अग्रिम के लिए छूट	1.93	902.03	1.93	330.67
उपगत प्रगामी खान पूर्णता व्यय		-		-
आगत कर साख प्राप्य		375.47		324.30
कुल		**1,409.17**		**855.95**

टिप्पणी :

1. अन्य चालू आस्तियाँ प्रतिभूत रहित हैं और माल सिवाय कुछ संदिग्ध अग्रिम समाझा गया है जिसके लिए सभी प्रावधान को यथा उक्त सर्जन किया गया है।
2. निदेशकगणों से देय राशियों के लिए – टिप्पणी 38(5)(ङ)(v) में संदर्भित

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी...)

टिप्पणी 12 : वस्तुसूचियाँ

(₹ करोड़ में)

	को यथा 31-03-2022		को यथा 31-03-2021	
कोयला का स्टॉक	339.63		622.73	
जोड़ : विकास के अधीन कोयला	-		-	
कोयला का स्टॉक (कुल) **(क)**		339.63		622.73
भण्डार एवं उपकरणों का स्टॉक (निवल)	208.41		161.67	
जोड़ : मार्गस्थ भण्डार	-		11.40	
निवल भण्डार एवं उपकरणों का स्टॉक **(ख)**		208.41		173.07
केन्द्रीय अस्पताल में औषधि का स्टॉक **(ग)**		0.59		0.78
कर्मशाला कार्य, प्रेस कार्य एवं अन्य **(घ)**		5.54		13.78
कुल (क + ख + ग + घ)		**554.17**		**810.36**

टिप्पणी :

1. मूल्यांकन विधि : टिप्पणी 2 के बिंदु सं. 2.20 में संदर्भित – महत्वपूर्ण लेखांकन नीति

टिप्पणी – 12 को उपाबंध

बही स्टॉक एवं मापित स्टॉक का समाधान

(लाख टन में परिमाण) (₹ करोड़ में मूल्य)

	समग्र स्टॉक		अविक्रेय		अविक्रेय	
	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य
1. 01.04.2021 को यथा आरंभिक स्टॉक	63.02	622.73	-	-	63.02	622.73
जोड़/(न्यून) : आरंभिक स्टॉक में समायोजन	-	(0.04)	-	**-**	**-**	**(0.04)**
01.04.2021 को यथा समायोजित आरंभिक स्टॉक	**63.02**	**622.69**	**-**	**-**	**63.02**	**622.69**
2. वर्ष के लिए उत्पादन	324.29		-		324.29	
3. अंशसमष्टि (1 + 2)	**387.31**	**622.69**	**-**	**-**	**387.31**	**622.69**
4. वर्ष के लिए कुल कारबार						
क. बाह्य प्रेषण	359.20	10,301.45	-	-	359.20	10,301.45
ख. वासरी को कोयला संभरण	-	-	-	-	-	-
ग. स्व खपत	1.76	4.20	-	-	1.76	4.20
कुल	**360.96**	**10,305.65**	**-**	**-**	**360.96**	**10,305.65**

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी...)

बही स्टॉक एवं मापित स्टॉक का समाधान

(लाख टन में परिमाण) (₹ करोड़ में मूल्य)

	समग्र स्टॉक		अविक्रेय		अविक्रेय	
	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य
5. व्युत्पन्न स्टॉक	26.35	341.00	-	-	26.35	341.00
6. मापित स्टॉक	25.71	332.17	-	-	25.71	332.17
7. भिन्नता	0.64	8.83	-	-	0.64	8.83
8. भिन्नता का विश्लेषित आँकड़े						
अ. 5% के अंदर अतिरिक्त	0.01	0.20	-	-	0.01	0.20
आ. 5% के अंदर कमी	0.65	9.03	-	-	0.65	9.03
इ. 5% से अधिक अतिरिक्त	-	-	-	-	-	-
ई. 5% से अधिक कमी	-	-	-	-	-	-
9. लेखा में अंगीकृत लेखाबंदी स्टॉक [6 – 8अ + 8आ]	**26.35**	**341.00**	**-**	**-**	**26.35**	**341.00**

टिप्पणी : उत्पादन में 0.01 लाख टन के जब्त कोयला समाविष्ट है।

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी...)

टिप्पणी – 12 को उपाबंध

कोयले का लेखाबंदी स्टॉक की सार

	कच्चा कोयला				प्रक्षाल कोयला				अन्य उत्पाद		कुल	
	कोककर		अकोककर		कोककर		अकोककर					
	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य
आरंभिक स्टॉक (लेखापरीक्षित)	-	-	63.02	622.69	-	-	-	-	-	-	63.02	622.69
न्यून : अविक्रेय कोयला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समायोजित आरंभिक स्टॉक (विक्रेय)	-	-	63.02	622.69	-	-	-	-	-	-	63.02	622.69
उत्पादन	**-**	**-**	**324.29**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**324.29**	**-**
कुल कारबार												
अ. बाह्य प्रेषण	-	-	359.20	10,301.45	-	-	-	-	-	-	359.20	10,301.45
आ. वासरी को कोयला संभारण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
इ. स्व खपत	-	-	1.76	4.20	-	-	-	-	-	-	1.76	4.20
लेखाबंदी स्टॉक	-	-	26.35	341.00	-	-	-	-	-	-	26.35	341.00
न्यून : कमी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31-03-2022 को यथा लेखाबंदी स्टॉक	**-**	**-**	**26.35**	**341.00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**26.35**	**341.00**
न्यून : के विरूद्ध प्रावधान कोयले का लेखाबंदी स्टॉक	-	-	-	1.37	-	-	-	-	-	-	-	1.37
31-03-2022 को यथा लेखाबंदी स्टॉक	**-**	**-**	**26.35**	**339.63**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**26.35**	**339.63**

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी...)

टिप्पणी 13 : व्यवसाय प्राप्य

(₹ करोड़ में)

	को यथा 31-03-2022		को यथा 31-03-2021	
चालू				
व्यवसाय प्राप्य				
प्रतिभूत, समझे गए माल	-		-	
प्रतिभूत रहित, समझे गए माल	2,504.20		4,423.53	
साख जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-		-	
क्षत साख	363.39		369.81	
	2,867.59		4,793.34	
न्यून : अशोध्य और संदिग्ध कर्ज के लिए छूट	363.39	2,504.20	369.81	4,423.53
कुल		**2,504.20**		**4,423.53**

टिप्पणियाँ :

(₹ करोड़ में)

	को यथा 31-03-2022	को यथा 31-03-2021
चालू		
1. निदेशकगणों से देय राशियों के लिए – टिप्पणी 38(5)(ङ)(v) में संदर्भित		
2. छूट के ब्यौरे यथा निम्नवत है		
आरंभिक शेष	369.81	383.16
न्यून : आरंभिक देनदारों के विरूद्ध निपटारण/बट्टा डाला/समायोजित करना	-	-
जोड़ : वर्ष के दौरान नया प्रावधान	0.21	26.20
न्यून : आरंभिक प्रावधान से प्रतिलेखन	6.63	39.55
लेखाबंदी शेष	**363.39**	**369.81**

3. 31-03-2022 को यथा व्यवसाय प्राप्य काल प्रभावन अनुसूची

(₹ करोड़ में)

	लेनदेन तिथि से निम्न अवधि के लिए बकाया					
	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
i. निर्विवादित व्यवसाय प्राप्य – समझे गए माल	849.70	431.31	390.77	536.29	115.85	**2,323.92**
ii. निर्विवादित व्यवसाय प्राप्य – जिससे साख जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई हो।	-	-	-	-	-	**-**
iii. निर्विवादित व्यवसाय प्राप्य – क्षत साख	-	-	-	-	1.52	**1.52**
iv. विवादित व्यवसाय प्राप्य – समझे गए माल	-	-	50.50	53.07	76.71	**180.28**
v. विवादित व्यवसाय प्राप्य – जिससे साख जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई हो।	-	-	-	-	-	**-**
vi. विवादित व्यवसाय प्राप्य – क्षत साख	-	-	0.71	0.32	360.84	**361.87**
कुल	**849.70**	**431.31**	**441.98**	**589.68**	**554.92**	**2,867.59**
बिल-अनिर्दिष्ट देय	-	-	-	-	-	**-**
अशोध्य और संदिग्ध कर्जों के लिए छूट	-	-	0.71	0.32	362.36	363.39
प्रत्याशित साख हानियाँ (हानि छूट प्रावधान) - %	-	-	0.16%	0.05%	65.30%	12.67%

4. 31-03-2021 को यथा व्यवसाय प्राप्य काल प्रभावन अनुसूची :

(₹ करोड़ में)

	लेनदेन तिथि से निम्न अवधि के लिए बकाया					
	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
i. निर्विवादित व्यवसाय प्राप्य – समझे गए माल	1,926.92	1,192.26	988.38	101.71	57.27	**4,266.54**
ii. निर्विवादित व्यवसाय प्राप्य – जिससे साख जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई हो।	-	-	-	-	-	-
iii. निर्विवादित व्यवसाय प्राप्य – क्षत साख	-	-	-	-	1.52	**1.52**
iv. विवादित व्यवसाय प्राप्य – समझे गए माल	0.14	17.91	67.37	43.30	28.27	**156.99**
v. विवादित व्यवसाय प्राप्य – जिससे साख जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई हो।	-	-	-	-	-	-
vi. विवादित व्यवसाय प्राप्य – क्षत साख	-	0.50	0.24	44.88	322.67	**368.29**
कुल	**1,927.06**	**1,2 10.67**	**1,055.99**	**189.89**	**409.73**	**4,793.34**
बिल-अनिर्दिष्ट देय	-	-	-	-	-	-
अशोध्य और संदिग्ध कर्जों के लिए छूट	-	0.50	0.24	44.88	324.19	369.81
प्रत्याशित साख हानियाँ (हानि छूट प्रावधान) - %	-	0.04%	0.02%	23.63%	79.12%	7.72%

5. कोयला गुणवत्ता अंतर का समाधान

(₹ करोड़ में)

	को यथा 31-03-2022	को यथा 31-03-2021
कोयला गुणवत्ता अंतर का आरंभिक शेष	79.97	(121.99)
वर्ष के दौरान परिवर्धन	59.14	271.47
वर्ष के दौरान व्युत्क्रमण	175.09	69.51
कोयला गुणवत्ता अंतर का लेखाबंदी शेष	**(35.98)**	**79.97**

कोष्ठक में के आँकड़े व्यवसाय में वृद्धि के परिणामस्वरूप अंतर का ध्योतक है।

6. प्रत्याशित साख हानि मॉडल पर व्यवसाय प्राप्य के लिए छूट किया गया है।

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी...)

टिप्पणी 14 : नकदी एवं नकदी समतुल्य

(₹ करोड़ में)

	को यथा 31-03-2022	को यथा 31-03-2021
बैंकों के पास शेषराशियाँ		
i. जमा खाता में	638.72	442.30
ii. चालू खाता में		
अ. सब्याज (सीएलटीडी खातें इत्यादि)	-	-
आ. ब्याज रहित	243.75	502.86
iii. नकदी ऋण खातों में	-	-
भारत के बाहर बैंक अतिशेष	-	-
हाथ में चेक, ड्रॉफ्ट एवं स्टॉम्प	-	-
नकदी रुपया	-	-
भारत के बाहर नकदी रुपया	-	-
अग्रदाय खाता	-	-
कुल नकदी एवं नकदी समतुल्य	**882.47**	**945.16**

टिप्पणी 15 : अन्य बैंक अतिशेष

(₹ करोड़ में)

	को यथा 31-03-2022	को यथा 31-03-2021
बैंकों के पास शेष		
जमा खाता	932.93	504.73
खान पूर्णता योजना	-	-
विस्थापन एवं पुनर्वासन निधि योजना	-	-
शेयरों की चुकौती के लिए निलंब खाता	-	-
अप्रदत्त लाभांश खाता	-	-
लाभांश खाता	-	-
जमा खाता (विशिष्ट प्रयोजनार्थ)	64.63	61.77
कुल	**997.56**	**566.50**

टिप्पणी :

1. बैंक जमाराशियाँ की 3 माह से अधिक लेकिन 12 माह से कम परिपक्वता है।
2. जमाराशि खातों (विशिष्ट प्रयोजनार्थ) में ₹26.53 करोड़ (₹0.19 करोड़) के न्यायालय आदेश के प्रतिकूल सावधि जमाराशि, ₹19.13 करोड़ (₹44.19 करोड़) के बैंक गारंटी के प्रतिकूल सावधि जमाराशि और ₹18.97 करोड़ (₹17.39 करोड़) के असंवितरित मजदूरियों के प्रतिकूल सावधि जमाराशि सम्मिलित है।

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी...)

टिप्पणी 16 : साम्या शेयर पूँजी

(₹ करोड़ में)

	को यथा 31-03-2022	को यथा 31-03-2021
प्राधिकृत		
₹1000/- प्रति 46000000 साम्या शेयर (25000000 साम्या शेयर)	4,600.00	2,500.00
	4,600.00	**2,500.00**
निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त		
पूर्णतः नकदी प्रदत्त प्रत्येक ₹1000/- के 10390000 साम्य शेयर	1,039.00	1,039.00
नकदी से भिन्न प्राप्त प्रतिफल के लिए आबंटित यथा पूर्णतः प्रदत्त प्रत्येक ₹1000/- के 32304200 साम्या शेयरों		
(11794500 साम्या शेयरों)	3,230.42	1,179.45
	4,269.42	**2,218.45**

टिप्पणी :

1. 5% से अधिक शेयर धारित करने वाले प्रत्येक शेयरधारक के पास कंपनी के शेयर

शेयरधारकों का नाम	धारित शेयरों की संख्या (₹1000 प्रति के उचित मूल्य)	कुल शेयरों का %	वर्ष के दौरान % परिवर्तन %
कोल इंडिया लिमिटेड – नियंत्रक कंपनी (साम्या शेयर)	4,26,94,200 (2,21,84,500)	100% (100%)	0.00%

2. संप्रवर्तकों की शेयरधारिता :

क्रम	संप्रवर्तक का नाम	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का %	वर्ष के दौरान % परिवर्तन %
1.	कोल इंडिया लिमिटेड	4,26,94,200 (2,21,84,500)	100% (100%)	0.00%

3. 31-03-2022 को यथा बकाया साम्या शेयरों का समाधान

	शेयर की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
01-04-2021 को यथा आरंभिक शेष	2,21,84,500	2,218.45
वर्ष के दौरान परिवर्धन	2,05,09,700	2,050.97
31-03-2022 को यथा लेखाबंदी शेष	4,26,94,200	4,269.42

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी...)

4. 31-03-2021 को यथा बकाया साम्या शेयरों का समाधान

	शेयर की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
01-04-2021 को यथा आरंभिक शेष	2,21,84,500	2,218.45
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
31-03-2022 को यथा लेखाबंदी शेष	2,21,84,500	2,218.45

5. कंपनी के पास केवल एक वर्ग का शेयर अर्थात् साम्या शेयर है।

6. कंपनी द्वारा 23 दिसंबर, 2021 को आयोजित अपने 9वीं ईजीएम विधिवत अनुमोदित अधिमान शेयर पूँजी से साम्या शेयर पूँजी में रूपातंरण के कारण कंपनी के प्राधिकृत साम्या शेयर पूँजी को ₹4600.00 करोड़ के विद्यामान प्राधिकृत शेयर पूँजी से पुनर्वर्गीकृत करके वृद्धि किया गया है।

7. कंपनी द्वारा 23 दिसंबर, 2021 को आयोजित अपने 9वीं ईजीएम में विधिवत अनुमोदित अधिमान शेयर पूँजी से साम्या शेयर पूँजी में रूपातंरण के कारण कंपनी के प्रदत्त साम्या शेयर पूँजी में वृद्धि किया गया है।

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी...)

टिप्पणी 17 : अन्य साम्या (₹ करोड़ में)

	शेयर अनुप्रयोग धन लंबित आबंटन	चक्रवृद्धि वित्तीय लिखत के साम्या घटक	आरक्षित निधियाँ एवं अधिशेष			कुल
			सामान्य आरक्षित निधियाँ	प्रतिधारित उपार्जन	परिभाषित प्रसुविधाएँ योजनाओं का पुनर्मापन (कर का निवल) – (ओसीआई)	
01.04.2020 को यथा शेष	-	855.61	832.71	(2,004.92)	(18.97)	**(335.57)**
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि के भूल-चूक	-	-	-	-	-	-
पुनर्निर्धारित 01.04.2020 को यथा शेष	-	855.61	832.71	(2,004.92)	(18.97)	**(335.57)**
कुल व्यापक आय	-	-	-	(759.58)	(234.48)	**(994.06)**
अंतरिम आय	-	-	-	-	-	-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-	-	-	-	-
सामान्य आरक्षित निधियों को/ से अंतरण	-	-	-	-	-	-
शेयरों की वापसी-खरीद	-	-	-	-	-	-
वापसी खरीद पर कर	-	-	-	-	-	-
कोई अन्य प्रभार	-	-	-	-	-	-
31-03-2021 को यथा शेष	-	**855.61**	**832.71**	**(2,764.50)**	**(253.45)**	**(1,329.63)**
01.04.2021 को यथा शेष	-	855.61	832.71	(2,764.50)	(253.45)	**(1,329.63)**
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि के भूल-चूक	-	-	-	-	-	-
Restated 01.04.2021 को यथा शेष	-	855.61	832.71	(2,764.50)	(253.45)	**(1,329.63)**
कुल व्यापक आय	-	-	-	(1,060.66)	(65.42)	**(1,126.08)**
अंतरिम आय	-	-	-	-	-	-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	(855.61)	-	855.61	-	-
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-	-	-	-	-
सामान्य आरक्षित निधियों को/ से अंतरण	-	-	-	-	-	-
शेयरों की वापसी-खरीद	-	-	-	-	-	-
वापसी खरीद पर कर	-	-	-	-	-	-
कोई अन्य प्रभार	-	-	-	-	-	-
31-03-2022 को यथा शेष	-	-	**832.71**	**(2,969.55)**	**(318.87)**	**(2,455.71)**

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी...)

टिप्पणियाँ :

	31-03-2022	31-03-2021
1. अधिमान शेयर पूँजी का प्राधिकृत शेयर पूँजी "कुछ नहीं		
प्रत्येक ₹1000/- का (21000000 6% अपरिवर्तनीय संचयी, प्रतिदेय अधिमान शेयरों)	-	2100

2. वित्तीय वर्ष 2014-15 में कोल इंडिया लिमिटेड (नियंत्रक कंपनी) को अधिमान शेयर निर्गत किया गया था।
3. 23 दिसम्बर, 2021 को आयोजित अपने 9वीं ईजीएम में अधिमान शेयरों को साम्या शेयरों में रूपांतरण पर, ₹855.61 करोड़ के अधिमान शेयर पूँजी के साम्या भाग को अन्य साम्या के भीतर प्रतिधारित उपार्जन में अंतरित किया गया है।
4. सामान्य आरक्षित राशि एक मुक्त आरक्षित राशि है जिसे विनियोजन के प्रयोजन जब कभी अनुज्ञा प्राप्त एवं अपेक्षित के लिए प्रतिधारित उपार्जनों से लाभ में रूपातंरण के लिए उपयोजित किया गया है।
5. प्रतिधारित उपार्जन कंपनी के अवितरित लाभ(हानि)/ संचित अर्जन की राशि को उपबंधित करता है।
6. अन्य व्यापक आय (ओसीआई) परिभाषित प्रसुविधा दायित्व के पुनर्मापन संबंधी साम्या में शेष को उपबंधित करता है।

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी...)

टिप्पणी 18 : उधार (₹ करोड़ में)

	को यथा 31-03-2022	को यथा 31-03-2021
अप्रचलित		
सावधि ऋण		
बैंकों से	-	-
अन्य से		
एक्सपोर्ट डेवेलपमेंट कॉरपोरेशन, कनाडा	151.04	153.09
चक्रवृद्धि वित्तीय लिखत के देयता घटक (अधिमान शेयर)	-	1,938.59
अन्य ऋण	-	-
कुल	**151.04**	**2,091.68**
वर्गीकरण 1		
प्रतिभूत	-	-
प्रतिभूत रहित	151.04	2,091.68
वर्गीकरण 2		
निदेशकगणों एवं अन्य द्वारा गारंटी ऋम	-	-
ऋण की विशिष्टियाँ	**₹ करोड़ में**	**गारंटी की प्रकृति**
एक्सपोर्ट डेवेलपमेंट कॉरपोरेशन, कनाडा	151.04	GOI

टिप्पणी :

1. एक्सपोर्ट डेवेलपमेंट कॉरपोरेशन, कनाडा से प्रतिभूत-रहित ऋण की बाबत ₹5.24 करोड़ (₹-4.95 करोड़) के विनिमय दर अंतर पर हानि को अन्य व्यय (टिप्पणी – 35) में दर्शित प्रतिभूत-रहित ऋण के मूल्य एवं तदनुरूप प्रभाव में समायोजित किया गया है।

2. चुकौती अनुसूची – ईडीसी कनाडा से ऋण के किस्त की चुकौती अर्ध-वार्षिक अर्थात 31 जनवरी को एवं 31 जुलाई को किया गया है।

चालू		
माँग पर चुकौती-योग्य ऋण	-	-
बैंकों से		
बैंक ओवरड्राफ्ट	0.18	0.12
बैंकों से अन्य ऋण	-	-
अन्य से	-	-
दीर्घावधि उधार का चालू परिपक्वता	7.18	6.95
कुल	**7.36**	**7.07**
वर्गीकरण		
प्रतिभूत	0.18	0.12
प्रतिभूत-रहित	7.18	6.95

टिप्पणी :

1. सावधि जमाराशि के प्रतिकूल बैंक ओवरड्राफ्ट प्रसुविधा को ₹753.55 करोड़ (₹468.75 करोड़) की स्वीकृति सीमा के प्रतिकूल भिन्न बैंकों से प्राप्त किया गया है।

2. कोल इंडिया लिमिटेड एवं इसके अनुषंगियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक, कॉरपोरेट लेखा समूह (कैग) शाखा, कोलकाता ऐसे संघ के लिए अग्रणी बैंक है के साथ संघीय व्यवस्था के अधीन कंपनी एवं इसके अनुषंगियों के क्रियाशील पूँजी ऋणदाताओं से क्रियाशील पूँजी साख प्रसुविधाओं की प्राप्यता की तथा कथित क्रियाशील पूँजी ऋणदाताओं द्वारा अनुदानित ₹430.00 करोड़ (₹535.00 करोड़) के सकल में तथाकथित क्रियाशील पूँजी साख प्रसुविधाओं को प्रतिभूत करने के क्रम में प्रथम प्रभार के माध्यम से संपूर्ण चालू आस्तियों का आडमान के रूप में प्रतिभूति निर्माण के लिए सर्जन / व्यवस्था की है

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी...)

टिप्पणी 19 : व्यवसाय संदेय

(परिशोधित लागत पर वहन किया गया) (₹ करोड़ में)

	को यथा 31-03-2022	को यथा 31-03-2021
चालू		
सूक्ष्म एवं लघु उद्यम	0.84	0.97
सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से भिन्न	1,095.19	961.67
कुल	**1,096.03**	**962.64**

टिप्पणी :

1. व्यवसाय देय – सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का कुल बकाया देय

अ. अप्रदत्त शेष मूल और ब्याज राशि लेकिन वर्ष की समाप्ति पर यथा असंदेय हो	0.84	0.97
आ. वर्ष के दौरान नियत तिथि के उपरांत आपूर्तिकर्ता को संदाय किए गए राशि के साथ-साथ सूक्ष्म, लघु एं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के धारा 16 के निबंधनों के अनुसार कंपनी द्वारा प्रदत्त ब्याज।	-	-
इ. संदाय करने में विलंब की अवधि के लिए देय है और देय ब्याज (जिसे वर्ष के दौरान संदाय किया गया है लेकिन नियत तिथि के उपरांत) लेकिन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अधीन विनिर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	-	-
ई. वर्ष की समाप्ति पर यथा उपगत ब्याज एवं अप्रदत्त शेष	-	-
उ. उत्तरवर्ती वर्ष में भी शोध्य एवं संदेय शेष आगामी ब्याज उस तिथि तक जब तक कि ब्याज देय यथा उक्त वस्तुतः लघु उद्यम को संदाय नहीं किया जाता है।	-	-

2. 31-03-2022 को यथा व्यवसाय संदेय काल प्रभावन अनुसूची (₹ करोड़ में)

	6 माह से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
i. एमएसएमई	0.84	-	-	-	**0.84**
ii. अन्य	983.51	92.62	7.38	11.68	**1,095.19**
iii. विवादित देय - एमएसएमई	-	-	-	-	**-**
iv. विवादित देय - अन्य	-	-	-	-	**-**
कुल	**984.35**	**92.62**	**7.38**	**11.68**	**1,096.03**
बिल-अनिर्दिष्ट देय	47.83	4.41	0.37	0.67	53.28

3. 31-03-2021 को यथा व्यवसाय संदेय काल प्रभावन अनुसूची (₹ करोड़ में)

	6 माह से कम	1 से 2 वर्ष	2 से 3 वर्ष	3 वर्षों से अधिक	कुल
i. एमएसएमई	0.97	-	-	-	**0.97**
ii. अन्य	764.65	145.50	35.37	16.15	**961.67**
iii. विवादित देय - एमएसएमई	-	-	-	-	**-**
iv. विवादित देय - अन्य	-	-	-	-	**-**
कुल	**765.62**	**145.50**	**35.37**	**16.15**	**962.64**
बिल-अनिर्दिष्ट देय	40.77	1.66	2.60	7.01	52.04

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी...)

टिप्पणी 20 : अन्य वित्तीय देयताएँ

(परिशोधित लागत पर वहन किया गया) (₹ करोड़ में)

	को यथा 31-03-2022	को यथा 31-03-2021
अप्रचलित	90.35	98.86
प्रतिभूति जमाराशियाँ	-	-
अग्रिम धन	-	-
अन्य	**90.35**	**98.86**

चालू		
अनुषंगियों से अधिशेष निधि	-	-
चालू खाता के साथ :		
कोल इंडिया लिमिटेड	191.54	201.87
आईआईसीएम	-	-
अदत्त लाभांश	-	-
प्रतिभूति जमाराशियाँ	278.98	241.64
अग्रिम धन	137.42	139.64
पूंजीगत व्यय के लिए संदेय	313.67	340.73
कर्मी प्रसुविधाओं के लिए देयताएँ	715.94	659.84
अन्य	89.83	122.55
कुल	**1,727.38**	**1,706.27**

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी...)

टिप्पणी 21 : प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	को यथा 31-03-2022	को यथा 31-03-2021
अप्रचलित		
कर्मी प्रसुविधाएँ (टिप्पणी 38.3 में संदर्भित)		
उपदान	213.33	118.00
अवकाश नकदीकरण	140.93	253.44
पश्च-सेवानिवृत्ति चिकित्सीय प्रसुविधाएँ	585.40	390.80
अन्य कर्मी प्रसुविधाएँ	56.96	101.79
अन्य प्रावधान		
स्थल प्रत्यावर्तन प्रावधान	784.07	705.03
विपट्टन गतिविधि समायोजन	2,588.99	2,742.56
कुल	**4,369.68**	**4,311.62**

टिप्पणी :

1. कर्मी के लिए उपदान, अवकाश नकदीकरण, पश्च-सेवानिवृत्ति चिकित्सीय प्रसुविधा की वर्षांत देयता और प्रसुविधाएँ जैसे अवकाश यात्रा रियायत एवं व्यवस्थापन भत्ताओं को बीमांकिक आधार पर मूल्यांकित किया जाता है।

2. दीर्घावधि उपदान का प्रावधान ₹4053.28 करोड़ (₹4058.00 करोड़) के एलआईसी के साथ शेष उपदान न्यास निधि के समायोजन के उपरांत है।

3. दीर्घावधि अवकाश नकदीकरण का प्रावधान ₹704.18 करोड़ (₹565.02 करोड़) के एलआईसी के साथ शेष अवकाश नकदीकरण निधि के समायोजन के उपरांत है।

4. अन्य के प्रावधान (पश्च-सेवानिवृत्ति चिकित्सीय प्रसुविधा) ₹166.44 करोड़ (₹134.39 करोड़) के सीपीआरएमएस-ई न्यास निधि शेष और ₹25.00 करोड़ (कुछ नहीं) के सीपीआरएमएस-एनई न्यास निधि के समायोजन के उपरांत है।

5. भूमि पुनःउद्धार / स्थल प्रत्यावर्तन / खान पूर्णता के समाधान :

	को यथा 31-03-2022	को यथा 31-03-2021
01.04.2021/01.04.2020 को यथा स्थल प्रत्यावर्तन प्रावधान	705.03	674.41
जोड़ : वर्ष के लिए परिवर्धन	48.76	15.82
जोड़ : बट्टा खाता का अकुंडलन	50.66	47.32
न्यून : वर्ष के दौरान निकासी	20.38	32.52
पूर्ण स्थल प्रत्यावर्तन प्रावधान	**784.07**	**705.03**
चालू		
कर्मी प्रसुविधाएँ (टिप्पणी 38.3 में संदर्भित)		
उपदान	410.90	491.32
अवकाश नकदीकरण	72.07	78.99
पश्च-सेवानिवृत्ति चिकित्सीय प्रसुविधाएँ	25.71	30.25
अनुग्रह	375.63	377.14
कार्य-निष्पादन संबंधी वेतन	168.81	128.28
अन्य कर्मी प्रसुविधा	229.82	54.20
अन्य प्रावधान		
अन्य	-	-
कुल	**1,282.94**	**1,160.18**

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी...)

टिप्पणी 22 : अन्य अप्रचलित देयताएँ

(₹ करोड़ में)

	को यथा 31-03-2022	को यथा 31-03-2021
विस्थापन एवं पुनर्वासन निधि	-	-
आस्थगित आय	2.63	3.98
अन्य	37.46	37.46
कुल	**40.09**	**41.44**

टिप्पणी :

आस्थगित आय सड़क एवं रेल अवसंरचना तथा वैज्ञानिक कार्य के प्रति व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में कोयला मंत्रालय से प्राप्त सहायता है।

टिप्पणी 23 : अन्य चालू देयताएँ

(₹ करोड़ में)

	को यथा 31-03-2022	को यथा 31-03-2021
सांविधिक देय	844.91	879.35
आयातित कोयले के लिए अग्रिम	-	-
उपभोक्ताओं/ अन्य से अग्रिम	1,455.88	1,278.94
अन्य देयताएँ	1,853.88	2,073.78
कुल	**4,154.67**	**4,232.07**

टिप्पणी :

1. कोयला आधारित भूमि के वार्षिक मूल्य पर उपकर का भुगतान करने की प्रक्रिया में पिछले दो वर्षों के औसत उत्पादन के आधार पर प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल को प्रचलित दर पर मूल्य और मूल्य पर ग्राहकों से की गई वसूली पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को प्रचलित बिक्री मूल्य को ध्यान में रखते हुए कोयले के प्रेषण में ₹ 1853.29 करोड़ (₹ 2073.21 करोड़) की देय राशि शेष है, जिसे सेस इक्विलाइज़ेशन अकाउंट के तहत दिखाया गया है।

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी...)

टिप्पणी – 24 : परिचालन से राजस्व

(₹ करोड़ में)

		समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2022		समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2021
I. कोयले की बिक्री		14,453.65		14,821.26
न्यून : सांविधिक कर		4,152.20		4,564.87
बिक्री (निवल) (क)		**10,301.45**		**10,256.39**
II. अन्य परिचालनात्मक राजस्व				
रेत भूगर्त भरण एवं संरक्षी कार्य		-		0.12
लदान एवं अतिरिक्त परिवहन प्रभार	277.31		321.41	
न्यून : सांविधिक कर	**13.20**	264.11	**15.31**	306.10
निष्क्रमण सुकरजन्य प्रभार	194.44		163.32	
न्यून : सांविधिक कर	**9.25**	185.19	**7.78**	155.54
अन्य परिचालनात्मक राजस्व (निवल) (ख)		**449.30**		**461.76**
उपभोक्ता के साथ संविदा से राजस्व (क+ख)		**10,750.75**		**10,718.15**

टिप्पणी :

1. विक्रय उन्नयन (+) / ग्रेड अपगमन (-) के निहितार्थ पक्षकारों को निर्गत/निर्गत किए जा रहे नामे/साख-पत्र के कारण ₹-114.53 करोड़ (₹0.48 करोड़) का वास्तविक उन्नयन (+)/ग्रेड अपगमन (-) के लिए समायोजन का निवल है।
2. उक्त कोयला का विक्रय ₹115.95 करोड़ (₹-201.96 करोड़) की अनुमानित कोयला गुणवत्ता अंतर (व्युत्क्रमण का निवल) द्वारा वृद्धि की गई(+)/कमी (-) है।
3. बिक्री में 53.94 लाख टन (49.80 लाख टन) की ई-नीलामी परिमाण और ₹1305.59 करोड़ (₹651.65 करोड़) का ई-नीलामी लाभ सम्मिलित है।
4. बिक्री में 0.28 लाख टन (0.75 लाख टन) की एमओयू परिमाण और ₹0.00 करोड़ (₹1.16 करोड़) का एमओयू लाभ सम्मिलित है।
5. बिक्री में 8.30 लाख टन (6.33 लाख टन) की लिंकेज नीलामी परिमाण और ₹43.21 करोड़ (₹25.25 करोड़) की लिंकेज नीलामी लाभ सम्मिलित है।
6. बिक्री में ईंधन आपूर्ति करार के अधीन ₹97.06 करोड़ (कुछ नहीं) यथा कार्य-निष्पादन प्रोत्साहन बिल सम्मिलित हैं।
7. सांविधिक कर में राजपत्रित अधिसूचना सं. 318, राँची दिनांकित 06 जुलाई, 2020 के माध्यम से झारखण्ड राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित नई उपकर नामशः प्रति टन प्रेषण का ₹10.00 की दर "कोविड-19 सर्वव्यापी रोग उपकर" का ₹11.24 करोड़ (₹12.03 करोड़) सम्मिलित है।
8. खदान के संबंध में पूर्व के मामलों में किए गए कोयला गुणवत्ता विश्लेषण के संबंध में रिपोर्टों की ऐतिहासिक प्रवृत्ति के आधार पर, कोयले की गुणवत्ता अंतर के प्रावधान को निम्लिखित विधि से प्राक्कलित और निर्धारित किया गया है :

   i. जहाँ परस्पर स्वीकृत गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला से प्रतिचयन परिणामें प्रतीक्षा है, सीक्यूवी के समायोजन को नवीनतम उपलब्ध परिणाम के माह से पूर्व छह माहों के लिए परस्पर स्वीकृत गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला से उपलब्ध परिणामों की प्रवृत्ति के आधार पर निर्धारित किया गया है।

   ii. जहाँ प्रतिचयन परिणाम परस्पर स्वीकृत गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला से प्राप्त किया गया है, लेकिन उसे निर्णायक गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला को निर्दिष्ट किया गया है, सीक्यूवी के समायोजन को नवीनतम उपलब्ध परिणाम के माह से पूर्व छः माहों के लिए निर्णायक गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला से उपलब्ध परिणामों की प्रवृत्ति के आधार पर निर्धारित किया गया है।iii. अप्रतिचयनित परिमाणों पर सीक्यूवी के समायोजन को ईंधन आपूर्ति करार के प्रावधान पर आधारित निर्धारण किया गया है।

   उक्त प्रवृत्ति के प्रत्याशित परिणामों को कोयला गुणवत्ता अंतर के प्रावधानों तक पहुँचने के लिए प्रतीक्षित परिणाम परिमाण पर प्रवृत्त है"

9. टिप्पणी 38 में भारतीय लेखांकन मानक 115 के अनुसार भिन्न-भिन्न राजस्व सूचना दिए गए है।

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी...)

टिप्पणी 25 : अन्य आय

(₹ करोड़ में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2022	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2021
ब्याज आय	120.75	99.85
अनुषंगियों में निवेश से लाभांश आय	-	-
पारस्परिक निधि से लाभांश आय	-	-
अनुषंगियों द्वारा शेयरों के वापसी-खरीद से आय	-	-
अन्य गैर-परिचालनात्मक आय		
शीर्ष प्रभार	-	-
आस्तियों के विक्रय पर लाभ	0.02	0.55
विदेश विनिमय लेनदेनों से अभिलाभ	-	4.95
पट्टा किराया	-	-
देयता / प्रावधान प्रतिलेखन	43.02	112.56
उचित मूल्य प्रभार (निवल)	-	-
प्रकीर्ण आय	54.34	167.97
कुल	**218.13**	**385.88**

टिप्पणी :

1. ब्याज आय में ₹51.93 करोड़ (₹3.72 करोड़) की राशि का आयकर वापसी सम्मिलित है।

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी...)

टिप्पणी 26 : उपभुक्त सामग्रियों की लागत (₹ करोड़ में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2022	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2021
विस्फोटक	250.99	210.41
इमारती लकड़ी	3.86	5.37
तेल एवं स्नेहक	320.09	255.21
एचईएमएम उपकरणें	50.00	86.42
अन्य उपभोग्य भण्डारों एवं उपकरणें	156.44	162.66
कुल	**781.38**	**720.07**

टिप्पणी 27 : तैयार माल, चालू कार्य एवं व्यापार स्टॉक की वस्तुसूचियों में परिवर्तन (₹ करोड़ में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2022	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2021
कोयले का आरंभिक स्टॉक	622.73	321.92
कोयले का अंतिम स्टॉक	339.63	622.73
कोयले की वस्तुसूची में परिवर्तन (क)	283.10	(300.81)
कर्मशाला द्वारा तैयार माल, चालू कार्य एवं प्रेस कार्य के आरंभिक स्टॉक	13.78	13.88
कर्मशाला द्वारा तैयार माल, चालू कार्य एवं प्रेस कार्य के अंतिम स्टॉक	5.54	13.78
कर्मशाला की वस्तुसूची में परिवर्तन (ख)	8.24	0.10
व्यापार स्टॉक की वस्तुसूची में परिवर्तन {अनभिवृद्धि/(अभिवृद्धि)} (क + ख)	**291.34**	**(300.71)**

टिप्पणी 28 : कर्मी प्रसुविधा व्यय (₹ करोड़ में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2022	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2021
वेतन एवं मजदूरी (भत्ता एवं बोनस आदि सहित)	6,234.37	5,924.72
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान	1,459.39	1,526.42
कर्मचारी वर्गीय कल्याण व्यय	289.89	337.16
कुल	**7,983.65**	**7,788.30**

टिप्पणी :

1. भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान में सीआईएल निदेशक मण्डल की 414वीं बैठक में निर्णितानुसार सीएमपीएस 1998 के आधारभूत निधि के कारण वर्ष के दौरान प्रेषण का ₹10.00 प्रति टन पर समुत्थान के प्रतिकूल ₹35.92 करोड़ (₹ 15.60 करोड़) की राशि सम्मिलित है।

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी...)

टिप्पणी 29 : निगमित सामाजिक दायित्व व्यय

(₹ करोड़ में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2022	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2021
सीएसआर व्यय	13.86	11.56
कुल	**13.86**	**11.56**

टिप्पणी :

1. कंपनी अधिनियम की धारा 135 के अनुसार सीएसआर व्यय तीन तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान किए गए कंपनी के औसत निवल लाभ का 2% होना चाहिए।

	31-03-2022	31-03-2021
3 पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ	628.51	442.04
औसत निवल लाभ का 2%	12.57	8.84

2. सीएसआर व्यय के गतिविधिवार विश्लेषित आँकड़े (अतिरिक्त व्ययित सहित)

(₹ in Crore)

	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2022	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2021
भूख, निर्धनता एवं कुपोषण उन्मूलन	9.29	3.45
विशिष्ट शिक्षा सहित शिक्षा तथा व्यवसाय दक्षता वर्धित कर नियोजन को प्रोत्साहित करना	2.39	4.88
लैंगिक समानता तथा सामाजिक व आर्थिक रूप से अक्षम समूहों द्वारा सामना किए गए असमानता को कम करने के लिए अध्युपाय	-	0.08
पर्यावरणीय संधारणीयता	0.05	2.13
राष्ट्रीय विरासत, कला एवं संस्कृति को संरक्षण	-	-
सशस्त्र बल सैनिकों, युद्ध में मृत सैनिकों के पत्नियों एवं उनके आश्रितों को प्रसुविधा	-	-
ग्रामीण खेलकूल, राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त खेलकूलों, परा-ओलिंपिक खेलकूदों एवं ओलिंपिक खेलकूदों को प्रोन्नत करने के लिए प्रशिक्षण	-	-
सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित निधि में अंशदान	- -	- -
इन्क्यूबेटर या अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं को अंशदान	-	-
विश्वविद्यालयों एवं अनुसंधान संस्थानों को अंशदान	-	-
ग्रामीण विकास परियोजनाएँ	1.86	0.82
गंदी-बस्तीक्षेत्र विकास	-	-
राहत, पुनर्वासन एवं पुनर्संरचनात्मक गतिविधियाँ सहित आपदा प्रबंधन	0.02	0.08
प्रशासनिक ओवर्हेड	0.25	0.12
कुल	**13.86**	**11.56**

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी...)

ख. आवश्यक व्ययित सीएसआर एवं सीएसआर व्यय विश्लेषित आँकड़े

(₹ करोड़ में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2022	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2021
अ. वर्ष के दौरान आवश्यक व्ययित राशि	12.57	8.84
आ. वर्ष के दौरान निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित व्ययित राशि	19.34	16.46
इ. पर वर्ष के दौरान व्ययित राशि :		
i. किसी आस्ति का निर्माण/अधिग्रहण	4.29	1.68
ii. उक्त (i) से भिन्न प्रयोजन के लिए	9.57	9.88
कुल	**13.86**	**11.56**

ग. चालू परियोजना से भिन्न अव्ययित राशि [धारा 135(5)]

(₹ करोड़ में)

	आरंभिक शेष	6 माह के अंदर अनुसूची VII के विनिर्दिष्ट निधि में जमा की गई राशि	वर्ष के दौरान आवश्यक व्ययित राशि	वर्ष के दौरान व्ययित राशि	लेखाबंदी शेष
चालू परियोजना से भिन्न अव्ययित राशि	-	-	-	-	-

सीएसआर में कमी के लिए कारण :

घ. अतिरिक्त व्ययित राशि [धारा 135(5)]

(₹ करोड़ में)

वर्षवार ब्यौरे	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान आवश्यक व्ययित राशि	वर्ष के दौरान व्ययित राशि	लेखाबंदी शेष
2021-22	-	12.57	13.86	-
2020-21	-	8.84	11.56	-
कुल	-	21.41	25.42	-

ङ. चालू परियोजना [धारा 135(6)] (वर्षवार)

(₹ करोड़ में)

वर्षवार ब्यौरे	आरंभिक शेष		आवश्यक व्ययित राशि	वर्ष के दौरान व्ययित राशि		लेखाबंदी शेष	
	कंपनी के पास	पृथक सीएसआर अव्ययित खाता		कंपनी के बैंक खाता से	पृथक सीएसआर अव्ययित खाता	कंपनी के पास	पृथक सीएसआर अव्ययित खाता
2021-22	-	-	NIL	NIL	-	-	-
2020-21	-	-	7.91	7.91	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**7.91**	**7.91**	**-**	**-**	**-**

च. सीएसआर व्यय के देयता के लिए प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान समायोजन	लेखाबंदी शेष
सीएसआर व्यय के देयता के लिए प्रावधान (व्यवसाय प्राप्य में समाविष्ट – टिप्पणी सं. 19)	3.58	7.31	6.34	4.55

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी...)

टिप्पणी 30 : मरम्मति

(₹ करोड़ में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2022	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2021
भवन	89.32	135.45
संयंत्र एवं मशीनरी	101.32	104.76
अन्य	2.23	2.16
	192.87	**242.37**

टिप्पणी 31 : संविदात्मक व्यय

(₹ करोड़ में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2022	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2021
परिवहन प्रभार	172.56	190.94
वेगन लदान	21.32	23.35
संयंत्र और उपस्करों के भाड़े	1,393.03	1,581.80
अन्य संविदात्मक कार्य	142.85	145.14
	1,729.76	**1,941.23**

टिप्पणी 32 : वित्त लागत

(₹ करोड़ में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2022	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2021
ब्याज व्यय		
उधार	0.62	2.88
बट्टों का अकुंडलन	50.66	47.32
समूह के अंदर नियोजित निधियाँ	-	-
अन्य	-	-
उचित मूल्य प्रभार	112.38	143.60
कुल	**163.66**	**193.80**

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी...)

टिप्पणी 33 : प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2022	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2021
संदिग्ध कर्ज	0.21	26.20
संदिग्ध अग्रिम एवं दावे	-	0.16
भण्डार एवं उपकरण	11.90	1.20
अन्य	-	-
	12.11	**27.56**

टिप्पणी 34 : बट्टे खाते डालना (पश्च प्रावधानों का निवल)

(₹ करोड़ में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2022	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2021
संदिग्ध कर्ज	-	-
न्यून : पूर्व उपबंधित	-	-
अंशसमष्टि (क)	-	-
संदिग्ध अग्रिम	-	-
न्यून : पूर्व उपबंधित	-	-
अंशसमष्टि (ख)	-	-
कुल (क + ख)	**-**	**-**

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी...)

टिप्पणी 35 : अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2022	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2021
यातायात व्यय	8.49	8.51
प्रशिक्षण व्यय	1.54	2.75
टेलिफोन, डाक महसूल एवं इंटरनेट	12.55	10.70
विज्ञापन एवं प्रचार	0.74	1.06
मालभाड़ा प्रभार	-	-
विलंब-शुल्क	1.68	1.14
प्रतिभूति व्यय	112.86	107.51
सीआईएल के सेवा प्रभार	32.43	45.03
भाड़ा प्रभार	60.36	58.31
विधिक व्यय	0.82	1.19
परामर्शी प्रभार	8.81	12.70
लदान प्रभारों के अधीन	37.84	38.13
आस्तियों के विक्रय/त्यक्त/सर्वेयेड ऑफ पर हानि	-	-
लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक एवं व्यय		
अ. लेखापरीक्षण शुल्क	0.26	0.26
आ. कराधान मामलों के लिए	0.02	0.02
इ. अन्य सेवाओं के लिए	0.48	0.35
ई. व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए	0.18	0.17
आंतरिक लेखापरीक्षण शुल्क	2.88	2.41
पुनर्वासन प्रभार	21.61	25.23
पट्टा किराया	-	-
दर एवं कर	7.24	13.98
बीमा	0.32	0.31
विनिमय दर अंतर पर हानि	5.24	-
अन्य खान बचाव/सुरक्षा व्यय	1.42	1.46
उपभोग निरपेक्ष किराया/सतही किराया	0.51	0.63
पार्श्वस्थल अनुरक्षण प्रभार	6.53	4.41
अनुसंधान एवं विकास व्यय	-	-
पर्यावरणीय एवं वृक्षारोपण व्यय	6.88	8.21
प्रकीर्ण व्यय	94.88	116.00
कुल	**426.57**	**460.47**

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी...)

टिप्पणी 36 : कर व्यय

(₹ करोड़ में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2022	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2021
चालू वर्ष	-	-
आस्थगित कर	(391.39)	(154.45)
पूर्व वर्ष	14.68	6.77
कुल	**(376.71)**	**(147.68)**

टिप्पणी :

1. निम्नलिखित संबंधी आस्थगित कर आस्तियाँ / (देयता)

(₹ करोड़ में)

	31-03-2022	31-03-2021
क. आस्थगित कर आस्थियाँ :		
कर्मी प्रसुविधा	499.43	246.36
संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर तथा विकास, पूर्वेक्षण एवं वेधन	25.28	27.86
संदिग्ध वित्तीय आस्तियों के प्रतिकूल प्रावधान	91.46	93.07
संदिग्ध ऋण एवं अग्रिमों के प्रतिकूल प्रावधान	8.07	8.07
अन्य	280.73	138.22
कुल (क)	904.97	513.58
ख. आस्थगित कर देयता :		
कर्मी प्रसुविधा	-	-
संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर तथा विकास, पूर्वेक्षण एवं वेधन	-	-
संदिग्ध वित्तीय आस्थियों के प्रतिकूल प्रावधान	-	-
संदिग्ध ऋण एवं अग्रिमों के प्रतिकूल प्रावधान	-	-
प्रावधान	-	-
कुल (ख)	-	-
ग. निवल (क – ख)	**904.97**	**513.58**
घ. परिभाषित प्रसुविधा योजना का पुन:मापन	-	-
निवल आस्थगित कर आस्ति/(आस्थगित कर देयता) (ग+घ)	**904.97**	**513.58**

2. भारतीय के धरेलु कर दर से गुणित कर व्यय एवं लेखांकन लाभ का समाधान

(₹ करोड़ में)

	31-03-2022	31-03-2021
कर पूर्व लाभ/(हानि)	(1,437.37)	(907.26)
25.168% के आयकर दर पर	-	-
न्यून : छूट प्राप्त आयकर पर कर	-	-
जोड़ : कर के प्रयोजनार्थ गैर-कटौतीयोग्य व्यय	(391.39)	(154.45)
न्यून : कर के प्रयोजनार्थ कटौतीयोग्य व्यय	-	-
पूर्व वर्ष के लिए समायोजन	14.68	6.77
न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) प्रावधानों के अधीन कर के लिए समायोजन	-	-
आस्थगित कर के लिए समायोजन	-	-
लाभ और हानि विवरणी में प्रतिवेदित आयकर व्यय	(376.71)	(147.68)
प्रभावी आयकर दर	-	-

3. कंपनी प्रत्याशा करता है कि आस्थगित कर आस्तियों की उपयोगिता के लिए भावी करयोग्य लाभ होगा।

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ (जारी...)

टिप्पणी 37 : अन्य व्यापक आय

(₹ करोड़ में)

	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2022	समाप्त वर्ष के लिए 31-03-2021
i. मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा।		
परिभाषित प्रसुविधा योजनाओं का पुनःमापन	(65.42)	(234.48)
अंशसमष्टि (क)	**(65.42)**	**(234.48)**
ii. मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा संबंधी आयकर		
परिभाषित प्रसुविधा योजनाओं का पुनःमापन	-	-
अंशसमष्टि (ख)	-	-
कुल (ग = क – ख)	(65.42)	(234.48)
i. मदें जिन्हें लाभ-हानि में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा।		
संयुक्त उद्यमों में ओसीआई के शेयर	-	-
अंशसमष्टि (घ)	-	-
ii. मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा संबंधी आयकर		
संयुक्त उद्यमों में अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के शेयर	-	-
अंशसमष्टि (ङ)	-	-
कुल (च = घ – ङ)	-	-
कुल जोड़ (ग + च)	**(65.42)**	**(234.48)**

टिप्पणी :

1. परिभाषित प्रसुविधा योजनाओं के पुनर्मापन के निहितार्थ अन्य व्यापक आय में उपदान के लिए ₹ -4.51 करोड़ (₹ -234.48 करोड़), पश्च-सेवानिवृत्ति चिकित्सीय प्रसुविधाओं के लिए ₹ -60.91 करोड़ (कुछ नहीं) सम्मिलित है।

टिप्पीण 38 : वित्तीय विरण का अतिरिक्त टिप्पणियाँ

1. उचित मूल्य माप

1. [क] श्रेणी अनुसार वित्तीय लिखित **(₹ करोड़ में)**

	31-03-2022		31-03-2021	
	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत
वित्तीय आस्तियाँ				
निवेश :				
सहकारी शेयर	-	0.08	-	0.08
ऋण	-	0.10	-	0.02
व्यवसाय प्राप्य*	-	2,504.20	-	4,423.53
नकदी व नकदी समतुल्य	-	882.47	-	945.16
अन्य बैंक अतिशेष	-	997.56	-	566.50
अन्य वित्तीय आस्तियाँ	-	820.35	-	736.78
कुल	-	**5,204.76**	**-**	**6,672.07**
वित्तीय देयताएँ				
उधार :				
ईडीसी ऋण	-	158.22	-	160.04
चक्रवृद्धि वित्तीय लिखत के देयता घटक (अधिमान शेयर)	-	-	-	1,938.59
बैंक ओवरड्राफ्ट	-	0.18	-	0.12
व्यवसाय देय	-	1,096.03	-	962.64
प्रतिभूति जमा	-	369.33	-	340.50
अग्रिम धन	-	137.42	-	139.64
अन्य वित्तीय देयताएँ	-	1,310.98	-	1,324.99
कुल	-	**3,072.16**	**-**	**4,866.52**

*** व्यवसाय प्राप्य से समायोजित ₹ 35.98 करोड़ (₹ -79.97 करोड़) के कोयला गुणवत्ता अंतर के लिए छूट**

1. [ख] उचित मूल्य उत्क्रम

नीचे दी गई सारणी वित्तीय लिखत के उचित मूल्यों के निर्धारण में निर्मिति निर्णयों एवं प्राक्कलनों को दर्शाती है जो (अ) उचित मूल्य पर निर्धारित एवं मापित और (आ) परिशोधित लागत पर मापित किया जाता है और जिसके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्यों को प्रकटन किया जाता है। उचित मूल्य के निर्धारण करने में प्रयुक्त निविष्टियों की विश्वसनीयता के बारे में संकेत प्रदान करने के लिए, कंपनी अपने वित्तीय लिखतों को लेखांकन मानकों के अधीन उपबंधित तीन स्तरों में वर्गीकृत किया है।

उचित मूल्य पर मापित वित्तीय आस्तियाँ एवं देयताएँ

(₹ करोड़ में)

	31-03-2022		31-03-2021	
	स्तर I	स्तर III	स्तर I	स्तर III
एफवीटीपीएल पर वित्तीय आस्तियाँ				
निवेश :				
पारस्परिक निधि/आईसीडी	-	-	-	-

परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय आस्तियाँ एवं देयताएँ जिसके लिए उचित मूल्य प्रकट किया गया है।

(₹ करोड़ में)

	31-03-2022		31-03-2021	
	स्तर I	स्तर III	स्तर I	स्तर III
वित्तीय आस्तियाँ				
निवेश :				
सहकारी शेयर	-	0.08	-	0.08
ऋण	-	0.10	-	0.02
व्यवसाय प्राप्य	-	2,504.20	-	4,423.53
नकदी व नकदी समतुल्य	-	882.47	-	945.16
अन्य बैंक अतिशेष	-	997.56	-	566.50
अन्य वित्तीय आस्तियाँ	-	820.35	-	736.78
कुल	-	**5,204.76**	-	**6,672.07**
वित्तीय देयताएँ				
उधार :				
ईडीसी ऋण	-	158.22	-	160.04
चक्रवृद्धि वित्तीय लिखत के देयता घटक (अधिमान शेयर)	-	-	-	1,938.59
बैंक ओवरड्राफ्ट	-	0.18	-	0.12
व्यवसाय देय	-	1,096.03	-	962.64
प्रतिभूति जमा	-	369.33	-	340.50
अग्रिम धन	-	137.42	-	139.64
अन्य वित्तीय देयताएँ	-	1,310.98	-	1,324.99
कुल	-	**3,072.16**	-	**4,866.52**

प्रत्येक स्तर का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है :

स्तर I : वित्तीय लिखतों सहित सोपन क्रम को उद्धृत कीमतों का उपयोग करते हुए मापन करता है।

स्तर II : वित्तीय लिखतों का उचित मूल्य जो एक सक्रिय बाजार में कारबार नहीं किया जाता है को मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जो पालनीय बाजार आँकड़ा के उपयोग को अधिकतम करते हैं और संस्था-विशेष प्राक्कलनों पर जितना संभव हो उतना कम निर्भर करते हैं। यदि किसी लिखत के उचित मूल्य के लिए आवश्यक सभी महत्त्वपूर्ण निविष्टियाँ पालनीय है तो लिखत को स्तर II में समाविष्ट किया जाता है।

स्तर III : यदि एक या अधिक महत्त्वपूर्ण निविष्टियाँ पालनीय बाजार आँकड़ा पर आधारित नहीं है तो लिखत को स्तर III में समाविष्ट किया गया है। यह असूचीबद्ध साम्या प्रतिभूतियों, अधिमान शेयर उधारों, प्रतिभूति जमाराशियों एवं स्तर III में समाविष्ट अन्य देयताओं के मामलात में है।

1. [ग] अवधारित उचित मूल्य में प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीक

वित्तीय लिखतों का मूल्य आंकने के लिए प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीकों में लिखतों के उद्धृत बाजार कीमतों का उपयोग समाविष्ट है।

1. [घ] महत्त्वपूर्ण अलक्ष्य निविष्टियों का व्यवहार करके उचित मूल्य माप

वर्तमान में महत्वपूर्ण अपालनीय निविष्टियों का उपयोग करके कोई उचित मूल्य मापन नहीं है।

1. [ङ] परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय आस्तियों एवं देयताओं का उचित मूल्य

- व्यवसाय प्राप्य, अल्पावधि जमाराशियों, नकदी और नकदी समतुल्य, व्यवसाय देय को उनकी अल्पकालिक प्रकृति के कारण उनके उचित मूल्यों के समान माना जाता है।
- कंपनी विचार करती है कि प्रतिभूति जमाराशियाँ महत्त्वपूर्ण वित्तपोषण घटक को समाहित नहीं करती हैं। प्रतिभूति जमाराशियाँ कंपनी के कार्य-निष्पादन के अनुरूप होती है और संविदा के लिए वित्त प्रावधानों के इतर कारणों के निमित्त राशियों को प्रतिधारित रखने की आवश्यकता होती है। प्रत्येक मील पत्थर भुगतान के एक विनिर्दिष्ट प्रतिशत का विधारण कंपनी के हितों की संरक्षा करने के लिए किया जाता है क्योंकि संविदाकर्ता संविदा के अधीन अपने दायित्वों को पर्याप्त रूप से पूरा करने में विफल रहता है।

महत्वपूर्ण प्राक्कलन : वित्तीय लिखतों के उचित मूल्य जो सक्रिय बाजार में व्यवसाय नहीं किया जाता है को मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग कर निर्धारित किया जाता है। कंपनी पद्धतियों के चयन में अपने निर्णयों का उपयोग करता है और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर उपयुक्त ग्रहणों को बनाती है।

2. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय जोखिम प्रबंधन के वस्तुनिष्ठ एवं नीतियाँ

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयताओं में व्यवसाय और अन्य देय समाहित हैं। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य प्रयोजन कंपनी के संचालन को वित्तपोषित करना और इसके संचालन का समर्थन करने के लिए गारंटी प्रदान करना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय संपत्तियों में ऋण, व्यवसाय और अन्य प्राप्य, और नकदी व नकदी समतुल्य समाहित हैं जो प्रत्यक्षतः इसके संचालन से प्राप्त होते हैं।

कंपनी बाजार जोखिम, ऋण जोखिम एवं चलनिधि जोखिम के लिए उच्छन्न होता है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों के प्रबंधन का पर्यवेक्षण करते हैं। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन को एक जोखिम समिति द्वारा आलंबित किया जाता है जो अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी के लिए वित्तीय जोखिमों और उपयुक्त वित्तीय जोखिम सुशासन संरचना पर सलाह देती है। जोखिम समिति निदेशक मंडल को आश्वासन देती है कि कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियाँ उपयुक्त नीतियों और प्रक्रियाओं द्वारा नियंत्रित होती हैं तथा वित्तीय जोखिमों की पहचान, मापन और प्रबंधन कंपनी की नीतियों और जोखिम उद्देश्यों के अनुसार किया जाता है। निदेशक मंडल इन जोखिमों में से प्रत्येक के प्रबंधन के लिए नीतियों की समीक्षा करता है और सहमत होता है, जिन्हें नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

यह टिप्पणी जोखिम के उन स्रोतों की व्याख्या करता है जिनसे संस्थान को अवगत कराया जाता है और संस्था वित्तीय विवरणों में जोखिम और रक्षित लेखांकन के प्रभाव का प्रबंधन कैसे करती है।

जोखिम	से उद्भूत उच्छन्न	मापन	प्रबंधन
ऋण जोखिम	परिशोधित लागत पर मापित नकदी एवं नकदी समतुल्य, व्यवसाय प्राप्य वित्तीय आस्ति	काल-प्रभावन विश्लेषण / साख निर्धारण	लोक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देशों), बैंक जमाराशियाँ साख सीमा एवं अन्य प्रतिभूतियों का विशाखन
चलनिधि जोखिम	उधार एवं अन्य देयताएँ	आवधिक नकदी प्रवाह	सुपुर्द ऋण व्यवस्था एवं उधार प्रसुविधाओं की उपलब्धता
बाजार जोखिम - विदेशी मुद्रा	भारतीय रूपये में न मूल्यवर्गित भावी वाणिज्यिक अंतरण, निर्धारित वित्तीय आस्तियाँ एवं देयताएँ	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	वरिष्ठ प्रबंधन और संपरीक्षक समिति द्वारा नियमित निगरानी एवं पुनर्विलोकन
बाजार जोखिम - ब्याज दर	नकदी एवं नकदी समतुल्य, बैंक जमाराशियाँ एवं पारस्परिक निधियाँ	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	लोक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देशों), वरिष्ठ प्रबंधन और संपरीक्षक समिति द्वारा नियमित निगरानी एवं पुनर्विलोकन

कंपनी का जोखिम प्रबंधन भारत सरकार द्वारा जारी डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। निदेशक मंडल समग्र जोखिम प्रबंधन के साथ-साथ अतिरिक्त चलनिधि के निवेश को कवर करने वाली नीतियों के लिए लिखित सिद्धांत प्रदान करता है।

2. [क] ऋण जोखिम :

2. [क] (अ) ऋण जोखिम प्रबंधन :

प्राप्य मुख्यतः कोयले के विक्रय से उद्भूत होता है। कोयले का विक्रय को विस्तीर्णता से ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) एवं ई-नीलामी के जरिए यथा विक्रय रूपक वर्गीकृत किया जाता है।

समष्टि-आर्थिक सूचना (जैसा कि नियामक परिवर्तन) को ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) और ई-नीलामी शर्तों के अंश के रूप में निगमित किया गया है।

2. [क] (आ) ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए)

नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) की शर्तों यथा अनुध्यात में और उसके अनुसार ही, कंपनी उपभोक्ताओं के साथ या राज्य नामित अभिकरणों के साथ विधिक रूपक प्रवर्तनीय एफएसए में प्रवेश करती है जो परिणामस्वरूप अंतिम उपयोग उपभोक्ताओं के साथ उचित वितरण व्यवस्था में प्रवेश करती है। हमारे एफएसए को विस्तीर्णता से इसमें वर्गीकृत किया जा सकता है:

- विद्युत शक्ति उपयोगिता क्षेत्र, राज्य विद्युत शक्ति उपयोगिता सहित), निजी विद्युत उपयोगिता ("पीपीयू") एवं स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों ("आईपीपी") के उपभोक्ताओं के साथ एफएसए;
- गैर-विद्युत शक्ति उद्योगों (आबद्ध विद्युत शक्ति संयंत्र ("सीपीपी") सहित) में उपभोक्ताओं के साथ एफएसए; और
- राज्य नामित अभिकरणों के साथ एफएसए।

2. [क] (इ) ई-नीलामी योजना

कोयले की ई-नीलामी योजना उन उपभोक्ताओं के लिए कोयले तक पहुँच प्रदान करने के लिए प्रवर्तन की गई है जो नानाविध कारणों से एनसीडीपी के तहत उपलब्ध संस्थागत तंत्र के माध्यम से अपनी कोयले की आवश्यकता को पूर्ण करने में सक्षम नहीं थे, उदाहरणस्वरूप, एनसीडीपी के अधीन उनके नियामक आवश्यकता के पूर्ण आवंटन से कम, उनकी कोयले की आवश्यकता की मौसमी-तत्व और कोयले की सीमित आवश्यकता के कारण जिसे दीर्घावधि सहबद्धता की वारंटी नहीं देती है। कोयला मंत्रालय द्वारा समय-समय पर ई-नीलामी के तहत प्रस्थापित कोयले के परिमाण की समीक्षा की जाती है।

2. [क] (ई) अप्रत्याशित ऋण हानि के लिए प्रावधान :

कंपनी आजीवन प्रत्याशित ऋण हानि (सरलीकृत उपागम) द्वारा संदिग्ध/ऋण ह्रासित आस्तियों के लिए प्रत्याशित ऋण जोखिम हानि प्रदान करती है [टिप्पणी- 13, व्यवसाय प्राप्य देखें]।

वित्तीय आस्तियों के ह्रास के लिए महत्त्वपूर्ण प्राक्कलन एवं निर्णय

उपरि प्रकट वित्तीय आस्तियों के लिए ह्रास प्रावधान चूक के जोखिम और प्रत्याशित हानि दरों के विषय में ग्रहणों पर आधारित हैं। कंपनी इन ग्रहणों को बनाने और कंपनी के पूर्व इतिहास, विद्यमान बाजार स्थितियों के साथ-साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रगतिशील प्राक्कलनों के आधार पर, ह्रास परिकलन के लिए निविष्टियों का चयन करने में निर्णय का उपयोग करती है।

2. [ख] चलनिधि जोखिम

प्रज्ञायुक्त चलनिधि जोखिम प्रबंधन में पर्याप्त नकदी एवं विपणनयोग्य प्रतिभूतियों को अनुरक्षित करने तथा दायित्वों जब देय को पूरा करने में प्रतिबद्ध ऋण प्रसुविधाओं की यथेष्ट राशियों के जरिए निधियन की उपलब्धता अंतर्हित होता है। अंतर्निहित कारबारों की गतिशील प्रकृति के कारण, कंपनी कोषागार प्रतिबद्ध ऋण व्यवस्था के अधीन उपलब्धता अनुरक्षित करते हुए निधियन में सुनम्यता
बनाए रखता है।

प्रबंधन कंपनी के चलनिधि स्थिति (अनाहरित ऋण प्रसुविधाओं को समाविष्ट करके) के पूर्वानुमानों और प्रत्याशित नकदी प्रवाह के आधार पर नकदी व नकदी समतुल्य का अनुश्रवण करता है। यह सामान्यतः कंपनी द्वारा निर्मित परिपाटी एवं सीमाओं के अनुसार कंपनी के परिचालनात्मक कंपनियों में स्थानीय स्तर पर किया जाता है।

(₹ करोड़ में)

विशिष्टियाँ	31-03-2022			31-03-2021		
	1 वर्ष से कम	1 से 5 वर्षों के मध्य	5 वर्षों से अधिक	1 वर्ष से कम	1 से 5 वर्षों के मध्य	5 वर्षों से अधिक
गैर-व्युत्पन्नी वित्तीय देयताएँ						
ब्याज दायित्व सहित उधार	7.36	28.72	122.32	1,945.66	27.80	125.29
व्यवसाय देय	1,096.03	-	-	962.64	-	-
अन्य वित्तीय देयताएँ	1,727.38	90.35	-	1,706.27	98.86	-

2. [ग] बाजार जोखिम

अ. विदेशी मुद्रा जोखिम

विदेशी मुद्रा जोखिम मुद्रा में मूल्यवर्गित भावी वाणिज्यिक लेन-देनों एवं निर्धारित आस्तियों या देयताओं से उद्भूत होता है जो समूह की कार्यात्मक मुद्रा (भारतीय रूपया) नहीं है। कंपनी विदेशी मुद्रा लेन-देन से उद्भूत विदेशी मुद्रा जोखिम के लिए उच्छन्न होता है। विदेशी परिचालन के संबंध में विदेशी मुद्रा जोखिम को अमहत्त्वपूर्ण माना जाता है। कंपनी आयात भी करती है और जोखिम का प्रबंधन नियमित अनुवर्ती कार्रवाई द्वारा किया जाता है। कंपनी की एक नीति होती है जिसे तब अमल में लाया जाता है जब विदेशी मुद्रा जोखिम महत्वपूर्ण हो जाता है।

आ. नकदी प्रवाह एवं उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम

कंपनी का मुख्य ब्याज दर जोखिम बैंक जमाराशियों से उद्भूत होता है जो ब्याज दर में परिवर्तन के साथ कंपनी नकदी प्रवाह ब्याज दर जोखिम को उच्छन्न करती है। कंपनी की नीति अपनी अधिकांश जमाराशियों को नियत दर पर बनाए रखने की है।

कंपनी लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों (डीपीई), बैंक जमाराशियाँ ऋण सीमाओं के विशाखीकरण एवं अन्य प्रतिभूतियों को प्रयुक्त कर प्रबंधित करता है।

पूँजी प्रबंधन

कंपनी एक सरकारी संस्था होने के नाते अपनी पूँजी का प्रबंधन वित्त मंत्रालय के अधीन निवेश और लोक आस्ति प्रबंधन विभाग के दिशानिर्देशोंनुसार करती है।

कंपनी का पूँजी विन्यास निम्नलिखित है :

(₹ करोड़ में)

विशिष्टियाँ	31-03-2022	31-03-2021
I. साम्या शेयर पूँजी	4,269.42	2,218.45
ii. अधिमान शेयर पूँजी का साम्या भाग	-	855.61
iii. दीर्घावधि ऋण :		
ईडीसी ऋण - अप्रचलित	151.04	153.09
ईडीसी ऋण - चालू	7.18	6.95
दीर्घावधि उधार (अधिमान शेयर)	-	1,938.59

वर्ष के दौरान, सीआईएल द्वारा 29 नवंबर, 2021 को आयोजित अपने 434 वीं निदेशक मंडलीय बैठक में यथा अनुमोदित (ईसीएल के 100% शेयरधारक), ₹ 2050.97 करोड़ के 6% अपरिवर्तनीय संचयी प्रतिदेय अधिमान शेयरों (भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार उधार शीर्ष के अधीन इसके पूर्व दर्शाया गया है) को बराबर राशि के साम्या शेयरों (₹1000.00 प्रत्येक के) की समान संख्या में परिवर्तित कर दिया गया है।

3. कर्मी प्रसुविधाएँ : निर्धारण एवं मापन (इंड एएस-19)

परिभाषित प्रसुविधा योजनाएँ :

अ. उपदान

कंपनी पात्र कर्मियों को समाविष्ट करते हुए उपदान के लिए एक पश्च-नियोजन परिभाषित प्रसुविधा योजना ("उपदान स्कीम") प्रदान करती है। भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ अनुरक्षित न्यास के जरिए उपदान स्कीम को निधिक प्रदान किया जाता है जिसमें नियोक्ता का अंशदान मूल वेतन एवं मँहगाई-भत्ता का 2.01% रहता है। प्रत्येक कर्मी जिन्होंने 5 वर्ष या अधिक की निरंतर सेवाएँ दी है उपदान संदाय अधिनियम 1972 यथा संशोधित प्रावधानों को विचारण करके कंपनी से पृथककरण समय में अधिकतम ₹ 0.20 करोड़ के अध्यधीन सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिवस के वेतन के बराबर यथा संगणित (माह का 15 दिवस / 26 दिवस x अंतिम आहरित वेतन एवं मँहगाई-भत्ता x सेवा पूर्ण वर्ष) उपदान राशि प्राप्त करने का हकदार है। उपदान स्कीम की बाबत तुलन-पत्र में निर्धारित देयता या आस्ति योजनागत आस्तियों के अंकित मूल्य से कम रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर परिभाषित प्रसुविधा दायित्व का वर्तमान मूल्य है। परिभाषित प्रसुविधा दायित्व बीमांकक द्वारा पूर्वानुमानित इकाई साख पद्धति का उपयोग करते हुए प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर परिकलित किया जाता है। बीमांकिक ग्रहण में अनुभवजन्य समयोजन एवं परिवर्तन से उद्भूत पुनर्मापित लाभ एवं हानियों को उस अवधि में जिसमें वे होते हैं प्रत्यक्षतः अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में निर्धारित की जाती हैं।

आ. सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सीय प्रसुविधा - अधिकारी (सीपीआरएमएसई)

कंपनी के पास अधिवर्षिता की उम्र प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति या अस्वस्थता के आधार पर कंपनी से पृथक या सामान्य कोयला संवर्ग के अधीन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना या समय-समय पर निश्चित किए और बनाए गए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत सेवानिवृत्त के मद्धे, अधिकतम सीमा के अध्यधीन कंपनी अस्पताल/ पैनलकृत अस्पताल या बाह्यरोगी/केवल भारत में अधिवासित में अधिशासियों एवं उनके पति या पत्नी को चिकित्सा देख-भाल प्रदान करने के लिए, सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा प्रसुविधा योजना नामशः सीआईएल एवं इसकी अनुषंगियों के लिए अंशदायी सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा देख-भाल योजना (सीपीआरएमएसई) है। सीआईएल एवं इसकी अनुषंगियों की सेवाओं से पद त्याग करने वाले अधिशासियों को सदस्यता का विस्तारण नहीं दिया जाता है। बिना किसी ऊपरी सीमा के विनिर्दिष्ट रोगों के सिवाय, संयुक्तत: और पृथकत: सेवानिवृत्त अधिशासियों और पति या पत्नी के लिए पूरे जीवन के दौरान प्रतिपूर्ति योग्य अधिकतम राशि ₹25 लाख है। केवल इस प्रयोजनार्थ सामूहिक स्तर पर सीआईएल द्वारा अनुरक्षित न्यास के जरिए योजना को निधि प्रदान किया जाता है। योजना के लिए देयता प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर कृत बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

इ. सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सीय प्रसुविधा - कर्मचारी (सीपीआरएमएस-एनई)

यथा वेतन करार के अधीन सामाजिक सुरक्षा योजना के रूप में, अधिवर्षिता की उम्र प्राप्त करने पर सेवानिवृत्ति या अस्वस्थता के आधार पर कंपनी से पृथक या सामान्य कोयला संवर्ग के अधीन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना या समय-समय पर निश्चित किए और बनाए गए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत सेवानिवृत्त या 57 वर्ष की उम्र या अधिक में कंपनी से पद त्याग करता है या पति या पत्नी और दिव्यांग बच्चा(चों) की मृत्यु पर के मद्धे, अधिकतम सीमा के अध्यधीन कंपनी अस्पताल/पैनलकृत अस्पताल या बाह्यरोगी/केवल भारत में अधिवासित में गैर-अधिशासियों एवं उनके पति या पत्नी एवं दिव्यांग बच्चा/चों को चिकित्सा देख-भाल प्रदान करने के लिए, कंपनी गैर-अधिशासियों के लिए अंशदायी सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सीय देख-भाल योजना प्रदान कर रही है। बिना किसी ऊपरी सीमा के विनिर्दिष्ट रोगों के सिवाय, संयुक्तत: और पृथकत: सेवानिवृत्त गैर-अधिशासियों और पति या पत्नी और दिव्यांग बच्चा(चों) के लिए पूरे जीवन के दौरान प्रतिपूर्ति योग्य अधिकतम राशि ₹ 8 लाख है। केवल इस प्रयोजनार्थ सामूहिक स्तर पर सीआईएल द्वारा अनुरक्षित न्यास के जरिए योजना को निधि प्रदान किया जाता है। योजना के लिए देयता प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर कृत बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

परिभाषित अंशदान योजनाएँ :

अ. भविष्य निधि एवं पेंशन

कंपनी पूर्व-निर्धारित दरों से अर्हक कर्मियों के वेतन का नियत प्रतिशत अर्थात् भविष्य निधि एवं पेंशन निधि के लिए मूल वेतन एवं मँहगाई भत्ता का क्रमशः 12% एवं 7% पर आधारित भविष्य निधि एवं पेंशन निधि में सावधि अंशदान का भुगतान करती है। इन निधियों को भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के नियंत्रणाधीन एक पृथक सांविधिक निकाय नामतः कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) द्वारा शासित किया जाता है। सावधि निधि अंशदान को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है।

आ. सीआईएल अधिशाषी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (एनपीएस)

कंपनी अपने अधिशासियों को एक पश्च-नियोजन अंशदायी पेंशन योजना नामशः "सीआईएल अधिशासी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना - 2007" (यथा न्यू पेंशन स्कीम "एनपीएस" संदर्भित है) प्रदान करती है। एनपीएस को केवल इस प्रयोजनार्थ गठित समूह स्तर पर पृथक न्यास के जरिए प्रबंधित किया जा रहा है। कंपनी का दायित्व न्यास को भविष्य-निधि, उपदान, पश्च-सेवानिवृत्ति चिकित्सीय प्रसुविधाओं – अधिशासी अर्थात् सीपीआरएमएसई या अन्य कोई सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं में नियोक्ता अंशदान से कम मूल वेतन और मँहगाई-भत्ता का 30% से अनधिक राशि के उस परिमाण तक अंशदान करना है। मूल वेतन एवं मँहगाई-भत्ता का 6.99% का सामयिक नियोक्ता अंशदान लाभ और हानि विवरण में प्रभारित किया जा रहा है।

अन्य दीर्घावधि कर्मचारी प्रसुविधाएँ

अ. अवकाश नकदीकरण

कंपनी अपने अधिशासियों को कुल 30 दिवसों का अर्जित अवकाश (ईएल) और 20 दिवसों का अर्ध समादत्त अवकाश (एचपीएल) की प्रसुविधा प्रदान करती है जो प्रत्येक वर्ष के जनवरी और जुलाई के प्रथम दिवस को अर्धवार्षिक रूप से उपचित और जमा की जाती है। सेवा के दौरान, अधिकतम 60 दिवस के अर्जित अवकाश नकदीकरण की सीमा के अध्यधीन प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एकबारगी 75% जमा शेष अर्जित अवकाश नकदीकरण योग्य है। संचित एचपीएल को सेवा की अवधि के दौरान नकदीकरण की अनुमति नहीं है। अधिवर्षिता पर, संयुक्तः अर्जित अवकाश (ईएल) एवं अर्ध समादत्त अवकाश (एचपीएल) को बिना एचपीएल न्यूनीकरण के 300 दिवसों की समग्र सीमा के अध्यधीन नकदीकरण करने के लिए प्रतिफल किया जाता है। गैर-अधिशासियों के मामले में, अवकाश नकदीकरण राष्ट्रीय कोयला मजदूरी करार (एनसीडब्ल्यूए) द्वारा शासित किया जाता है और वर्तमान में कर्मकार 15 दिवस प्रतिवर्ष की दर से अर्जित अवकाश का नकदीकरण प्राप्त करने का हकदार है तथा मृत्यु, सेवानिवृत्ति, अधिवर्षिता एवं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कारण सेवा से विरति पर शेष अवकाश या 150 दिवस जो भी कम हो, को नकदीकरण के लिए अनुज्ञात किया जाता है। फलतः अर्जित अवकाश के लिए देयताओं को कर्मी की सेवा के दौरान के साथ-साथ सेवानिवृत्ति के उपरांत निपटारित किया जाना प्रत्याशित है। पूर्वानुमानित इकाई साख पद्धति का उपयोग करके रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति तक कर्मियों द्वारा प्रदत्त सेवाओं के एवज में यथा प्रत्याशित भावी भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापित किया जाता है। प्रसुविधाएँ रिपोर्टिंग अवधि जिसमें सबंद्ध दायित्व निबंधनों के सन्निकट निबंधन हैं की समाप्ति पर बाजार प्रतिफल का उपयोग करके भुनाया जाता है। कंपनी द्वारा योजना के लिए देयता प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार धारित किया जाता है।

आ. जीवन रक्षा योजना (एलसीएस)

यथा वेतन करार के अधीन सामाजिक सुरक्षा योजना के रूप में, भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा अधिसूचित जमाराशि सहलग्न बीमा योजना, 1976 के अधीन जीवन बीमा योजना नामशः "कोल इंडिया लिमिटेड का जीवन बीमा योजना" (एलसीएस) है। दिनांक 01.10.2017 से प्रभावी योजना के अधीन ₹1,25,000.00 की राशि प्रदत्त की गई है। प्रसुविधाओं की प्रत्याशित लागत तब निर्धारित होती है जब कोई घटना घटित होती है जो योजना के अधीन प्रसुविधा देय का कारण बनती है।

इ. व्यवस्थापन भत्ता

यथा वेतन करार के रूप में, 31.10.2010 से या उपरांत एनसीडब्ल्यूए के अधीन शासित समस्त गैर-अधिशासी संवर्गीय कर्मचारियों को उनके अधिवर्षिता पर ₹12,000.00 की एकमुश्त राशि यथा व्यवस्थापन भत्ता प्रदान की जाती है। कंपनी द्वारा योजना के लिए देयता प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार धारित किया जाता है।

ई. समूह कार्मिक दुर्घटना बीमा (जीपीएआईएस)

कंपनी ने व्यक्तिगत दुर्घटना के विरूद्ध कंपनी के अधिशासियों को समाविष्ट करने के लिए यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि. से समूह बीमा योजना नामशः "कोल इंडिया अधिशासी सामूहिक कार्मिक दुर्घटना बीमा योजना" (जीपीएआईएस) परिगृहीत किया है। जीपीएआईएस 24 घंटे के आधार पर विश्वव्यापी सभी प्रकार की दुर्घटनाओं को समाविष्ट करता है। योजना का प्रीमियम कंपनी द्वारा धारित किया जाता है।

उ. अवकाश यात्रा रियायत

यथा वेतन करार के रूप में, गैर-अधिशासी कर्मी 4 वर्षों के ब्लॉक में एक बार अपने गृहनगर आने और "भारत भ्रमण" के लिए यात्रा सहायता के हकदार हैं। गृहनगर और "भारत भ्रमण" का दौरा करने के लिए क्रमशः ₹ 8000/- और ₹ 12000/- की एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है। कंपनी द्वारा योजना के लिए देयता प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

ऊ. खान दुर्घटना प्रसुविधाओं पर आश्रित को मुआवजा

यथा वेतन करार के अधीन सामाजिक सुरक्षा योजना के रूप में, कंपनी कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अधीन अनुज्ञेय प्रसुविधाएँ प्रदान करती है। दिनांक 07.11.2019 से घातक खदान दुर्घटना के मामले में एक कर्मचारी के परिजनों को ₹ 15 लाख की राशि का भुगतान किया जाता है। प्रसुविधाओं की प्रत्याशित लागत तब निर्धारित होती है जब कोई घटना घटित होती है जो योजना के अधीन प्रसुविधा देय का कारण बनती है।

परिभाषित प्रसुविधा योजनाओं एवं अन्य दीर्घावधि कर्मचारी प्रसुविधा योजनाओं का निधियन विवरण यथा निम्नवत हैं :

(I) निधिक

» उपदान
» अवकाश निधियन
» सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सीय प्रसुविधा - अधिकारी (सीपीआरएमएसई)
» सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सीय प्रसुविधा - कर्मचारी (सीपीआरएमएस-कर्मचारी)

(ii) अनिधिक

» जीवन रक्षा योजना
» व्यवस्थापन भत्ता
» समूह कार्मिक दुर्घटना बीमा
» अवकाश यात्रा रियायत
» खान दुर्घटना प्रसुविधाओं पर आश्रित को मुआवजा

बीमांकक द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर 31-03-2022 को कुल देयता ₹ 6481.09 करोड़ है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

मदे	"प्रारंभिक बीमांकिक दायित्व यथावत 01-04-2021	वर्ष के दौरान समायोजन	31-03-2022 को अंतिम बीमांकिक देयता
उपदान योजना	4,667.32	10.19	4,677.51
अवकाश योजना	897.45	19.73	917.18
एलटीसी - अधिकारी	-	-	-
एलटीसी - कर्मचारी	57.42	(5.73)	51.69
एलटीसी - अधिकारी	0.44	(0.44)	-
एलटीसी - कर्मचारी	15.92	(15.92)	-
व्यवस्थापन भत्ता अधिकारी	7.02	2.55	9.57
व्यवस्थापन भत्ता कर्मचारी	29.17	(6.58)	22.59
घातक खान दुर्घटना	29.34	(29.34)	-
जीपीएआईएस	0.12	(0.12)	-
अधिकारियों के लिए पीआरएमबी	182.64	(13.99)	168.65
कर्मचारियों के लिए पीआरएमबी	114.29	519.61	633.90
कुल	**6,001.13**	**479.96**	**6,481.09**

बीमांकक प्रमाणन के अनुसार प्रकटन

उपदान (निधिक) एवं अवकाश नकदीकरण (निधिक) के निमित्त कर्मी प्रसुविधा के लिए बीमांकक का प्रमाण-पत्र के अनुसार प्रकटन निम्नवत है :-

"उपदान योजना का बीमांकिक परिकलन - 31.03.2022 के अनुसार इंड एएस-19

सारिणी 1: परिभाषित प्रसुविधा लागत

क. लाभ एवं हानि (पी एवं एल)

(₹ करोड़ में)

	31-03-2022	31-03-2021
चालू सेवा लागत	207.59	208.27
पूर्व सेवा लागत - योजना संशोधित	-	-
विरतीकरण लागत / (ऋण)	-	-
व्यवस्थापन लागत / (ऋण)	-	-
सेवा लागत	207.59	208.27
निवल परिभाषित प्रसुविधा देयता/(आस्ति) पर निवल ब्याज	33.83	4.06
(अतिलाभ)/हानि का तात्कालिक निर्धारण - अन्य दीर्घावधि कर्मी प्रसुविधा योजनाएँ	-	-
लाभ व हानि में निर्धारित लागत	241.42	212.33

ख. अन्य व्यापक आय (ओ.सी.आई.)

(₹ करोड़ में)

	31-03-2022	31-03-2021
परिभाषित प्रसुविधा दायित्व अनुभव के कारण बीमांकिक (अतिलाभ)/हानि	7.88	311.43
परिभाषित प्रसुविधा दायित्व ग्रहण प्रभार के कारण बीमांकिक (अतिलाभ)/हानि	14.90	(81.33)
साल के दौरान उत्पन्न बीमांकिक (अतिलाभ)/हानि	22.78	230.09
बट्टा दर से (अधिक)/कम योजना आस्तियाँ पर प्रतिलाभ	(18.27)	4.39
ओ.सी.आई. में निर्धारित बीमांकिक (अतिलाभ)/हानि	4.51	234.48

ग. परिभाषित प्रसुविधा लागत

(₹ करोड़ में)

	31-03-2022	31-03-2021
सेवा लागत	207.59	208.27
निवल परिभाषित देयता/(आस्ति) पर निवल ब्याज	33.83	4.06
ओ.सी.आई. में निर्धारित बीमांकिक (अतिलाभ)/ हानि	4.52	234.48
(अतिलाभ)/हानि का तात्कालिक निर्धारण - अन्य दीर्घावधि कर्मी प्रसुविधा योजनाएँ	-	-
परिभाषित प्रसुविधा लागत	245.93	446.81

घ. को यथा ग्रहण

(₹ करोड़ में)

	31-03-2021	31-03-2020
बट्टा दर	6.85%	N/A
वेतन वृद्धि का दर	Executives: 9% Non-Exe: 6.25%	N/A

सारिणी 2 : निवल तुलन-पत्र स्थिति

क. निवल तुलन-पत्र स्थिति का विकास

(₹ करोड़ में)

	31-03-2022	31-03-2021
परिभाषित प्रसुविधा दायित्व (डीबीओ)	(4,677.51)	(4,667.32)
योजना आस्तियों का उचित मूल्य (एफवीए)	4,053.28	4,058.00
निधिक स्थिति [अधिशेष/(घाटा)]	(624.23)	(609.32)
आस्ति निर्दिष्ट सीमा का प्रभाव	-	-
निवल परिभाषित प्रसुविधा आस्ति/ (देयता)	(624.23)	(609.32)

ख. निवल तुलन-पत्र स्थिति का समाधान

(₹ करोड़ में)

	31-03-2022	31-03-2021
पूर्व अवधि में समाप्त पर निवल परिभाषित प्रसुविधा/(देयता)	(609.32)	(320.56)
सेवा लागत	(207.59)	(208.27)
निवल परिभाषित प्रसुविधा देयता/(आस्ति) पर निवल ब्याज	(33.83)	(4.06)
ओ.सी.आई. में निर्धारित राशि	(4.52)	(234.48)
नियोक्ता अंशदान	231.02	158.05
कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष प्रसुविधा प्रदत्त	-	-
अधिग्रहण ऋण/ (लागत)	-	-
निर्निहितीकरण	-	-
समाप्ति प्रसुविधाओं का लागत	-	-
चालू अवधि की समाप्ति पर निवल परिभाषित प्रसुविधा आस्ति/ (देयता)	(624.23)	(609.32)

ग. को यथा ग्रहण

	31-03-2022	31-03-2021
बट्टा दर	6.80%	6.85%
वेतन वृद्धि का दर	अधिशाषी - 9% गैर-अधिशाषी - 6.25%	अधिशाषी - 9% गैर-अधिशाषी - 6.25%

सारिणी 3 : प्रसुविधा दायित्वों एवं आस्तियों में परिवर्तन

क. परिभाषित प्रसुविधा दायित्व (डीबीओ) में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

	31-03-2022	31-03-2021
पूर्व अवधि की समाप्ति पर डीबीओ	4,667.32	4,463.73
चालू सेवा लागत	207.59	208.27
डीबीओ पर ब्याज लागत	301.83	287.87
विरतीकरण (ऋण)/ लागत	-	-
व्यवस्थापन (ऋण)/ लागत	-	-
पूर्व सेवा लागत - योजना संशोधन	-	-
अधिग्रहण (ऋण)/ लागत	-	-
बीमांकिक (अतिलाभ)/ हानि - अनुभव	7.88	311.43
बीमांकिक (अतिलाभ)/ हानि - जनसांख्यिकीय ग्रहण	-	-
बीमांकिक (अतिलाभ)/ हानि - वित्तीय ग्रहण	14.90	(81.33)
कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष प्रसुविधा प्रदत्त	-	-
योजना आस्तियों से प्रसुविधा प्रदत्त	(522.02)	(522.64)
चालू अवधि की समाप्ति पर डीबीओ	4,677.51	4,667.32

ख. आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

	31-03-2022	31-03-2021
पूर्व अवधि की समाप्ति पर आस्तियों का उचित मूल्य	4,058.00	4,143.17
अधिग्रहण समायोजन	-	-
योजना आस्तियों पर ब्याज आय	268.01	283.81
नियोक्ता अंशदान	231.02	158.05
बट्टा दर से अधिक/(कम) योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ	18.27	(4.39)
प्रसुविधाएँ प्रदत्त	(522.02)	(522.64)
चालू अवधि की समाप्ति पर आस्तियों का उचित मूल्य	4,053.28	4,058.00

सारिणी 4 : अतिरिक्त प्रकटन सूचना

क. समाप्त वर्ष के लिए प्रत्याशित प्रसुविधा भुगतान **(₹ करोड़ में)**

मार्च 31, 2023	424.65
मार्च 31, 2024	412.87
मार्च 31, 2025	462.91
मार्च 31, 2026	517.94
मार्च 31, 2027	520.08
मार्च 31, 2028 से मार्च 31, 2032 तक	2,621.32
10 साल से अधिक	3,142.71

ख. 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अपेक्षित नियोक्ता योगदान	**(₹ करोड़ में)**	99.20

ग. परिभाषित प्रसुविधा दायित्व का भारित औसत अवधि	7 Years

घ. 31 मार्च, 2022 को यथा उपचित प्रसुविधा दायित्व	**(₹ करोड़ में)**	3,551.01

ङ. 31 मार्च, 2022 को यथा योजना आस्ति सूचना

	प्रतिशत
भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ (केन्द्र एवं राज्य)	0.00%
उच्च गुणवत्ता निगमित बॉण्ड (लोक उद्यम बॉण्ड सहित)	0.00%
सूचीबद्ध कंपनियों का साम्या शेयर	0.00%
संपत्ति	0.00%
नकदी (विशेष जमाराशियों सहित)	0.00%
बीमा के योजनाएँ - परंपरागत उत्पाद	100.00%
बीमा के योजनाएँ - यूलिप उत्पाद	0.00%
अन्य	0.00%
कुल	100.00%

च. 31 मार्च, 2022 को यथा विश्लेषित चालू एवं अप्रचलित देयता **(₹ करोड़ में)**

	अधिशाषी	गैर-अधिशाषी	कुल
चालू देयता	(16.11)	(394.79)	(410.90)
अप्रचलित आस्ति/(देयता)	(125.59)	(4,141.01)	(4,266.60)
31 मार्च, 2022 को यथा देयता	(141.70)	(4,535.80)	(4,677.50)

योजना स्वरूप एवं संबद्ध जोखिमों का विवरण

उपदान स्कीम एक अंतिम वेतन परिभाषित प्रसुविधा योजना है जो कोई एक सेवानिवृत्ति, मृत्यु, निःशक्तता या स्वैच्छिक आहरण के रूप में निर्गमन पर सृजित एकमुश्त संदाय के लिए उपबंधित करती है। प्रसुविधाओं को अंतिम वेतन एवं सेवा अवधि के आधार पर परिभाषित किया जाता है और निर्गमन पर यथा एकमुश्त प्रदान किया जाता है। योजना अभिहित (डिजाइन) से देयताओं और वित्तीय परिणामों को सामान्यतः प्रभावित करने वाले जोखिम अभिप्राय है जो प्रत्याशित है :

1. ब्याज दर जोखिम : परिभाषित प्रसुविधा दायित्व सरकारी बॉण्ड पर आधारित बट्टा दर प्रयोग कर परिकलित करता है। यदि बॉण्ड प्रतिफलों में घटता है तो परिभाषित प्रसुविधा दायित्व वृद्धि होगी।

2. वेतन मुद्रास्फीति जोखिम : वेतन में प्रत्याशित से अधिक वृद्धि से परिभाषित प्रसुविधा दायित्व में वृद्धि होगी।

3. जनसंख्यिकीय जोखिम : यह जो मृत्यु दर, आहरण, निःशक्तता और सेवानिवृत्ति को समाविष्ट करता है के ह्रास की अव्यवस्थित प्रकृति के कारण परिणामों की भिन्नता का जोखिम है। परिभाषित लाभ दायित्व पर इन अपक्षयों का प्रभाव सरल नहीं है और वेतन वृद्धि, बट्टा दर और निहित मानदंड के समुच्चय पर निर्भर करता है। यह महत्वपूर्ण है कि आहरण को अत्युक्ति नहीं किया जाए क्योंकि वित्तीय विश्लेषण में एक अल्प कैरियर कर्मी के सेवानिवृत्ति प्रसुविधा की लागत प्रारूपिकतया दीर्घ सेवा वाले कर्मी की तुलना में प्रति वर्ष कम होती है।

निधिक व्यवस्था एवं नीतियों का विवरण

भारत में आदेशाधीन ऐसी योजनाओं के लिए कोई कानूनी न्यूनतम निधियन आवश्यकताएँ नहीं हैं। तदापि एक कंपनी कर छूट प्रसुविधा के परिग्रहण और प्रसुविधाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक पृथक अप्रतिसंहरणीय न्यास के माध्यम से प्रसुविधाओं को निधि प्रदान कर सकती है।

'योजना को एक पृथक अप्रतिसंहरणीय न्यास के जरिए वित्त पोषित किया जाता है और कंपनी ट्रस्ट को नियमित अंशदान प्रदान करने के लिए प्रत्याशित है। निधि का प्रबंधन एक बीमा कंपनी द्वारा किया जाता है और आस्तियों को उनके पारंपरिक समूह उपदान उत्पाद में निवेश किया जाता है। निधि संचित शेष राशि की पूँजी गारंटी प्रदान करता है और आवधिकतः ब्याज घोषित करता है जिसे निधि खाते में जमा किया जाता है। यद्यपि हम जानते हैं कि निधि प्रबंधन बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआईडीए) द्वारा अनुमोदित उत्पादों और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 101 के अधीन यथा नियत निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश करता है, सटीक आस्ति मिश्रण अज्ञात है और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।

निधि प्रबंधन द्वारा प्रबंधित न्यास आस्तियाएँ अत्यधिक अर्थसुलभ प्रकृति की होती है और हम किसी भी महत्वपूर्ण चलनिधि जोखिम की प्रत्याशा नहीं करते हैं।

'न्यासी न्यास की आस्तियों के निवेश के साथ-साथ योजना के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन के लिए उत्तरदायी हैं। ट्रस्ट का प्रशासनिक खर्च कंपनी वहन करती है। न्यासियों को आवश्यक व्यवसाय उदाहरणार्थ न्यास की वित्तीय विवरणी का अनुमोदन, निवेश प्रदर्शन का पुनर्विलोकन करने की आवश्यकता होती है।

सारणी 5 : संवेदनशीलता विश्लेषण

31 मार्च, 2022 को यथा आधार ग्रहण पर डीबीओ	**(₹ करोड़ में)**	4,677.51

क. बट्टा दर

31 मार्च, 2022 को यथा बट्टा दर		6.80%
1. बट्टा दर में 0.5% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव	**(₹ करोड़ में)**	(145.11)
प्रतिशत प्रभाव		-3.00%
2. बट्टा दर में 0.5% की कमी के कारण डीबीओ पर प्रभाव	**(₹ करोड़ में)**	153.99
प्रतिशत प्रभाव		3.00%

ख. वेतन वृद्धि दर

31 मार्च, 2022 तक वेतन वृद्धि का दर		अधिशाषी - 9% गैर-अधिशाषी - 6.25%
1. वेतन वृद्धि दर में 0.5% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव	**(₹ करोड़ में)**	62.17
प्रतिशत प्रभाव		1.00%
2. वेतन वृद्धि में 0.5% की कमी के कारण डीबीओ पर प्रभाव	**(₹ करोड़ में)**	(65.94)
प्रतिशत प्रभाव		-1.00%

समुह उपदान बीमा योजना

कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए एलआईसी ऑफ इंडिया के साथ कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी एश्योरेंस योजना को अपनाया है और जिसके लिए वर्ष 2012-13 में एलआईसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पहले ही दर्ज किया जा चुका है। पूर्वोक्त योजना के प्रबंधन के लिए न्यासियों के साथ एक ट्रस्ट डीड में प्रवेश करके एक कर्मचारी समूह ग्रेच्युटी ट्रस्ट का गठन किया गया है। उक्त योजना के तहत एलआईसी के साथ शेष राशि इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विशिष्टियाँ	31-03-2022	31-03-2021
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	4,058.00	4,143.17
जोड़ें: वर्ष के दौरान निवेश	231.02	158.05
जोड़ें: वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	286.28	279.42
घटा: वर्ष के दौरान जारी की गई निधि	522.02	522.64
वर्ष के अंत में समापन शेष	4,053.28	4,058.00

31-03-2022 को यथा भारतीय लेखांकन मानक 19 के अधीन अवकाश प्रसुविधा योजना का बीमांकिक परिकलन

चालू मूल्यांकन तिथि को यथा उत्तम प्राक्कलन ग्रहण पर आधारित एक नजर में मूल्यांकन यथा निम्न प्रदत्त है :

सारिणी 1: परिभाषित प्रसुविधा लागत का प्रकटन

क. लाभ एवं हानि (पी एवं एल) **(₹ करोड़ में)**

	31-03-2022	31-03-2021
चालू सेवा लागत	160.10	130.00
पूर्व सेवा लागत - योजना संशोधन	-	-
विरतीकरण लागत / (ऋण)	-	-
व्यवस्थापन लागत/ (ऋण)	-	-
सेवा लागत	160.10	130.00
निवल परिभाषित प्रसुविधा देयता/ (आस्ति) पर निवल ब्याज	18.32	(14.05)
(अतिलाभ)/हानि का तात्कालिक निर्धारण - अन्य दीर्घावधि कर्मी प्रसुविधा योजनाएँ	(167.86)	786.11
लाभ व हानि में निर्धारित लागत	10.57	902.07

ख. अन्य व्यापक आयक (ओसीआई) **(₹ करोड़ में)**

	31-03-2022	31-03-2021
डीबीओ अनुभव के कारण बीमांकिक (अतिलाभ)/ हानि	(162.52)	805.67
डीबीओ ग्रहण प्रभार के कारण बीमांकिक (अतिलाभ)/हानि	3.84	(19.29)
बीमांकिक (लाभ)/वर्ष के दौरान होने वाली हानि	(158.69)	786.38
बट्टा दर से (अधिक)/ कम योजना आस्तियों पर वापसी	(9.17)	(0.27)
ओसीआई में निर्धारित बीमांकिक (अतिलाभ)/हानि	-	-

ग. परिभाषित लागत **(₹ करोड़ में)**

	31-03-2022	31-03-2021
सेवा लागत	160.10	130.00
निवल परिभाषित प्रसुविधा देयता/(आस्ति) पर निवल ब्याज	18.32	(14.05)
ओसीआई में निर्धारित बीमांकिक (अतिलाभ)/ हानि	-	-
(अतिलाभ)/ हानि का तात्कालिक निर्धारण - अन्य पूर्वदीर्घावधि कर्मी प्रसुविधआ योजनाएँ	(167.86)	786.11
परिभाषित प्रसुविधा लागत	10.57	902.07

घ. को यथा ग्रहण

	31-03-2021	31-03-2020
बट्टा दर	6.85%	N/A
वेतन वृद्धि का दर	अधिशाषी - 9% गैर-अधिशाषी - 6.25%	N/A

सारिणी 2 : निवल तुलन-पत्र स्थिति

क. निवल तुलन-पत्र स्थिति का विकास **(₹ करोड़ में)**

	31-03-2022	31-03-2021
परिभाषित प्रसुविधा दायित्व (डीबीओ)	(917.18)	(897.45)
योजना आस्तियों का उचित मूल्य (एफवीए)	704.18	565.02
निधिक स्थिति [अधिशेष/घाटा)]	(213.00)	(332.43)
आस्ति निर्दिष्ट सीमा का प्रभाव	-	-
निवल परिभाषित प्रसुविधा आस्ति/ (देयता)	(213.00)	(332.43)

ख. निवल तुलन-पत्र स्थिति का समाधान

(₹ करोड़ में)

	31-03-2022	31-03-2021
पूर्व अवधि की समाप्ति पर निवल परिभाषित प्रसुविधा आस्ति / (देयता)	(332.43)	(202.38)
सेवा लागत	(160.10)	(130.00)
निवल परिभाषित प्रसुविधा देयता / (आस्ति) पर निवल ब्याज	(18.32)	14.05
बीमांकिक (हानि)/अतिलाभ	167.86	(786.11)
नियोक्ता अंशदान	130.00	772.02
कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष प्रसुविधा प्रदत्त	-	-
अधिग्रहण ऋण/ (लागत)	-	-
निर्निहितीकरण	-	-
समाप्ति प्रसुविधाओं का लागत	-	-
चालू अवधि की समाप्ति पर निवल परिभाषित प्रसुविधा आस्ति/ (देयता)	(213.00)	(332.43)

ग. को यथा ग्रहण

	31-03-2022	31-03-2021
बट्टा दर	6.80%	6.85%
वेतन वृद्धि का दर	अधिशाषी 9% गैर-अधिशाषी 6.25%	अधिशाषी 9% गैर-अधिशाषी 6.25%

सारिणी 3 : प्रसुविधा दायित्वों एवं आस्तियों में परिवर्तन

क. परिभाषित प्रसुविधा दायित्व (डीबीओ) में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

	31-03-2022	31-03-2021
पूर्व अवधि की समाप्ति पर डीबीओ	897.45	771.15
चालू सेवा लागत	160.10	130.00
डीबीओ पर ब्याज लागत	60.05	24.91
विरतीकरण (ऋण)/ लागत	-	-
व्यवस्थापन (ऋण)/ लागत	-	-
पूर्व सेवा लागत - योजना संशोधन	-	-
अधिग्रहण (ऋण)/ लागत	-	-
बीमांकिक (अतिलाभ)/ हानि - अनुभव	(162.52)	805.67
बीमांकिक (अतिलाभ)/ हानि - जनसांख्यिकीय ग्रहण	-	-
बीमांकिक (अतिलाभ)/ हानि - वित्तीय ग्रहण	3.84	(19.29)
कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष प्रसुविधा प्रदत्त	-	-
योजना आस्तियों से प्रसुविधा प्रदत्त	(41.74)	(815.00)
चालू अवधि की समाप्ति पर डीबीओ	917.18	897.45

ख. आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

	31-03-2022	31-03-2021
पूर्व अवधि की समाप्ति पर आस्तियों का उचित मूल्य	565.02	568.77
अधिग्रहण समायोजन	-	-
योजना आस्तियों पर ब्याज आय	41.73	38.96
नियोक्ता अंशदान	130.00	772.02
बट्टा दर से अधिक/(कम) योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ	9.17	0.27
प्रसुविधाएँ प्रदत्त	(41.74)	(815.00)
चालू अवधि की समाप्ति पर आस्तियों का उचित मूल्य	704.18	565.02

सारिणी 4 : अतिरिक्त प्रकटन सूचना

क. समाप्त वर्ष के लिए प्रत्याशित प्रसुविधा भुगतानें **(₹ करोड़ में)**

मार्च 31, 2023	74.48
मार्च 31, 2024	74.31
मार्च 31, 2025	83.84
मार्च 31, 2026	86.30
मार्च 31, 2027	89.79
मार्च 31, 2028 से मार्च 31, 2032 तक	440.83
10 साल से अधिक	1,133.37

ख. 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अपेक्षित नियोक्ता योगदान	**(₹ करोड़ में)**	198.68

ग. परिभाषित प्रसुविधा दायित्व का भारित औसत अवधि	9 Years

घ. 31 मार्च, 2022 को उपचित प्रसुविधा दायित्व	**(₹ करोड़ में)**	568.42

ङ. 31 मार्च, 2022 को यथा योजना आस्ति सूचना

	प्रतिशत
भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ (केन्द्र एवं राज्य)	0.00%
उच्च गुणवत्ता निगमित बॉण्ड (लोक उद्यम बॉण्ड सहित)	0.00%
सूचीबद्ध कंपनियों का साम्या शेयर	0.00%
संपत्ति	0.00%
नकदी (विशेष जमाराशियों सहित)	0.00%
बीमा के योजनाएँ - परंपरागत उत्पाद	100.00%
बीमा के योजनाएँ - यूलिप उत्पाद	0.00%
अन्य	0.00%
कुल	100.00%

च. 31 मार्च, 2022 को यथा विश्लेषित चालू एवं अप्रचलित देयता

	अधिशाषी	गैर-अधिशाषी	कुल
चालू देयता	(16.93)	(55.14)	(72.07)
अप्रचलित आस्ति/(देयता)	(186.79)	(658.31)	(845.10)
31 मार्च, 2022 को यथा देयता	(203.72)	(713.45)	(917.17)

योजना स्वरूप एवं संबद्ध जोखिमों का विवरण

अवकाश स्कीम एक अंतिम वेतन परिभाषित प्रसुविधा योजना है जो कोई एक सेवानिवृत्ति, मृत्यु, निःशक्तता या स्वैच्छिक आहरण के रूप में निर्गमन पर सृजित एकमुश्त संदाय के लिए उपबंधित करती है। प्रसुविधाओं को अंतिम वेतन एवं संचित अवकाश शेषों के आधार पर परिभाषित किया जाता है और निर्गमन पर यथा एकमुश्त प्रदान किया जाता है। योजना अभिहित (डिजाइन) से देयताओं और वित्तीय परिणामों को सामान्यतः प्रभावित करने वाले जोखिम अभिप्राय है जो प्रत्याशित है :

1. ब्याज दर जोखिम : परिभाषित प्रसुविधा दायित्व सरकारी बॉण्ड पर आधारित बट्टा दर प्रयोग कर परिकलित करता है। यदि बॉण्ड प्रतिफलों में घटता है तो परिभाषित प्रसुविधा दायित्व वृद्धि होगी।

2. वेतन मुद्रास्फीति जोखिम : वेतन में प्रत्याशित से अधिक वृद्धि से परिभाषित प्रसुविधा दायित्व में वृद्धि होगी।

3. जनसंख्यिकीय जोखिम : यह जो मृत्यु दर, आहरण, निःशक्तता और सेवानिवृत्ति को समाविष्ट करता है के ह्रास की अव्यवस्थित प्रकृति के कारण परिणामों की भिन्नता का जोखिम है। परिभाषित लाभ दायित्व पर इन अपक्षयों का प्रभाव सरल नहीं है और वेतन वृद्धि, बट्टा दर और निहित मानदंड के समुच्चय पर निर्भर करता है। यह महत्वपूर्ण है कि आहरण को अत्युक्ति नहीं किया जाए क्योंकि वित्तीय विश्लेषण में एक अल्प कैरियर कर्मी के सेवानिवृत्ति प्रसुविधा की लागत प्रारूपिकतया दीर्घ सेवा वाले कर्मी की तुलना में प्रति वर्ष कम होती है।

4. अवकाश शेषों में परिवर्तन : यह अवकाश शेषों के प्रत्याशित संचय से महत्वपूर्ण अंतर के कारण परिणामों की भिन्नता का जोखिम है। अवकाश शेषों में प्रत्याशित से अधिक वृद्धि से परिभाषित प्रसुविधा दायित्व में वृद्धि होगी।

निधिक व्यवस्था एवं नीतियों का विवरण

भारत में आदेशाधीन ऐसी योजनाओं के लिए कोई कानूनी न्यूनतम निधियन आवश्यकताएँ नहीं हैं। तदापि एक कंपनी कर छूट प्रसुविधा के परिग्रहण और प्रसुविधाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक पृथक अप्रतिसंहरणीय न्यास के माध्यम से प्रसुविधाओं को निधि प्रदान कर सकती है।

योजना को एक पृथक अप्रतिसंहरणीय न्यास के जरिए वित्त पोषित किया जाता है और कंपनी ट्रस्ट को नियमित अंशदान प्रदान करने के लिए प्रत्याशित है। निधि का प्रबंधन एक बीमा कंपनी द्वारा किया जाता है और आस्तियों को उनके पारंपरिक समूह उपदान उत्पाद में निवेश किया जाता है। निधि संचित शेष राशि की पूँजी गारंटी प्रदान करता है और आवधिकतः ब्याज घोषित करता है जिसे निधि खाते में जमा किया जाता है। यद्यपि हम जानते हैं कि निधि प्रबंधन बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआईडीए) द्वारा अनुमोदित उत्पादों और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 101 के अधीन यथा नियत निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश करता है, सटीक आस्ति मिश्रण अज्ञात है और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।

निधि प्रबंधन द्वारा प्रबंधित न्यास आस्तियाएँ अत्यधिक अर्थसुलभ प्रकृति की होती है और हम किसी भी महत्वपूर्ण चलनिधि जोखिम की प्रत्याशा नहीं करते हैं।

न्यासी न्यास की आस्तियों के निवेश के साथ-साथ योजना के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन के लिए उत्तरदायी हैं। ट्रस्ट का प्रशासनिक खर्च कंपनी वहन करती है। न्यासियों को आवश्यक व्यवसाय उदाहरणार्थ न्यास की वित्तीय विवरणी का अनुमोदन, निवेश प्रदर्शन का पुनर्विलोकन करने की आवश्यकता होती है।

सारणी 5 : संवेदनशीलता विश्लेषण

31 मार्च, 2022 को यथा आधार ग्रहणों पर डीबीओ	**(₹ करोड़ में)**	917.18

क. बट्टा दर

31 मार्च, 2022 को यथा बट्टा दर		6.80%
1. बट्टा दर में 0.5% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव	**(₹ करोड़ में)**	(37.06)
प्रतिशत प्रभाव		-4.00%
2. बट्टा दर में 0.5% की कमी के कारण डीबीओ पर प्रभाव	**(₹ करोड़ में)**	40.13
प्रतिशत प्रभाव		4.00%

ख. वेतन वृद्धि दर

31 मार्च 2022 तक छूट दर		**अधिशाषी 9% गैर-अधिशाषी 6.25%**
1. वेतन वृद्धि दर में 0.5% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव	**(₹ करोड़ में)**	39.87
प्रतिशत प्रभाव		4.00%
2. वेतन वृद्धि में 0.5% की कमी के कारण डीबीओ पर प्रभाव	**(₹ करोड़ में)**	(37.18)
प्रतिशत प्रभाव		-4.00%

अवकाश नकदीकरण निधियन

कोल इंडिया निदेशक मण्डल ने 13 नवम्बर 2015 को आयोजित अपने 322वीं बैठक में भारतीय जीवन बीमा निगम एवं आईआरडीएआई द्वारा अनुमोदित जीवन बीमा कंपनियों के साथ 70:30 के अनुपात में अवकाश नकदीकरण देयता के वित्तपोषण के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की। आईआरडीएआई द्वारा अनुमोदित जीवन बीमा कंपनियों का चयन सीआईएल स्तर पर प्रक्रियाधीन है। इस बीच, सीआईएल द्वारा सभी अनुषंगी कंपनियों को नई समूह अवकाश नकदीकरण योजना में भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ अवकाश नकदीकरण देयता का निधियन आरंभ करने की सलाह दी गई थी। तदनुसार, कंपनी ने एलआईसी के मास्टर प्रस्ताव नामतः 'नई समूह नकदीकरण नकदी संचयन योजना (UIN512N282V01)' को अपनाते हुए नई समूह अवकाश नकदीकरण योजना में वित्तपोषण आरंभ कर दिया है। उक्त योजना के अधीन एलआईसी के साथ शेष यथा निम्नवत है :

(₹ करोड़ में)

विशिष्टियाँ	31-03-2022	31-03-2021
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	565.02	568.77
जोड़ें: वर्ष के दौरान निवेश	130.00	772.02
जोड़ें: वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	50.90	39.23
घटा: वर्ष के दौरान जारी अवकाश नकदीकरण निधि	41.74	815.00
वर्ष के अंत में समापन शेष	704.18	565.02

31-03-2022 को यथा भारतीय लेखांकन मानक 19 के अधीन सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सीय प्रसुविधा का बीमांकिक परिकलन

चालू मूल्यांकन तिथि को यथा उत्तम प्राक्कलन ग्रहण पर आधारित एक नजर में मूल्यांकन यथा निम्न प्रदत्त है :

सारणी 1 : परिभाषित प्रसुविधा लागत का प्रकटन

क. लाभ एवं हानि (पी एवं एल)

(₹ करोड़ में)

	31-03-2022
चालू सेवा लागत	21.06
पूर्व सेवा लागत - योजना संशोधित	368.46
विरतीकरण लागत / (ऋण)	-
व्यवस्थापन लागत / (ऋण)	-
सेवा लागत	389.52
निवल परिभाषित प्रसुविधा देयता/(आस्ति) पर निवल ब्याज	29.01
(अतिलाभ)/हानि का तात्कालिक निर्धारण - अन्य दीर्घावधि कर्मी प्रसुविधा योजनाएँ	-
लाभ व हानि में निर्धारित लागत	418.53

ख. अन्य व्यापक आय (ओ.सी.आई.)

(₹ करोड़ में)

	31-03-2022
परिभाषित प्रसुविधा दायित्व अनुभव के कारण बीमांकिक (अतिलाभ)/हानि	44.96
परिभाषित प्रसुविधा दायित्व ग्रहण प्रभार के कारण बीमांकिक (अतिलाभ)/हानि	41.52
साल के दौरान उत्पन्न बीमांकिक (अतिलाभ)/हानि	86.48
बट्टा दर से (अधिक)/ कम योजना आस्तियाँ पर वापसी	(25.57)
ओसीआई में निर्धारित बीमांकिक (अतिलाभ)/ हानि	60.91

ग. परिभाषित प्रसुविधा लागत

(₹ करोड़ में)

	31-03-2022
सेवा लागत	389.52
निवल परिभाषित प्रसुविधा देयता/ (आस्ति) पर निवल ब्याज	29.01
ओसीआई में निर्धारित बीमांकिक (अतिलाभ)/हानि	60.91
(अतिलाभ)/ हानि का तात्कालिक निर्धारण - अन्य दीर्घावधि कर्मी प्रसुविधा योजनाएँ	-
परिभाषित प्रसुविधा लागत	479.44

घ. को यथा ग्रहण

	31-03-2021
बट्टा दर	6.85%
चिकित्सीय मुद्रास्फीति दर	लागू नहीं

सारिणी 2 : निवल तुनल-पत्र स्थिति

क. निवल तुलन-पत्र स्थिति

(₹ करोड़ में)

	31-03-2022
परिभाषित प्रसुविधा दायित्व (डीबीओ)	(802.55)
योजना आस्तियों का उचित मूल्य (एफवीए)	191.44
निधिक स्थिति [अधिशेष/(ह्रास)]	(611.11)
आस्ति निर्दिष्ट सीमा का प्रभाव	-
परिभाषित प्रसुविधा आस्ति/(देयता)	(611.11)

ख. निवल तुलन-पत्र स्थिति का समाधान:

(₹ करोड़ में)

	31-03-2022
पूर्व अवधि की समाप्ति पर निवल परिभाषित प्रसुविधा आस्ति / (देयता)	(162.54)
सेवा लागत	(389.52)
निवल परिभाषित प्रसुविधा देयता / (आस्ति) पर निवल ब्याज	(29.01)
बीमांकिक (हानि)/अतिलाभ	(60.91)
नियोक्ता अंशदान	30.86
कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष प्रसुविधा प्रदत्त	-
अधिग्रहण ऋण/ (लागत)	-
निर्निहितीकरण	-
समाप्ति प्रसुविधाओं का लागत	-
चालू अवधि की समाप्ति पर निवल परिभाषित प्रसुविधा आस्ति/ (देयता)	(611.12)

ग. को यथा ग्रहण

	31-03-2022
बट्टा दर	6.80%
वेतन वृद्धि का दर	0.00%

सारिणी 3 : प्रसुविधा दायित्वों एवं आस्तियों में परिवर्तन

क. परिभाषित प्रसुविधा दायित्व (डीबीओ) में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

	31-03-2022
पूर्व अवधि की समाप्ति पर डीबीओ	296.93
चालू सेवा लागत	21.06
डीबीओ पर ब्याज लागत	38.95
विरतीकरण (ऋण)/ लागत	-
व्यवस्थापन (ऋण)/ लागत	-
पूर्व सेवा लागत - योजना संशोधन	368.46
अधिग्रहण (ऋण)/ लागत	-
बीमांकिक (अतिलाभ)/ हानि - अनुभव	44.96
बीमांकिक (अतिलाभ)/ हानि - जनसांख्यिकीय ग्रहण	36.32
बीमांकिक (अतिलाभ)/ हानि - वित्तीय ग्रहण	5.20
कंपनी द्वारा प्रत्यक्ष प्रसुविधा प्रदत्त	-
योजना आस्तियों से प्रसुविधा प्रदत्त	(9.33)
चालू अवधि की समाप्ति पर डीबीओ	802.55

ख. आस्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन **(₹ करोड़ में)**

	31-03-2022
पूर्व अवधि की समाप्ति पर आस्तियों का उचित मूल्य	134.39
अधिग्रहण समायोजन	-
योजना आस्तियों पर ब्याज आय	9.94
नियोक्ता अंशदान	30.87
बट्टा दर से अधिक/(कम) योजना आस्तियों पर प्रतिलाभ	25.57
प्रसुविधाएँ प्रदत्त	(9.33)
चालू अवधि की समाप्ति पर आस्तियों का उचित मूल्य	191.44

सारणी 4 : अतिरिक्त प्रकटन सूचना

क. समाप्त वर्ष के लिए प्रत्याशित प्रसुविधा भुगतानें **(₹ करोड़ में)**

मार्च 31, 2023	26.57
मार्च 31, 2024	31.57
मार्च 31, 2025	36.17
मार्च 31, 2026	41.55
मार्च 31, 2027	46.20
मार्च 31, 2028 to मार्च 31, 2032	295.59
10 साल से अधिक	1,855.32

परिभाषित लाभ दायित्व की भारित औसत अवधि	14 Years

31 मार्च 2022 को उपार्जित लाभ दायित्व	**(₹ करोड़ में)**	802.55

योजना स्वरूप एवं संबद्ध जोखिमों का विवरण

'पीआरएमबी स्कीम एक नियत मौद्रिक राशिजन्य परिभाषित प्रसुविधा योजना है जो सेवानिवृत्ति के उपरांत जब एक सेवानिवृत्त कर्मी चिकित्सीय प्रसुविदाओं का दावा करता है तब सृजित एकमुश्त संदाय उपबंधित करता है। प्रसुविधाएँ सेवानिवृत्ति के उपरांत अधिकतम सीमा तक चिकित्सीय व्यय (यथा कंपनी द्वारा बीमा कंपनी को प्रदत्त प्रीमियम पर मूल्यांकित) के अधीन दावाकृत राशि के आधार पर परिभाषित की जाती है। योजना अभिहित (डिजाइन) से देयताओं और वित्तीय परिणामों को सामान्यतः प्रभावित करने वाले जोखिम अभिप्राय है जो प्रत्याशित है :

1. ब्याज दर जोखिम : परिभाषित प्रसुविधा दायित्व सरकारी बॉण्ड पर आधारित बट्टा दर प्रयोग कर परिकलित करता है। यदि बॉण्ड प्रतिफलों में घटता है तो परिभाषित प्रसुविधा दायित्व वृद्धि होगी।

2. चिकित्सीय मुद्रास्फीति जोखिम : प्रीमियम में प्रत्याशित से अधिक वृद्धि से परिभाषित प्रसुविधा दायित्व में वृद्धि हो सकती है। यद्यपि, बीमा कंपनी द्वारा संदाय प्रसुविधा को सीमित करके (कंपनी के लिए प्रीमियम राशि को सीमित करके) इस जोखिम को कम किया जाता है।

3. जनसंख्यिकीय जोखिम : यह जो मृत्यु दर, आहरण, निःशक्तता और सेवानिवृत्ति को समाविष्ट करता है के ह्रास की अव्यवस्थित प्रकृति के कारण परिणामों की भिन्नता का जोखिम है। परिभाषित लाभ दायित्व पर इन अपक्षयों का प्रभाव सरल नहीं है और वेतन वृद्धि, बट्टा दर और निहित मानदंड के समुच्चय पर निर्भर करता है। यह महत्वपूर्ण है कि आहरण को अत्युक्ति नहीं किया जाए क्योंकि वित्तीय विश्लेषण में एक अल्प कैरियर कर्मी के सेवानिवृत्ति प्रसुविधा की लागत प्रारूपिकतया दीर्घ सेवा वाले कर्मी की तुलना में प्रति वर्ष कम होती है।

निधिक व्यवस्था एवं नीतियों का विवरण

भारत में आदेशाधीन ऐसी योजनाओं के लिए कोई कानूनी न्यूनतम निधियन आवश्यकताएँ नहीं हैं। तदापि एक कंपनी कर छूट प्रसुविधा के परिग्रहण और प्रसुविधाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक पृथक अप्रतिसंहरणीय न्यास के माध्यम से प्रसुविधाओं को निधि प्रदान कर सकती है।

योजना को एक पृथक अप्रतिसंहरणीय न्यास के जरिए वित्त पोषित किया जाता है और कंपनी ट्रस्ट को नियमित अंशदान प्रदान करने के लिए प्रत्याशित है। निधि का प्रबंधन एक बीमा कंपनी द्वारा किया जाता है और आस्तियों को उनके पारंपरिक समूह उपदान उत्पाद में निवेश किया जाता है। निधि संचित शेष राशि की पूँजी गारंटी प्रदान करता है और आवधिकतः ब्याज घोषित करता है जिसे निधि खाते में जमा किया जाता है। यद्यपि हम जानते हैं कि निधि प्रबंधन बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआईडीए) द्वारा अनुमोदित उत्पादों और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 101 के अधीन यथा नियत निवेश दिशानिर्देशों के अनुसार निवेश करता है, सटीक आस्ति मिश्रण अज्ञात है और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।

निधि प्रबंधन द्वारा प्रबंधित न्यास आस्तियाएँ अत्यधिक अर्थसुलभ प्रकृति की होती है और हम किसी भी महत्वपूर्ण चलनिधि जोखिम की प्रत्याशा नहीं करते हैं।

न्यासी न्यास की आस्तियों के निवेश के साथ-साथ योजना के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन के लिए उत्तरदायी हैं। ट्रस्ट का प्रशासनिक खर्च कंपनी वहन करती है। न्यासियों को आवश्यक व्यवसाय उदाहरणार्थ न्यास की वित्तीय विवरणी का अनुमोदन, निवेश प्रदर्शन का पुनर्विलोकन करने की आवश्यकता होती है।

सारणी 5 : संवेदनशीलता विश्लेषण

31-03-2022 को यथा आधार ग्रहण पर डीबीओ	**(₹ करोड़ में)**	802.55

क. बट्टा दर

31-03-2022 को यथा बट्टा दर		6.80%
1. बट्टा दर में 0.5% की वृद्धि के कारण डीबीओ पर प्रभाव	**(₹ करोड़ में)**	(49.71)
प्रतिशत प्रभाव		-6.00%
2. बट्टा दर में 0.5% की कमी के कारण डीबीओ पर प्रभाव	**(₹ करोड़ में)**	55.08
प्रतिशत प्रभाव		7.00%

सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सीय प्रसुविधा निधियन

इस प्रयोजन के लिए केवल सामूहिक स्थल पर सीआईएल द्वारा अनुरक्षित न्यास के जरिये सेवानिवृत्ति उपरांत प्रसुविधा योजना को निधिक किया जाता है। न्यास निधि के साथ शेष निम्नलिखित है :

ट्रस्ट फंड के साथ शेष राशि इस प्रकार है: **(₹ करोड़ में)**

विशिष्टियाँ	31-03-2022
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	134.39
जोड़ें: वर्ष के दौरान निवेश	30.87
जोड़ें: वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	35.51
घटा: वर्ष के दौरान जारी अवकाश नकदीकरण निधि	9.33
वर्ष के अंत में समापन शेष	191.44

4. अनिर्धारित मदें

4. [क]. आकस्मिक देयताएँ :

4. [A].I. कंपनी के विरूद्ध दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया

सारणी - I

(₹ करोड़ में)

क्रम.	निशिष्टियाँ	केंद्रीय सरकार	राज्य सरकार एवं अन्य अवस्थानें**	सीपीएसई	अन्य	कुल
1.	01-04-2021 पर प्रारंभिक शेष राशि	2,469.64	3,594.00	-	579.24	6,642.88
2.	वर्ष के दौरान अतिरिक्त	172.58	45.87	-	47.54	265.99
3.	वर्ष के दौरान बसे:					
	क. प्रारंभिक जमा से	(289.00)	(47.09)	-	(6.68)	(342.77)
	ख. वर्ष के दौरान जोड़ से	-	-	-	-	-
	ग. वर्ष के दौरान कुल निपटान (क + ख)	(289.00)	(47.09)	-	(6.68)	(342.77)
4.	31-03-2022 को यथा लेखाबंदी	2,353.22	3,592.78	-	620.10	6,566.10

प्रबंधन का मानना है कि उक्त के परिणाम का कंपनी पर कोई तात्विक प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

सारणी - II **(₹ करोड़ में)**

क्रम	विशिष्टियाँ	को यथा 31-03-2022	को यथा 31-03-2021
1.	केन्द्रीय सरकार		
	आयकर	1,230.00	1,320.59
	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	880.61	880.61
	केन्द्रीय विक्रय-कर	140.82	166.65
	स्वच्छ ऊर्जा उपकर	101.79	101.79
	अंशसमष्टि	2,353.22	2,469.64
2.	**राज्य सरकार**		
	रॉयल्टी	66.99	66.99
	पर्यावरण सहमति *	2,178.14	2,178.14
	विक्रय-कर/ मूल्यवर्धित कर	39.56	44.83
	विद्युत शुल्क	2.59	2.59
	अन्य :		
	आरई उपकर एवं पीई उपकर	1,302.08	1,258.55
	अन्य	3.42	42.90
	अंशसमष्टि (ii)	3,592.78	3,594.00
3.	**केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम**		
	मध्यस्थम् कार्यवाहियाँ	-	-
	मुकदमा के अधीन कंपनी के विरूद्ध वाद	-	-
	अन्य	-	-
	अंशसमष्टि (iii)	-	-
4.	**अन्य**		
	प्रकीर्ण - भूमि	19.77	21.94
	अन्य (कर्मी संबंधित एवं इत्यादि)**	600.33	557.30
	अंशसमष्टि (iv)	620.10	579.24
	समग्र कुल (i+ii+iii+iv)	**6,566.10**	**6,642.88**

***माननीय उच्चतम न्यायालय के आधर पर एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के अधीन अवैध या विधिविरूद्ध खनित खनिज के लिए यथा शास्ति झारखण्ड राज्य एवं जिला खनन अधिकारी का माँग :** झारखण्ड सरकार ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के अधीन अवैध या विधिविरूद्ध खनित खनिज के लिए यथा शास्ति ₹ 2,178.14 करोड़ की माँग राशि समुत्थापित किया है जो राजमहल क्षेत्र, संथाल परगना माइन्स एवं मुगमा क्षेत्र को क्रमशः सहायक खनन अधिकारी/जिला खनन अधिकारियों द्वारा निर्गत 11 माँग सूचनाओं को समाविष्ट करता है। इस संबंध में, ईसीएल के संबद्ध क्षेत्रों ने भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के पुनरीक्षण प्राधिकारी के समक्ष अभिकथित अतिक्रमण संबंधी झारखण्ड राज्य सरकार द्वारा निर्गत माँग सूचनाओं पर आक्षेप करते हुए 11 पुनरीक्षण प्रत्यावेदन दायर की हैं।

कोयला मंत्रालय के माननीय कोयला न्यायाधिकरण के पुनरीक्षण प्राधिकारी ने दिनांक 22.01.2018 के आदेश के तहत, आगे के आदेश तक, माँग सूचनाओं पर रोक लगा दिया है। आगे, कोयला मंत्रालय के माननीय कोयला न्यायाधिकरण के पुनरीक्षण प्राधिकारी निर्देशित किया है कि आक्षेपित माँग सूचनाओं के अनुसरण में प्रत्यर्थी द्वारा आवेदक के विरूद्ध कोई प्रपीड़न कार्रवाई नहीं की जाएगी।

झारखण्ड राज्य सरकार द्वारा प्रति-शपथपत्र प्रस्तुत की गई थी और कोयला मंत्रालय के माननीय कोयला न्यायाधिकरण के पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा दिनांक 12.04.2022 को सुनवाई की गई थी। कोयला मंत्रालय के माननीय कोयला न्यायाधिकरण के पुनरीक्षण प्राधिकारी का निर्णय प्रतीक्षित है।

4. [क].II. साख-पत्र एवं गारंटी

31-03-2022 को बकाया साख पत्र (एलओसी) ₹16.22 करोड़ (₹ 183.08 करोड़) और जारी की गई बैंक गारंटी ₹51.98 करोड़ (₹80.95 करोड़) है।

4. [ख] सुपुर्दगियाँ

पूंजीगत खाते पर निष्पादित होने वाली शेष संविदाओं की अनुमानित राशि और इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है:

पूंजी खाते पर निष्पादित की जाने वाली शेष राशि ₹656.74 करोड़ (₹ 1136.23 करोड़) है।

राजस्व खाते में निष्पादित की जाने वाली शेष राशि ₹ 9863.49 करोड़ (₹8553.59 करोड़) है।

5. अन्य प्रावधान

क. प्रावधान

भारतीय लेखांकन मानक-37 के अनुसार नानाविध प्रावधानों की स्थिति एवं उतार-चढ़ाव, 31-03-2022 को यथा निम्नवत है : **(₹ करोड़ में)**

प्रावधान	01-04-2021 के अनुसार प्रारंभिक शेष राशि	वर्ष के दौरान योग	वर्ष के दौरान वापस लिखें / समायोजन / भुगतान किया गया	छूट की समाप्ति	31-03-2022 को अंतिम शेषराशि
टिप्पणी 3 :- संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर :					
मूल्यह्रास एवं आस्तियों की क्षति	2,241.59	525.99	(3.99)	-	2,771.57
टिप्पणी 4:- पूँजी चालू कार्य :					
सीडब्ल्यूआईपी	18.82	2.60	(3.01)	-	24.43
टिप्पणी 5:- अन्वेषित एवं मूल्यांकित आस्तियाँ					
प्रावधान एवं ह्रास :	-	-	-	-	-
टिप्पणी 6 :- अन्य अमूर्त आस्तियाँ :					
मूल्यह्रास एवं आस्तियों की क्षति	0.42	1.11	-	-	1.53
टिप्पणी 8:- ऋण :					
अन्य ऋण	-	-	-	-	-
टिप्पणी 9:- अन्य वित्तीय आस्तियाँ :					
प्रतिभूति जमाराशि	21.20	-	-	-	21.20
अन्य जमाराशियाँ एवं प्राप्य	5.97	-	-	-	5.97
टिप्पणी 10:- अन्य अप्रचलित आस्तियाँ :					
पूँजीगत अग्रिम	1.48	-	-	-	1.48
पूँजीगत अग्रिम से भिन्न अग्रिम	1.52	-	-	-	1.52
टिप्पणी 11:- अन्य चालू आस्तियाँ :					
सांविधिक देय का अग्रिम भुगतान	-	-	-	-	-
अन्य जमाराशियाँ एवं अग्रिम	1.93	-	-	-	1.93
टिप्पणी 12 : वस्तु-सूची					
कोयले का स्टॉक	1.31	0.06	-	-	1.37
भण्डार एवं उपकरणों का स्टॉक	43.35	11.90	0.88	-	54.37
कर्मशाला कार्य	0.01	-	-	-	0.01
टिप्पणी 13:- व्यवसाय प्राप्य :					
अशोध्य एवं संदिग्ध कर्ज के लिए प्रावधान	369.81	0.21	6.63	-	363.39
टिप्पणी 21 :- अप्रचलित एवं चालू प्रावधान :					
उपदान	609.32	14.91	-	-	624.23
अवकाश नकदीकरण	332.43	-	119.43	-	213.00
सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सीय प्रसुविधाएँ	421.05	190.06	-	-	611.11
अनुग्रहपूर्वक	377.14	360.24	361.75	-	375.63
कार्य-निष्पादन संबंधित भुगतान	128.28	102.61	62.08	-	168.81
अन्य कर्मी प्रसुविधाएँ	155.99	130.79	-	-	286.78
स्थल पुनरूद्धार/ खान समाप्ति	705.03	48.76	20.38	50.66	784.07
विपट्टन गतिविधि समयोजन	2,742.56	-	153.57	-	2,588.99
अन्य	-	-	-	-	-

ख. अधिमान शेयर पूंजी
प्राधिकृत अधिमान शेयर पूँजी

	31-03-2022	31-03-2021
शून्य (21000000 6% गैर-संपरिवर्तनीय संचयी, प्रतिदेय अधिमान शेयरों) प्रत्येक का ₹ 1000/-	-	2,100.00

सीआईएल 08 नवंबर, 2014 को आयोजित अपने 310वीं निदेशक मण्डलीय बैठक में सीआईएल के पूर्व ऋण एवं चालू खाता शेष को रूपांतरित करने के लिए ₹ 1000.00 के अंकित मूल्य के 6% संचयी, अपरिवर्तनीय व प्रतिदेय प्रत्येक अधिमान शेयरों पर पूर्णतः प्रदत्त ₹2050.97 करोड़ की राशि ईसीएल को प्रदान करने का अपना अनुमोदन दिया है जो निर्गत एवं आवंटन की तिथि अर्थात् 26 दिसंबर 2014 से 7 वर्षों की समाप्ति पर प्रतिदेय किया जाएगा।

भारतीय लेखांकन मानक में अधिमान शेयर पूंजी का व्यवहार 31 मार्च, 2017 को समाप्त शिकायत वित्तीय विवरणी यथा अधिमान शेयर पूँजी (6% संचयी, अपरिवर्तनीय और प्रतिदेय) चक्रवृद्धि वित्तीय लिखत है और उस पर लाभांश की उद्घोषणा कंपनी के विवेक पर संशोधित किया गया है।

उक्त शेयर पूँजी अर्थात् ₹ 2050.97 करोड़ का मूल्य और 8% बट्टा दर पर 26 दिसंबर 2014 को यथा उसी का वर्तमान मूल्य अर्थात् ₹ 1195.36 करोड़ के मध्य अंतर ₹ 855.61 करोड़ की संगणना आरंभतः यथा अधिमान शेयर पूँजी का साम्या भाग माना गया है।

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए अधिमान शेयरों के ऋण भाग में बट्टा दर पर ब्याज की राशि ₹ 112.38 करोड़ (31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष क लिए ₹ 143.60 करोड़) वित्तीय लागत (टिप्पणी 32) में परिवर्तित अंकित मूल्य शीर्ष के अधीन लाभ और हानि खाता को प्रभारित किया गया है।

₹ 2050.97 करोड़ का 6% अपरिवर्तनीय संचयी प्रतिदेय अधिमान शेयरों पर 23 दिसंबर, 2021 को यथा लाभांश ₹ 861.41 करोड़ है (31 मार्च, 2021 को यथा ₹ 769.11 करोड़)। इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि कंपनी संचित हानियाँ को वहन कर रही है।

वर्ष के दौरान, तथाकथित अधिमान शेयर पूँजी को कंपनी द्वारा 23 दिसंबर, 2021 को आयोजित अपने 9वीं ईजीएम में यथा अनुमोदित साम्या शेयर पूँजी में रूपांतरित किया गया है

(₹ करोड़ में)

ग. प्रति शेयर अर्जन

क्रम.	विशिष्टियाँ	को यथा 31-03-2022	को यथा 31-03-2021
i.	कर के उपरांत लाभ/(हानि) (₹करोड़ में)	(1,060.66)	(759.58)
ii.	न्यून : अधिमान शेयरधारक को रोप्य लाभ (₹ करोड़ में)	92.30	123.06
iii.	**साम्य शेयरधारकों को रोप्य कर पश्चात् निवल लाभ (₹करोड़ में)**	**(1,152.96)**	**(882.64)**
iv.	साम्या शेयर बकाया का भारित औसत संख्या [{(22184500*266)+(42694200*99)}/365]	2,77,47,405	2,21,84,500
v.	रूपये में मूल एवं तनुकृत अर्जन प्रति शेयर (प्रति शेयर₹ 1000/- अंकित मूल्य) (₹) [iii ÷ iv]	(415.52)	(397.86)

घ. संबद्ध पक्षकार प्रकटन

(I) नियंत्रणी एवं इसकी अनुषंगियाँ

a. कोल इंडिया लिमिटेड (नियंत्री कंपनी)
b. भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल)
c. केन्द्रीय कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल)
d. वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल)
e. साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल)
f. नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल)
g. महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल)
h. केंद्रीय माइन प्लानिंग एवं डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल)

(ii) नियोजन उपरांत प्रसुविधा निधि :

- अ. एलआईसीआई के साथ सामूहिक उपदान नकदी संचयन योजना
- आ एलआईसीआई के साथ नई सामूहिक उपदान नकदी संचयन योजना (01.04.2014 के पश्चात् नियुक्त कर्मियों के लिए)
- इ. एलआईसीआई के साथ नई सामूहिक उपदान नकदी संचयन योजना (29.06.2020 के पश्चात् नियुक्त कर्मियों के लिए)
- ई. एलआईसीआई के साथ नया समूहगत अवकाश नकदीकरण योजना
- उ. कोयला खान भविष्य निधि (सीएमपीएफ)
- ऊ कोल इंडिया अधिवर्षिता प्रसुविधा निधि न्यास
- ऋ. कर्मचारियों के लिए संशोधित अंशदायी सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा सेवा योजना
- ए. सीआईएल अधिशाषी परिभाषित अंशदान पेंशन न्यास

ङ. (i) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशकगण :

1.	श्री अंबिका प्रसाद पांडा	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (01.02.2022 से)
2.	श्री प्रेम सागर मिश्रा	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (28.01.2022 तक)
3.	श्री जयप्रकाश गुप्ता	निदेशक (तकनीकी) योजना एवं परियोजना (18.06.2018 से)
4.	श्री विनय रंजन	निदेशक (कार्मिक) (27.07.2021 तक)
5.	श्री बी. वीरा रेड्डी	निदेशक (तकनीकी) संचालन (31.01.2022 तक)
6	श्री गौतम चन्द्र दे	निदेशक (वित्त) (31.01.2022 तक)

अंशकालिक पदीय निदेशकगण :

1.	श्री अनिमेष भारती	आर्थिक सलाहकार, कोयला मंत्रालय (17.03.2020 से)
2.	श्री संजीव सोनी	निदेशक (वित्त), कोल इंडिया लिमिटेड (29.10.219 से 30.06.2021 तक)
3.	श्री एस.एन. तिवारी	निदेशक (विपणन), कोल इंडिया लिमिटेड (05.07.2021 से)

स्वतंत्र निदेशकगण :

1.	श्री प्रवीण कान्त (12.12.2021 तक)
2.	श्री अनिल कुमार गनेरीवाला (10.07.2019 से)
3.	श्रीमती धर्मशीला गुप्ता (01.11.2021 से)
4.	श्री शिव नारायण पांडे (01.11.2021 से)
5.	श्री शिव तपस्या पासवान (01.11.2021 से)

कंपनी सचिव :

1.	श्री रामबाबू पाठक (02.07.2018 से)

मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) :

1.	श्री शरद कुमार सोमानी (04.02.2022 से)

(ii) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

(₹ करोड़ में)

क्रम	सीएमडी, पूर्णकालिक निदेशकगणों एवं कंपनी सचिव को पारिश्रमिक	को यथा 31-03-2022	को यथा 31-03-2021
i.	अल्पावधि कर्मी प्रसुविधाएँ :		
	सकल वेतन	1.53	1.68
	चिकित्सीय प्रसुविधाएँ	-	-
	परिलब्धियाँ एवं अन्य प्रसुविधाएँ	0.67	0.83
ii.	नियोजनोपरांत प्रसुविधाएँ :		
	भविष्य निधि एवं अन्य निधि को अंशदान	0.25	0.39
iii.	पर्यवसान प्रसुविधाएँ (पृथक्करण के समय में प्रदत्त)		
	अवकाश नकदीकरण	0.05	-
	उपदान	0.20	-
	कुल	**2.70**	**2.90**

टिप्पणी : उक्त के अतिरिक्त, पूर्णकालिक निदेशकणों को सेवा शर्तों के अनुसार ₹ 2000/- प्रति माह के संदाय पर 1000 कि.मी. की सीमा तक निजी यात्रा के लिए कारों का उपयोग करने की अनुमति दी गई है।

(iii) स्वतंत्र निदेशकगणों को भुगतान **(₹ करोड़ में)**

क्रम	स्वतंत्र निदेशकगणों को भुगतान	को यथा 31-03-2022	को यथा 31-03-2021
i.	बैठक शुल्क	0.17	0.11

(iv) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के साथ बकाया शेष

(₹ करोड़ में)

क्रम	विशिष्टियाँ	को यथा 31-03-2022	को यथा 31-03-2021
i.	राशि देय	0.01	-
ii.	राशि प्राप्य	-	-

(v) कंपनी के निदेशकगणों या अन्य अधिकारियों का किसी अन्य व्यक्ति के साथ पृथकत: या संयुक्त: कोई व्यवसाय या अन्य देय राशियाँ नहीं हैं। न ही कोई व्यापार या अन्य प्राप्य क्रमशः फर्मों या निजी कंपनियों से देय है जिसमें कोई निदेशक भागीदार, निदेशक या सदस्य है।

(vi) समूह के अंदर संबद्ध पक्षकार अंतरण

सीआईएल के साथ लेनदेन की प्रकृति चालू खाते के जरिए शीर्ष प्रभार, अनुसंधान एवं विकास व्यय, पुनर्वासन व्यय, सहायकी, ईडीसी ऋण चुकौती, और कर्मचारियों से संबंधित व्यय हैं। भारतीय लेखांकन मानक 24 के अनुसार, महत्वपूर्ण लेनदेनों की प्रकृति एवं राशि विषयक प्रकटनें निम्नलिखित है।

31 मार्च, 2022 को बकाया शेष राशि और उस वर्ष समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लेनदेन **(₹ करोड़ में)**

संबद्ध पक्षकारों का नाम	संबद्ध पक्षकारों को ऋण	संबद्ध पक्षकारों से ऋण	अन्य सेवाएँ			चालू लेखा शेष (देय)/प्राप्य	बकाया शेष (देय)/ प्राप्य
			सीआईएल के सेवा प्रभार	पुनर्वासन प्रभार	सीआईएल के पास रखी गई निधियों पर ब्याज		
सीआईएल	-	-	32.43	21.61	-	(191.54)	-
आईआईसीएम	-	-	-	-	-	-	(0.88)
सीएमपीडीआईएल	-	-	-	-	-	-	(106.91)

31 मार्च, 2022 को बकाया शेष राशि और उस वर्ष समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लेनदेन **(₹ करोड़ में)**

संबद्ध पक्षकारों का नाम	संबद्ध पक्षकारों को ऋण	संबद्ध पक्षकारों से ऋण	अन्य सेवाएँ			चालू लेखा शेष (देय)/प्राप्य	बकाया शेष (देय)/ प्राप्य
			सीआईएल के सेवा प्रभार	पुनर्वासन प्रभार	सीआईएल के पास रखी गई निधियों पर ब्याज		
सीआईएल	-	-	45.03	25.23	-	(201.87)	-
आईआईसीएम	-	-	-	-	-	-	(0.13)
सीएमपीडीआईएल	-	-	-	-	-	-	(52.48)

च. खंड रिपोर्टिंग :

कंपनी प्रधानत: कोयले के उत्पादन एवं विक्रय के एकल खण्ड कारबार में लगी हुई है। ब्याज और अय आय से वाली आय कुल राजस्व का 10% से कम है; अत: इसके ए कोई पृथक खण्ड निर्धारित नहीं है।

छ. उपभोक्ताओं के साथ संविदा से राजस्व भा.ले.मा. 115 के अनुसार प्रकटन

भिन्न-भिन्न राजस्व सूचना :

(₹ करोड़ में)

माल या सेवा का प्रकार	31-03-2022	31-03-2021
• कोयला	10,301.45	10,256.39
• अन्य	-	-
कोयले एवं अन्य के विक्रय से कुल राजस्व	10,301.45	10,256.39

(₹ करोड़ में)

उपभोक्ताओं का प्रकार	31-03-2022	31-03-2021
• विद्युत शक्ति क्षेत्र	7,210.98	7,920.37
• गैर-विद्युत शक्ति क्षेत्र	3,090.47	2,336.02
• अन्य या सेवाएँ (सीएमपीडीआईएल)	-	-
कोयले एवं अन्य के विक्रय से कुल राजस्व	10,301.45	10,256.39

(₹ करोड़ में)

संविदा का प्रकार	31-03-2022	31-03-2021
• एफएसए	7,380.07	7,954.65
• ई-नीलामी	2,912.24	2,284.10
• अन्य	9.14	17.64
कोयले एवं अन्य के विक्रय से कुल राजस्व	10,301.45	10,256.39

(₹ करोड़ में)

माल एवं सेवा का कालन	31-03-2022	31-03-2021
• एक ही समय में हस्तांतरित माल	-	-
• समय के साथ हस्तांतरित माल	10,301.45	10,256.39
• एक ही समय में अंतरित सेवाएँ	-	-
• समय के साथ अंतरित सेवाएँ	-	-
कोयले एवं अन्य के विक्रय से कुल राजस्व	10,301.45	10,256.39

(₹ करोड़ में)

संविदा शेष :	31-03-2022	31-03-2021
व्यवसाय प्राप्य (संदर्भ टिप्पणी 13)	2,504.20	4,423.53
संविदात्मक आस्तियाँ	-	-
संविदात्मक देयताएँ (संदर्भ टिप्पणी 23)	1,446.91	1,275.59
रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में संविदात्मक देयताओं के बिना निर्धारित राजस्व	-	-
पूर्व वर्ष के दौरान निष्पादित कार्य-निष्पादन दायित्व के बिना निर्धारित राजस्व	-	-

ज. अनुपात

	31.03.2022	31.03.2021	फ़र्क	अंतर का कारण
अ. चालू अनुपात : चालू अनुपात कंपनी की समस्त चलनिधि की स्थिति को उपदर्शित करता है। उनके ग्राहकों को कार्यशील पूँजीगत ऋण देने संबंधी निर्णय निर्धारण में बैंकों द्वारा इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। चालू अनुपात को यथा चालू आस्तियों को चालू देयताओं से भाग कर परिकलन किया गया है।	0.81	1.08	-25.00%	के कारण चालू अनुपात में अंतर : - ₹ 256.19 करोड़ वस्तुसूची का परिसमापन - ₹1919.33 करोड़ व्यवसाय प्राप्य की वसूली
आ. कर्ज-साम्या अनुपात : कर्ज-साम्या अनुपात कंपनी के कुल कर्ज को शेयरधारकों के साम्या से तुलना करता है। कंपनी के तुलन-पत्र में ये दोनों संख्याओं को ज्ञात किया जा सकता है। कर्ज-साम्या अनुपात को यथा कुल कर्ज को शेयरधारकों की साम्या से भाग कर परिकलन किया गया है।	0.08	2.35	-96.60%	के कारण कर्ज-साम्या अनुपात में अंतर : -₹2050.97 करोड़ के अधिमान शेयर के देयता भाग को साम्या शेयर पूँजी में रूपांतरण
इ. कर्ज सेवा व्यापन अनुपात : कर्ज सेवा व्यापन अनुपात को चालू ब्याज एवं किस्तों को चुकता करने की फर्म की क्षमता का विश्लेषण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कर्ज सेवा व्यापन अनुपात को यथा कर्ज सेवा के लिए उपलब्ध अर्जन को कर्ज सेवा से भाग कर परिकलित किया जाता है। कर्ज सेवा के लिए अर्जन = करोपरांत निवल लाभ + गैर-नकदी परिचालनात्मक व्यय जैसे मूल्यहास एवं अन्य ऋण चुकौती + ब्याज + अन्य समायोजन जैसे अचल आस्तियों के विक्रय पर हानि इत्यादि। कर्ज सेवा = ब्याज पट्टाघृति संदाय + मूलधन चुकौती। "करोपरांत निवल लाभ" से आशय "अवधि के लिए लाभ/(हानि)" की सूचित राशि है और यह अन्य व्यापक आय के मदों को समाविष्ट नहीं करता है।	(4.55)	(1.13)	302.65%	ईबीआईटीडीए में ₹ 524.73 करोड़ के गिरावट के कारण कर्ज चुकौती व्यापन अनुपात में अंतर
ई. साम्या अनुपात पर वापसी : यह कंपनी में निवेशित साम्या निधियों की लाभप्रदता को मापित करता है। यह अनुपात कंपनी द्वारा कैसे साम्या-धारकों के निधियों की लाभप्रदता का उपयोग किया गया है को प्रकट करता है। यह अनुपात यथा : (करोपरांत निवल लाभ से अधिमान लाभांश (यदि कोई हो) को घटाकर) को औसत शेयरधारक साम्या से भाग कर संगणित किया जाता है।	0.85	0.64	32.81%	करोपरांत लाभ से अधिमान शेयर लाभांश को घटाने से ₹ 270.35 करोड़ की कमी होने के कारण प्रतिफल से साम्या अनुपात में अंतर
उ. वस्तुसूची आवर्त अनुपात : यह अनुपात नामशः स्टॉक आवर्त अनुपात भी है और अवधि के दौरान बेची गई या बिक्री हुई मालों की लागत और अवधि के दौरान औसत वस्तुसूची के मध्य संबंध स्थापित करता है। यह दक्षता को मापित करता है जिस के साथ कंपनी अपने वस्तुसूची का उपयोग एवं प्रबंधन करता है। वस्तुसूची आवर्त अनुपात यथा बिक गए या बिक्री मालों की लागत को औसत वस्तुसूची से भाग देकर परिकलित किया जाता है। औसत वस्तुसूची (प्रारंभिक + अंतिम शेष)/2 है। जब वस्तुसूची की आरंभिक और अंतिम शेष की सूचना अनुपलब्ध हो तब अनुपात सीओजीएस या बिक्री को वस्तुसूची के अंतिम शेष भाग देते हुए परिकलित किया जा सकता है।	25.71	24.93	3.13%	
ऊ. व्यवसाय प्राप्य आवर्त अनुपात : यह दक्षता को मापित करता है जिसपर फर्म प्राप्य का प्रबंधन कर रहा है। व्यवसाय प्राप्य आवर्त अनुपात = निवल साख विक्रय / औसत लेखा प्राप्य औसत व्यवसाय प्राप्य = (प्रारंभिक + अंतिम शेष)/2 जब ऋण बिक्री, व्यवसाय देनदार का प्रारंभिक और अंतिम शेष की सूचना अनुपलब्ध हो तब अनुपात कुल विक्रय को व्यवसाय प्राप्य के अंतिम शेष से भाग देते हुए परिकलित किया जा सकता है।	2.97	2.65	12.08%	

	31.03. 2022	31.03. 2021	फ़र्क	अंतर का कारण
ऋ. व्यवसाय देय आवर्त अनुपात : यह विविध लेनदारों की संख्या उपदर्शित करती है जिन्हें अवधि के दौरान संदाय किया गया है। विविध लेनदारों को संदाय करने के लिए नकदी की आवश्यकता का आकलन करने के लिए परिकलित किया जाता है। यह निवल साख क्रयों को औसत लेनदारों से भाग देते हुए परिकलित किया जाता है। व्यवसाय देय आवर्त अनुपात = निवल साख क्रय / औसत व्यवसाय देय निवल साख क्रय समग्र साख क्रय से क्रय वापसी को घटाकर बनता है। जब साख क्रय , व्यवसाय लेनदारों का प्रारंभिक और अंतिम शेष की सूचना अनुपलब्ध हो तब अनुपात कुल क्रय को व्यवसाय लेनदारों के अंतिम शेष से भाग देते हुए परिकलित किया जा सकता है।	3.46	3.54	-2.26%	
ए. निवल पूँजी आवर्त अनुपात : यह अपनी कार्यशील पूँजी का उपयोग करने में कंपनी की प्रभावशीलता को इंगित करता है। निवल पूँजी आवर्त अनुपात यथा निम्नवत परिकलित किया जाता है : उसी अवधि के दौरान निवल बिक्री को क्रियाशील पूँजी की औसत राशि से भाग। निवल पूँजी आवर्त अनुपात = निवल बिक्री / क्रियाशील पूँजी निवल बिक्री यथा कुल बिक्री से बिक्री वापसियों को घटाकर परिकलित किया जाएगा। क्रियाशील पूँजी यथा चालू आस्तियों से चालू देयताओं को घटाकर परिकलित किया जाएगा।	(6.47)	16.00	-140.44%	₹ 2232.52 से कार्यशील पूँजी में कमी के कारण निवल पूँजीगत आवर्त अनुपात में अंतर।
ऐ. निवल लाभ अनुपात : यह व्यवसाय के निवल लाभ और बिक्री के बीच के संबंध को मापित करता है। निवल लाभ अनुपात = निवल लाभ / निवल बिक्री निवल लाभ करोपरांत होगा। निवल बिक्री यथा कुल बिक्री से बिक्री वापसी को घटकर परिकलित किया जाएगा।	(0.10)	(0.07)	42.86%	₹ 301.08 करोड़ से निवल लाभ में कमी के कारण निवल लाभ अनुपात में अंतर
ओ. प्रयुक्त पूँजी पर वापसी : नियोजित पूंजी पर प्रतिफल ऋण धारकों और साम्या धारकों दोनों के लिए प्रतिफल उत्पन्न करने के लिए कंपनी के प्रबंधन की क्षमता को दर्शाता है। अनुपात जितना अधिक होगा, कंपनी द्वारा वापीस उत्पन्न करने के लिए नियोजित पूँजी अधिक कुशलता से होगी। आरओसीई = ब्याज और कर पूर्व अर्जन / अभिनियोजित पूँजी अभिनियोजित पूँजी = मूर्त निवल मालियत + कुल कर्ज + आस्थगित कर देयताएँ	(0.65)	(0.24)	170.83%	₹ 560.25 करोड़ से ईबीआईटी में गिरावट के कारण प्रयुक्त पूँजी पर प्रतिफल में अंतर
औ. निवेश पर वापसी : निवेश पर वापसी प्रसुविधा जो एक निवेशक अपने निवेशित लागत के संबंध में प्राप्त करेगा को परिकलित करने के लिए प्रयुक्त एक वित्तीय अनुपात है। जितना अधिक अनुपात होगा, उतना अधिक लाभ अर्जित होगा। व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली विधि में से एक समय भारित प्रतिलाभ दर (TWRR) है और ब्याज दर (ROI) के परिकलन के लिए उसी का अनुसरण किया जाना चाहिए। यह निवेश नकदी प्रवाह के समय के लिए प्रतिफल को समायोजित करता है। प्रत्येक आस्ति वर्ग (जैसे, साम्या, नियत आय, मुद्रा बाजार, आदि) के लिए अलग से ब्याज दर (आरओआई) प्रदान किया जाता है। ब्याज दर = अंतिम बाजार मूल्य - (प्रारंभिक बाजार मूल्य + नकदी प्रवाह का जोड़)/(अंतिम बाजार मूल्य + भारित नकदी प्रवाह का जोड़)				
I. असूचीबद्ध अनुषंगियों में साम्या निवेश पर ब्याज दर : (अनुषंगियों की साम्या से लाभांश)/ (औसत निवेश)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
ii. संयुक्त उद्यमों में साम्या निवेश पर ब्याज दर : ब्याज दर = ((संयुक्त उद्यमों के साम्या से प्राप्त लाभांश) / (संयुक्त उद्यमों के साम्या में औसत निवेश))	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
iii. नियत आय निवेश (बॉण्ड/डिबेंचर इत्यादि) = (ब्याज आय)/(औसत निवेश)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
iv. पारस्परिक निधि पर ब्याज दर = (लाभांश+पूँजीगत लाभ+उचित मूल्य लाभ (हानि) /(औसत निवेश)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	
v. जमाराशियों पर ब्याज दर (बैंकों, ...) = (ब्याज आय)/(औसत निवेश)	0.04	0.03	35.07%	जमापूँजी पर ब्याज दर में कमी के कारण जमाराशियों पर ब्याज दर में अंतर

झ. मास्टर योजना के अधीन निधि

कंपनी पट्टाघृति के कोयला धारक प्रभावित क्षेत्र में निवासित व्यक्तियों के पुनर्वासन के साथ व्यवहार करने के लिए मास्टर योजना के अधीन निधि प्राप्त करता है। आसनसोल दुर्गापुर विकास प्राधिकरण (एडीडीए) गैर-ईसीएल घरों में निवासित व्यक्तियों के पुनर्वासन के लिए क्रियान्वयन अभिकरण है, जिसके लिए कंपनी यथा नोडल अभिकरण है। यथा नोडल अभिकरण प्राप्त निधि एडीडीए को अग्रिम राशि प्रदान किया जाता है और ऐसे अग्रिम (टिप्पणी – 11 में अन्य जमाराशियों एवं अग्रिमों के अधीन दर्शाया गया है) के साथ-साथ सुसंगत निधि, दोनों एडीडीए द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता विवरणी के आधार पर समायोजित किया जाता है। 31 मार्च, 2022 को यथा ₹11.44 करोड़ (31 मार्च, 2021 को यथा ₹11.44 करोड़) की अदोहित निधि के समायोजन के लिए एडीडीए से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रतीक्षित है।

मास्टर योजना के अधीन अदोहित निधि की स्थिति एतद् निम्न दर्शित है : **(₹ करोड़ में)**

विशिष्टियाँ	को यथा 31-03-2022	को यथा 31-03-2021
अदोहित निधि का प्रारंभिक शेष	11.44	204.35
जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्त निधि	-	-
जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्त निधि	-	192.91
अदोहित निधि का अंतिम शेष	11.44	11.44

ञ. बीमा एवं वृद्धि दावें

स्वीकृति/अंतिम निपटान के आधार पर निवेश एवं वृद्धि दावों का लेखा-जोखा दिया गया है।

ट. लेखा में निर्मित प्रावधान

कलापेक्षी/अचल/अप्रचलित स्टोरों, प्राप्य दावे, अग्रिमों, संदिग्ध ऋण आदि के विरूद्ध खातों में कृत प्रावधानें संभावित हानियों की रक्षा करने में पर्याप्त माने जाते हैं।

ठ. लेखांकन नीति में परिवर्तन

वित्तीय विवरणी के प्रयोक्ता को अच्छी समझ के लिए, महत्वपूर्ण लेखांकन नीति को भाग 2.11 अमूर्त आस्तियाँ, 2.17 कर्मी प्रसुविधाएँ और 2.23.2.3 परिभाषित प्रसुविधा योजनाओं में संशोधित / अलग ढंग से व्यक्त किया गया है।

ड. चालू आस्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम आदि

प्रबंधन की राय में, संपत्ति, संयंत्र व उपस्कर और गैर-चालू निवेशों से भिन्न आस्तियों का कारबार के साधारण अनुक्रम में वसूली पर न्यूनातिन्यून उस राशि के समतुल्य मूल्य है जिसपर उन्हें विवरणित हैं।

ढ. चालू देयताएँ

अनुमानित देयता जहाँ वास्तविक देयता को मापित नहीं किया जा सकता है को उपबंधित किया गया है।

ण. शेष प्रमाण

नकदी और बैंक शेषराशियों, कतिपय ऋणों एवं अग्रिमों, दीर्घावधि देयताओं और चालू देयताओं के लिए जमाराशि पुष्टिकरण/समाधान किया जाता है। संदिग्ध अपुष्ट शेषराशियों के विरूद्ध प्रावधान किया जाता है।

त. (i) ए.एस.टी. सं. 2011 का 617, दिनांकित 26.08.2011 में माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता के निदेशानुसार डिसेरगढ़ पावर सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड (वर्तमान में इंडिया पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड) से विद्युत आपूर्ति की पुनःबहाली के लिए यथा अग्रिम ₹8.00 करोड़ की राशि प्रदान की गई थी। उस राशि को टिप्पणी 11 – अन्य चालू आस्तियाँ में दर्शाया गया है।

(ii) ₹ 3.96 करोड़ की तदर्थ अग्रिम राशि आईपीसीएल को उनके द्वारा प्रस्तुत वियोजन सूचना जो माननीय लोकपाल, डब्ल्यूबीईआरसी के समक्ष अपीलीय कार्यवाहियों में लंबित है के कारण प्रदान की गई थी।

(iii) ए.एस.टी. सं. 1904/2011, दिनांकित 21.12.2011 में माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता के निदेशानुसार आईपीसीएल को विद्युत बिल के लिए ₹39.19 करोड़ की राशि यथा प्रतिभूति जमाराशि प्रदान की गई है। उस राशि को टिप्पणी 10 – अन्य अप्रचलित आस्तियाँ के अधीन दर्शाया गया है। उक्त मामलातों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त मध्यस्थ के समक्ष विवाद के प्रत्यावर्तन के लिए प्रस्तुत किया गया था। मध्यस्थ अपने दिनांक 15 फरवरी, 2021 के आदेश के माध्यम से निर्णय दिया है कि यथा समुत्थापित विवाद्यक कोलकाता उच्च न्यायालय में लंबित रिट याचिका का विषय-वस्तु है। माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली (अपीली अधिकारिता) के समक्ष मध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के अधीन उक्त मामले से संबंधित अपील दायर की गई है। माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा 29 अक्तूबर, 2021 के आदेश के माध्यम तथाकथित अपील को खारिज कर दिया था।

मामलात सं. (i) एवं (ii) के संबंध में, ईसीएल ने माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय के समक्ष मामले पर बहस करने से लिए अधिवक्ता/ वरिष्ठ काउंसेल नियुक्त किया है और मामलात सं. (iii) ईसीएल ने माननीय खण्ड न्यायपीठ, दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष मध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37 के अधीन अभ्यावेदन दायर की है।

थ. प्रकीर्ण सूचनाएँ

(i) कोल नेट से एसएपी (ईआरपी) में आँकड़ों के अवस्थांतरण के दौरान, कुछ विक्रेताओं के शेषराशियों को वसीयत विक्रेता कोड के अधीन सैप (SAP) में अपलोड किया गया था। इसकी पहचान की जा रही है और नियमित आधार पर संबंधित एसएपी विक्रेता कोड को अंतरित किया जा रहा है। उक्त वसीयत विक्रेता कोड के अधीन देयता कंपनी द्वारा देय है।

(ii) झारखंड क्षेत्र में ईसीएल के पास जीएसटी के अधीन प्रतिलोमित शुल्क संरचना है, जहाँ आगत जीएसटी ऋण निर्गत जीएसटी देयता से अधिक है जिससे जीएसटी आगत ऋण का संचय होता है। जीएसटी अधिनियम के अनुसार, प्राप्त आगत कर ऋण के उपयोग के लिए राशि या समय की कोई रोक नहीं है। जीएसटी आगत ऋण के अधीन पड़ी राशि वसूली योग्य है।

(iii) महत्वपूर्ण लेखांकन नीति

कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के अधीन कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) के अनुसार कंपनी द्वारा अंगीकृत लेखांकन नीतियाँ विशदीकरण करने के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीति (टिप्पणी-2) को प्रारूपित किया गया है।

(iv) नवघोषणाएँ

कारपोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") समय-समय पर यथा निर्गत कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमों के अधीन विद्यमान मानकों में नए मानक या संशोधन को अधिसूचित करता है। 23 मार्च, 2022 को, एमसीए ने जीएसआर 255 (ई) के माध्यम से कंपनी (भारतीय लेखा मानक) संशोधन नियम, 2022 में संशोधन किया जो 1 अप्रैल, 2022 से प्रवृत्त है। कंपनी ने संशोधन का मूल्यांकन किया है और इसके वित्तीय विवरणी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।"

द. अन्य

अ. कंपनी अपने सामान्य परिचालन चक्र को बारह (12) महीने में प्राक्कलित करता है।

आ. भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार जब कभी आवश्यक प्रतीत हुआ है तब पूर्व वर्षों के आँकडों को पुनःसमूहित एवं पुनःव्यवस्थापित किया गया है।

इ. टिप्पणी सं. 3 से 38 तक में कोष्ठक में पूर्व वर्ष के आँकड़े हैं।

ई. टिप्पणी – 1 एवं 2 क्रमशः निगमित सूचना एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का द्योतक है, टिप्पणी 3 से 23 तक 31 मार्च, 2022 को यथा तुलन-पत्र के भागरूप हैं और टिप्पणी 24 से 37 तक 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरणी के भागरूप हैं। टिप्पणी -38 में वित्तीय विवरणियों की अतिरिक्त टिप्पणियाँ उपबंधित है।

(रामबाबू पाठक)
कंपनी सचिव

(एस. के. सोमानी)
महाप्रबंधक (वित्त)
मुख्य वित्त अधिकारी

(जयप्रकाश गुप्ता)
निदेशक (तकनीकी)
योजना एवं परियोजना
डी आई एन - 08174002

(अंबिका प्रसाद पांडा)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डी आई एन - 06664375

संलग्न हमारी रिपोर्ट के अनुसार
जी. पी. अग्रवाल एंड कंपनी के लिये
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफ. आर. संख्या - 302082ई

सीए राकेश कुमार सिंह
साझेदार, सदस्यता संख्या - 066421

दिनांक: 9 मई, 2022
स्थान: सांकतोडिया

टिप्पणियाँ

टिप्पणियाँ

टिप्पणियाँ

टिप्पणियाँ

A CSR INITIATIVE OF जन सुविधायें PUBLIC TOILET
RITES
RITES LIMITED
Keep Railway Premises Clean,
Have a Pleasant Travel.
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
BETI BACHAO - BETI PADHAO
SWACHH
BHARAT

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की एक अनुषंगी)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक का कार्यालय, सांकतोड़िया, पत्रालय- डिसेरगढ़, जिला- बर्द्धमान, पश्चिम बंगाल-713333

www.easterncoal.nic.in

सीआईएन-U10101WB1975GOI030295

#Gautam Advertisement